राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 63 वां दिवस संख्या 26

बुधवार,

दिनांक 20 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत्, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक-निर्माण, चिकित्सा, गृह, स्वायत्त शासन, उद्योग व विधि विभाग)

ग्राम रायपुर में बिजली

677. श्री **बृजबल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की लाडपुरा तहसील के ग्राम रायपुर में बिजली नहीं दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली की लाइन इस ग्राम में होकर गई है ?

(3) क्या यह सही है कि यह इन्डस्ट्रीयल एरिया से सिर्फ चार–पांच फर्लांग के करीब ही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बिजली के मिलने से इस गांव के उद्योग बढ़ेंगे ?

(5) यदि बिजली दी जावेगी तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री विद्युत् (श्री जयकृष्ण शर्मा):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) स्वाभाविक है।

(5) अग्रिम वर्ष की योजना बनाते समय इस पर विचार किया जायगा।

श्री बृजबल्लभ बोहरा: उपाध्यक्ष महोदय, इस गांव के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, एक तरफ तो हजारों लाखों बल्ब जलते हैं और यहां पर मजदूरों को बिजली नहीं मिलने से आठ आना दस आना का केरोसिन लेने के लिये कोटा शहर में जाना पड़ता है, केरोसीन नहीं मिलने से अंधेरा रहता है ऐसी हालत में इस गांव के लिये बड़े दुख की बात है।

प्रश्न संख्या 678

श्री **उपाध्यक्ष** : राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति गोगुन्दा के ग्रामों की नल योजना

679. श्री **देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा के कितने गांवों की नल योजना के लिये धनराशि जमा करा दी गई है ?

(2) इन योजनाओं का कार्य कब तक शुरू होगा और अब तक शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) ग्राम नादेश्मा, सामरा व गोगुन्दा में नल लगाने का काम कब शुरू होगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जन सहयोग की राशि केवल ग्राम गोगुन्दा से ही प्राप्त हुई है ।

(2) गोगुन्दा ग्राम की नल योजना पूरी कर दी गई है । अन्य योजनाओं का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां । प्रारम्भिक सर्वेक्षण ग्राम सायरा एवं नादेश्मा का किया जा चुका है, और योजना बनाई जा रही है ।

(4) गोगुन्दा में कार्य पूरा किया जा चुका है । सायरा व नादेश्मा का कार्य योजना बन जाने पर प्रशासकीय स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर ही शुरू किया जा सकेगा ।

श्री **देवेन्द्रकुमार मीणा** : धन उपलब्ध कब तक होगा ?

श्री**मती सुमित्रा** : धन की उपलब्धि के बारे में निश्चित तौर पर कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : नल की योजना के साथ साथ ड्रेनेज की योजना भी चालू क्यों नहीं की जाती ?

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! यह अलग प्रश्न है ।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह अलग प्रश्न नहीं है । नल की योजना के साथ ड्रेनेज भी होनी चाहिये नहीं तो गंदगी बढ़ेगी । जहां जहां पर नल की योजना शुरू की गई है वहां पर गंदगी बढ़ी है ।

श्री**मती सुमित्रा** : अभी तक तो बड़े-बड़े शहरों में भी ड्रेनेज नहीं हो पाई है । जिस स्थान पर अभी तो पानी ही नहीं मिल पा रहा है वहां गंदगी क्या बढ़ेगी ।

श्री **मूलचन्द डागा** : नल की योजना के स्थान पर आप कुए पर ही सारे नल लगा दीजिये ।

श्री**मती सुमित्रा** : छोटे गांवों में ऐसा ही करते हैं पंप एन्ड टेन्क की स्कीम होती है, एक ही कुए पर टेन्क बनाकर नल लगा दिये जाते हैं ।

कस्बा उदयपुर वाटी के कुओं को बिजली

680. श्री **शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू में सिंचाई के कुओं को बिजली देने के वास्ते कितने ट्रान्सफार्मर लगे हुए हैं ? प्रत्येक कितनी ताकत का है तथा प्रत्येक से कितने कितने हार्स पॉवर की कितनी कितनी मोटरों का कनेक्शन दिया हुआ हैं ?

(श्री शिवनाथसिंह)

(2) क्या यह सही है कि इन कुओं वालों को ट्रान्सफार्मर पर अधिक लोड हो जाने के कारण पूरी बिजली नहीं मिल रही है और मोटर जलने तथा फसल जलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वार्ड नं० 8 व 9 में लोड को देखते हुए नया ट्रान्सफार्मर रखने की योजना थी ? यदि हां, तो वह योजना अभी पूरी क्यों नहीं हुई है ? यदि कोई योजना अभी तक नहीं बनी है तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मई, 1967 में विद्युत् मन्त्रीजी ने उदयपुरवाटी वार्ड नं० 8 व 9 के काश्तकारों की दरख्वास्त पर बिजली की दिक्कत को देखते हुए नया ट्रान्सफार्मर रखने के आदेश दे दिये थे लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया ?

राज्य मंत्री विद्युत् (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) तीन । ट्रान्सफार्मर का विवरण तथा उन पर लोड निम्न प्रकार है ।

ट्रान्सफार्मर की क्षमता	सिंचाई के लिये मोटर कनेक्शन की संख्या	औद्योगिक मोटर कनेक्शन की संख्या	प्रत्येक पर मोटरों की अश्व शक्ति का योग
11 के.वी. 250 के.वी.ए.	20	6	207
„ 100 के.वी.ए.	20	..	142,5
„ 100 के.वी ए.	19	..	142.5

(2) जी नहीं । स्टेगरिंग करके सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं अतः ओवर लोड नहीं हो रहा है ।

(3) नये ट्रान्सफार्मर आने पर बदलने की व्यवस्था की जावेगी ।

(4) नये ट्रान्सफार्मर आने पर बदलने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री **मूलचन्द डागा** : ये घोडे की शक्ति से क्या मतलब है ?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : एच पी. ।

श्री **शिवनाथसिंह** : पिछले साल मई माह में मंत्रीजी ने ऑर्डर दिया था कि नये ट्रान्सफार्मर रखे जांय वे अब तक क्यों नहीं रखे गये ?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : ऐसे ऑर्डर हैं नहीं लेकिन यदि मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है तो मैंने प्रश्न के चौथे भाग के उत्तर में कहा है कि नये ट्रान्सफार्मर आने पर बदलने की व्यवस्था की जायगी ।

श्री **शिवनाथसिंह** : आश्वासन ही नहीं दिया लेकिन लिखित आदेश हैं । चीफ इंजीनियर की हठ धर्मी है कि वह लगा नहीं रहा है, लगे हुए भी हटा दिये ।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : यदि ऐसा है तो जानकारी करूंगा ।

श्री **शिवनाथसिंह** : पूरी बिजली नहीं मिलने के कारण फसल जलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं क्या मंत्रीजी जांच कराने को तैयार है ?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : इस बारे में जांच कराऊंगा ।

प्रश्न संख्या 681

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल रोत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

अस्थाई अध्यापक

682. श्री **केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के शिक्षा विभाग में जिलेवार कितने अस्थायी अध्यापक हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन अस्थायी अध्यापकों को शिक्षा विभाग के निरीक्षक द्वारा ग्रीष्म अवकाश में सेवा से मुक्त कर दिया जाता है ?

(3) यह परम्परा विभाग ने कब से चालू कर रखी है और कितने अध्यापक प्रभावित होते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रीष्मावकाश के बाद में 5-6 वर्षों के अनुभवी अध्यापकों को न रखते हुए नये अध्यापक, जिनका केवल पांच चार महीनों का सेवा काल रहा हो, रख लिए जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) गत सत्र के अस्थाई अध्यापकों की जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) अस्थाई अध्यापकों में से केवल ऐसे अध्यापकों को, जो किन्हीं अध्यापकों के छुट्टी जाने पर या प्रशिक्षण में जाने पर उनकी जगह पर अस्थाई तौर पर लगाये जाते हैं अथवा जिनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर सत्र के अन्त तक की जाती है, ग्रीष्मावकाश में सेवा से मुक्त किया जाता है।

(3) यह परम्परा बहुत समय से चालू है। इसके अनुसार प्रभावित होने वाले अध्यापकों की संख्या भिन्न होती है क्योंकि यह संख्या प्रशिक्षण एवं छुट्टी जाने वाले अध्यापकों की संख्या पर निर्भर है ।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री **केशरीसिंह हाडा** : क्या यह सही है कि बूंदी जिले में 211 अध्यापक इससे प्रभावित हुए हैं ?

श्री **शिवचरण माथुर** : जो भी संख्या है उसकी जानकारी जो सूची संलग्न है उससे मिल जायगी ।

श्री **केशरीसिंह हाडा** : मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि इस माफिक हर साल ग्रीष्मावकाश के समय अध्यापकों को निकालते रहेंगे तो मान्यता कहां रह जायगी । उनको कैसे पता चलेगा कि नौकरी मिलेगी या नहीं ?

श्री **शिवचरण माथुर** : मैंने उत्तर में बहुत स्पष्ट निवेदन किया है कि जो टेम्प्रेरी हैं उनको निकाला जाता है। जो अस्थाई जगह पर होते हैं, कोई अध्यापक छुट्टी जाता है उसकी जगह खाली होती है उस जगह पर जिसको लिया जाता है उसको पहले वाले अध्यापक के छुट्टी से लौटने पर जाना पड़ता है । परमानेन्ट जगह के स्थान पर जिनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर की जाती है उनको ग्रीष्मावकाश के समय निकाला जाता है ।

श्री **केशरीसिंह हाडा** : ग्रीष्मकाल के अवकाश के समय निकाला जाता है यह बात

(श्री केशरीसिंह हाडा)
ठीक नहीं है। जो लोग नौकरी में हैं, किसी की जगह पर नहीं है उनको भी निकाल दिया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं माननीय सदस्य सहमत होंगे कि एक जगह पर दो आदमियों की नियुक्ति संभव नहीं हो सकती। एक आदमी छुट्टी पर गया है उसकी एवज में दूसरे को रखा जाता है। जब वह परमानेन्ट आदमी छुट्टी पर से वापिस आयगा तो उस टेम्प्रेरी आदमी को हटना पड़ेगा।

मानसिक अस्पताल जयपुर में परिचर्या हेतु आने वाले व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था

683. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में मानसिक अस्पताल में परिचर्या हेतु जयपुर में रुकने वाले व्यक्तियों के ठहरने के लिये कोई स्थान है क्या ?

(2) क्या राज्य सरकार के समक्ष भूमि मिल जाने पर कोई धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव आया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

(3) क्या राज्य सरकार यदि कोई धर्मशाला बनाने को तैयार हो तो भूमि की व्यवस्था करने का आश्वासन दे सकती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। प्रस्ताव में पर्याप्त धनराशि एवं पूर्ण विवरण न होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

(3) उचित प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या अगर कोई प्राइवेट व्यक्तियों ने आपको आर्थिक सहायता देनी चाही है और आर्थिक सहायता कुछ व्यक्ति मिल कर दें और कुछ राज्य सरकार दे तो यह योजना सम्पन्न करने का विचार राज्य सरकार रखती है? इस प्रकार आर्थिक सहायता का एक आफर राज्य सरकार के पास आ चुका है, यह प्रश्न में मैंने पूछा है इसका ध्यान भी है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां ! एक प्रस्ताव जोइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेंसर दुर्गा शंकर आचार्य की तरफ से प्राप्त हुआ था जिसमें पांच हजार की धनराशि इस कार्य के लिए खर्च करने का ऑफर किया था। उसके लिए जमीन चाहिए थी, उसके लिए सरकार से निवेदन किया था। सरकार यू. आई. टी. से इस सम्बन्ध में लिखा पढी कर रही है, और कोशिश कर रही है लेकिन पांच हजार रुपये की धनराशि इतनी कम है, मैं नहीं समझती, उससे कोई आवास की समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मंत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितनी जमीन वहां खाली पडी हुई है, वह इस प्रकार की जमीन है कि जिसको अवाप्त करने की जरूरत नहीं होगी, न उसका कम्पेन्सेशन देना होगा। वह सरकार की जमीन है, और आपके विभाग का मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी है वह अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ इकट्ठा करके

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
पांच हजार की आफर कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह एडीमेन्ट्री ड्यूटी है, कर्त्तव्य है कि यह अपने हिस्से का रुपया लगाये . . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो क्या इस योजना पर विचार करने की सरकार चेष्टा करेगी?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि जमीन जयपुर शहर में किसी पर्पज के लिए भी दी जाय, वह यू. आई. टी. से दी जाती है, सरकार नहीं देती है। मैंने निवेदन किया कि सरकार की लिखा पढ़ी जारी है। यदि आप इस सम्बन्ध में सदन में आश्वासन देना चाहते हैं कि पांच हजार के अलावा और भी रुपया लगा देंगे तो मैं निश्चित तौर से कह देना चाहती हूं कि जमीन उपलब्ध कर दी जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह लिखा पढ़ी कब से की जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष : यह हो गया प्रश्न, आप रुपया और इकट्ठा करिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार रुपये थोडे नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : पांच हजार रुपये में नहीं बन सकती धर्मशाला।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह जयपुर की धर्मशाला है?

प्रश्न संख्या 684

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 685

श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 686

श्री विजय सिंह रावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 687

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ!

हाउस टैक्स की वसूली तथा विकास कार्यों पर व्यय

688. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 65-66 व 66–67 में व 1 अप्रेल, 67 से अब तक बीकानेर नगरपालिका ने हाउस टैक्स की कितनी वसूली की है? सालवार आँकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अर्से में बीकानेर शहर की नालियों व सडकों की मरम्मत या निर्माण पर नगरपालिका ने कितने रुपये खर्च किये हैं?

(श्री केदारनाथ)

(3) क्या यह सही है कि हाउस टैक्स लगाने के बावजूद बीकानेर नगरपालिका उक्त वसूल किये गये टैक्स को विकास कार्यों में खर्च करने में पूर्णतया असमर्थ रही है ?

(4) क्या यह सही है कि हाउस टैक्स लगाने के वक्त विधान सभा में सरकार द्वारा यह कहा गया था कि इस टैक्स का रुपया विकास कार्यों में लगाया जायेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बना कर इस बात पर रोक लगायेगी कि यह रुपया विकास कार्यों के अतिरिक्त खर्च न किया जाय ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) आंकडे निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	राशि वसूली
1965-66	22,435.67 पै.
1966-67	42,658.99 पै.
1-4-1968 से 31-1-1968 तक	91,433.02 पै.

(2) 45,029.51 पैसा व्यय किया गया है ।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि गृह कर से प्राप्त आय विकास कार्यों पर ही व्यय की जावे । अतः असमर्थ होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(4) जी नहीं ।

श्री केदारनाथ: बीकानेर नगरपालिका की कुल आमदनी कितनी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रश्न के उत्तर में जैसा कहा है, 1,56,527.68 पै. की आय हुई है और उसमें से 59,696 विकास कार्य में खर्च किया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिन नगरपालिकाओं ने अभी यह नहीं लगाया है, राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ! प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछें ।

श्री केदारनाथ : 1965 से लेकर 31-1-67 तक डेढ़ लाख की आमदनी हुई हैं, खर्च केवल 45 हजार, तो बाकी रुपया किस चीज में खर्च किया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दूसरे प्रशासनिक कार्यों में । विकास कार्य में 59,696 रु. किया गया, वह मैंने बताया ।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री मूलचन्द डागा : अलग कैसे ? एक जगह यह लेते हैं और दूसरी जगह नहीं लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है ! महत्वपूर्ण है लेकिन अलग है । आप पूछ लीजिये, यदि मंत्री महोदया जवाब दे सकें तो ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसमें यह नियम बना हुआ है, जहां म्युनिसिपैलिटी कर लगाती हैं, वहां जन संख्या के आधार पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, जो नहीं लगाती हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

पाली में हाई-वे पर सर्कल का निर्माण

689. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका पाली का अध्यक्ष हाई वे पर बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंजूरी के कोई सर्कल बना रहा है और उस सर्कल में स्वर्गीय नेहरू जी की प्रतिमा लगाने की योजना है ?

(2) क्या यह सत्य है कि पाली के स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर ने हाई वे पर अतिक्रमण करने से रोका था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी नगरपालिका के अध्यक्ष को सर्कल बनाने के लिए मना किया था ? यदि हां, तो फिर वहां सर्कल कैसे बन गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस सर्कल के बाबत में प्लानिंग डिपार्टमेन्ट और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई इजाजत नहीं दी थी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि नेहरूजी की प्रतिमा लगाने के लिए एक विशेष कमेटी राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है और उसकी इजाजत लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या अध्यक्ष, नगरपालिका पाली ने इजाजत ले ली ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सत्य है कि जिस जगह नगरपालिका पाली के अध्यक्ष ने सर्कल सूरजपोल पर बनाया है, उससे दुर्घटनाएं होने की ज्यादा सम्भावनाएं हैं और जनता के लोगों ने इस स्थान पर सर्कल बनाने का विरोध किया है ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विनय नगर में नेहरू की प्रतिमा की स्थापना हुई है ? यदि हां, तो क्या वहां नेहरू पार्क बन गया और नहीं तो फिर दूसरी जगह प्रतिमा लगाने की क्यों योजना शुरू की गई ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । दिनांक 1-1-68 को नगरपालिका का काम रोकने को लिखा गया था ।

(3) जी हां । नगरपालिका ने यह निर्माण क्यों कर किया है, यह नगरपालिका से सम्बन्धित है ।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है टाऊन प्लानिंग विभाग द्वारा नक्शा बनवाया गया है ।

(5) जी हां । इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(6) जी हां ।

(7) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी सड़क पर कोई इमारत बनाए और आप कार्यवाही नहीं कर सकें, यह थोडी आश्चर्यजनक बात है। पी. डब्ल्यू. डी. की रोड पर कोई इमारत खडी

(श्री मूलचन्द डागा)
कर दे और इस पर आप एक्शन नहीं ले सकें तो इससे ज्यादा क्या गलत बात होगी।

श्री माधोसिंह : हमारे विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता ने 1-1-68 को और अभियन्ता ने 3-1-68 को इसके बारे में जिलाधीश को लिख दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : जिलाधीश को लिखने से काम पूरा नहीं होता। आपने एक्शन क्या लिया है? क्या वह रिमूव किया गया है अनॉथॉराइज्ड कन्स्ट्रक्शन ? क्या कार्यवाही की है?

श्री माधोसिंह: वापिस रोकने के लिए लिख दिया है और उसको रोका है।

श्री मूलचन्द डागा : अब आपका आर्डर गया और आप कहते हैं कि जिलाधीश ने रोक दिया। आपने कब आर्डर भेजा है ?

श्री माधोसिंह: जिलाधीश ने रोक दिया है।

श्री मूलचन्द डागा: कौन सी तारीख को रोक दिया । उसको रोका उसके बाद बनाया है या नहीं बनाया ?

श्री माधोसिंह : 3-1-68 को अधिशासी अभियन्ता ने लिखा । उसके बाद वह कलेक्टर से मिला । और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं खुद भी मिला हूं। उसके बाद जिलाधीश ने आदेश दे दिया है। उसको अभी रोक दिया गया है और उसके बावजूद भी काम किया गया और आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके लिए उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री मूलचन्द डागा : माननीय मंत्री जी खुद मौके पर जाकर देख कर आये थे, उसके बाद भी अनॉथाराइज्ड कन्स्ट्रक्शन किया है उस पर क्या कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं ?

श्री माधोसिंह : उसके लिए जिलाधीश को लिख दिया है। उस पर कानूनन उचित कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष: 690.

नमक क्रय करने हेतु आमंत्रित किये गये टेण्डर

690. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 4 वर्ष पूर्व पचभद्रा में लगभग 30 मन नमक का स्टाक हो गया था, जिसको क्रय करने हेतु टेन्डर आमंत्रित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि एक फर्म हरीराम रामस्वरूप का 2.51 पैसे प्रति क्विंटल का टेन्डर सबसे अधिक था।

(3) क्या यह सही है कि टेन्डर आमंत्रित करने के पश्चात् नमक का बाजार भाव गिर गया जिसके कारण हरीराम राम स्वरूप कुछ सरकारी अधिकारियों से मिल कर अपने टेन्डर के अनुसार नमक के क्रय से मुक्त हो गया ?

(4) क्या यह सही है कि यह नमक फिर 1.90 पैसे प्रति क्विंटल की दर से बिका और इस तरह राज्य सरकार को 7 लाख रुपये के अनुमान का घाटा हुआ ?

Page No. 10

(श्री भैरोंसिंह)

(5) क्या यह सही है कि इस मामले की राज्य सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई जिसके अनुसार भी उपरोक्त घाटे का अनुमान लगाया गया?

(6) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन): (1) जी नहीं। लेकिन 8 लाख क्विंटल नमक के लिये 2-8-63 को टेन्डर मांगे गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही है कि टेन्डर आमंत्रित करने के पश्चात् बाजार भाव गिर गया था, बाकी सही नहीं है।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी हां।

(6) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह: जिस व्यक्ति का नमक उठाने के लिए, उसका टेन्डर एक्सेप्ट करने के बाद में, आर्डर एबेएन्स में रख लिया गया था, क्या यह सही है कि उस फर्म का नाम हरीराम रामस्वरूप था और 2.51, 2.53½ पैसे प्रति क्विंटल की दर थी!

श्री भीमसेन: जी हां।

श्री भैरोंसिंह: फिर दो में कैसे कह दिया जी नहीं?

श्री भीमसेन: ऐसा है, दूसरी एक फर्म भरतपुर ट्रेडर्स है उसकी हाइएस्ट थी लेकिन उसने कुछ कन्डीशन्स इम्पोज कर दी थीं, इस वजह से हरीराम रामस्वरूप के लिए डाइरेक्टर ने रिकमन्ड किया सेंक्शन के लिए।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि भरतपुर ट्रेडर्स के बाद इस हरीराम रामस्वरूप की रेट सबसे ज्यादा थी?

श्री भीमसेन: सही है।

श्री भैरोंसिंह: जब हरीराम रामस्वरूप की रेट सबसे अधिक थी तो इन्होंने नमक क्यों नहीं उठाया?

श्री भीमसेन: इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह: नमक क्यों नहीं उठाया यह नहीं बताया?

श्री भीमसेन: ऐसा है, राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति पहुंची उसके बाद उसने ऑफर को विथड्रा कर लिया।

श्री मूलचन्द डागा: कितने समय में स्वीकृति हुई?

श्री भैरोंसिंह: स्वीकृति पहुंचने के बाद ऑफर विथड्रा करने का तो कोई प्रावधान नहीं है। किस कारण से उसने नमक नहीं उठाया? क्या स्वीकृति देरी से हुई थी या और कोई कारण था?

श्री भीमसेन: उसने तो यह कहा है कि इसमें देरी होने की वजह से और बाजार में भाव गिरने से नहीं उठाया।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट के बिना आदेश के डाइरेक्टर ने उसकी इस ऑफर को एबेएन्स में रखने के लिये आर्डर इश्यू कर दिया था?

Page No. 11

श्री **भीमसेन** : ऐसा है कि गलती से डाइरेक्टोरेट की ओर से पहले उनके नाम से सेंक्शन जारी कर दी गई और बाद में जब गवर्नमेन्ट की स्वीकृति हुई और उसको कल्वे किया गया स्वीकृति के लिये ।

श्री **भैरोंसिंह** : सवाल यह नहीं है। क्या यह सही है कि 14-11-63 को आपके डाइरेक्टोरेट ने गवर्नमेन्ट की सेंक्शन आने से पहले ही उस फर्म को लिख कर दे दिया था कि आप नमक उठाने की कार्यवाही बन्द रखें ।

श्री **भीमसेन** : हां यह सही है ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्यों लिखा गया ?

श्री **भीमसेन** : गलती से ।

श्री **भैरोंसिंह** : इस गलती के कारण राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री **भीमसेन** : नुकसान का तो यह है कि इसकी लीगल पोजिशन एग्जामिन की जा रही और सीक्योरिटी फोरफिट करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि 14-11-63 को यह लिखने से पहले 13-11-63 को डाइरेक्टोरेट के कुछ अधिकारियों और डिप्टी मिनिस्टर के बीच बात हुई कि इस बात को अबेएन्स में रखा जाय और टेलीग्राम्स इश्यू किये जायं ?

श्री **भीमसेन** : अबेएन्स के बारे में तो कोई मीटिंग नहीं हुई थी पर स्वीकृत करने के बारे में मीटिंग हुई थी कि किसका टेन्डर स्वीकार किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर तो आप खुद महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं है और आप फर्मा रहे हैं अगला प्रश्न ।

श्री **उपाध्यक्ष** : फिर ज्यादा पूरक प्रश्नों से क्या फायदा होगा !

श्री **भैरोंसिंह** : तो फिर मिनिस्टर साहब से जवाब दिला दें ।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

श्री **भीमसेन** : जितना माननीय सदस्य पूछना चाहें बता रहा हूं ।

श्री **भैरोंसिंह** : तो फिर यह बता दीजिये कि विजीलंस कमीशन...

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

श्री **लादूराम सुलानिया** : प्रश्न को स्थगित किया गया या मंत्री महोदय को स्थगित किया गया ?

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री नाथूदास !

उदयपुर सोम वाया फलासिया तक पक्की सडक

691. श्री **नाथूदास** (फलासिया सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से सोम वाया फलासिया तक सडक कच्ची है ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार ने इसे पक्की डामर की सडक बनाने के लिये कोई विचार किया है ? यदि हां तो कब तक सडक निर्माण का काम शुरू करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री नाथूदास)

(3) यदि सरकार का विचार इस सडक को पक्की बनाने का है तो इस खर्च का कितना अनुमान बना है और कितने समय में सडक पूरी बन जाने की संभावना है ?

उप-मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) उदयपुर झाडोल के मध्य 20 मील रोड बन चुकी है, शेष भाग कच्चा है ।

(2) डामर रोड योजना में स्वीकृत नहीं है, अर्थाभाव के कारण ।

(3) उदयपुर से झाडोल तक बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति 10,00,000) रु. की दी गई है, बाकी झाडोल से सोम रोड निर्माण तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उदयपुर से झाडोल तक सडक बनी है, वह फेअर वेदर रोड है या मेटल रोड ?

श्री माधोसिंह : कुछ हिस्सा मेटल है, कुछ फेअर वेदर रोड ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्पष्ट करने की कृपा करें कि कितनी फेअर वेदर रोड है और कितनी मेटल है ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि ....

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने पूरक-प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर पहले देने दें ।

श्री माधोसिंह : इसका उत्तर यह है कि 5 मील तक तो टार कर दी गई है, 15 मील 5 से 13, 15 से 16, 23 से 27 मेटल है, 16 से 22, 27 से 29 ग्रेवल है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह उदयपुर की तरफ से शुरू किया है या झाडोल की तरफ से शुरू किया है ?

श्री माधोसिंह : उदयपुर की तरफ से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय ने जानकारी की है वह पर्याप्त जानकारी नहीं है । मेटल रोड या ग्रेवल रोड बनाने की सरकार की मंशा है तो वहां कोई कार्य नहीं हुआ है, न वहां ग्रेवल है और न वहां मेटल है जहां मेटल है, वहां दो दो इंच का बराये नाम मेटल हैं, लूट खसोट हो रही है उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि ग्रेवल या मेटल रोड बनाने की सरकार की मन्शा है तो इस कार्य को समुचित ढंग से देखभाल कर के करायें !

श्री माधोसिंह : इसके लिये उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न कर्त्ता

(विराम)

प्रश्न संख्या 692

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

नर्सेज होस्टल, जोधपुर का भवन

693. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 13

(श्री ओमदत्त भाटी)

(1) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में नर्सेज होस्टल कब बना और उसमें सर्व प्रथम कितनी नर्सों के रहने की व्यवस्था की गई थी ?

(2) इस होस्टल में कब कब और क्या क्या परिवर्तन किया गया और उसके परिणाम स्वरूप कितनी नर्सों के रहने की व्यवस्था व सुविधा में वृद्धि हो सकी और उस होस्टल में कितनी नर्सों के रहने की व्यवस्था है और इस समय कुल कितनी नर्सें उस होस्टल में रह रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस होस्टल में जगह का अभाव है और जहां पहले एक कमरे में एक नर्स रहती थी, वहां अब पांच, पांच नर्सें एक साथ रहती हैं ?

(4) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि समुचित सुविधाओं के अभाव में नर्सों के कार्य करने के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

(5) क्या सरकार नया होस्टल बनाने के प्रश्न पर जल्द विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्या ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में नर्सेज होस्टल 9 सितम्बर, 1962 में बना और उसमें 44 नर्सों के रहने की व्यवस्था की गई थी।

(2) इस होस्टल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन नर्सेज के रहने के लिये मेट्रन के बंगले में नीचे वाले 4 कमरे दिये गये हैं। उसमें 24 नर्सों के रहने की व्यवस्था थी। अतः कुल मिला कर रहने के लिये 44 नर्सों की होस्टल में एवं 24 नर्सेज की मेट्रन के बंगले में व्यवस्था है। इस समय होस्टल में 108 और मेट्रन के बंगले में 45 नर्सें रह रहीं हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

श्री ओमदत्त भाटी : पहली बात तो यह कि 1932 में नर्सेज होस्टल बना था, यह असत्य है कि 1962 में बना। दूसरी बात यह है कि क्या इस साल नर्सिंग होस्टल बनाने का प्रावधान रखा है ? तीसरे यह कि यह नर्सिंग होस्टल है या बकरियों का बाड़ा है कि एक की जगह 5-5 नर्सेज रह रहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा: जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, मैं स्वीकार करती हूं कि नर्सेज के लिये स्थान कम है, 44 की जगह 108 नर्सेज रह रही हैं। इस साल के बजट में इसका प्रोविजन नहीं किया गया है, पिछले साल के बजट में था पर किसी वजह से यूटिलाइज नहीं किया जा सका। जहां तक अब सवाल है, नर्सेज तकलीफ पा रही हैं, माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल मेडिकल कालेज जोधपुर को लिख दिया है कि दूसरा भवन किराये पर पर ले कर वहां पर नर्सेज को रखने की व्यवस्था कर दी जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना): क्या वहां फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकता ?

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): वह रुपया लेप्स हो गया ?

Page No. 14

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 694.

श्री परसराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

चुंगी की दरें, निवाई

695. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई नगरपालिका में कब से प्रशासक नियुक्त है और इस पर किस आफिसर को नियुक्त किया गया है ?

(2) क्या यह सच है कि प्रशासक ने चुंगी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है यदि हां, तो कौन कौन सी चीजों पर और कितनी कितनी प्रतिशत ?

(3) क्या यह सच है कि चुंगी कर की दरें बढ़ जाने से क्षेत्र के किसानों को बड़ी परेशानी हो गई है और मण्डी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है ? क्या सरकार इस पर दुबारा विचार करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) सब डिविजनल ऑफिसर टोंक दिनांक 24–1–67 से नगरपालिका निवाई में प्रशासक का कार्य कर रहे हैं।

(2) चुंगी की दरों में बढ़ोतरी राज्य सरकार की स्वीकृति से की गई है। विवरण विस्तृत होने से सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन निवाई ने दिनांक 28–12–67 को इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन पेश किया है उस पर विचार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **जयनारायण सालोदिया**: क्या राज्य सरकार महसूस नहीं करती है कि चुंगी की दरें बढ़ाई गई हैं, उनका कोई आधार नहीं है, मनमानें ढंग से कहीं आठ गुना और कहीं दस गुना बढा दी हैं, कोई मापदण्ड नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी नहीं, मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाई हैं, सोच विचार कर बढ़ाई हैं।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: क्या सोच विचार कर बढ़ाई हैं। आइटम नं. 14 को देखिये मूंगफली पर 25 पैसे प्रति मन था वहां 1) रु. प्रति मन कर दिया है। एक बोरी पर 2।।) रु. कर दिया है, बोरी ढाई मन की होती है उस पर ढाई रुपया चुंगी कर दी है। क्या आप यह वाजिब समझते हैं ? जहां मूंगफली पर पहले 25 पैसा था वहां 1) रु. चुंगी-कर कर दिया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि जो चुंगी लगी है वह नियमानुसार लगाई है। किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन का रिप्रेजेन्टेशन आया था, इस पर पुनः विचार कर रहे हैं।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: यह विचार कब पूरा हो जायगा ?

Page No. 15

श्रीमती प्रभा मिश्रा: एस. डी. एम. की रिपोर्ट आने पर।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: एस. डी. एम. से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वास्तव में चुंगी ज्यादा है, इसमें कमी करने के लिये राज्य सरकार को लिखा ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जो किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है, उसके लिये सरकार की ओर से एस.डी.एम. को लिखा है कि वे रिपोर्ट भेजें।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: मैंने कहा वह आपने सुना नहीं। एस.डी.एम. ने लिख दिया है टैक्स ज्यादा है, पुनः कम किये जायें किसानों को इससे बडा नुकसान हो रहा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: इस प्रकार की गई रिपोर्ट अभी तक अपने पास नहीं आई है।

श्री **जयनारायण सालोदिया**: मैं कह रहा हूं, एस.डी.एम. साहब से मैं वहां मिला हूँ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लिख दिया है पर राज्य सरकार से कोई फाइनल निर्णय नहीं आया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: 22–2–68 को यहां से लिखा गया है, अभी तक जवाब नहीं आया है।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री विजयसिंह !

ए. एम. आई. ई. की परीक्षा

696. श्री **विजयसिंह** (मकराना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर, 1966 की ए.एम.आई.ई. की परीक्षा का परिणाम कब घोषित हुआ ? व उसमें कितने कनिष्ठ अभियन्ता पास हुए ?

(2) कितनों ने उनमें से डिग्री ग्रेड के लिये एप्लाई किया और उनमें से कितनों को कितने समय बाद यह ग्रेड दिया गया ? कितनों को ग्रेड किन कारणों से नहीं दिया गया ?

राज्य मंत्री, विद्युत् (श्री जयकिशन शर्मा): इसको स्थगित करने के लिये लिखा है।

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थगित किया गया।

श्री गंगा सहाय !

सीनियर टीचर्स ग्रेड

697. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि एस.टी.सी. ट्रेन्ड टीचर्स जो एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूलों में नियुक्त हैं, उनको सीनियर टीचर्स ग्रेड 1–4–66 से दिया गया है किन्तु उसी योग्यता व अनुभव वाले अध्यापक जो एस.डी.आई. तथा मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापक हैं, को सीनियर टीचर्स ग्रेड नहीं दिया जाता ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण मायुर): यह कहना कि एस.टी.सी. ट्रेनिंग में एस.टी.सी. ट्रेन्ड अध्यापक नियुक्त है और उन्हें सीनियर टीचर का ग्रेड दिया गया है, सत्य नहीं है। अतः सभी योग्यता व अनुभव वाले अध्यापक आदि को सीनियर टीचर की ग्रेड देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **गंगासहाय** : एक ही योग्यता वाले अध्यापकों को, एक ही विभाग में जब वे काम करते हैं ,अलग अलग ग्रेड देना कहां तक न्याय संगत है ?

श्री **शिवचरण माथुर**: आपने प्रश्न पूछा कि एस.टी.सी. ट्रेन्ड टीचर्स जो एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूलों में नियुक्त हैं उनको सीनियर टीचर्स ग्रेड दी गई है? मैंने उत्तर में निवेदन किया कि एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल्स में एस. टी.सी. अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया जाता वहां ग्रेज्युएट्स को नियुक्त किया जाता है।

श्री **विजयसिं** (मकराना) : क्या मिनिस्टरों को भी अलग अलग ग्रेड मिली हुई हैं?

प्रश्न संख्या **698**

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री सहदेव शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री **लालूराम सुलानिया** : मुझे इसका उत्तर पूछने दीजिए।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपके पास ऑथोरिटी हो तो बता दें।

प्रश्न संख्या 699

श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 700

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रेमसिंह सिघवी !

ग्राम हरनावदा शाहजी तक पक्की सड़क

701. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील छीपाबडोद जिला कोटा के ग्राम हरनावदा शाहजी तक वाया कलमोदिया पक्की सडक जाती है? अगर हां, तो इस सडक की मरम्मत क्यों नहीं होती? और क्या सरकार का इस पर डामर करवाने का विचार भी है? अगर नहीं तो क्यों?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : जी हां। प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार मरम्मत के कराई जाती है। डामर कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : पिछले 15 सालों में इस सडक पर कितने मीलों पर डामर हुआ?

श्री **माधोसिंह** : योजना में डामर की स्वीकृति नहीं है।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : हुई है।

श्री **माधोसिंह** : नहीं हुई।

श्री **भैरोंसिंह** : डामर नहीं होगा। मंत्री वहां से घूम आए हैं, इसलिए डामर सा दीखता है।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : वहां पर इस साल दो तीन मील पर डामर हुआ है और मंत्री महोदय क्या जवाब देते हैं? शर्म की बात है।

श्री **माधोसिंह** : डामर उस रोड पर नहीं कराया गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छीपाबडौद से हरनावदा शाहजी तक 5 मील का डामर है। पिछले साल हुआ है।

श्री माधोसिंह : हर साल पैचवर्क करते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छीपाबडौद से पिछले साल तीन मील तक डामर लग गया है बाकी पर भी होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक ।

जगन्नाथ तापड़िया हाई स्कूल, ग्राम जसवंतगढ़

702. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम जसवंतगढ़, जिला नागौर में जगन्नाथ तापडिया हाई स्कूल कब खोली गई तथा दानदाता और सरकार के बीच क्या एग्रीमेन्ट हुआ था ?

(2) बिल्डिंग कब किसके द्वारा बनाई गई और उस पर कितने रुपये खर्च हुए तथा कितनी जमीन इस स्कूल भवन व मैदान के लिए हैं ? सूची मय दानदाता व सरकार के एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि स्कूल भवन बनाने से पूर्व जमीन को एक्वायर नहीं किया गया और जमीन कृषि भूमि दर्ज थी? यदि हां, तो यह जमीन किसकी थी, उन पर कब्जा किसका था तथा खातेदारी की कृषि भूमि पर मकान कैसे बनाया गया ?

(4) उक्त भूमि को कब एक्वायर किया गया व खातेदार को मुआवजा किस रेट से कितना व कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस स्कूल भवन को सरकार ने कब संभाला और आज तक इसमें मरम्मत आदि के कितने रुपये सरकार ने कब कब खर्च किए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) ग्राम जसवन्तगढ़ जिला नागौर में जगन्नाथ तापडिया हाई स्कूल सत्र 1952 में खोली गई । शिक्षा मंत्री जोधपुर स्टेट के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह भवन श्री तापड़िया बन्धु सर्व श्री लादूराम शिवचन्द राय, सूरजमल और गणपत राय द्वारा सन् 1951 में 125000 रु. के व्यय पर बनवाया गया है । इसके लिए कुल 75750 वर्ग गज भूमि ली गई ।

(3) इस भूमि को तत्कालीन जिलाधीश नागौर ने नवम्बर, 1949 में एक्वायर करके तापड़िया बन्धुओं को दी थी। इसके पूर्व यह जमीन कृषि भूमि थी जिस पर श्री कुकनाराम सुनार तथा उसके सम्बन्धियों का कब्जा था ।

(4) इस भूमि का मुआवजा शिक्षा विभाग द्वारा 2067 रु. दिया जाना है जो 26-12-67 को मंजूर किया जा चुका है ।

(5) स्कूल भवन को दिनांक 27-4-53 को राज्य सरकार ने संभाला । लेकिन शिफट डीड पूर्ण न होने के कारण पी. डब्ल्यू. डी. की सूची पर नहीं लिया जा सका। उसकी मरम्मत के लिए विभाग द्वारा, इस वर्ष 186 रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है इसका क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर : 26-12-67 को इसकी स्वीकृति हो चुकी है और मुआवजा

(श्री शिवचरण माथुर)
मिल जाना चाहिए, नहीं मिला होगा तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि जमीन एक्वायर करने के बाद भी 15 सालों तक खातेदारों से बिगोडी जबरन वसूल की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : इतने समय तक मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या अब मुआवजा ब्याज सहित दिया जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : वास्तव में मुआवजा देने में देरी का कारण यह है कि जो भवन निर्माण कराने वाले सेठ हैं वह मुआवजा दें या सरकार दे । लेकिन बाद में सरकार ने अपनी तरफ से मुआवजा देने का निर्णय किया क्योंकि जोधपुर स्टेट ने निर्णय किया था कि जमीन मुफ्त दी जायगी । अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि सरकार मुआवजा दें दे ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तो जिलाधीश ने तय किया था कि इतना मुआवजा दिया जायगा लेकिन यह तय नहीं था कि सेठ देगा या सरकार देगी । अब सरकार ने जब निर्णय ले लिया है तो कितने समय में दिया जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कई बार निवेदन किया कि 26-12-67 को इस बात का निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा इस मुआवजे को चुकाया जायगा और मैं समझता हूं कि चुकाया गया होगा अगर नहीं चुकाया गया है तो शीघ्र चुकाने की कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न संख्या 703

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री ।
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मैं पूछ लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: आप आथोरिटी प्रस्तुत करें ।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे वह कह गए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां ।

तीन सूत्रीय मांग-पत्र

704. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 14 जुलाई 1966 को तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मथुरादास माथुर ग्राम सिरसी पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर, में कृषक सम्मेलन में वाया झोटवाड़ा पधारे थे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उन्हें झोटवाड़ा विकास समिति के मुख्यालय पर एक तीन सूत्रीय मांग-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र में अंकित कौन 2 सी मांगे स्वीकृत हो चुकी हैं और कार्य पूरा हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) यदि कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है तो क्यों ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **लादूराम सुलानिया** : आपके विभाग से संबंध नहीं है ?

श्री **माधोसिंह** : नहीं।

श्री **लादूराम सुलानिया** : मेरा प्रश्न साफ है। मैंने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 14 जुलाई, 1966 को तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मथुरादास माथुर ग्राम सिरसी पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर में कृषक सम्मेलन में वाया झोटवाडा पधारे थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तत्कालीन निर्माण मंत्री वहां कृषक सम्मेलन का उद्घाटन करने गए और उनको 3 सूत्री मांग-पत्र पेश किया गया ? उसमें से क्या क्या मन्जूर हुआ, क्या नहीं हुआ, मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है।

श्री **माधोसिंह** : हमारे विभाग को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि श्री मथुरादास माथुर सिरसी गए या नहीं।

श्री **लादूराम सुलानिया** : मेरा प्रश्न साफ है

श्री **उपाध्यक्ष** : क्योंकि सिरसी गांव नजदीक है, शायद कार्यक्रम लिखित में नहीं निकाला होगा।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : यह कैसे हो सकता है ? मंत्री महोदय का जवाब अपर्याप्त है, असंतोषजनक है। मंत्रियों का दौरा लिखित रूप में योजनाबद्ध तरीके से होता है, आखिर मंत्रियों की व्यवस्था होती है, पुलिस का इन्तजाम होता है, कार्यक्रम निर्धारित होता है। आप जवाब दे रहे हैं या मखौल कर रहे हैं ?

श्री **माधोसिंह** : इसके लिए जी. ए. डी. से पूछ लिया जाय, वे बता देंगे।

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : यह मांग-पत्र तो उनको निर्माण मंत्री के रूप में दिया गया था।

श्री **मदनसिंह** (दांतारामगढ) : जब आपके पास प्रश्न आया तो इतने दिनों में आपने प्रश्न के संबंध में जांच भी नहीं की कि माथुर साहब वहां गए थे या नहीं ?

श्री **माधोसिंह** : यह निर्माण विभाग का काम नहीं है कि कोई जाए या न जाए, उसकी जांच करे।

श्री **मदनसिंह** : इसका मतलब नहीं गए ?

श्री **माधोसिंह** : मैंने यह नहीं कहा है कि गए या नहीं गए।

श्री **प्रेमसिह सिघवी** (छबडा) : तो आपका सडक फोडने का ही काम है क्या ?

श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : मंत्रिमंडल के सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी होने के नाते आपकी जिम्मेवारी थी कि अगर यह प्रश्न आपके विभाग से ताल्लुक नहीं रखता था तो जिस विभाग से यह ताल्लुक रखता था उसको ट्रांसफर कर देते।

श्री **माधोसिंह** : उसको भेज दिया गया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न स्थगित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 705

श्री दौलतराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : मुझे पूछने दिया जाय। यह जनरल क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो पूछने दिया जायगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सब जगह बिजली दे दी जाय और पिछडी जाति की बस्तियों से बिजली एक तरफ ले जाकर उनको न दी जाय, इस तरह के सवाल रोज आते हैं। इसका उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता नहीं है । इसलिए बाद में प्रश्न समाप्त होने के बा. में इसको लिया जायगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह जनरल क्वेश्चन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह ।

थाना जवाजा में दर्ज मामला

706. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह बात सही है कि ग्राम जवाजा, थाना, जवाजा, जिला अजमेर के श्री जुगराज इत्यादि महाजन के विरुद्ध तारीख 19-4-67 को पुलिस स्टेशन पर धारा 467।452 ताजीरात हिन्द के अपराध में एक एफ. आई. आर. संख्या 11।67 दर्ज है जिस पर गिरफ्तारी होने पर न्यायालय द्वारा मुलजिमान को जमानत पर आजाद किया गया ?

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त केस की सारी फाइल पुलिस स्टेशन जवाजा से राजस्थान के सचिवालय में मंगाई गई और सत्ताधारी दल के नेताओं व पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को दबाया जा रहा है ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेत सिंह) : (1) जी नहीं ।

(2) यह सत्य नहीं है ।

श्री फतेहसिंह : मुलजिमान की गिरफ्तारी कब हुई थी ?

श्री खेतसिंह : 19-4-67 को रिपोर्ट दायर की गई और उसके आधार पर अभियोग संख्या 11।67 धारा 467।452 ताजीरात हिन्द का क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया गया था । कौनसी तारीख को गिरफ्तारी की गई इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री फतेहसिंह : उनकी जमानत कब हुई न्यायालय द्वारा ?

श्री खेतसिंह : गवाहान के बयान लेने के बाद ।

श्री फतेहसिंह : वह तो मालूम है कि गवाहान के बयानों के बाद हुई, लेकिन कौनसी तारीख को हुई ? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि मुलजिमान को न्यायालय से जमानत पर आजाद किया गया वह कौन सी तारीख पर किया गया ? आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये ।

श्री खेतसिंह : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

Page No. 21

श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद): इस प्रश्न को स्थगित कर देना चाहिये।

श्री **फतेहसिंह**: प्रश्न यह है कि इस केस की फाइल को सचिवालय में मंगवाया गया क्योंकि एक सदस्य जो इस तरफ से डिफेक्ट करके उस तरफ गये हैं, उनको खुश करने के लिये यह किया गया, और पीपलिया के सेठ को खुश करने के लिये यह किया गया। वे पुखराजजी के रिश्तेदार हैं। इस मामले को दबाया जा रहा है। क्या यह सही है कि इस मामले में एफ0 आर0 दी गयी?

श्री **खेतसिंह**: केस को दबाने का कोई प्रश्न नहीं है। जुगराज ने एक दरख्वास्त माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत की थी और उस पर गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारी को हिदायत की कि इसकी तफतीश की जाय। तफतीश अभी तक जारी है और केस को दबाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री **फतेहसिंह**: इसकी फाइल सेक्रेटेरियेट में पडी हुई है?

श्री **खेतसिंह**: फाइल कभी भी सेक्रेटेरिये में नहीं मंगाई गई।

श्री **फतेसिंह**: इस मुकदमे की क्या स्थिति है? क्या इनका चालान किया जायेगा?

श्री **खेतसिंह**: यह तो अभी कैसे कहा जा सकता है कि कैसा केस है और चालान किया जायेगा या नहीं।

श्री **फतेहसिंह**: इसमें एफ. आर. दी गई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि एफ. आर. नहीं दी गई, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस केस में, और माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं, जिन्होंने श्री पारीक, डी. एस. पी. को बुलाकर कहा कि इस केस में एफ. आर. दे दो।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि मैंने किसी केस में एफ. आर. देने के लिये किसी को नहीं कहा। यह सही है कि मेरे पास कोई शिकायत आती है तो मैं किसी इन्डिपेन्डेन्ट आदमी को उसकी जांच के लिये कहता हूं। उसी तरह इस केस में श्री जुगराज की एप्लीकेशन पर आर्डर डी. एस. पी. को दे दिया गया कि वे जांच करें। इसमें किसी को एफ. आर. देने के लिये कहा गया, यह बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह गलत सूचना के आधार पर कह रहे हैं।

श्री **फतेहसिंह**: आप इसको विधि विभाग के सामने रखने को तैयार हैं? उनकी ओपीनियन आप ले लीजिये। आप जान बूझ कर इस केस को दबाना चाहते हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन से मिस्टर पारीक हैं, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी।

श्री **फतेहसिंह**: आप इस केस को लॉ डिपार्टमेन्ट में भेजिये।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: इसकी कोई जरूरत ही नहीं।

श्री **फतेहसिंह**: क्यों नहीं भेजना चाहते? आप जान बूझ कर इस केस को हस्तक्षेप करके दबाना चाहते हैं। बडे बडे मुकदमे हो जाते हैं, कत्ल तक हो जाते हैं तब तो आप कुछ करते नहीं लेकिन इस केस में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(श्री फतेहसिंह)
1957 में मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरा चुनाव होने के दस दिन बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और दूसरे मुलजिमान को छोड़ दिया गया। उस वक्त हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं हुई? अगर आप इसको विधि विभाग में भेजने को तैयार नहीं हैं तो मैं आपकी ईमानदारी पर शंका करता हूं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप तो करते ही रहेंगे।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो तफतीश हो रही थी, उसकी मिसल को सचिवालय में मंगवाया गया और इनवेस्टीगेशन आफिसर से कहा गया कि इस प्रकार की रिपोर्ट दे दो?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया कि न तो कोई फाइल सचिवालय में मंगवाई गई, न ही किसी आफिसर को हिदायत की गई कि इस तरह की रिपोर्ट दे दो।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : जो प्रीविअस इनवेस्टीगेशन रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्या यह सही है कि मुलजिमान के खिलाफ केस बनता था? इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया कि मैने फाइल देखी ही नहीं। उस पर इनवेस्टीगेशन अभी तक चल रहा है।

श्री **विजयसिंह रावत** : गवर्नमेन्ट को यह पता नहीं कि कब गिरफ्तार किये गये, किस तारीख को जमानत पर रिहा किये गये इसका पता नहीं, वास्तव में केस क्या था इसका पता नहीं, यह क्या स्थिति है? क्या यह सही नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन पर गृह मंत्री ने फाइल मंगवाकर उस ऑफिसर को आर्डर दिया कि इसमें एफ. आर. दे दो?

श्री **उपाध्याय** : इस बात से इन्कार किया गया है।

श्री **विजयसिंह रावत** : इससे बढ़कर भ्रष्टाचार और पक्षपात क्या हो सकता है कि एक मंत्री केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उज्ज्वल हैं, अगर आपका मुंह सफेद है...

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : सफेद नहीं है।

श्री **विजयसिंह रावत** : तो आप इसको विधि विभाग में भेज दीजिये, नहीं तो इस तरह से गुंडों और बदमाशों और जनता के साथ अन्याय करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है।

श्री **फतेहसिंह** : क्या इस केस में एफ. आर. नहीं दिया गया?

श्री **खेतसिंह** : एफ. आर. पहले दिया था।

श्री **फतेहसिंह** : फिर वापिस कैसे लिया?

श्री **खेतसिंह** : पहले जब इनवेस्टीगेशन चल रहा था तो सारे गवाहान के बयान 164 के अन्दर किये गये थे। बाद में वे इन्कार हो गये कि हमने तो वाका ही देखा ही नहीं, इसलिये एफ. आर. देने का प्रश्न आया। उसके बाद में यह उठाया गया कि गवाहान के बयान बदले गये हैं, इसलिये उसको वापिस खोल दिया गया और तफतीश जारी है।

Page No. 23

श्री **फतेहसिंह** : मैं इस बात को चुनौती देता हूं। 161 के बयान आये तो मुलजिमान की गिरफ्तारी हुई, बाद में जमानत हुई। उसके बाद में फाइल सचिवालय में मंगवाई गई, और कहा गया कि 164 में बयान दिये हैं उनको उलटा सीधा कर लिया। यह बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप इस तरह से भ्रष्टाचार को पनपाते हैं।

श्री **विजयसिंह रावत** : आप इनको विधि विभाग में भिजवाने के लिये आज्ञा दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री **उपाध्यक्ष** : आसन से ऐसी व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

श्री **फतेहसिंह** : क्या गृह मंत्री इसकी जांच करवाने के लिये तैयार हैं ? मैं कहता हूं इनकी सारी बात बोगस है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं कैटेगरीकली इन्कार कर चुका हूं कि फाइल सचिवालय में नहीं मंगवाई गई, न ही किसी डी एस. पी. को वहां बुलाया गया। इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं, मंगवाया गया, तो यह आपकी गलत धारणा है। मैंने कैटेगरीकली कह दिया कोई फाइल नहीं मंगवाई गई और न किसी डी. एस. पी. को बुलवाकर कहा गया कि फलां तरह की रिपोर्ट दे दो।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट।

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : आप अब फाइल मंगवाकर उसको एक्जामिन करने को तैयार हैं?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मेरे एक्जामिन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो मुकदमें की तफतीश जारी है। अगर कोई आवश्यकता आई तो फाइल मंगवाकर एक्जामिन कर लिया जायेगा।

श्री **फतेहसिंह** : यह पीपलिया के सेठ को संरक्षण देने के लिये किया जा रहा है, माननीय श्री पुखराज कालानी की सिफारिश पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का प्रश्न है। माननीय प्रश्न कर्ता एक बात कह रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय उसको गलत बता रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय पर भी विश्वास करता हूं, पर मेरी शंका है, और सदन की भी शंका है, कि नार्मल कोर्स आफ जस्टिस से टैम्पर विद किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में विधि विभाग को है यह मामला सुपुर्द न किया जाये, तो यह मेरे ख्याल से सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है, इन्साफ और न्याय का प्रश्न है, तो जिस ऑफिसर के पास इस मामले की तफतीश है उसको बदल कर सरकार किसी दूसरे ऑफिसर को यह मामला सुपुर्द करने का विचार करे तो ठीक रहेगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं एस. पी. अजमेर को कहूंगा कि वे खुद इस मामले की जांच करें।

श्री **फतेहसिंह** : एस. पी., अजमेर से नहीं कहेंगे। वे तो खुद इनवाल्व्ड हैं इसमें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : तो ऐडीशनल आई. जी. पी., सी. आई. डी. को कहूंगा कि वे जांच करें।

श्री **विजयसिंह रावत** : सब × × × हैं।

× × अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपोजीशन के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्र पार्टी के मुख्य सचेतक अपनी भाषा पर कुछ कन्ट्रोल रखें। किसी आफिसर के लिये कह दिया कि × × ×हैं, मैं समझता हूं सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : ऐसा कोई रिमार्क अगर उन्होंने कहा है तो उसको एक्सपंज कर लिया जाय।

श्री **विजयसिंह रावत**: गृह मंत्री यह बतायें कि क्या उनके 18 आई. पी. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जेज नहीं चल रहे हैं? पी. एस. सी. की रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कहा गया है। यह तो प्रूव हो चुका है कि पुलिस ने जो हथियार बेचे उसमें कितना घोटाला किया गया यह तो भैरोंसिंह जी बता ही चुके हैं। आप साबित कर दीजिये कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : गृह मंत्री महोदय ने फर्माया कि अफसरों के संबंध में ऐसी बातें न कहें मेरा उनसे निवेदन है कि वे भी अफसरों को यह कह दें कि वे जो × × × × ×. की तरह के कारनामें करते हैं उनको बन्द कर दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट! श्री लाभचन्द वैद!

×××अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

अनिवार्य शिक्षा शाला रतनगढ़ के स्टाफ का फिक्सेशन

707. श्री **लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अनिवार्य शिक्षा शाला, रतनगढ़ के स्टाफ का आर. पी. एस. 61 में फिक्सेशन किया जाकर उनका एरियर चुका दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या अप्रेल, 65 से बढ़ी हुई वार्षिक बढ़ोतरी का एरियर चुका दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या फरवरी, 67 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता चुका दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) नगरपालिका रतनगढ ने कब किस अध्यापक को किस शर्त पर बी. एड., ट्रेनिंग में नियोजित किया था? क्या उसका उक्त समय का वेतन आदि चुका दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि शिक्षा विभागीय अनुदान समय पर मिल जाने पर भी कर्मचारियों को तीन-तीन व चार-चार माह तक वेतन नहीं दिया जाता? अगर हां, तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(6) नगरपालिका द्वारा संचालित अनिवार्य शिक्षा शाला का बजट सन् 65 के बाद अ.शि. समिति की बैठक में पारित क्यों नहीं कराया गया?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं। फिक्सेशन संबन्धी स्वीकृति

(श्री शिवचरण माथुर)
हो चुकी है। एरियर का चुकारा 31 मार्च 68 के पूर्व कर दिया जावेगा।

(2) जी, नहीं। जब आर. पी. एस. 61 के तहत फिक्सेशन सन् 63 से किया गया है और इसके अन्तर की राशि चुकानी है तो पुराने वेतन दरों पर वार्षिक वेतन बढोतरी की राशि चुकाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, उक्त महंगाई भत्ता राजकीय कर्मचारियों को दिये जाने के आदेश थे। नगरपालिकाओं के लिए अपने कर्मचारियों को उक्त महंगाई भत्ते की अदायगी आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐच्छिक रखी गई थी न कि अनिवार्य कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण नगरपालिका अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन चुकाने में अपने को असमर्थ महसूस कर रही है, आर्थिक स्थिति सुधारने पर अपने अन्य कर्मचारियों के साथ शाला के कर्मचारियों को भी फरवरी से बढा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाना पालिका के विचाराधीन है।

(4) श्री अमरसिंह प्रधानाध्यापक को नगरपालिका रतनगढ ने जुलाई 65 में बी. एड. प्रशिक्षण में नीचे दी गई शर्तों पर जाने की स्वीकृति दी थी।

1. श्री अमरसिंह लगातार तीन वर्ष तक इसी ग्रेड में सेवा करने की शिक्षा विभाग में नियमानुसार बांड प्रस्तुत करें।

2. श्री अमरसिंह को अध्ययन अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जावेगा।

3. श्री अमरसिंह को स्टाइपेन्ड शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही दिया जावेगा।

उन्हें उस समय के वेतन का चुकारा अपर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से स्वीकृति प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

(5) जी, नहीं। अनुदान प्राप्त होते ही स्कूल कर्मचारियों का उनका वेतन चुका दिया जाता है।

(6) शिक्षा समिति नगरपालिका मंडल की एक परामर्शदायी उप-समिति है न कि सर्वाधिकार प्राप्त संगठन। अतः पालिका मंडल द्वारा अपने अधिकारों के अन्तर्गत ही शिक्षा शाला के बजट तैयार किये जाकर स्वीकृति के लिये उच्च अधिकारी की सेवा में पेश किये गये हैं।

श्री लाभचन्द वैद : आपने 61 का एरियर कब स्वीकृत किया था?

श्री शिवचरण माथुर : फाइनल तब हो चुका है चुकारा मार्च के अन्त तक कर दिया जायगा।

श्री लाभचन्द वैद : यह स्वीकृत कब हुआ था?

श्री शिवचरण माथुर : स्वीकृति की तारीख मालूम नहीं लेकिन इसका चुकारा 31 मार्च के पहले पहल कर दिया जायगा।

श्री लाभचन्द वैद: क्या यह बजट अनिवार्य शिक्षा समिति में रखा गया था?

श्री शिवचरण माथुर: मैं निवेदन किया नगरपालिका अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही स्वीकृत करती है।

श्री लाभचन्द वैद : शिक्षा समिति की बैठक में पारित किया गया था क्या ?

श्री शिवचरण माथुर: पारित किया गया होगा। लेकिन उसमें पास होने पर भी नगरपालिका बाध्य नहीं। वह अपनी स्थिति को देखते हुए स्वीकार करती है।

स्थगित प्रश्न
(9–3–68)

भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों को पदोन्नति

277. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति का सरकार का कोई विचार है?

(2) अगर हां, तो सरकार उनकी पदोन्नति किस पद पर करना चाहती है? अगर नहीं, तो क्यों?

(3) ऐसे कितने भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग से डेपूटेशन पर लिया गया था जो बी.ए. बी. एड. अथवा एम.ए. हैं बी. एड. और जो काफी सीनियर हैं फिर भी उनकी पदोन्नति शिक्षा विभाग में केवल यह कह कर नहीं की जाती है कि उन्हें टीचिंग का अनुभव नहीं है और उनकी पदोन्नति विकास विभाग में इसलिये नहीं की जाती है कि वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) यह सही है कि भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें इस आधार पर पदोन्नत करने का सदा से विचार है।

(2) सरकार उनकी पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक सेकण्डरी स्कूल के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यतानुसार करती है।

(3) कुल 106 भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं इनमें से प्रायः सभी स्नातक हैं एवं प्रशिक्षित स्नातक हैं इन समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों में से वरिष्ठता, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ही पदोन्नति की गई है परन्तु प्रधानाध्यापक के पद पर तब तक पदोन्नति नहीं की गई जब तक इन्हें हाई स्कूल की कक्षायें पढाने का 3 वर्ष का अनुभव न हो। आर. ए. एस. नियमों के अनुसार इस प्रकार का अनुभव अनिवार्य है।

स्थगित प्रश्न
(7–3–68)
प्रश्न संख्या 500

श्री उपाध्यक्ष: श्री मजलिस खां!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

स्थगित प्रश्न
(7–3–68)

अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

513. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में सन् 1950 के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों

(श्री जयनारायण सालोदिया)
म से कितने स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और कितने अस्थायी पद पर?

(2) इनमें से कितनों को अब तक स्थायी किया जा चुका है? जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं और कब तक करने का विचार है?

(3) राज्य सरकार के निर्धारित कोटे के अनुसार 25 प्रतिशत अधिदर्शकों की पदोन्नति को ध्यान में रखकर क्या पदोन्नति की गई है?

(4) जिन अधिदर्शकों का सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक हो चुका है उनकी पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? अगर नहीं तो क्या कारण हैं?

(5) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता पंजिका (सीनियोरिटी लिस्ट) तैयार की गई है? अगर हां, तो अब तक आउट क्यों नहीं हुई?

(6) क्या ऐसे लोगों की भी पदोन्नति की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा प्राप्त नहीं है अथवा डिप्लोमा पास किये हुये नहीं हैं?

उपमंत्री, सार्वजनिक, निर्माण (श्री माधोसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना हासिल नहीं हुई है अतः इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : स्थगित प्रश्न को फिर स्थगित किया जा रहा है। इस विभाग की तो नेचर ही हो गई है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी विभाग के स्थगित किये गये हैं। स्थगित आपको करने का क्या अधिकार है? फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? प्रश्न दो महीने पहले दिया गया उसका भी उत्तर नहीं तो आप किस मर्ज की दवा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर रखा जावे।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री फूलचन्द बाफना :

स्थगित प्रश्न

(12-3-68)

जिला बोर्ड व नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पंचायत समितियों में नियुक्ति

565. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 2 अक्टूबर, 1959 के बाद एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग के गठन के पूर्व पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में रिक्त स्थानों पर, जिलाधीशों द्वारा जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था?

यदि हां, तो जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कितने कर्मचारी राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा में किन-किन जिलों में किन-किन शर्तों के आधार पर व किन नियमों के अन्तर्गत लिये गये? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उनका नगर-पालिका व जिला लोकल बोर्ड का सेवाकाल

(श्री फूलचंद बापना)
पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना गया है?

(3) क्या विकास विभाग की ओर से जिला लोकल बोर्ड के कर्मचारियों का जिला लोकल बोर्ड का सेवा काल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु मानने के लिये दिनांक 9–3–65 को एक परिपत्रप्र प्रसारित किया गया था? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें?

(4) इसी परिपत्र के आधार पर नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवा काल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु माना गया है या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या नगरपालिका के कर्मचारियों को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में लेते वक्त उन्हें सूचित किया गया था कि उनका नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(6) नगरपालिका के वे कर्मचारी जिनका नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न मानने के कारण, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में नहीं करना चाहते हैं, वापिस नगरपालिका में सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(7) नगरपालिका के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न माने जाने के कारण स्थानान्तरण के वक्त नगर–पालिका में जो वेतन उन्हें मिलता था, वो पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में उन्हें दिया गया है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं और किन नियमों के अनुसार उनको नहीं दिया गया?

उप मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा): इस प्रश्न को भी स्थगित कर दिया जाय पंचायत विभाग के टर्न के लिए इसको रख दिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**: स्थगित किया जाता है।

श्री रतनलाल रोत!

सीमलवाड़ा मांडली सड़क की मरम्मत

681. श्री **रतनलाल रोत** (चौरासी सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला डूंगरपुर में कस्बा सीमलवाडा से मांडली सडक का टुकडा पूरा बन चुका है? यदि नहीं, तो इस सडक को शुरू किये हुये कितने वर्ष हुए हैं?

(2) सीमलवाडा से मांडली सडक पर सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पंचायत समिति सीमलवाडा दोनों ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है और अब कितनी रकम व्यय करने पर पूरी सडक बन पायेगी।

श्री **जयनारायण सालीवाल**: (उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण, के कागज टटोलने पर) कागज तो बहुत लाये हैं लेकिन उत्तर किसी में नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) पत्थर बिछाई का कार्य पूरा हो गया है।

(2) पंचायत समिति के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। अकाल-राहत कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4,95,594 रु. व्यय किया गया है। 8,0000 रु. प्राप्त होने पर मैटल्ड रोड बन पायेगी।

श्री रतनलाल रोत: दस मील का टुकडा पिछले दस वर्ष से पूरा नहीं बन पाया है केवल इस पर पत्थर बिछाये गये हैं इस पर काम नहीं हुआ इस बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मेरा विचार है जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये।

श्री रतनलाल रोत: दस साल में पूरा नहीं होने का क्या कारण है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अब इसके बताने की जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह।

जिला टोंक के थाने में दर्ज मामले

684. श्री **दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला टोंक के थानों में ऐसे कितने मामले हैं जो काफी अर्से से दर्ज हैं पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है?

उपमंत्री, गृह (श्री खेतसिंह): (1) जिला टोंक में केवल एक मुकदमा ह.द. 420 जो सन् 65 का दर्ज शुदा है काफी अर्से से पेंडिग होना पाया जाता है। इस केस में भी तफतीश प्रगति पर है किन्तु मूल रेकार्ड के अभाव में ऑडिट रिपोर्ट तैयार न हो सकने से देरी हो रही है।

श्री दिग्विजयसिंह: 65 से चल रहा है अब तक चालान क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजयसिंह रावत, 686

बनास जलयोजना और ठेके के एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्य

686. श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बनास जल-योजना द्वारा अजमेर में लाये जा रहे पानी की स्कीम में पाइपों की मोटाई ठेके के नियमानुसार नहीं है? यदि हां, तो ठेके में कितनी मोटाई के पाइप सप्लाई करने का एग्रीमेन्ट हुआ था?

(2) क्या इस लाइन में कुछ पाइपों के अन्दर सीमेन्ट की कोटिंग की हुई है और कुछ में कोटिंग नहीं की हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इन पाइपों को जमीन में गाडने के लिये इन पर अन्दर व बाहर सीमेन्ट की कोटिंग करना आवश्यक समझा गया था? यदि हां, तो कुछ पाइप बिना कोटिंग के क्यों जमीन में गाडे जा रहे हैं?

(4) क्या ठेके के एग्रीमेन्ट में इतने पतले चद्दर के पाइपों को जमीन में गाडने का काम स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो

(श्री विजयसिंह रावत)
इन्जीनियरों ने इन पाइप्स की कितने वर्ष की गारन्टी दी है?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(2) जी हां, कुछ पाइपों में जो पहाडी इलाके पर लगाये गये हैं, वजन कम करने की दृष्टि से लाइनिंग नहीं किया गया और कोटिंग की जगह एन्टी कोरोजिव पेन्ट कर दिया गया।

(3) जी हां, कुछ पाइप जिनकी संख्या 35 है, और जिसकी मोटाई 5 मिलीमिटर की जगह 8 मिलीमीटर हैं उन्हें अजमेर शहर के पास रेलवे क्रासिंग के नीचे गाडे हैं और मोटाई अधिक होने के कारण सीमेन्ट कोटिंग करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

4. जी हां, 30 से 40 वर्ष तक इन पाइपों के चलने की उम्मीद है।

श्री **विजयसिंह रावत**: आपने खंड (1) के उत्तर में कहां "जी नहीं" क्या राजस्थान सरकार और ठेकेदार के बीच जो एग्रीमेन्ट हुआ था उसमें पाइप की थिकनेस कितनी होनी चाहिये और उसके मुताविक पाइप 27 इन्ची डायमीटर का होना है और उस पर सीमेन्ट कोटिंग की बात थी?

श्रीमती सुमित्रा: एग्रीमेन्ट के मुताबिक पांच मीलीमीटर और एक जगह 8 मिलीमीटर की मोटाई के पाइप लगाये गये हैं।

श्री विजयसिंह रावत: इन्जीनियरों की राय में सीमेन्ट कोटिंग की आवश्यकता नहीं है तो क्या यह पांच-छः साल से अधिक ड्यूरेबिल होंगे?

श्रीमती सुमित्रा: आप तसल्ली रखिये मैं कह रही हूं।

(12 मध्यान्ह)

श्रीमती सुमित्रा: सीमेन्ट कोटिंग होना चाहिये और आवश्यक था लेकिन कुछ पहाडी इलाके ऐसे थे जहां क्रेन का जाना सम्भव नहीं था सामान ले जाना सम्भव नहीं था और आप जानते हैं कि जब पाइपों के ऊपर सीमेन्ट का कोटिंग कर दिया जाता है तो वजन काफी हो जाता है वह मेन्युअल लेबर के द्वारा पहुंच नहीं सकता था क्रेन पहुंच नहीं सकती थी इसलिये वहां पहाडी इलाके में एन्टीकोरोजिव पेंट किया गया हैं।

श्री **विजयसिंह रावत**: क्या यह सही है कि पहाडी इलाके को छोड कर मैदान में नसीराबाद और अजमेर के बीच में जहां पर कोई पहाड का सवाल नहीं आता और जहां जो बाधाएं आपने बताई वे नहीं हो सकतीं, फिर भी ऐसे पाइप बिना सीमेन्ट कोटिंग के लगाये गये हैं?

श्रीमती सुमित्रा: यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मार्टिन ब्रिज के पास में 8 मिलीमीटर के चद्दर का पाइप लगाया है। इसके अलावा जो बिना सीमेन्ट कोटिंग के पाइप हैं वे केवल पहाडी इलाके पर ही हैं।

श्री **उपाध्यक्ष**: नेक्स्ट।

श्री **विजयसिंह रावत**: उपाध्यक्ष महोदय मेरा सप्लीमेन्टरी ...

श्री **उपाध्यक्ष**: सप्लीमेन्टरी नहीं है आपके पास। मैं समझ गया।

श्री **विजयसिंह रावत**: है मेरे पास।

Page No. 31

श्री उपाध्यक्ष: नहीं। श्री रामानन्द।

श्री विजयसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने जो सप्लीमेन्टरी पूछे उनसे आसन समझ गया कि आप क्या जानकारी चाहते हैं।

श्री विजयसिंह रावत: आप...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत: आपने उस प्रश्न की अहमियत समझी या नहीं। सरकार की ओर से उत्तर दिया गया है कि बिना कोटिंग किये पाइप लगाये हैं.....

मैं आपको पूरी जानकारी दूं। अजमेर से लेकर बनास तक चार पांच बार मैंने दौरा किया है और अपनी आंखों से देखा है। आप स्वयं चल कर देख सकते हैं कि मैदान में भी सीमेन्ट कोटिंग नहीं किया गया है। इससे यह हाल होगा कि ये पाइप साल दो साल में खराब हो जावेंगे। मैं स्वयं इन्जीनियर होने के नाते यह कह देना चाहता हूं कि ये साल डेढ़ साल से भी ज्यादा चलेंगे नहीं, जहां जहां पाइप गाड़े गये हैं वहां सीमेन्ट कोटिंग होना जरूरी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यह क्या भाषण हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: भाषण नहीं हो सकता।

श्री विजयसिंह रावत: तो क्या सरकार सारी लाइन का सर्वे करने को और जांच कराने को तैयार है?

श्री उपाध्यक्ष: इसका उत्तर नहीं दिया जावेगा।

श्रीमती सुमित्रा: आप कहें तो इसका जवाब दे दूं?

श्री विजयसिंह रावत: यह तो वही सरकार का नुकसान का सवाल है। आज वर्षों से जिस तरह अजमेर की जनता पानी के लिये त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रही है उसी तरह से यह पांच करोड बिगाडने के बाद भी साल-दो साल बाद जनता फिर त्राहि-त्राहि करने लगेगी। यह कतई सरकार के लिये उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिये इस लाइन का फिर से सर्वे और निरीक्षण किया जाना अत्यन्त जरूरी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: किस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है? क्या उसको सब जगह सीमेन्ट कोटिंग के लिये नहीं कहा गया है?

श्री उपाध्यक्ष: न माननीय सदस्य ने प्रश्न पढा है न उत्तर सुना है। इसके बाद में भी पूरक प्रश्न काफी पूछ लिये माननीय सदस्य ने। समयाभाव है। इस पर अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

श्री डूंगाराम राजोरिया: ठेकेदार को ठेका दिया, पाइप खराब होंगे, ड्यूरेबल नहीं होंगे तो इसके लिये भी सरकार जांच करने को तैयार नहीं, यह बडी मजाक रही।

श्री उपाध्यक्ष: इसका मन्त्री महोदय ने 'ना' में जवाब दिया है।

श्री विजयसिंह रावत: वहां पर ही देख सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह है कि माननीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मंत्रीजी विभागीय जानकारी के आधार पर एक जानकारी सदन में देते हैं। अब उसको आकर माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर कन्टेस्ट करते हैं कि यह जानकारी नहीं है तो कोई रास्ता तो इसका होना चाहिये और सरकार को इसकी पूरी और सही जानकारी फिर से मालूम करनी चाहिये वरना तो ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मंत्री महोदय उत्तर दें और उसको सामने से चुनौती दी जावे तो होना तो आम तौर से यह चाहिये कि मन्त्री महोदय इस बारे में या तो विशेष जानकारी लें या उसकी एन्क्वायरी करावें, यह स्वाभाविक सी बात है। जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है तो मन्त्री महोदय को चाहिये कि वे मालूम करें कि यह उत्तर गलत तो नहीं है। यह स्वाभाविक भी है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं यही तो कहने जा रही थी। पर आपने कहने का अवसर ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया था।

श्री रामानन्द !

विज्ञान को नवीं कक्षा में प्रवेश पाने के नियम

687. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने आठवीं पास छात्रों को नवीं कक्षा विज्ञान में प्रवेश पाने के लिये कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो वह नियम क्या हैं? कृपया नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवीं कक्षा (विज्ञान) में प्रवेश आठवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर न किया जाकर एक अलग प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि ये प्रवेश परीक्षाएं। राजस्थान में कुछ स्थानों पर ही ली जाती हैं? यदि हां, तो कहां कहां? कुछ ही स्थानों पर ऐसी परीक्षाएं लेने का क्या कारण है?

(4) प्रवेश परीक्षा किस-किस विषय में ली जाती हैं? यह पूरी परीक्षा लिखित होती है या मौखिक भी होती है? क्या इस परीक्षा में साक्षात्कार भी एक अंग होता है?

(5) इन प्रवेश परीक्षाओं को अलग से करने का उद्देश्य क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) जी नहीं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह वांछित है कि सेकण्डरी में हायर सेकण्डरी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वे ही छात्र प्रवेश पावें जो कि उसके योग्य हों, और आगे लाभ उठा सकते हों।

(2) यह आंशिक सत्य है, कक्षा 9 में विज्ञान में प्रवेश पाने हेतु विज्ञान-चयन परीक्षा के अंकों के साथ साथ कक्षा आठ के प्राप्तांकों को भी सम्मिलित किया जाता है और दोनों के प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है।

(3) जी हां, परीक्षाएं बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़,

(श्री शिवचरण माथुर)
कोटा, अलवर, भरतपुर, राजगढ़, धौलपुर की समस्त स्कूलों में जहां कि विज्ञान में प्रवेश हेतु छात्रों की संख्या कहीं अधिक है और विज्ञान विषय के स्थान सीमित हैं, ली जाती हैं।

(4) परीक्षा के प्रश्न मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों की रुचि अभिरुचि और आधार मत योग्यताओं का मापन करने के लिये है। यह परीक्षा केवल लिखित ही होती है और इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है।

(5) लगभग 80 प्रतिशत से ऊपर कक्षा 8 पास छात्र कक्षा 9 में विज्ञान वर्ग में प्रवेश पाना चाहते हैं कदाचित उच्च नोकरियों के प्रलोभन के कारण, परन्तु अधिकांश में वे विज्ञान विषयों से लाभ उठाने के लिये योग्यता, रुचि-अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः उद्देश्य यही है कि कक्षा 9 में विज्ञान के सीमित स्थानों को देखते हुए उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिल सके जो उसके उपयुक्त हों और लाभ उठा सकते हों तथा उनके स्थान पर ऐसे छात्रों को प्रवेश न मिल जावे जो विज्ञान विषय के अध्ययन से लाभान्वित नहीं हो सकते हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परन्तु जो मकसद दूसरे इम्तिहानों का है यदि केवल आप ऐसे ही छात्रों को लेना चाहते हैं जो विज्ञान में ज्यादा रुचि रखते हों तो विज्ञान के पेपर में उनके मार्क्स देख कर उसी प्रायोरिटी के आधार पर दे सकते हैं, और अगर आप रुचि अभिरुचि और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जांचना चाहते हैं तो इसके लिये भी अलग से परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है ? जो आठवीं की वे परीक्षा दें तो उसी के साथ उसकी जांच करने की परीक्षा भी ले ली जाय। ये दो दो परीक्षाएं क्यों ? ऐसी स्थिति में दुबारा परीक्षा के लिये बाध्य करना क्या सरकार ठीक समझती है, और क्या इससे पक्षपात किये जाने की गन्ध नहीं आती ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक यह सवाल है, मैं स्वयं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आगे उच्च स्तर की पढ़ाई हो हर जगह पर बालक की रुचि का ध्यान रखा जावे और उसी के आधार पर चुनाव हो। होता दरअसल यह है कि आज बिना प्लान्ड योजना के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। इसका परिणाम एक तरफ शिक्षा में अवरोध उपस्थित होता है और आगे की कक्षाओं में काफी तादाद में बालक फैल होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले ही स्टेज ऐसी हो कि जहां विद्यार्थियों का एप्टीट्यूट टेस्ट कर लिया जाय और उसके आधार पर बताया जाय कि बालक किस जगह जाकर सफल हो सकता है।

श्री केदारनाथ : क्या एप्टीट्यूट टेस्ट कम्पलसरी बना दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : एप्टीट्यूट टेस्ट कम्पलसरी तो नहीं बनाया गया है लेकिन जहां सुविधायें उपलब्ध हैं करने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए हमने अलग से डाइरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल गाइडेन्स भी खोला हुआ है जो कि अपने तौर से इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने की कोशिश करता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम!

पंचायत समिति क्षेत्र परबतसर में लघु उद्योगों के लिए ऋण

694. श्री **परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परबतसर पंचायत समिति क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए कुल कितना ऋण मन्जूर किया गया ?

(2) अब तक कुल कितनी दरख्वास्तें उक्त क्षेत्र से प्राप्त हुईं ?

(3) ऋण किस-किस प्रकार के उद्योग के लिए कितना-कितना दिया गया है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) 38,800 रु.।

(2) 43।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सूचना सूची के कालम 4 व 5 पर उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री **परसराम गंगाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सूची दी गयी है वह ऐसी है कि जो आप भी नहीं पढ़ सकेंगे, मंत्री महोदय तो क्या पढ़ेंगे ?

श्री **जयनारायण सांगोदिया** : हमेशा ऐसी ही सूची दी जाती है।

श्री **परसराम गंगाराम** : इस सूची के नम्बर 3 पर जो आपने 7000 रुपया दिया है वह किस को दिया गया और कौनसी तारीख को दिया गया और वापिस कैसे आया ?

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : यह आपने कैसे पढ़ा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लिखे मूसा पढ़े खुदा।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** : यह 7000 रु. की रकम आपने कब दी और वापिस आई या नहीं ?

श्री **लादूराम सुलानिया** (फागी सु.) : क्रम नम्बर 3 पर जो दिया है वह 7000 रुपये आपने कब दिये और उसकी रिकवरी की या नहीं ?

श्री **भीमसेन** : आपको नम्बर बताया हुआ है कि कुल दरख्वास्तें 43 प्राप्त हुईं।

श्री **लादूराम सुलानिया** : क्रम संख्या 3 के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री **भीमसेन** : जो पूछा है उसकी सूचना दी है। जो आप पूछ रहे हैं उसकी सूचना नहीं है।

श्री **लादूराम सुलानिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खुद सूची पढ़ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि क्रम नम्बर 3 में किस व्यक्ति को रुपये दिये, किस उद्योग के लिए दिये, कौनसी तारीख को दिये और वापिस रिकवर किये या नहीं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : क्रम नम्बर 3 की एन्ट्री को पढ़ दीजिए।

(विराम)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं पढ़ सकते।

Page No. 35

श्री **भीमसेन**: कुल आवेदन पत्र 43 आये। लोन स्वीकृत किया है वह अलग अलग के लिए है। किसी को बढ़ईगिरी के लिए किया है, किसी को ट्यूब टायर के लिए किया है, किसी को चर्म उद्योग के लिए किया है, किसी को ऊन के लिए किया है और किसी को लुहारगिरी के लिए किया है।

श्री **लादूराम सुलानिया** : 3 नम्बर वाला बता दें।

श्री **भीमसेन** : प्रिन्टिंग प्रेस के लिए लोन दिया है।

श्री **परसराम गंगाराम** : प्रेस का नहीं है यह तो टाइप किया हुआ है।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : प्रेस के लिए दिया तो वह चालू हुआ या नहीं ?

श्री **हंसराज आर्य** (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सूची सदन की मेज पर रखी जाय वह इस लायक दी जाय कि वह पढ़ी जा सके।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसके संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जावे।

श्री **लादूराम सुलानिया** : इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। सूची के कारण न तो सप्लीमेन्ट्री हो सकते हैं और न मंत्री महोदय जवाब ही दे पा रहे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप सूची पढ़कर सुना दीजिए।

श्री **भीमसेन** : माननीय सदस्य आखिर जानना क्या चाहते हैं ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : सूची पढी नहीं जाती है इसलिए पढ़ दें।

श्री **भीमसेन** : हमने 23 को लोन दिया है।

श्री **केसरीसिंह** : आप सूची इनको दे दें ताकि सप्लीमेन्ट्री कर लें।

श्री **भीमसेन** : सूची मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री गफ्फारखां पुत्र गनीखां परवतसर	..	बढ़ईगिरी	1500) रु0
श्री मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ..	..	सिमेन्ट वर्क्स	3000) रु0
श्री चन्द्र दत्त पुरोहित परवतसर ..	..	प्रिंटिंग प्रेस	7000) रु0
श्री रामलाल पुत्र राजोवन परबतसर	..	ट्यूब टायर	1000) रु0
श्री बुधाराम पुत्र दुलाराम परबतसर	..	कुटीर उद्योग	900) रु0
श्री जोबला चर्म उद्योग स0 स0 परबतसर	..	चर्म	1200) रु0
श्री सुरजाराम	..	बढ़ईगिरी	1000) रु0
श्री मगलाना एन्ड0 को0 सो0 मंगलाना	..		5000) रु0
बस्ती ऊन उ0 स0 स0 बस्सी ..	..	ऊन	3000) रु0
अलाउद्दीन	..		1000) रु0
श्री रामलाल पुत्र मांगीलाल परबतसर	..		1000) रु0
श्री भंवरलाल	..	बढ़ईगिरी	3000) रु0
श्री पीरबदल हुस्नबक्स	..	लोहारगिरी	1000) रु0

(श्री भीमसेन)

श्री मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र	..	.. जूते बनाना	1000) रु०
श्री काना पुत्र दल्लाराम परवतसर	..	.. जूते बनाना	1500) रु०
श्री चांदमल पुत्र लादू रोड	..	.. ,,	1000) रु०
श्री हनुमान पुत्र गिरधारी नरनिया	..	.. लोहारगिरी	1000) रु०

श्री **उपाध्यक्ष** : बस, काफी हैं ।

श्री **लादूराम सुलानिया** : प्रश्न यह है कि जिस उद्योग के लिए रुपया दिया उसमें से कितने उद्योग चालू हैं और कितने बन्द पडे हैं ।

श्री **भीमसेन** : यह सूचना आपने मांगी नहीं है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री **लादूराम सुलानिया** : अब मांग रहे हैं अब बता दें ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : आप तो जूतों के बारे में बता दें ।

श्री **लादूराम सुलानिया** : प्रश्न इस बात का है कि रुपया इसलिए देते हैं कि इनको वोट ज्यादा मिल जाये । उनसे रिकवरी करते नहीं हैं और सरकार के सारे धन का दुरुपयोग करते हैं । जूतों के लिए देते हैं जूते बनते हैं, चमडे के लिए देते हैं चमडा बनता नहीं फिर यह देते क्यों हैं और अगर देते हैं तो लेते क्यों नहीं हैं ?

श्री **देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : राजस्थान की जनता भी बहुत जूते दे रही है इनके ।

ग्राम आवसर में बिजली

700. श्री **रावतराम** (छापर सु0) : क्या बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आवसर तहसील सुजानगढ (जिला चूरू) का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने अरसे से ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वासियों ने गांवाई कुए पर बिजली लेने के लिए आवेदन-पत्र दिया ? यदि हां, तो कब और अभी तक कुए पर कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं और भविष्य में कब तक दे दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि आवसर निवासियों ने घरों में कनेक्शन लेने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवेदन-पत्र दे रखे हैं ? यदि हां, तो इन्हें कनेक्शन क्यों नहीं दिया जाता है ?

राज्य मंत्री विद्युत (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) दिनांक 29-3-64 को विद्युतिकरण कर दिया गया है ।

(2) जी हां, एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-11-66 एवं दूसरा 3-5-67 को प्राप्त हुए थे । जब रुपया जमा कर दिया जायेगा एवं 'एल' फार्म दे दिया जावेगा तो कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

(3) जी हां, बिजली एवं धनराशि के अभाव के कारण ।

श्री **रावतराम** : इस गांव का विद्युतिकरण कब हुआ ?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : 29-3-64 को ।

Page No. 37

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि उसके बाद में इस गांव में कुए पर या डोमेस्टिक परपज के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने एप्लीकेशन ही 29-11-66 को दी है और दूसरी 3-5-67 को दी है जिसमें अभी सिक्योरिटी जमा नहीं कराई है और 'एल' फार्म भी नहीं दिया है ।

श्री रावतराम : 3 साल से वहां लाइट नहीं है । ट्रान्सफार्मर वगैरह सब कुछ हैं । गांव वालों ने लगातार तीन साल से एप्लीकेशन दी हैं घरों में लाइट के लिए और कुओं के लिए तो यह मैं जानकारी चाहता हूं कि उस गांव में कुए पर बिजली दी गई है क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अभी तक नहीं दी गई ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने एप्लीकेशन ही अभी दी है 66-67 में ग्रामवासियों ने ।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि 65 में कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह एक एप्लीकेशन 29-11-66 को आई है और दूसरी 3-5-67 को 22 आदमियों ने डोमेस्टिक परपज के लिए कनेक्शन देने के लिए जरूर दी है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : बिजली वहां काहे के लिए ले गये थे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : लाइट के लिए ।

श्री दौलतराम सारण : लाइट लगाने वाला कोई नहीं था तो क्या विभाग था, जो कि एक कॉमर्शियल डिपार्टमेन्ट है, कर्तव्य नहीं था कि वह कोशिश करता बिजली देने के लिए ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : गांव वालों ने एप्लीकेशन्स नहीं दी और बिजली की कमी होने के कारण यह कोशिश नहीं की गई । बिजली प्रचुर मात्रा में नहीं थी और गांव वालों की कोई एप्लीकेशन नहीं थी । अगर वे चाहते तो अपने आप एप्लीकेशन दे देते । अब उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो जब वे 'एल' फार्म दे देंगे तो कनेक्शन दे दिया जायगा ।

श्री रावतराम : जैसा कि मिनिस्टर महोदय ने फर्माया कि बिजली नहीं दी गई लेकिन वहां पर बिजली दी गई है और वहां पर चक्की चलती है उसको पॉवर कनेक्शन दिया हुआ है जिसको कि आज दो साल हो गये हैं । तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि गांव का एक कुआं है गांव के लोगों के पीने के पानी के लिए और उसके साथ एक वाडी भी है तो उसके लिए दो साल से एप्लीकेशन दी गई है और सिक्योरिटी भी उन्होंने जमा करा रखी है, और सब कुछ कर रखा है और आप फर्मा रहे हैं कि 'एल' फार्म नहीं दिया है जब कि एल फार्म दे दिया गया है । आप इसकी जानकारी करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर ऐसी बात है जैसी कि माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं जानकारी करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न है 692 वां

(श्री भैरोंसिंह)
श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल के नाम पर वह बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : समय काफी हो गया है।

श्री **भैरोंसिंह** : उसका उत्तर ही पढ़कर सुना दें। कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं करेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय !

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् बनाये गये कानून

692. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1949 से वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक कुल कितने कानून राज्य में बनाये गये ?

(2) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से पूर्व राजस्थान में कितने कानून राज्य भर में प्रचलित थे ?

(3) क्या सरकार ने कभी इस पहलू पर भी विचार किया है कि कानूनों की बहुतायत सरकारी सेवाओं पर अधिक खर्च हैं और व्यक्ति और समाज के स्वतन्त्र व्यवहार में बहुत बड़ी बाधा है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सन् 1949 से वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से लेकर 31 दिसम्बर सन् 1967 तक कुल 617 अधिनियम राज्य में वनाये गये हैं।

(2) वृहत्तर राजस्थान के निर्माण से पूर्व कवेनेन्टिंग स्टेट्स द्वारा जारी किये गये सभी कानून प्रचलित थे।

(3) हमारे यहां रूल आफ लॉ है और इसको मद्देनजर रखते हुए परिस्थितियों के माफिक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाना सरकार के लिए जरूरी होता है। कानून समाज के हित में ही बनाये जाते हैं।

श्री **आईदानसिंह** (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री **आईदानसिंह** : मैंने कुछ प्रश्न दिये थे एक महीने पहले। उनमें से एक का जवाब अतारांकित का आया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे सब प्रश्न सार्वजनिक हित के हैं, जैसे कि ट्यूब वैल के बारे में कि जालौर में कितने ट्यूब वैल खोदे गये हैं · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : यह सचिवालय से मालूम कर लिया जाय या आप दो बजे मुझ से मिल लें चैम्बर में।

श्री **आईदानसिंह**: मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं कि हाउस में यह व्यवस्था दी जाय कि जो तारांकित प्रश्न हों उनको अतारांकित नहीं किया जाय। क्या सरकार उत्तर देने में असमर्थ है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री **लादूराम सुलानिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि 705 को बाद में लेंगे तो उसको ले लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है कि तारांकित प्रश्न उन्होंने रखे हैं उत्तर के लिए तो उनको अतारांकित कैसे कर दिया ? क्या मंत्री मंडल को यह अधिकार है कि अतारांकित उनको कर दे ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन को ऐसा अधिकार है, माननीय विरोधी पक्ष के नेता ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अगर यह अधिकार है तो आसन आदमी से औरत बनाने लग जायगा ।

श्री लादूराम सुलानिया: आपने 705 का आश्वासन दिया था ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में विज्ञान व गणित की कक्षाएं

678. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर में विज्ञान व गणित की कक्षायें चालू कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या उक्त कालेज में बाईलोजी साइन्स की कक्षायें चालू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक चालू कर दी जायेंगी और यदि नहीं तो क्यों नहीं जबकि इसी स्तर की दूसरी कालेजों में बाइलॉजी व गणित की कक्षायें चालू कर दी गई हैं।

उत्तर

1. जी नहीं। आर्थिक कठिनाई के कारण खोलना सम्भव नहीं है।

2. जी नहीं।

सड़कों के किनारे सूखे पेड़

685. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डीग, अलवर, कामां, पहाड़ी नगर, कामां–कोसी, कामां–डीग और कामां–नरहड़ा सड़कों पर सूखे पेड़ों की संख्या कितनी कितनी है ? और उनकी क्या दशा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इनके नीलाम न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

पेडों की संख्या सडकवार संलग्न सूची (अ) में प्रस्तुत है। पेड सूखे हैं जिनका उपयोग सडक पार डामर कार्य में लिये जाने को है अतएव पेड नीलाम नहीं कराये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

न्यू कॉलोनी जयपुर के प्लाटों का बेचान

698. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1956 में या इसके आसपास अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर ने लाला मेहरचन्द्र बोर्ड के ठेकेदार को न्यू कॉलोनी स्कीम में बी. 18 व बी 22 प्लाट बेचे हैं ?

Page No. 40

(श्री सहदेव शर्मा)

(2) क्या इन प्लाटों का पट्टा लाला मेहरचन्द्र की बेवा श्रीमती कैलाशवती को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि लाला मेहरचन्द्र के लड़के की ठेके की रकम में से प्लाट की कीमत का रुपया काटा जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कितना कितना रुपया काटा गया है ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें और क्या इस रकम से कीमत पर सूद भी वसूल किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भूखण्डों की अभी पूर्ण वसूल नहीं हो पाई। अतः पट्टा नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं। उक्त प्लाटों की पूर्ण राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। इन प्लाटों की कीमत के पेटे जो 2 राशि जिन तारीखों को प्राप्त हुई या समायोजन किया गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिष्टि 5 देखिये)

कम्पाउन्डर का तबादला

699. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 67 से दिसम्बर, 67 तक की अवधि में जो कम्पाउन्डर अभी रटलाई, जिला झालावाड़ में है उसका ट्रांसफर चार जगह किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इनको (1) पिड़ावा से आवर (2) आवर से रटलाई (3) रटलाई से पचपहाड़ व (4) पचपहाड़ से फिर दुबारा रटलाई लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इनको आने जाने का टी.ए. दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तीन बार तबादला किया गया। एक बार शिकायत पर, दुबारा स्वयं की प्रार्थना पर, तीसरी बार प्रशासनिक कारणों से।

(3) जी नहीं। अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

नेहरू जनरल अस्पताल, अजमेर के सर्जन

703. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के ध्यान में है कि अजमेर में नेहरू जनरल अस्पताल में विरष्ठ अधिकारी (सर्जन) अपने कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं ? यदि हां, तो यह स्थिति कब तक रहेगी ?

(2) इस अस्पताल में वर्ष 1967–68 में कितने बीमार दाखिल हुए और उनमें से कितने व्यक्ति ठीक हुए और कितनों की मृत्यु हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 1967-68 में इस अस्पताल में 15,673 रोगी दाखिल हुए थे उनमें से 15,053 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया एवं 620 की मृत्यु हो गई।

पाली जिले के ग्रामों में बिजली

705. **श्री दौलतराम** (आगरी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में किन किन ग्रामों को बिजली दी गई है?

(2) बिजली जिन जिन गांवों को दी गई है उन ग्रामों में पिछड़ी जाति की बस्तियों में अन्य जाति की बस्तियों की तरह रोडलाइट की सुविधा दी गई है या नहीं? यदि नहीं दी गई है, तो क्यों व इस प्रकार का भेदभाव क्यों बरता जा रहा है सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

(3) देसूरी तहसील के ग्राम नाडोल, नारलाई, देसूरी खिवाड़ी व घाणेराव को बिजली देने का राज्य सरकार कब तक विचार रख रही है? यदि बिजली शीघ्र देने का विचार नहीं है, तो क्यों? यदि है, तो कब तक?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जिन जिन ग्रामों में बिजली दी जाती है उनमें म्युनिसिपल व ग्राम पंचायत के प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही रोड लाइट लगाई जाती है।

(3) अभी निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)।

(7-3-68)

स्थगित प्रश्न

भरतपुर जिले की सड़कों की मरम्मत

500. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की सड़कों की मरम्मत के लिए 76,000 रु. का मैटीरियल डलवाया गया है? यदि हां, तो उक्त मैटीरियल के लिए कब टेन्डर मांगे गये? और कितने आये और किस किस ठेकेदार ने टेन्डर भरे?

(2) उक्त ठेके के टेन्डर किस तारीख को लिये गये और सब से कम की बोली किस ठेकेदार की रही?

उत्तर

(1) किसी एक ठेकेदार से एक टेन्डर पर 76,000) रु. का मैटीरियल वर्ष 67-68 में किसी भी एक रोड पर नहीं डलवाया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाठशाला भवन का निर्माण, सांचोर

305. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन के लिये पंचायत समिति सांचोर द्वारा 35,000 रु. की धनराशि प्रदान की गई थी? यदि हां, तो उस धनराशि का अब तक क्या किया गया है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने इस स्कूल भवन के निर्माण हेतु 35,000/– रु. के अलावा जो कमी रहती है उसे पूरा करने की कोशिश करने का आश्वासन दिया था?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पंचायत समिति की धनराशि से तीन कमरे बनने में 5,000)रु. रकम की कमी थी? अगर हां, तो उसको पूरा करने के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, 34587) रु. फरवरी 68 तक व्यय हुआ है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है। यह मामला शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

(3) विकास अधिकारी सांचोर से अतिरिक्त धन राशि की मांग की गई है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र लूणकरणसर

306. श्री शीशराम (सादुलपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा कालू तहसील लूणकरणसर का प्राथमकि चिकित्सा भवन करीब 60,000) रु. की लागत का स्थानीय श्री शेरमल डूडानी ने तैयार करके विभाग को सुपुर्द किये हुए कई वर्ष हो चुके हैं तथा उसमें उक्त चिकित्सा केन्द्र कार्य कर रहा है? अगर हां, तो क्या विभाग ने उक्त डूडानी राजकीय प्राथमिक शाला भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दिया है?

उत्तर

जी हां। लेकिन जिला तथा सब-डिवीजनल मुख्यालय पर स्थित भवन ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द किये जाते हैं। अतः इसका प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अस्पतालों में दवाइयों का उपयोग

307. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अस्पतालों में Normal Saline, Saline and Glucose, Glucose 5%, 10% etc. नामक दवाइयां इन्ट्रावीनस काम की बनाई जाती हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन दवाइयों के उपयोग से निम्न बुरे प्रभाव पडते हैं:—

(1) ठंड लगना (2) तेज बुखार (3) खुजली आदि और यहां तक कि कई बार इस बुरे प्रभाव से मृत्यु भी हो जाया करती है?

(3) क्या सरकार उपर्युक्त दवाइयों को पूर्ण वैधानिक तरीके से पब्लिक सेक्टर में बनाने का विचार रखती है?

(4) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(5) क्या सरकार उक्त दवाइयों को मैडीकल कालेज के फार्मेस्युटिकल डिपार्टमेन्ट से बना कर उसके आस पास के अस्पतालों को दिये जाने का विचार रखती है ताकि गरीब जनता को महंगी दवा बाजार से नहीं खरीदनी पड़े?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन दवाइयों के उपयोग से कोई बुरे प्रभाव का होना नहीं पाया गया है कभी 2 इस प्रकार के लक्षण पाये गये हैं जो या तो दवा तेजी से दिये जाने या अन्य किसी प्रकार के कारण से हुये हैं। मगर इससे मृत्यु नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(5) जी हां, जयपुर में तो पहिले से ही मैडिकल कालेज जयपुर से संलग्न अस्पतालों के लिये यह दवाइयां कालेज की लेबोरेटरी में तैयार कराई जाती हैं और यथा सम्भव सभी संलग्न अस्पतालों की इन दवाइयों की मांग कालेज की लेबोरेटरी द्वारा पूरी की जाती हैं। फिर भी कमी पड़ने पर अस्पतालों में दूसरा प्रबंध किया जाता है।

सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट कमरों में प्राप्त सुविधाएं

308. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी अस्पतालों में काटेज वार्ड अथवा प्राइवेट वार्डों में किराया निर्धारित करने का आधार क्या है?

(2) राज्य के किन किन अस्पतालों में काटेज वार्ड्स की व्यवस्था है और यहां प्रत्येक अस्पताल में किराये की दरें क्या क्या हैं?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर अस्पताल के काटेज वार्ड पर प्राप्त सुविधाएं व स्थान (Floor space) जयपुर के अस्पताल की तुलना में बहुत कम है लेकिन किराये की दर जयपुर और जोधपुर में एक समान है? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है और इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

(4) डी-लक्स वार्ड की परिभाषा क्या है? क्या इस वार्ड में दूसरे वार्डों से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी?

उत्तर

(1) सरकारी अस्पतालों में काटेज वार्डों अथवा प्राइवेट वार्डों का किराया तत्कालीन स्टेट्स द्वारा ही निर्धारित किया हुआ है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश दिनांक 2-3-66 के अनुसार उसी किराये का ड्योढा वसूल करने का निर्णय लिया था।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) डी-लक्स वार्ड में वे वार्ड हैं जिनमें अन्य प्राईवेट वार्डों की अपेक्षा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जी हां, डी-लक्स वार्ड में अलग से नर्सिंग स्टॉफ की विशेष सुविधा दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये।)

Page No. 44

मैडिकल कालेज में विशेष विषय के कार्यों का विभाजन

309. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सत्य है कि जनरल सर्जन विशेषज्ञ मेडिकल कालेज हास्पिटल में दूसरे Speciality जैसे Gynaechology E.N.T., व Orthopaedics, Operations general ward. रोगियों पर करते हैं? जबकि इन operations को करने के लिये उस विशेष विषय का स्पेशियलिस्ट वहां पर लगा रहता है?

(2) मैडिकल कालेज, हास्पिटल्स में चिकित्सा के बेड्स किस अनुपात से किस Surgery के अलग अलग Branches में विभाजित किये जाते हैं?

(3) क्या इस विभाजन में आउट डोर में आने वाले रोगियों की संख्या का ध्यान रखा जाता है?

(4) क्या यह सत्य है कि अभी तक तो यह विभाजन सिर्फ Principal Medical College की इच्छा पर ही निर्भर रहता है?

उत्तर

(1) यथा संभव विशेष विषय के विशेषज्ञ ही सम्बंधित रोगियों का आपरेशन करते हैं। अन्य जनरल केसेज का आपरेशन जनरल सर्जन द्वारा किया जाता है।

(2) अन्य विषयों की भांति जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, गायनाकोलोजी और इ.एन.टी. में बेड्स का अनुपात विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार मैडिकल काऊंसल ऑफ इन्डिया के बनाये गए नियमों के अन्तर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि आम तौर से किस किस स्पेशेलिस्ट से सम्बन्धित कितने कितने रोगी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

कत्ल के मामले

310. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में 1965–66 66–67, 67-68 में जनवरी, 1968 तक कुल कितने कत्ल हुए और किस किस थानों में कितने कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में से कितने केसेज चालान किए गए और कितने पैंडिंग चल रहे हैं? पुलिस में पैंडिंग रहने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि अधिकतर केसेज पुलिस की लापरवाही के कारण अदालतों में खारिज कर दिए गए या उनमें कोई सजा नहीं हुई? यदि नहीं, तो कितने कमिट किए गए?

उत्तर

1. जिला टोंक में सन् 1965 से जनवरी सन् 1968 तक 30 कत्ल के अभियोग दर्ज हुए हैं। सालवार व थानेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(गृह मंत्री)

2. सन् 1965 से जनवरी, 1968 तक 24 अभियोगों के चालान अदालत में पेश किए गये हैं। जेर तफतीश कोई अभियोग नहीं है।

3. यह सत्य नहीं है कि अधिकतर अभियोग पुलिस की लापरवाही के कारण अदालतों में खारिज कर दिये गये। एक मुकदमें के अलावा समस्त मुकदमें कमिट हुए हैं। 6 मुकदमों में सजाएं हुई हैं और 11 मुकदमें अदालतों में पेन्डिंग हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पुलिस स्टेशन बारां में जेवरात की चोरी का दर्ज मामला

311. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14-4-67 को बस नं. आर. जे. आर. 1023 बारां खातोली (बडा बावडी) के बीच एक थैला, जेवरात का तादादी 4,000) रु. का चोरी जाने की सूचना पुलिस स्टेशन बारां में की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केस दिनांक 14-4-67 को फरियादी के द्वारा सूचित करने के बाद भी रजिस्टर न कर दिनांक 5-5-67 को एस. पी. कोटा के आदेश क्रमांक 6257 पर एस. एच. ओ. बारां ने दर्ज किया ?

(3) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं। हालात इस प्रकार पाये जाते हैं कि—

श्री भंवरसिंह राजपूत, साकिन कोयला ने दिनांक 15-4-67 को थाना बारां पर जबानी रिपोर्ट की थी कि उसकी तीन जनानी सवारी बस आर. जे. आर. 1023 में दिनांक 14-4-67 को बारां से बावडी जा रही थी जब वो बावडी पर उतरी तो जेवरात का थैला बस में ही भूल गई। बस के जाने के बाद याद आई तथा तलाश किया मगर जेवरात का थैला नहीं मिला। इस रिपोर्ट पर थाना प्रबन्धक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर संबंधित थानेदार को मुस्तहरी की फिर दि. 5-5-67 को तहरीरी रिपोर्ट बाबत चोरी जेवरात प्राप्त होने पर मुकदमा नं 36 धारा 380 ता. हि. में दर्ज कर तफतीश की। अधीक्षक आरक्षी, कोटा के आदेश पर अभियोग दर्ज नहीं किया गया। अधीक्षक आरक्षी, कोटा ने देरी से अभियोग दर्ज करने के कारण प्रबन्धक थाना बारां को एक सेन्सयोर की सजा दी है।

3. इस अभियोग में ड्राईवर श्री अब्दुल गफार व कन्डेक्टर लटूर (पर) शक होने से दि. 18-5-67 को ड्राईवर श्री अब्दुल गफार बस आर. जे. आर. 1023 व लटूर कन्डेक्टर को दिनांक 16-8-67 को मुकदमा हाजा में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई मगर उनसे कोई माल बरामद न हो सका। अब भी माल मुलजिमान का पता लगाने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है तथा मुखबिर मामूर कर रखे हैं।

पीलवा ग्राम की औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण

312. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

परबतसर तहसील के पीलवा ग्राम की कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण अथवा अनुदान दिया गया है और उनमें से कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं?

उत्तर

परबतसर तहसील के पीलवा ग्राम की किसी भी औद्योगिक सहकारी समिति को ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लाडनूं शहर की सड़कें

313. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाडनूं शहर में कौन कौन सी सडकें नगरपालिका की हैं और कौन कौन सी सार्वजनकि निर्माण विभाग की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जो सडकें नगरपालिका द्वारा बनाई गई हैं वे कितनी कितनी लम्बी हैं तथा उसमें कितने कितने रुपये खर्च हुए तथा किन किन के द्वारा बनवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि जल प्रदाय विभाग द्वारा कुछ सडकों को पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए तोडी गई थी और वापस ठीक करवाने की कीमत उक्त विभाग द्वारा दिये जाने का कोई एग्रीमेन्ट किया था? यदि हां, तो किस किस सडक को कब कब कितना कितना तोडा तथा उनको ठीक करवाने की रकम कितनी कितनी का कब विभाग ने भुगतान की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जल प्रदाय विभाग द्वारा इतनी बडी मात्रा में तोड फोड करने तथा इतने समय तक सडकों की खराब हालत रहने से जनसाधारण को जो कष्ट हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा इनको ठीक करवाने की जिम्मेदारी किस पर थी?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. प्रश्न के भाग 1 में वर्णित सूची में चाही गई सूचनाएं दे दी गई हैं।

3. पाइप लाइन बिछाने हेतु जो सडकें जल प्रदाय विभाग द्वारा तोडी गई उनकी सूची संलग्न है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के एस्टीमेट के अनुसार तोडी गई सडकों की मरम्मत का व्यय 29,000) रुपया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

4. योजना पूर्ण हो जाने तथा टेस्टिंग आदि का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ही सडक ठीक कराई जाती है। धनाभाव के कारण जल प्रदाय विभाग अभी तक कार्य पूरा नहीं करा सका है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

नगर परिषदों को सरकार द्वारा ऋण व अनुदान

314. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966-67 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नगर परिषदों को कितनी धनराशि ऋण या अनुदान के रूप में दी गई है ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं को सन् 1966-67 में कितनी धनराशि ऋण या अनुदान के रूप में दी गई ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किन किन नगर परिषदों या नगरपालिकाओं को अनुदान की राशि जनसंख्या के अनुपात में जितनी देनी चाहिए थी उससे अधिक दी गई है और किन किन को कम ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार इन नगरपालिकाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की क्या योजना रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये उपाय सुझाने हेतु राज्य सरकार ने एक समिति गठित की थी ? यदि हां, तो क्या उस समिति ने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस में से किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1966-67 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर परिषदों को जो धनराशि ऋण व अनुदान के रूप में दी गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 66-67 में जिन पालिकाओं को ऋण एवं अनुदान स्वीकार किया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) किसी भी नगरपालिका व नगर परिषद् को जन संख्या के अनुपात से ज्यादा अनुदान की राशि स्वीकृत नहीं की गई है इसलिये विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) सरकार ने इस विषय का परीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

(5) जी हां।

समिति की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम गुन्दोज में जल वितरण योजना

315. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली तहसील के गांव गुन्दोज में जल वितरण योजना चालू की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री मूलचन्द डागा),

(2) क्या इसके लिए ग्राम पंचायत गुन्दोज ने कोई धनराशि जमा कराई ? यदि हां, तो कुल कितनी ?

(3) क्या यह सत्य है कि सन् 1963 में बाढ के आ जाने से बनती हुई जल योजना की बिल्डिंग नष्ट हो गई ? यदि हां, तो सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(4) क्या सरकार उस जल योजना को वापिस कार्यान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्माण कार्य जनवरी, 67 से शुरू किया जा चुका है ।

(2) जी हां, 6,100) रुपये ।

(3) सन् 1963 की बाढ के कारण नहीं वरन सन् 1967 की बाढ के कारण बिल्डिंग व बाउंडरी वाल नष्ट हो गई थी जिसकी लागत 7,500) रुपये है ।

(4) योजना का निर्माण कार्य चालू है । धन की उपलब्धि पर इस योजना का निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है ।

नोखा मण्डी में कृषि महाविद्यालय की योजना

316. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार बीकानेर जिले की नोखा मन्डी में कृषि के लिए महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले आम चुनाव के वक्त सरकार की ओर से मुख्य मंत्रीजी ने आम सभा में यह आश्वासन दिया था कि नोखा मन्डी में एक एग्रीकल्चरल कालिज खोला जावेगा ? अगर हां, तो कब तक खोला जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(दिनांक 29-3-68 को पुनः पूछा गया)

उत्तर

माईनिंग रायल्टी की बकाया रकम

317. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन सु०) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि करौली धौलपुर एवं भरतपुर क्षेत्र में माइनिंग रायल्टी की रकम बकाया है ?

(2) यदि हां, तो यह रकम कब कब से किस किस के प्रति कितनी कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त बकाया रहने के क्या क्या कारण हैं और इसको कब तक वसूल कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) बकाया वसूली समय पर न होने के विशेष कारण पार्टी के नाम के सामने अंकित कर दिया है । उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

एमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी द्वारा बिजली की व्यवस्था

318. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर में बिजली की व्यवस्था एमलगेमेटेड इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी के पास कब तक रहेगी ?

(2) अजमेर की बिजली की व्यवस्था इस कम्पनी को क्यों सौंपी गई है ?

(3) इस कम्पनी का कार्य अब तक कैसा रहा है ?

(4) अजमेर क्षेत्र में थ्री फेस वायर कब तक लगा दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह सही है कि अजमेर की सडकों पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि पहाडगंज और गांधी नगर में भी सडकों पर रोशनी रात के 9 बजे के बाद होती है ? यदि हां, तो ये कब तक ठीक हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान मुहायदे की मयाद 31 मार्च 1971 तक की है।

(2) तत्कालीन अजमेर मेरवाडा सरकार द्वारा भारतीय विद्युत एक्ट 1910 की धारा 3 के अन्तर्गत इस कम्पनी को लाइसैन्स दिया गया था।

(3) कम्पनी के खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं जिनके बारे में राज्य सरकार ने जांच प्रारम्भ करवाई है।

(4) अजमेर क्षेत्र में प्रायः सभी जगह थ्री फ़ेस सप्लाई है। सिवाय शहर से बाहर की कुछ बस्तियों में जहां की बिजली के उपभोक्ता बहुत कम हैं वहां सडकों पर बिजली की रोशनी के लिए सिंगल फ़ेस सप्लाई है। लेकिन ज्यों ज्यों इन बस्तियों में बिजली का लोड बढता जाता है आवश्यकतानुसार थ्री फ़ेस वायर लगा दिये जाते हैं।

(5) अजमेर में सडकों पर बिजली की व्यवस्था का कार्य नगर परिषद् अजमेर के अधीन है मुख्य सडकों पर नगर परिषद् द्वारा पिछले दिनों में ट्यूब लाईटें लगादी गई हैं। वैसे अजमेर में कुछ ऐसी सडकें भी है जहां अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है जैसे संभलपुर रोड, बालुपुरा रोड, आदि इस कारण इन सडकों पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

(6) पहाड गंज तथा गांधीनगर (आशागंज) आदि क्षेत्रों में पूरा वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से शाम के समय बस्तियों में पूरी रोशनी नहीं मिलती थी लेकिन पिछले माह पावर हाउस ने इस क्षेत्र में थ्री फेस वायर लगवा दिये हैं जिससे बिजली के लोड का उचित वितरण हो गया है और सडकों पर अब ठीक रोशनी मिलती है।

राजस्थान पत्रकार सलाहकार मंडल में कोटा विभाग का प्रतिनिधि

319. श्री **देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पत्रकार सलाहकार मण्डल में कोटा विभाग

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार 'कोटा विभाग के पत्रकारों में से भी प्रतिनिधि लेने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पत्रकार सलाहकार मण्डल की अवधि दिनांक 2 मई, 1967 से आगे नहीं बढ़ाई गई है। वैसे इस मण्डल में क्षेत्रीय आधार पर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं था।

(2) जब मण्डल की अस्तित्वता नहीं है तो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिजली के उत्पादन का लक्ष्य

320. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजना काल में बिजली के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था ?

(2) क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या समस्त धनराशि को इन योजनाओं में बिजली के निमित्त निर्धारित की थी वह काम में ली गई ? अगर नहीं, तो कितनी ऐसी है जो बची हो और उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ बिजली घरों का पुन संस्थापन, नवीनीकरण एवं जोधपुर कोटा और जयपुर में 15000 के. वी. ए. के नये यंत्र लगाने की योजना रखी गई थी, किन्तु कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जा सका।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल का लक्ष्य 74-50 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का था जिसकी तुलना में करीब 100 मेगावाट की प्राप्ति हुई। तृतीय पंच वर्षीय योजना काल का लक्ष्य 275 00 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का था। इसकी तुलना में केवल 95,652 मेगावाट की प्राप्ति हो सकी।

लक्ष्य में कमी के मुख्य कारण निम्नांकित थे:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना स्वीकृति का देर से प्राप्त होना

(2) तृतीय पंच वर्षीय योजना:—

(1) राणा प्रताप सागर योजना में बार बार पुनरावृत्ति होना एवं अनेकों अन्य अदृश्य कारणों से योजना का पूरा न होना।

(2) गोविन्द सागर में अपर्याप्त जल के कारण भाखरा दाहिना किनारा शक्ति परियोजना के प्रथम यूनिट का चालू न होना।

(3) उपकरणों एवं सामग्री के प्रदाय में विलम्ब आदि अदृश्य कारणों से सतपुडा परियोजना ने निष्पादन में विलम्ब।

एप्रोच रोड़, चोलुखा गांव की मरम्मत

321. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सत्य है कि एप्रोच रोड चौलुखा गांव, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में सन् 66-67 में 9000 रु. सडक की देख रेख व मरम्मत पर खर्च किये गये ? यदि हां, तो यह सडक कब बनाई गई थी और कितने माइल की तथा इसमें कितने रुपये किस मद से खर्च हुए थे तथा यह किसके द्वारा बनाई गई थी तथा योजना किसके द्वारा कब बनाई गई थी और योजना की स्वीकृति किस के द्वारा दी गई थी ?

(2) इस प्रकार की एप्रोच रोड्स नागौर जिले में कहां कहां पर कब कब किस किस के द्वारा कितने कितने माइल की तथा कितने कितने रुपयों में किस किस बजट हैड से बनवाई गई और बनाने के बाद कितना कितना रुपया उन पर मरम्मत व देख रेख का कब कब खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक 27-3-68 को पुनः पूछा गया)

जहाजपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवनों की मरम्मत

322. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर में महाराणा हाई स्कूल भवन, प्रथम श्रेणी न्यायालय भवन व प्रथम श्रेणी दण्डनायक के रहने का भवन सार्वजनिक निर्माण के हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन भवनों की हालत देखभाल के अभाव में खराब हो गई है ?

(3) क्या सरकार उक्त भवनों की हालत सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह भवन इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सादड़ी-देसूरी सड़क

323. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सादडी-देसूरी सडक प्रायः एक मील तक (बस स्टेण्ड सादडी से) बीचों बीच घनी बस्ती से होकर गुजरती है ?

(2) क्या यह सही है इस सडक पर एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं और क्या यह भी सही है कि एक्सीडेन्ट्स टालने की दृष्टि से सादडी बस स्टेंड से सडक को कृषि भूमि (बिना आबादी की भूमि) में से होकर प्रायः एक मील के पश्चात् (जहां आबादी क्षेत्र समाप्त होता है) वापस मुख्य सडक से मिलाने के मार्ग का बार बार सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कितनी बार सर्वेक्षण हो चुका है और कब कब एवं किस किस के द्वारा ?

(3) क्या प्रायः मील भर के इस आबादी क्षेत्र को टालकर प्रायः मील-सवा मील अन्य मार्ग (बिना आबादी के) बनाकर इस चालू सडक (सादडी-देसूरी) को मोड देने का सरकार विचार रखती है ? यदि

(श्री फूलचन्द बाफना)
हां, तो उस विचार को सरकार कब तक कार्यान्वित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एक्सीडेन्ट का खतरा रहता है। इस सडक की आबादी के बाहर से निकालने का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

(3) कस्बे की सकडी गलियों को छोड कर ग्राम के बाहर से नवीन सडक निकालनें का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बौंली से निवाई सड़क

324. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बौंली से निवाई रोड के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(2) इस सडक के लिए स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितना व्यय किया जा चुका है और इसमें इस सडक का कौनसा काम पूरा करवाया जा चुका है और कौनसा काम जारी है ?

(3) यह सडक कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) 25,000) रु. स्वीकृत किया गया है।

(2) फरवरी 1968 तक 5,19,156) रु. व्यय हुआ है जिला सवाई माधोपुर में 5 मील सडक बन चुकी है तथा टोंक जिले में 18 से 22 मील का कार्य पूरा हो चुका है सवाई माधोपुर में मील 6 तथा 7 का कार्य प्रगति पर है।

(3) अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(12.25 म. प)

स्थगन-प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज के मजदूरों की मांगों के पक्ष में 4-3-68 को एक मजदूर बाबूलाल द्वारा अनशन पर बैठने तथा 12-3-68 से मजदूरों द्वारा काम बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह स्थगन-प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

चूंकि मजदूरों में बेचैनी व असन्तोष के कारण पैदावार में नुकसान हो जाने के कारण तथा कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाना बताया गया है इसलिये माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह चाहूंगा कि श्रम मंत्रीजी इस विषय पर आज या कल स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री फूलचन्द डागा:—उपाध्यक्ष महोदय, पहले 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष लाबीज में टाइपिस्ट होते थे, लेकिन आपकी तरफ से अब कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री जगन्नानारायण सालोदिया : रखे गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा जान पड़ता है कि लाबीज में आप 1-2 दिन से गये नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप 'ना' पक्ष में आ जाइये वहां मिल जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष ! टाइपिस्ट के ऊपर एक लाइट लगा दी जाय ताकि माननीय सदस्य को वह दिख जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव है जैसा कि मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था, और आपने यह कहा था कि यह सीमा से सम्बन्धित है, तो मैंने आज उसी सम्बन्ध में दूसरा स्थगन-प्रस्ताव जिसमें कि हवाई अड्डे के ऊपर की छत गिर जाने के कारण जो आदमी मरे हैं, और मेरी सूचना के आधार पर····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय गाड़ियाजी, इस पर व्यवस्था दे दी गई है कल । वही स्थगन-प्रस्ताव दुबारा पेश कर दिया आज और ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दूसरा है वहां पर कोई डाक्टर नहीं है जिसमें और डाक्टर नहीं होने के कारण जो मजदूर सख्त घायल हुए थे . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद में आया है, इसलिए इस पर कल व्यवस्था दी जायगी ।

श्री परसराम गंगाराम : उपाध्यक्षजी, मेरा भी एक स्थगन-प्रस्ताव था ।

श्री उपाध्यक्ष : कल माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । उस पर व्यवस्था दे दी गई है ।

माननीय गृह मंत्रीजी !

स्थगन प्रस्तावों पर शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव के जरिये कुछ मुद्दे पेश किये हैं अजमेर में 14-3-68 को 7 बजे कैलाश होटल में जो वारदात हुई है उसके सम्बन्ध में वैसे, उपाध्यक्षजी, आम तौर पर मुकदमा जेर-तफतीश हो और अदालत में मुलजिमान को पेश कर दिया गया हो, उस पर यहां बहस होने से कई प्रकार से उस पर असर पड सकता है । परन्तु चूंकि आपने आदेश दिया है कि उसके सम्बन्ध में जानकारी सदन को दूं । इसलिए मैं कुछ वाकयात जो इससे सम्बन्धित हैं वह आपकी सेवा में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह रहा हूं ।

दिनांक 14-3-68 को सुबह पुलिस स्टेशन क्लाक टावर, अजमेर में यह सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश होटल के किसी कमरे में कुछ झगडा हो रहा है, और कुछ बदमाशों की भी शिकायत हुई । पुलिस वहां पंहुची मौके पर और एक कमरे में 1 लड़की और तीन लड़के पाये गये मुस्तबा हालत में थे । लड़की से पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया ।

(12.28 म. प.)

(श्री दामोदर लाल व्यास)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

गिरफ्तार करके तफतीश शुरू की लड़की के बयान दफा 164 में अदालत में कलम बन्द किये गये और उसे डाक्टरी मुआयने के लिए भेज दिया गया। उन मुलजिमान में से 2 की बैल हो गई और एक मुलजिम अभी जुडिशियल लाक अप में है और अदालत ने उसकी जमानत का फैसला अभी तक नहीं किया है। मुकदमें की तफतीश अभी तक चालू है, और डाक्टरी मुआयने के अन्दर मेडिकल ज्यूरिस्ट और रेडियोलाजिस्ट के आपस में इख्तिलाफात होने की वजह से मेडिकल ज्यूरिस्ट ने पी. एम. ओ. को एक मैडिकल बोर्ड बैठाकर उसका डाक्टरी मुआयना करने का फैसला करने के लिये लिखा, और उनके निर्णय पर मेडिकल बोर्ड उसका मुआयना करेगा। इतने वाकयात इस मामले के हैं।

रहा सवाल इस बात का कि लडके ने अपने बयान 164 के तहत जो अदालत में दिये हैं तो उसके बयान में यहां आपको बतलाता हूं।

मैं इस बयान में से थोड़ा सा बता दूं। लड़की इस वक्त रेस्क्यू होम में है क्योंकि उसके बाप ने उसको अपने यहां रखने से इन्कार कर दिया। उस लड़की के बयान के मुताबिक व जो उसने अपना स्टेटमेन्ट दफा 164 जाब्ता फौजदारी में अदालत में दिया है उसमें उसने इस बात को बताया है कि वह अजना कुमारी वसन्तकुमार माथुर की लड़की है और जो योगेश्वर लड़का है उसके साथ उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद वे सिनेमा में गये और सिनेमा में जाने के बाद उसके बाप ने उसको मारा है। तब उस लड़की ने लड़के से कहा कि शादी कर लें लड़के ने कहा कि उदयपुर चलो। वहां पर वह एक मित्र के यहां पर ठहर गई। पीछे से योगेशचन्द्र गया जहां पर वह ठहरी हुई थी वहां से उसे लेकर होटल के कमरे में ठहरा, 5-7 दिन वे वहां पर रहे और उसके कहने के मुताबिक उसके साथ उसके रिलेशन इस प्रकार के हो गये, पति-पत्नी के हो गये। उसके बाद वह अजमेर गई। अजमेर में अपने बाप के वहां पर पंहुची और बाप ने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद वह योगेशचन्द्र के साथ होटल पहुंची और वहां पर लड़के मिल गये। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और उसको गिरफतार कर लिया। यह बयान उसने दिये हैं। यह मामला अदालत के सामने जेर तजवीज है। अब रहा मामला यह कि मेडिकल जूरिस्ट पर दबाव डाला गया यह बात सही नहीं है कि मेडिकल जूरिस्ट और रेडियोलोजिस्ट दोनों की राय में इख्तलाफी है इसलिये यह मामला मेडिकल बोर्ड, जिसमें सीनियर डाक्टर्स होने चाहिये को रेफर किया गया है वे एज के मुतल्लिक कर लेगें।

श्री दि. जयसिंह रावत (नसीराबाद): सभानेत्री महोदया, मैं अधिक नहीं कहना चाहता पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले स्थगन प्रस्ताव भी दिया था और राज्य सरकार को बताया था कि अजमेर में एक ऐसा गेंग है सक्रिय गेंग है जो 13-14 वर्ष की लड़कियों को बहकाता है और बहकाकर भगाता है या बुरे काम कराता है। ये जो 3 लडके पकड़े गये हैं वे इसी गेंग से ताल्लुक रखने वाले हैं। यह एक ही लड़की का सवाल नहीं है और भी मामले हैं। अब यह योगेश शर्मा जिस

(श्री विजयसिंह रावत)
व्यक्ति का लड़का है वह जिम्मेदार व्यक्ति है। वह दैनिक न्याय अखबार का एडिटर है उसका लड़का है। दूसरा सुमेर सिंह, अमरसिंह मदिरा संघ का ठेकेदार है उसका लड़का है। आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले एसिड से रात को एक लड़की जल गई थी उस मामले में यह लड़का और उसका बाप इन्वोल्व्ड थे। ये घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। जो पत्रकार नेहरू उत्थान और पतन की बात करे उसका लड़का अजमेर में ऐसी बात करता है तो उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। पुलिस अधिकारियों को हिदायत देनी चाहिये कि ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया जावे और लड़कियों को भगाने से बचाया जावे।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने शुरू में ही अर्ज कर दिया था कि जिस तत्परता के साथ पुलिस ने कार्यवाही की है, बाप की तरफ से पुलिस के पास रिपोर्ट भी नहीं आई थी फिर भी उन्होंने स्वतः तुरन्त वहां जाकर उनको गिरफ्तार करके मुकदमा रजिस्टर किया बाप की तरफ से पैरवी नहीं होने हुए भी पुलिस ने जो कार्यवाही की ऐसी स्थिति में पुलिस की तरफ से संतोष आपको होना चाहिये।

रहा सवाल न्याय अखबार के एडिटर का लडका है, बाप ने नेहरूजी के बारे में किताब निकाली है तो बाप जैसा कर्म करेगा वैसी सजा उसको मिलेगी उससे लडके के क्या ताल्लुक है। लडके ने कितना कसूर किया है उसको अदालत देखेगी। इसमें यह सवाल नहीं कि बाप कैसा है, युवक कैसा है। न इस पर खानदान का असर पडने वाला है और न दूसरी बातों का असर पडने वाला है। इसको आप घिसते जांय तो यह वाजिब नहीं होगा। यह मुकदमा जेर० तजबीज है, अदालत में जा चुका है, जुडिशियल लाक अप में है। कैसा गेंग है, कौन उसके मेम्बर हैं यह सब मेरी जानकारी में नहीं है। आप पहले भी गेंग की बात कह चुके हैं। मेरी जानकारी में कतई नहीं है कि गेंग के मेम्बर कौन है। जितने भी इस प्रकार के केस होंगे शहादत को देखते हुए अदालत में पेश किये जायेंगे और जैसा कोर्ट फैसला कर देगी उसके अनुसार कार्यवाही होगी। मैं यही निवेदन करता हूं कि इस मामले में ज्यादा बहस नहीं की जाय।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़) : आपने धार्मिक फैसला दिया कि बाप की करणी बाप जायगा––

श्री दामोदर लाल व्यास : आप कुछ समझे भी है मामले के बारे में ?

श्री मदनसिंह : बिलकुल। आप समझे हुओं को कह रहा हूं कि ऐसा गेंग है उसके लिये अदालत के फैसले तक वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, वह तो रिहा हो जायगा या पुलिस का फर्ज नहीं है कि ऐसे मामलों में और भी तरीके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रजातंत्र में और तरीके काम में नहीं ला सकते।

श्री मदनसिंह : भले आदमियों को तो आपकी पुलिस फंसा सकती है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप तो उनके पास जाना बंद करें।

Page No. 56

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में पहले भी कहा गया था कि ऐसी लडकियों को भगाकर उदयपुर ले जाया गया, आपने भी कहा कि लडकी उदयपुर में मिली है। यह तो बता दें कि कहीं उदयपुर में ऐसा कोई सेन्टर तो नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : यह तो बतादें कि क्या ब्यावर और अजमेर ही ऐसी जगह हैं जहां से लडकियां भगा कर उदयपुर ले जाते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर रास्ते में पडता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: ऐसी कमजोरी मत बताओ।

ध्यान–आकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्दजी अग्रवाल ! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय सभानेत्रीजी, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिसमें अलवर तहसील के ग्राम नादणहेडी में बिजली देने के बारे में जो बिजली विभाग की ओर से मनमानी की गई है उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभानेत्री महोदया, यह गांव अलवर शहर से करीब 9 मील दूर है और इस गांव के पास से अलवर शहर से बिजली होती हुई एक तरफ खैरथल को जाती है और दूसरी तरफ बान्सूर तहसील जाती हुई कोटपूतली जाती है। इस गांव में रिफ्यूजी लोग आकर आबाद हुए और कुछ पुराने मेव लोग भी बसते हैं। इस गांव में लगभग 100 एकड जमीन में नई किस्म का बाजरा, जिसे संकर बाजरा कहते हैं, बोया जाता है और बीज के लिये सीड फार्म के रूप में भी यह गांव मंजूर है। इस तरह का सीड बोया जाता है और सप्लाई किया जाता है। इस गांव को बिजली देने के लिये मैंने समय समय पर प्रश्न इस सदन के अंदर उपस्थित किये हैं।

सभानेत्री महोदया, दिसम्बर, 1966 में वहां की प्रोडक्शन कमेटी ने कुछ प्रायोरिटीज तय की थीं कि इस साल याने 66-67 के साल में किन किन गांवों को बिजली दी जाय, उनकी प्रोयोरिटीज फिक्स की थीं उसमें इस गांव को सबसे पहला नंबर दिया गया और अलवर कलेक्टर ने अपनी चिट्ठी जो राजस्थान विद्युत मंडल को लिखी उसमें कहा कि इसके अनुसार जो गांव हैं उनको प्रायोरिटीज दी जानी चाहिये जिनकी संख्या 11 थी और उसमें पहला नंबर नादणहेडी का था यह गांव जो 11 के. वी. लाइन खींच रहे हैं उससे 1 मील की दूरी पर है।

इस रिकमन्डेशन को, जो कि वहां के कलेक्टर ने, वहां की प्रोडक्शन कमेटी ने की जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी भी होते हैं, न मान कर और विद्युत मंडल ने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम में यह जितने भी ग्यारह गांव सजेस्ट किये गये थे इन गावों में से एक भी उसमें शामिल नहीं किया गया और दूसरा खास तौर पर बहरोड तहसील के गांव को उसके अन्दर शामिल कर लिया गया और इन तमाम गांवों को सिवाय एक गांव के, घीघोली के, और सबको छोड दिया गया, घीघोली गांव इसलिए शामिल किया गया, वह भी आखिर में, क्योंकि कलेक्टर साहब की उस गांव में जमीन थी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए शायद उन्होंने प्रेसर डाल कर उस गांव को उसमें शामिल करवा दिया। जब कि दूसरी लिस्ट आई, सभापति महोदया, उस लिस्ट में ऐसे ऐसे गांव शामिल किये गये जिनकी कि दूरी पांच पांच मील थी जो कि लाइन से पांच पांच मील दूर थे और उन गांवों को इसके अन्दर शामिल कर लिया गया लेकिन इन गांवों को शामिल नहीं किया गया। इस पर वापिस वहां के कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी आर. एस. ई. बी. को कि यह जो आपने प्रोग्राम भेजा है इलेक्ट्रिफिकेशन का इसको अलवर जिला पूरा नहीं कर सकेगा क्योंकि यह जो गांव इसके अन्दर रखे हैं इन्हें पंजाब से बिजली मिले या न मिले इस बात पर निर्भर है, जो हमने प्रोग्राम बना कर भेजा था, वह पहले जो प्रोवीजन था उसके अन्दर से पूरा हो सकता था और अगर यह नया प्रोग्राम पूरा करने के लिए बाध्य किया गया तो पिछला भी रह जायगा और यह भी रह जायगा। इस पर उन्होंने अपने लेटर में दुबारा लिखा जनवरी के महीने में 23 जनवरी 1967 को, उसमें उन्होंने यह तजवीज रखी कि जो आर. एस. ई. बी. ने यह नया इलेक्ट्रीफिकेशन का प्रोग्राम भेजा है इसको भी रखें, लेकिन पिछले गांव जो प्रोडक्शन कमेटी ने तजवीज किये हैं इन गांवों को भी उसके अन्दर शामिल कर लिया जाय ताकि यह दोनों साइमलटेनिअसली चल सकें, यह जो पहले गांव रख चुके हैं, उनमें पहले से काम चल सकता है, पहला जो मेटिरियल है उससे उनका काम पूरा हो जायगा। यह जो कलेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी 23-1-64 को, इसका मैं लास्ट पैरा पढ़कर सुनाऊंगा।

"It would not be out of point to mention here that seed production programme of Hybrid Bajra is going to be taken up in 100 acres in the ensuing kharif in villages Nadanhedi of Panchayat Samiti, Umrain (Alwar) and for successful implementation of the scheme energization of irrigation wells would be very essential."

तो अपनी इस चिट्ठी में, जिसमें उन्होंने इस बात से डिस्प्लेजर जाहिर किया तो आर. एस. ई. बी. ने इस प्रोग्राम को चेंज नहीं किया तो वह आल्टरनेटिव प्रपोजल रखा और उसमें इन गांवों के बारे में विशेष तौर पर आग्रह किया कि इन गांवों को उसमें शामिल कर लिया जाय। उसके बावजूद, सभानेत्री जी, इस गांव को 66-67 के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया बल्कि दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन्हीं दिनों में चुनाव नजदीक आ गये, वहां पर खम्भे भेज दिये गये थे और उस गांव की सीमा के अन्दर खम्भे पड़े हुए थे, तो चुनाव से एक सप्ताह पहले वहां से वह खम्भे उठवा लिये गये और खम्भे उठवा कर उसी तहसील में एक दूसरा गांव है, जिसके लिए कि और तरीके से प्रेसर पड़ गया, तो उस गांव के अन्दर खम्भे भिजवा दिये गये और जहां तक मेरी जानकारी है, सभानेत्री जी, एक तरफ तो वह प्रोग्राम, जो आर. एस. ई. बी. ने भेजा था, जो बहरोड़ तहसील का था, उसके अलावा एक तीसरी लिस्ट निकाल कर एक गांव शामिल कर दिया गया हमारे राज्यपाल महोदय की रिकमन्डेशन पर, क्योंकि इनकी जाति के लोग इनके पास पहुंचे, पुराने पंजाब में जहां वह रहते थे वहां के लोग इनके पास पहुंच गये तो उनके गांव

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में बिजली पहुंचाने के लिये जिस गांव में पहले खम्भे पडे हुए थे वहां से खम्भे उठवा लिये गये। लेकिन उन बेचारों को भी धोखा दिया गया। वह खम्भे वहां लगा दिये लेकिन उन पर तार नहीं लगे और वह भी बिजली से महरूम हैं। नादवहेडी गांव, जिसकी रिकमन्डेशन 66 में प्रोडक्शन कमेटी ने की, बाद में रिवाइज्ड प्लान के अन्दर उसके लिए इन्सिस्ट किया गया कि सौ एकड के अन्दर हाई ब्रिड बाजरा पैदा होता है, लेकिन उस गांव को अभी तक बिजली नहीं दी गई है। बावजूद इसके कि उसके पास जो शाहपुरा गांव है वहां बिजली पहुंची है लेकिन नादवहेडी में बिजली नहीं पहुंची है, बावजूद इस बात के इन्सिस्टेन्स के, बावजूद एक्सपर्ट ओपिनियन के, बावजूद तमाम डिपार्टमेन्ट के इस तरह सोचने के। मेरा निवेदन करना है कि यह एक मिसाल है, इस तरीके से प्रायोरिटीज तय होती हैं। आखिर यह आर. एस. ई. बी. किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन में प्रायोरिटीज को तय करना चाहता है, कौनसी बुनियाद पर किस गांव का नम्बर आये, इसको तय करना चाहता है। इसके कन्सीडरेशन का कोई प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है कि हमारे जितने भी और रिसोर्सिज हैं, इनका बैस्ट यूटीलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा हो इस दृष्टिकोण को सामने न रख कर केवल इडिओक्रेसीज से, मनमाने तरीके से करे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो स्थिति पैदा कर दी है कि हम कहते हैं कि लाइन डालने को पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह किस कारण से हुआ ? पहले कुछ-लोग चाहते थे कि अलवर को छोड कर कोटपूतली तक पहुंच जाय, अलवर तक नहीं। उस समय जो घासीराम, उप मंत्री थे, अपने इलेक्शन के कारण से तमाम डिपार्टमेंट की रिकमन्डेशन, कलेक्टर की रिकमन्डेशन, विशेषज्ञों की रिकमन्डेशन को बलाये ताख रख कर अपनी कान्स्टीट्यूएंसी, और अपने गांवों को एनर्जाइज करने के लिए, इलेक्शन में वोट प्राप्त करने के लिए सारे के सारा प्रोग्राम आर. एस. ई. बी. से बहरोड तहसील का रखवा दिया गया। प्रोडक्शन कमेटी, जिला परिषद्, पंचायत समिति, एक्सपर्ट ओपिनियन सबको बलाये ताक रख कर बहरोड तहसील को रखवा दिया गया। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुए तो घासीराम जी हार गये उसके बाद में अमीलाल रोते फिरते हैं कि हमारे गांव इस तरह रह गये। अब वह कांग्रेस में शामिल हो गये होंगे तो उनकी हालत ठीक हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब तक वह इधर बैठते थे तब तक रोते थे कि घासीराम ने खम्भे खडे करवा दिये लेकिन बिजली मिलती नहीं है। मैं समझता हूं यह एन्टी नेशनल एटीट्यूड है, राष्ट्र विरोधी एटीट्यूड है, प्रोडक्शन विरोधी एटीट्यूड है। यह मान कर कि सत्ता हमारे हाथ में है, चाहे जिस तरह से करें। तो मेरा निवेदन है कि इसके गम्भीर परिणाम देश और समाज पर हो रहे हैं। इस तरह की चीज को आप सुधारें, क्योंकि बिजली देने में भारी नुकसान हो रहा है उसका कारण यह भी है।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य, विद्युत मंत्री): सभानेत्रीजी, अलवर से आने वाले माननीय

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सदस्य ने ग्राम नादणहेडी जिला अलवर को बिजली न देने के सम्बन्ध में, विद्युत् मण्डल के अधिकारियों की मनमानी के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा । मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम नादण-हेडी तहसील अलवर को बिजली देने के लिए, जैसा कि उन्होंने बतलाया, जिला विकास अधिकारी अलवर ने अपने पत्र संख्या 332-36 । 20 । इले. । दिनांक 22-1-1967 को सिफारिश अवश्य की थी इसमें नादणहेडी ही नहीं, दस गांव और भी शामिल थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट प्रिफरेन्स नादणहेडी को दिया था, ऐसा कोई लेटर प्राथमिकता के आधार पर नहीं है, ग्यारह गांव की सिफारिश जिला विकास अधिकारी ने की है। नादणहेडी ग्राम को विद्युतिकरण के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाई गई तो ज्ञात हुआ कि इस ग्राम का विद्युतिकरण जिलालपुर, बांस तेलियान, बांस नांगल, सायरा और चन्दोली के साथ हो सकता था । इस कार्य के लिए अनुमानित व्यय 4 लाख 88 हजार रुपये का था । यह कोई नादणहेडी का नहीं बल्कि ग्यारह गांवों का रिकमन्ड किया था और लागत 4 लाख 88 हजार की है । वित्तीय वर्ष 1967-68 में नये ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस ग्राम का विद्युतिकरण नहीं हो सका । यह पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि 68-69 के कार्यक्रम पर विचार करते समय क्योंकि इनका एक प्रश्न था अब से कुछ दिन पहले उसमें कहा था, 68-69 के कार्यक्रम पर विचार करते समय इस गांव के प्रश्न पर विचार किया जाय ।

इस क्रम में यह भी निवेदन करना अप्रासंगिक न होगा कि गत वर्ष भी प्रश्न संख्या 89 द्वारा यह विषय पहिले भी माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था जिसका उत्तर इस विभाग के पत्र संख्या आर. एस. ई. बी. सैल-1 एफ-1 (31)।। सैशन।66। डी. 3353 दिनांक 6-6-67 द्वारा दे दिया गया था । इस क्रम में माननीय मंत्री ने जो सूचना चाही गई थी, उन्होंने इसका उत्तर भी आपको दे दिया था और यह भी मैं स्पष्ट कर दूं–ग्राम धौलपुरी का विद्युतिकरण अभी तक नहीं हुआ है और न ही वहां पर कोई लाईन है । जहां तक ग्राम धौलपुरी का प्रश्न है इसका विद्युतिकरण ग्राम घाटला से किया जा सकता है जो कि ग्राम धौलपुरी से एक मील की दूरी पर है और इसके लिए 11 के. वी. लाइन का विस्तार करना पडेगा ।

नादणहेडी के विद्युतिकरण के लिए शाहपुरा से लाइन खींचनी पडेगी जिसका फासला भी करीब एक मील के लगभग है ।

ग्राम धोलपुरी में आशान्वित भार करीब 30 किलोवाट का होगा । इसमें मकानों की संख्या 55 और कुओं की संख्या केवल 8 है । नादणहेडी का आशान्वित भार करीब 28 किलोवाट होगा जब कि वहां के मकानों की संख्या 60 और कुओं की संख्या 5 है ।

धौलपुरी के विद्युतिकरण के हेतु 66-67 के एनस्ट प्रोग्राम में 22500 रु. स्वीकार किये गये थे किन्तु यह कार्य गत वर्ष नहीं किया जा सका ।

इस साल इस कार्य के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस कार्य को नहीं किया जा सका ।

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि ग्राम नादणहेडी में 10 खम्भे इसलिये डलवाये गये थे कि उस समय ग्राम शाहपुरा, दलालपुरा और कस्बा देहरा का विद्युतिकरण करने का लक्ष्य अलवर खैरथल 33 के. वी. लाइन से था। किन्तु अधिशासी अभियन्ता के रूट एप्रूवल इंस्पेक्शन के उपरान्त निर्णय लिया कि इन गांवों को विद्युतिकरण अलवर विजय-मन्दिर 11 के. वी. लाइन को आगे बढ़ा कर किया जाय तथा 35 के. वी. लाइन को टेप नहीं किया जाये। इस वजह से वहां से खम्भे उठवा लिये गये थे।

माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा कि इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है। बल्कि राजनैतिक कारण पैदा किया जा रहा है। नादणहेडी गांव के साथ कोई इन्जस्टिस नहीं किया गया। अभी शाहपुरा ग्राम, जो कि नादणहेडी से पहले पडता है, में विद्युतिकरण किया गया है। नादणहेडी ग्राम शाहपुरा गांव से आगे है और उसके पास धीगोली के दूसरे मोहल्ले हैं, मेवों के मोहल्ले हैं, वहां भी अभी विद्युतिकरण करना बाकी है। माननीय सदस्य इन मौकों के बारे में जानते हैं कि जहां विद्युतिकरण किया गया है, वहां किसी गांव को बीच में नहीं छोडा गया है। यदि किसी गांव को बीच में छोडकर किया गया है तो वह दिलालपुरा हो सकता है। यह माननीय सदस्य को पता है। इसलिए नादणहेडी को बीच में नहीं छोडा गया है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि कलेक्टर महोदय ने जो प्रोग्राम भेजा है वह कोई टेकिनकल आदमी नहीं है। कलेक्टर महोदय ने कुछ गांव 11 गांवों की सूची पेश की वह अलग-अलग जगह के है। रसगन लिया है। हल्दीना लिया है। बहरोड तहसील के गांव लिए हैं, इस प्रोग्राम कि साथ ही झकराना को भी रख लिया है और विद्युत मंडल ने झकराना में बिजली पहुंचाई। यहां पर काफी पैदावार होती है। इसलिए प्रॉडक्शन प्लान की बात ठीक है। प्रॉडक्शन ज्यादा होता है परन्तु हमको सोचना पडेगा कि आखिर उसका रिटर्न क्या है। बिजली के जो हमारे साधन हैं वह भी हमारे सीमित साधन हैं। यह भी देखना पडेगा कि वहां हम सस्ती बिजली दे सकेंगे या नहीं। इसलिए जहां तक 11 गांवों का सवाल है जहां तक विकास अधिकारी के रिकमंडेशन करने का सवाल है वह बात ठीक है। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हो सकता हूं। मैं जानता हूं कि नादणहेडी के गांव में काफी अच्छा प्रॉडक्शन होता है। परन्तु जैसा कि उनको खुद को पता है कि शाहपुरा को पहले बिजली नहीं दी थी। वहां चली गई। वहां से नादणहेडी केवल एक मील है। शाहपुरा से बिजली आगे जाएगी तो नादणहेडी ही जाएगी क्योंकि एक मील का ही सवाल है। वैसे हर एक गांव जहां बिजली जाती है, दूसरे गांव से नजदीक हो जाता है और हरएक गांववासी की तमन्ना रहती है कि उनके गांव में बिजली लाई जाए। एक गांव से दूसरा गांव नजदीक पडता है। उनमें एक आध मील का सवाल रहता है और हर एक गांव दूसरे गांव से जुडा रहता है। यह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां तक खम्भे डालने का सवाल था, वहां 10 खम्भे इसलिये डाल दिये गये हैं कि खैरथल से लाइन आती है 33 के.वी. लाइन से, बिजली लेना चाहते

Page No. 61

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

थे। क्योंकि अलवर में जो टरबाइन थे उनकी क्षमता नहीं थी कि उनसे बिजली दूसरे गांव को दी जा सके इसलिए कि 32 के.वी. लाइन से बिजली देने का सवाल उपस्थित हो गया। उस समय विद्युत मंडल ने सोचा कि बजाय इसके खैरथल से जोडा जाये। माननीय सदस्य ने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर वहां से चुनाव लड रहे थे इसलिए वहां पर बिजली लायी गई लेकिन बहरोड के गांव में बिजली नहीं पहुंची है। बहरोड के कुछ गांवों में बिजली देने की योजना थी। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि बहरोड अलवर जिले का वह हिस्सा है जो उत्पादन की दृष्टि से पहले नम्बर पर आता है। आपने नादरणहेडी का प्रश्न रखा तो बहरोड का कोई गांव नादरणहेडी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए बहरोड में यदि बिजली पहुंचती है तो उससे उत्पादन ज्यादा बढेगा। इसमें यह सवाल नहीं है कि बहरोड में राजनैतिक कारणों से बिजली ले जायी गई है। मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि आपने जो ध्यान आकर्षण किया है और उसके साथ जो बातें रखीं हैं वह बातें सरासर गलत हैं आप ने कहा कि इसमें राजनैतिक कारण हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें राजनैतिक कारण नहीं है। बिजली इस तरीके से लाई जा रही है कि जहां जहां से 11 के.वी. लाइन जा रही है उसको आगे बढाया जाय। माननीय सदस्य ने देखा होगा कि मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि 11के.वी. लाइन पर जो गांव पडेंगे उनको प्राथमिकता देंगे। बिजली शाहपुरा तक पहुंच गई है। उसके पास में ही नादरणहेडी पडता है। इसलिए नादरणहेडी में बिजली ले जाने की ओर जो अलग बजट आएगा जो अगले साल की विद्युतिकरण की योजना होगी उसमें इसके सम्बन्ध में पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आप ने कलेक्टर साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा कि इन्होंने खत लिखा। मैं मानता हूं कि उन्होंने बराबर खत लिखा लेकिन कलेक्टर कोई टैक्निकल आदमी नहीं होता है। प्रॉडक्शन प्लान कमेटी होती है और इसके अलावा योजना भी है। जिसके अन्दर धीगोली गांव को इन्क्लयूड कर लिया गया है। उसके लिए आपने कहा कि वहां कलेक्टर की जमीन है मैं निवेदन करूंगा··

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह नहीं था, 11 गांव में। उसका मुझे एतराज नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा: मैं निवेदन कर दूं कि धीगोली गांव में सरप्लस रुपया खर्च करके बिजली देने का सवाल नहीं था। धीगोली और देसूला गांव एक दूसरे से जुडे हुए हैं और दोनों की सीमा पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसलिए वहां दी। तो इसमें साधन का सवाल है। और किसी बात का सवाल नहीं है। साधनों के बारे में सोचना पडता है। कितना इन्वेस्टमैंट करना पडेगा और किस प्रकार बिजली कितनी तादाद में उपलब्ध हो जाएगी। यह बात सोचनी पडती है। अलवर में जो बिजली की हालत थी उससे कितनी बिजली उपलब्ध हो सकती थी यह माननीय सदस्य को मालूम था। यह भी उनको मालूम है कि टरबाइन का रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है और इस लिमिटेड रिसोर्स से ही कितनी बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं यह विश्वास देकर चल सकता हूं कि आगामी बजट के अन्दर विद्युतिकरण योजना बनेगी तो

Page No. 62

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
उस समय आस-पास के गांव उत्पादन जहां अधिक होता है, उनका खयाल रखा जाएगा। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पर्टीकुलर बात नहीं कर रहे हैं। जनरल बात कर रहे हैं। मैं पर्टीकुलर बात के लिए नहीं पूछ रहा हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अवश्य खयाल रखेंगे। मैं कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मिली भगत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें ग्राम धौलपुरी का जिक्र किया। उसका मैं ने जिक्र नहीं किया था। लेकिन जैसा कि चोर की दाढी में तिनका की कहावत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने जिक्र कैसे नहीं किया ? राज्यपाल महोदय के लिए कहा कि उनके पास लोग पहुंचे। आप उसी के लिए कहना चाहते थे। आपने राज्यपाल महोदय को बीच में ही लपेट लिया। आप बात को लपेट कर कहते हैं जब कि मेरी आदत साफ कहने की है।

(1 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मैंने लिखित में दिया था उसमें उनका उल्लेख नहीं है। यह मैंने जबानी कहा था। जो स्थगन प्रस्ताव मैंने लिखित में दिया उसमें राज्यपाल महोदय की बात नहीं कही थी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा 468 हजार खर्च होता था जो स्कीम स्वीकार की है उसमें 568 हजार स्वीकार किया है, उसमें 1 लाख और बढ़ा है। यह कहना कि कलेक्टर को टेक्निकलिटि का पता नहीं होता, यह ठीक नहीं है, कलेक्टर को भी टेक्निकलिटी का पता होता है अच्छे अच्छे टेक्निकल हैड्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरे वहां मौजूद थे। उसमें बताया गया है कि एक मत हैं। इस बात को आपने स्वयं स्वीकार किया है कि उस रिकमण्डेशन के बजाय तहसील की रिकमण्डेशन आई। एक एक गांव में विद्युतिकरण हो, इसमें किसी को एतराज नहीं पर आपको एक सिस्टम के अनुसार चलना चाहिये, उस सिस्टम को तोड कर आप यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता है, इसलिये हम चाहें जैसा कर सकते हैं, यह मंहगा पड़ेगा और मंहगा पड़ रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

अब भी निश्चित तौर से आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि नादणहेडी को बिजली दे रहे हैं। आपने इस बात को कहा कि अलवर 132 के.वी. लाइन चली गई, शाहपुरा तक चली गई पर यह नहीं कहा कि 68-69 में, नादणहेडी को बिजली दे देंगे, आपने यही कहा कि विचार करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : विचार करेंगे यह नहीं कहा, मैंने कहा कि अवश्य खयाल रखेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नादणहेडी को देंगे या नहीं 68—69 में ? यह आप बता दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा: यह सवाल नहीं, मैंने यह कहा कि अलवर जिले का हर एक गांव नादणहेडी है और नादणहेडी से अच्छा है, इसलिये निवेदन किया है कि जो प्रोग्राम है अलवर जिले के इलेक्ट्रिफिकेशन का उसमें नादणहेडी का अवश्य खयाल रखेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने माना है कि पैदावार अच्छी है, वहां कुए अच्छे हैं वहां कुओं में खूब पानी है। यह बात मैंने कही है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगों पर विचार

मन्त्री महोदय !

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाडियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,75,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 44

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114 सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: वन मंत्री।

श्री नारायणसिंह (वन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,32,24,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 24

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संघठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,95,03,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या 3

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): 1. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11, गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (यात्री टिकिटों पर सरकारी कर के स्टाम्प लगाने सम्बन्धी आदेशों से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में यात्रियों के लिये राज्य परिवहन व्यवस्था में अव्यवस्था तथा फिजूल खर्चा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 33

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): 3. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों की अत्याधिक कटाई को रोकने हेतु चर्चा के लिए)

Page No. 64

(श्रीमती मदन कौर)

4. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

5. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों की सुरक्षा एवं उचित संरक्षण की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिए)

6. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नये वन लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए)

7. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान से कोयला एवं लकडी के निर्यात पर रोक लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य की सभी नहरों एवं सडकों के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

श्री **प्रेम सिंह सिंघवी** (छबडा) : 9. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11– गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों की फिटनेस सम्बन्धी अनियमितताओं तथा इस सम्बन्धी व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 33

10. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जंगलात की जमीनों पर नाजायज कब्जों तथा फैल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 8

11. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाडियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रु. कर दिया जाय (स्कूटर्स तथा कारों के अलोटमेन्ट के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 44

12. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114 सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बस के रूटों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अपनाई जा रही सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति का अननुमोदन)

मांग संख्या 33

13. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रु. कर दिया जाय (जमीदारों, बिस्वेदारों के जंगलों के बन्दोबस्त करने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

14. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100 रु. कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में वन विभाग द्वारा किये गए बन्दोबस्त से किसानों के हितों पर कुठाराघात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

15. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वृद्धों और अपाहिजों की पेन्शन की मात्रा में 10) रु. मासिक की वृद्धि के बारे में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों एवं पिछडी जातियों के उत्थान के प्रति दुर्लक्ष्य पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)

17. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग से 100) रु. कम कर दिया जाय (अंधे व अन्य प्रकार अपंग लोगों को अधिक पेन्शन देने सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 3 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु, कम कर दिया जाय (नगर विकास न्यासों के गठन और उसमें उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 33

19. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मांग संख्या 33, मुख्य. शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग संख्या में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिडिया घरों में अव्यवस्था के कारण जानवरों की दयनीय हालत पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कर दिया जाय (पाली शहर में चिडियाघर की स्थापना पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (नये वन लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 33, मुख्य शीषक 70-वन के अन्तर्गत मांग में वे 100) रु. कम कर दिया जाय (माउन्ट आबू में वन की उचित देखभाल नहीं होने के कारण उसके नष्ट होने पर चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों व नगर पालिकाओं को वृक्ष लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन से अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वृक्षों की वद्धि करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

25. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जातियों व पिछडी हुई जातियों को भूमि आवंटन करने व उनके लिये आवश्यक धन राशि न खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली शहर को पर्यटन केन्द्र बनाने पर चर्चा के लिए)

Page No. 66

(श्री मूलचन्द डागा)

27. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राणकपुर (जिला पाली) को पर्यटन केन्द्र घोषित करने बाबत चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली शहर का मास्टर प्लान तैयार करने पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 24, शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100 रु. कम कर दिया जाय पाली तहसील में नटनियों के कैम्प को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विवरणिका विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्ता के कारण वांछित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

31. **श्री विट्ठल भाई** (पीपल खूंट सु.) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बांसवाडा के पीपलखूंट क्षेत्र में छात्रावास न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

32. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70- वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला झालावाड में वन विभाग द्वारा घास के बीडों की उचित देख रेख नहीं करने एवं धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झालावाड जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जे एवं उन पर काश्त करने पर चर्चा के लिए)।

34. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनसे काबिल काश्त भूमि निकालने एवं धन की सुरक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

35. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग से मिलने वाला सहायता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

36. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्ट अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जंगलात में कत्थे के ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

38. **श्रीमती गोरी पूनिया** (डेगाना) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39:-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रेस्क्यू होम व लडकियों के छात्रावासों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पिछडे वर्ग के छात्रावास खोलने में न्यायोचित दृष्टिकोण न अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

40. **श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा सु.) : मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछडी जाति के लोगों पर खर्च की जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

41. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों की सुरक्षा एवं बांसवाडा जिले में वन व्यवस्था समुचित एवं संतोषजनक न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 24

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

43. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमण्डी) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विकास हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

44. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चम्बल, काली सिंध व परवन नदियों के कटाव क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वन लगाने पर चर्चा के लिए) ।

45. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जंगलों के काटने के ठेके देने से वन विकास में अवरूद्धता आने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

46. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चराई की समान दरें नहीं होने से राज्य को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए) ।

47. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग की ग्राम कानपुरा तहसील सांगोद व काला खेडी व वरखेडी तहसील अकलेरा की कृषि योग्य भूमि को राजस्व विभाग में ट्रांसफर करने में विलम्ब पर, चर्चा के लिए) ।

48. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम

(श्री जुझारसिंह)
कर दिया जाय (सांगोद क्षेत्र के नदी कटाव क्षेत्र में वन विकास का कार्यक्रम शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दरा सैंक्चूरी स्टाफ द्वारा मुकन्दरा गांव के कृषकों को परेशान करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग की मौजूदा प्रशासनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

51. श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर वसूली की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

52. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम खाखरा रेंज मनोहर थाना में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकार कब्जा कराया गया तथा सरकारी रकम से लाखों रुपयों का घास कटाया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

53. श्री **आलम अली खां** (फतेहपुर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अधिकारियों द्वारा बिना किराया दिये यात्रा करने के कारण करों की चोरियों में वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक, तथा विकासीय संघठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज सेवी संस्थाओं मे भ्रष्टाचार व फिजूल खर्ची के सम्बंध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 33

55. श्री **रतनलाल रोत** (चौरासी सु.): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के बिछीवाडा जंगल से इमारती लकडी महसूली पास नहीं मिलने, एवं जलाऊ लकडी की उपलब्धि में कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलाऊ लकडी की महसूल न लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

57. श्री **शंकर लाल** (जैतारण): मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले की रायपुर

(श्री शंकर लाल)
तहसील के पहाडी इलाके में दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य के निराश्रित वृद्ध, भिक्षुक एवम् अपंगों के लिये सुनियोजित कार्यक्रम न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

60. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मोटरों के बकाया कर की वसूली समय पर न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

61. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तेजी से बर्बाद होने वाले जंगल को बर्बादी से रोकने तथा खुले जंगलों में फिर से जंगल लगाने पर चर्चा के लिए)।

62. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन की तेजी से होने वाली कटाई को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

63. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण के सब छात्रालयों तथा पिछडी हुई जातियों के लिये होने वाले कामों की गति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पिछडी हुई जन जातियों तथा हरिजनों के लिये अलग से चलने वाले होस्टल को तुरन्त बन्द करके अन्य होस्टलों में हरिजनों तथा पिछडी हुई जाति के बच्चों को अनिवार्य भर्ती पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

66. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु:) मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (मोटर गाडियों पर कर की वसूली सम्बन्धी सरकारी नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 33

67. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)
1) रु. कर दिया जाय (वन रक्षा के सम्बन्ध में सरकारी नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 3

68. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (प्राइवेट टेम्पू, स्टेशन वेगनों व टैक्सीज को म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय मार्गों पर सवारियों उठाने पर ओपरेट करने के परमिट न दिये जाने की नीति का अनुमोदन)।

69. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मोटर गाडियों के निरीक्षण में भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

70. माग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पुरानी व unserviceable (रद्दी) बसों को परमिट देने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर में से 100) रु कम कर दिया जाय (प्राइवेट टेम्पू, टैक्सी व बसों को राष्ट्रीय घोषित मार्ग पर चलने देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

72. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वर्कशाप में गाडियों की मरम्मत समय पर न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

73. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम दांता, बीर बलवन्ता माखुपुरा, खाजपुरा, लीडी व भिडचयावास (जिला अजमेर) में स्थित ग्रामों के जानवरों को पुराने वनों में चराई की छूट देने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों की कटाई, नीलामी चराई एवं हिफाजत के नाम पर घोटाले व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के जंगलों में मवेशियों व भैंसों को चराई के लिये कोई सुविधा न होने पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों की ओर सरकार का पूरा ध्यान न होने के कारण वनों में कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

77. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जातियों के छात्रावासों में अनियमिततायें व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

Page No. 71

(श्री विजयसिंह रावत)

78. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग अजमेर के द्वारा किये गए कार्यों से जनता को राहत न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछडी हुई जातियों के कल्याण हेतु दी गई रकम से पक्षपात व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

80. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (राजस्थान के 'ए' क्लास रूट्स के राष्ट्रीयकरण संबंधी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

81. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (स्कूटर तथा कारों के अलोटमेन्ट के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

82. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों के कर की चोरी में विभागीय कर्मचारियों का होने के बारे में चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु. कर दिया जाय (जमीदारों विस्वेदारों के जंगलों में बन्दोबस्त करने संबंधी सरकारी नीति का अनुमोदन) ।

मांग संख्या 3

84. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर मे से 100) रु. कम कर दिया जाय (मैकेनीकल निरीक्षकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

85. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भवातडा, तहसील सांचोर में वन विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 24

86. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों एवं अन्य पिछडी जातियों के कल्याण कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 3

87. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आर. टी. ओ. विभाग द्वारा मोटरों के परमिट दिये जाने में बर्ती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

88. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (यात्री कर वसूली में रेवेन्यू टिकिट लगाने के कारण होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

89. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन व वन सम्पदाओं की रक्षा करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

90. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों के कर वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

91. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114-सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सडक तथा जल परिवहनों में भारी भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

92. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों में आयुर्वेदिक औषधियों और फल दार पेड पौधों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन खंडों की कटाई के दिये गये ठेकों में भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन खंडों की कटाई रोकने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में खेती योग्य भूमि को खेती कार्य में बदलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

96. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

97. श्री **गोरधन सोनी** (मेडता): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों पर अधिक कर भार होने पर भी उन्हें वांछित सुविधाएं प्राप्त न होने पर चर्चा के लिये)।

98. श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर सम्बन्धी चोरियों की रोक थाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(श्री मोहनलाल मोदी)

मांग संख्या 44

99. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114—सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रोडवेज विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 3

100. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कृषि उपयोग में आने वाले ट्रेक्टर्स मय ट्रोली के कर भार से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील दूदू के साखून व बीचून के पहाडी वन क्षेत्र को पंचायतों की देख रेख में रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 24

102. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक व विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उत्थान हेतु व्यय होने वाली धनराशि का पंचायत समितियों द्वारा दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

103. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उत्थान के सम्बन्ध में दोषपूर्ण तरीके अपनाने से सही सामाजिक सुधार नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

104. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हरिजन देहाती किसान मजदूर के सामाजिक सुधार पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भारत के स्वतंत्र होने के बीस वर्ष पश्चात् भी छुआ-छूत में परिवर्तन नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 3

106. श्री बीरतराम आगरी (देसूरी): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जीपें व कारें बिना राज्य सरकार को टैक्स का भुगतान किये टैक्सी के रूप में चलाई जाती हैं और उनकी रोकथाम नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्राइवेट बस चालकों को रद्दी बसों के परमिट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

108. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय

(श्री रामचन्द्र आर्य)
(गाडियों पर कर वसूली सम्बन्धी राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर से श्री गंगानगर तक रोडवेज की गाडियां चलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

110. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114—सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (सडक तथा जल परिवहन योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार की नीति दोषपूर्ण होने के सम्बन्ध में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 33

111. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत इस मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की नीति वन (जंगल) के बारे में असफल रही है, इस पर चर्चा हेतु)।

112. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर की उपजाऊ भूमि में हजारों एकड जंगल लगाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

113. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कम कर दिया जाय (विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में राज्य सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

114. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडी हुई जातियों के कल्याण हेतु पंचायत समिति के मार्फत रकम का प्रावधान होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

115. श्री देवीदत्त गांडिया (बारां) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर में भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

116. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा ठेकेदारों को दिए गए ठेकों में भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

117. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की की गई पदोन्नति में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

Page No. 75

(श्री देवीदत्त गाडिया)

119. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बारां जंगलात कार्यालय द्वारा की गई घास खरीद में हजारों रुपयों के घोटालों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

120. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में चल रही धांधली एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39--विविध समाजिक तथा विमुक्त विकासीय संगठन में 100) रु. कम कर दिया जाय (जन जातियों के कल्याण के लिये बनाई गई विमुक्त योजनाओं में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

122. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (बीकानेर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11--गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों के करों की वसूली में होने वाली अनियमितताओं और अव्यवस्था को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

123. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114--सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर लगी पूंजी की फिजूल खर्ची को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

124. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (इस वर्ष के बजट में इस मांग के अन्तर्गत "स्थापना" के मद में अत्यधिक राशि का प्रावधान है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

125. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार मण्डल की कल्याण विस्तार योजनाओं में व्याप्त अव्यवस्था फिजूल खर्चे व पक्षपात के सम्वन्ध में चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विविध समाजिक तथा विकासीय संगठनों में फिजूल खर्ची को रोकने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांख्यिकी विभाग में खर्चे को कम करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

128. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक '11--गाडियों पर कर में से 100) रु कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर वसूली में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

Page No. 76

(श्री सांवरमल बासोतिया)

मांग संख्या 24

129. मांग-संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नगरपालिका नवलगढ क्षेत्र के हरिजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु आर्थिक सहायता न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

130. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पैसेंजर टैक्स स्टाम्पों के द्वारा वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

131. मांग संख्या, 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जंगलात के रकबे के अन्तर्गत बसे हुए ग्राम निवासियों को मवेशियों की चराई में कठिनाई व सीजनल चराई अधिक वसूल किए जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में जंगलात की सीमाएं मनमाने ढंग से कायम कर दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100) रु. कम कर दिया जाये (सवाई माधोपुर के एक ठेकेदार को उसके हाई कोर्ट तक हार जाने के बावजूद जंगल काटने की अनुमति दे दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में कृषकों को अपने खेती के औजारों व घर की छावण के लिए तथा आम लोगों को जलाऊ लकडी की जंगलात से कोई व्यवस्था न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में जागीर के जंगलों की कटाई की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिए जाने में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

136. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुराने हस्तलेखों (Manuscripts) की सुरक्षा का अभाव होने तथा उनके अनुवाद व प्रकाशन की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध समाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के गरीब लोगों को उचित व समय पर सहायता न मिल पाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

138. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर

(श्री लादूराम सुलानियां)
दिया जाय (स्कूटर अलाटमेन्ट में मनमानी रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

139. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जंगलात की जमीनों को काश्त के लिए विशेषतः भूमिहीन हरिजन जाति के काश्तकारों को देने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग की भूमि जो वन लगाने योग्य नहीं है उसे आबादी में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

141. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हरिजनों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

143 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हरिजन छात्रावासों में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

144. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू आदि प्रमुख जिला केन्द्रों को राजकीय बसों द्वारा जोडने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर की वसूली में फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

146. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों के परमिट देने में किये जा रहे पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सुजानगढ कुचामन बस मार्ग पर चलने वाली बसें बिना परमिट के ही दूसरे मार्गों पर चली जाती हैं, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डीडवाना लोसल चलने वाली बस ग्राम बरडवा जो बीच में पडता है उसमें होकर न जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No. 78

(श्री हरजी राम बुरड़क)

149. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गाडियों का टैक्स नियमानुसार वसूल न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाडियों पर कर में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सुजानगढ कुचामन मार्ग की बसों की हालत खराब होते हुए भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

151. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान बनाने के लिए दिये जा रहे अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

152. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा लाडनूं में चलाये जाने वाले छात्रावास में अयोग्य मेडिकल ओफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्तियां देने में धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

154. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114—सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (परिवहन योजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 33

155. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों व वन पशुओं के संरक्षण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को समय पर जलाऊ व इमारती लकडी उपलब्ध कराने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के सुरक्षित वन की घोषणा के पश्चात् भी भूमि की नीलामी करने पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में मंत्रियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के कारण वन निधि को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(श्री केशरीसिंह हाडा)

मांग संख्या 24

159. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 37––विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान के पर्यटन संगठन की असफलता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

160. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौडगढ): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–– सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर-चित्तौडगढ-भीलवाडा, अजमेर रूट पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114– सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग मे से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर-चित्तौडगढ-कोटा सडक पर राजस्थान स्टेट रोडवेज बसें चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

162. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70––वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फोरेस्ट कूप कटिंग व रोटेशन्स स्कीम के अन्तर्गत किसानों को होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

163. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 39––विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के छात्रावासों व छात्रवृत्ति के लिये दिए जाने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

164. श्री **बृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114:–– सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर से चोहटण (बाडमेर जिला) वाया बाडमेर तक की सडक पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

165. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39––विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाडमेर जिले में अनुसूचित जातियां, जन जातियां एवं अन्य पिछडी जातियों के उत्थान एवं कल्याण कार्यों में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 44

श्री चुन्नीलाल इंदोलिया (नोखा सु.):
166. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114––सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नोखा तहसील हैडक्वार्टर (जिला बीकानेर) से श्री कोलायत जी तहसील हैडक्वार्टर को मोटर यातायात द्वारा मिलाने में सरकार की असमर्थता एवं लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

167. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नोखा तहसील (जिला बीकानेर) हैडक्वार्टर से श्री डूंगरगढ तहसील (जिला चूरू) हैड-क्वार्टर को मोटर यातायात से न मिलाने पर सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (रूटों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 33

169. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर की तहसील नोखा, व तहसील बीकानेर में वन विभाग द्वारा किये गये बन्दोबस्त से काश्तकारों के अधिकारों पर कुठाराघात सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

170. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (जिला बीकानेर में सामाजिक संगठनों के निर्माण में सरकार की उपेक्षावृत्ति सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

171. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39:–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों एवं पिछडी जातियों के उत्थान के प्रति पक्षपात एवं गलत तरीकों को अपनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

172. **श्री शंकर लाल** (कपासन): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन को अव्यवस्थित तरीके से काटने को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 44

173. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर लगी राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

174. **श्री रामचन्द्र** (खन्डेला): मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114–सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर-लोहारू व जयपुर-बीकानेर बस मार्गों पर राजकीय बसें चलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

175. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (सीकर जिले में पनिहार-वास, गंवारिया, देवली, हाथियाज, शोभ,

(श्री रामचन्द्र)
श्यामगढ़ आदि गांवों में जंगलात की सीमा के नाम से वहां के अनेक किसानों को बेदखल करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

176. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कम कर दिया जाये (वनों के विकास के नाम पर राज्य की आय बढ़ाने में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 24

177. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तया विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की असफल नीति का अनुमोदन)।

178. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तया विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल की योजनाओं पर सही ढंग से काम नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) :

179. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान Wild life की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

180. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ककोड़ के जंगल में स्थित बावन के बांध की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गेम सेंचुरीज विशेषतः सवाई माधोपुर की गेम सेंचुरी पर विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिए)।

182. श्री **रामनारायण** (मंडावा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाए (राज्य में वन सम्पत्ति के विनाश पर चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा भवन निर्माण में अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कृषि योग्य भूमि को वन विभाग से निकालने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

185. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तया विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वृद्ध निराश्रित पुरुषों के आवास एवं जीवन निर्वाह के विषय में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

(श्री रामनारायण)
में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में हरिजन जाति के कल्याण में असफलता पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थान केन्द्रों की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली मकान सहायता में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

191. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुरवाटी पंचायत क्षेत्र के बांगोली गिरावडी गांवों की वर्षों से काश्त हो रही जमीन को वन क्षेत्र से निकालने पर चर्चा के लिए)।

192. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों से वास्तविक लाभ सरकार को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

193. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 78–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग की कृषि योग्य भूमि को राजस्व में लेकर भूमिहीनों को बांटने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

194. मांग संख्या 24. मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा छोटे छोटे गांवों में दी जाने वाली राशियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

195. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वनों का नाश तेजी से होता जा रहा है, उसे रोकने पर चर्चा के लिए)

196. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा किसानों से खातेदारी भूमि लेकर उनमें वन नहीं लगाने के सम्बन्ध में विभागीय ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

197. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवा रामगढ़): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के वनों की बरबादी को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

198. **श्री रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में वनों की कटाई बन्द करने पर विचार-चर्चा के लिए)।

199. **श्री देवीलाल बूरासिया** (केकडी सु॰): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा भिन्न रूप से चराई दरों में व्याप्त रोष के प्रति चर्चा के लिए)।

200. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उपभोक्ताओं और क्रेताओं द्वारा वनों से हटाई जा रही इमारती लकडी व अन्य उपज के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

201. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ सु.): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ सब डिवीजन के जंगलों की अवैध कटाई एवं किसानों को अपनी आवश्यकता की लकडी नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

202. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जंगलों को जो अनधिकृत भारी कटाई करवाई जा रही है उस पर चर्चा के लिए)।

203. **श्री श्रीनिवास** (निम्बाहेडा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वन एवं वनों में बसने वाले जंगली जानवरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

204. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़ सु.): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बांसवाडा में किसानों को खेती के लिये दी जाने वाली वन सुविधाएं असंतोषजनक होने पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रोड ट्रान्सपोर्ट सडक परिवहन निगम एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस आधुनिक युग में जहां पर रेल नहीं जा सकती, जहां पर प्लेन नहीं पहुंच सकते वहां पर बसें जाती हैं। यह विभाग उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे विस्तार करता जा रहा है और और भी यह विस्तृत होगा, यह निर्विवादित बात है। आज जो प्रशासनिक इस विभाग के सम्बन्ध में व्यवस्था है उसको मैं दो भागों में विभक्त कर कुछ निवेदन करना चाहूँगा। प्रथम भाग राज्य द्वारा संचालित और द्वितीय भाग निजी मालिकों द्वारा, प्राइवेट रोड ट्रान्सपोर्ट जिसके अन्दर बसें और ट्रकें भी शामिल हैं ये दो भाग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पथ परिवहन निगम आज चर्चा का विषय नहीं है, यह निगम एक स्वतन्त्र निगम है और इस सम्बन्ध में चर्चा किसी अन्य दिन होगी किन्तु तुलनात्मक

(महाराव लक्ष्मणसिंह)

दृष्टिकोण से मैं आवश्यक समझूंगा कि इस विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करूं।

रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण होना सिद्धान्ततः सरकार ने और कांग्रेस दल ने अनिवार्य रूपेण मान लिया है। योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को, इस राष्ट्रीयकरण की योजना को सरकार अपनाती जा रही है किन्तु इसके साथ ही साथ यह निर्विवादित बात है कि यह विभाग घाटे का विभाग है, यह योजना सरकार को लाभदायक होती हो ऐसा मैं अनुभव नहीं करता। चाहे प्रशासन को ले लें, चाहे कुशलता को ले लें, चाहे मैनेजमेंट को ले लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी के रूप को ध्यान में लाया जाय तो मेरे खयाल में यह विभाग एक सड़ी गली संस्था के रूप में है, इसका प्रशासन खामियों से भरपूर है। यही नहीं पी.ए.सी. ने भी इस विभाग की निंदा की है और पी.ए.सी. ने यहाँ तक कहा है कि यह विभाग व्यवसायिक विभाग नहीं, इसमें गड़बड़ घोटाले हैं।

गये वर्ष इस विभाग में 20 लाख का घाटा बताया गया था और इस वर्ष में भी अनुमानतः घाटा करीब 35 लाख के बताया गया है, जिसके अन्दर मैं डिप्रेसियेशन, विशारा आदि भी शमिल नहीं करता। इस विभाग से सिवाय आर्थिक हानि के और किसी प्रकार का लाभ होता हो, यह मैं अनुभव नहीं करता। इस विभाग में, मेरे खयाल से कर्मचारियों के वर्ताव, व्यवहार के लिहाज से भी, इसमें अच्छी प्रणाली हो, यह भी मैं अनुभव नहीं करता। यात्रियों को कोई विशेष सुविधा मिलती हो यह भी मैं अनुभव नहीं करता, इसमें रेस्पोन्सिबिलिटी का अभाव है, मोटरें गन्दी हैं, बहुत सारी मोटरें आउट आफ आर्डर हैं, यहां पर गैरेज में मौजूद पड़ी हुई हैं और बहुत सारी मोटरें मार्गों में अचानक ठप्प हो जाती हैं, जिसके द्वारा यात्रियों को बहुत कष्टों, नुकसान और परेशानियों उठानी पड़ती हैं, इसके मुकाबले में प्राइवेट बस ओनर्स की व्यवस्था ठीक है, जिस तरह की परिवहन विभाग की व्यवस्था है, उस तरह की अगर प्राइवेट बसेज की व्यवस्था हो तो एक भी प्राइवेट बस मालिक अपनी बस नहीं चला सकता, उनका दिवाला फूंक सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को ध्यान में रखना चाहिये कि स्वस्थ कम्पिटीशन स्वस्थ प्रतियोगिता के सिद्धान्त को अपना कर खुले बाजार में रोड ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था को अपनावें तब तो हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था अच्छी है या बुरी है। नहीं तो यह मेरे खयाल में अधिनायकवाद और मोनोपोली की व्यवस्था है जिसके द्वारा सरकार की नीति है कि प्राइवेट बस मालिकों को परेशान किया जाय, तबाह किया जाय और भगाया जाय। यह अस्वस्थ प्रक्रिया है, अधिनायकवाद की प्रक्रिया है जिसका मैं विरोध करता हूं।

इसके मुकाबले प्राइवेट बसेज को देखा जाय तो वे ठीक हैं, साफ सुथरी हैं, गुड आर्डर में हैं और हर प्रकार की सुविधा उनमें प्राप्त है। 66–67 में इस विभाग की आय 210.67 लाख थी। सन् 1961–62 के मुकाबले में यह आमदनी दुगुनी बढ़ चुकी है अर्थात् 1961–62 में 110 लाख थी उसके मुकाबले अब 210.67 लाख है। यदि सरकार नेशनलाइजेशन की योजना को नहीं अपनाये, इसको रद्द करे, इसको मंसूख करे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो मेरी निश्चित धारणा है कि 210 लाख से 425 लाख की आय हो सकती है। इसमें रजिस्ट्रेशन की आमदनी है, जो अभी नहीं होती है, सैल वगैरह जमीन की बिक्री से उसकी आमदनी हो सकती है। फिटनेस फीस की आमदनी हो सकती है। आज सरकार को इनमें से कोई आमदनी नहीं होती है। अगर 425 लाख की आमदनी हो तो हमारा बजट भी बेलेन्स्ड हो सकता है। कोई अन्य टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में सरकार दुरुपयोग कर रही है और अन्धा-धुन्धी के साथ दुर्व्यवस्था कर रही है। इस विभाग की बदतर व्यवस्था होती जा रही है। सुधार की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है सुधार प्रकृति का नियम है। सरकार इसमें लाभ कमाने की चेष्टा कर रही है। प्राईवेट बस मालिक अपनी मोटर से लाभ प्राप्त करने के लिये हर तरह से अंधेर कर रखेगा, सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सरोकार है। आज की जो व्यवस्था है उससे भी बदतर होती जा रही है। वह बराबर दृष्टिगोचर हो रही है। सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, पैसेन्जर टैक्स यात्री कर वसूल करने की प्रणाली अपनाई। इसमें 7 प्रकार के स्टाम्प्स रखे हैं और यात्रियों के टिकटों पर चस्पा करने के लिये इन्तजाम कर रहे हैं। उनके चिपकाने के लिये कोई गूंद की व्यवस्था नहीं है। गूंद उसको कहां पर रखना पडेगा यह भी कोई व्यवस्था नहीं है। टिकटों की दर 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से बीकानेर अगर यात्री कर को जोडा जाय तो 3—69 पैसे होता है। मेरे पास एक तालिका है। उस तालिका के द्वारा मैंने 3—69 पैसे निकाले हैं। वह मंत्री महोदय, मैं अलग से देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरणार्थ एक बीकानेर के टिकट पर 3—69 पैसे का है उस पर 11 टिकट लगाना आवश्यक है आपकी प्रणाली के अनुसार और जो टिकट की किताब है वह मैं आपको बताऊं 4 इन्च लम्बी और 2 इन्च चौडी है। इस पर 11 टिकट कहां पर लगायेंगे यह भी आप स्वयं देख सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आगे पीछे सब जगह लगा देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आगे पीछे क्या लगायेंगे, इनकी अकल को तो अजीर्ण हो गया है। सेवक से शोषक बन गये हैं। दिनों दिन जो योजना है, वह वास्तविकता से परे होती जा रही है और ऐसी योजना को मेरे ख्याल में क्रियान्वित कर सकें, मुझे तो असम्भव प्रतीत होता है।

एक माननीय सदस्य: दिवालिया निकल गया दिमाग का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसी अवास्तविक योजनाओं को काम में लेना, क्या कहूं आपकी फलिसनेस-मूर्खता की परिचायक है और द्योतक है। बस मालिक पहले से टिकट चस्पा नहीं कर सकते हैं। अलग अलग जगह जहां जहां यात्री उतरेगा, उसमें अलग अलग जगह के नाम लिखने पडेंगे और वे भी अलग अलग रूप से लगेंगे, यह सब कैसे होगा मेरी समझ में नहीं आता है सरकार ने अलग किताबें काम में लेने की मनाही कर रखी है। आपको उसी वक्त स्टाम्प लगाने पडेंगे चलती मोटर में यह भी कैसे होगा, मेरे दिमाग के बाहर है। कम शिक्षित

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कन्डक्टर इन टिकटों को तत्काल ही बना दें, मुझे तो असम्भव प्रतीत होता है। यह सिनेमा की व्यवस्था नहीं है जहां फिक्स दर हो, फिक्स क्लासेज हों और बुकिंग अलग अलग हो। सिनेमा जैसी व्यवस्था हो नहीं सकती है जसे यात्री आयेगा, उसी तरह का टिकट बनाना पडेगा। बेचारे बस कंडक्टर ने नोटिस दे दिये हैं। क्योंकि यह उनके बस की बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे तरीकों में हम काम कैसे कर सकते हैं और इस योजना को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। राज्य को कठिनाई पडेगी, इस योजना को अपनाने में। आपको मेरे ख्याल से कई लाख रुपयों का स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और धान्धली बढ़ेगी, यह निर्विवाद बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन मंत्री महोदय को आपके द्वारा है कि पेसेन्जर टैक्स को कम्पाउन्ड क्यों नहीं करते जैसी ट्रकों के अन्दर व्यवस्था है उसी तरह पेसेन्जर में भी व्यवस्था हो जानी चाहिये। उसको आप कम्पाउन्ड करिये। मद्रास में, मैसूर में, यू.पी. में यह व्यवस्था है। जो बस मालिक इसको अपनाना चाहें उनपर लगा दिया जाय नहीं चाहें तो थोथी और सडी गली योजना को कार्यान्वित करने के लिये 6 महीने तो क्या 3 महीने में आप थक कर कह देंगे कि योजना ठप्प हो गई और यह चलने के योग्य नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व जयपुर से अजमेर का किराया दर 2.25 पैसे थी उसको उठाकर आपने 4.90 पैसे कर दिया। बस मालिक तैयार है, अगर आप राष्ट्रीयकरण की योजना को छोडते हैं तो 2.25 पैसे के अन्दर आज भी ले जाने को तैयार हैं। आपने क्या प्रगतिशील कदम उठाये, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से जनता को परेशान किया है, जनता का शोषण किया है। यह अन्धा-धुन्ध रूप से आपने जो और यात्री कर किराया बढ़ाया है वह अनधिकृत चेष्टा है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह जनतन्त्र के अन्दर अधिनायकवादी योजना को कार्यान्वित करके जनता का शोषण करें आपको चाहिये कि इस योजना को खतम करें, कोई प्रगतिशील कदम उठायें वरन यह राष्ट्रीयकरण की जो योजना है यह मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, निन्दा करता हूं। यह सडी गली योजना है, बिल्कुल बोगस है और यह रद्द करने योग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह साथ ही निवेदन करना है कि केसकर कमेटी ने कम्पाउन्ड के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। राज्य सरकार को चाहिये कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करके बस मालिकों को सहूलियत दें और सरकार भी उसको एक सहूलियत तरीके से अपनाये।

परिवहन विभाग के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि यह बोगस है, हानिकारक संस्था है और इसको खत्म करना चाहिये। रोडवेज कारपोरेशन, अब तो यह निगम हो चुका है। उसमें सरकारी मुलाजिम जिन विभागों से स्थानान्तरण होकर वे आये हैं इस परिवहन विभाग के अन्दर उनको भी मंहगाई की दर वही होनी चाहिये जो अन्य सरकारी कर्मचारियों की है। मुख्य मंत्री महोदय, ने आश्वासन दिया था इस सम्बन्ध में किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन कर्मचारियों के द्वारा मामला रिप्रेजेन्ट भी किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
सरकारी कर्मचारियों के समान वास्तविक रूप से परिवहन निगम के अन्दर जो कर्मचारी है, उनको भी उसी दर से देगी।

मेरे पास समय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं एक मिनट के लिये वनों के सम्बन्ध मे भी निवेदन करूंगा। मुझे वन से प्रेम है लेकिन आज की समस्या को देखते हुये मैं यह अनुभव करता हूं कि वनों का पूर्णतया संरक्षण करना बिलकुल असम्भव हो गया है। मैं उस दिन को दुर्भाग्यवश नहीं देखता जब राजस्थान में वन सम्पदा का पूर्णतया ह्रास हो जायेगा। सरकार को चाहिये कि सौन्दर्य के सिद्धान्त को अपना कर जो गेम्स सेन्च्यूरीज हैं उनको रोकें और जो वहां पर आबादी है उसको उदारतापूर्वक दूसरी जगह स्थापित करें या ऐसी जगह सेन्च्यूरी स्थापित करें जहां आबादी नहीं हो। जहां पर सेन्चुरी आती हो वहां पर वन मंत्री महोदय को निवेदन है आपके द्वारा कि वृक्षों को काटने की योजना कोई नहीं होनी चाहिये। वृक्षों की कटाई सब जगह चल रही है। लोग अन्धाधुन्ध काट रहे हैं सरकार इसे रोक सकती है कि अमुक अमुक स्थानों पर वृक्ष नहीं कटेंगे। साहस पूर्ण तरीके से रोक थाम करें। कम से कम जहां सेन्च्युरी हो वहां तो वृक्षों को नहीं काटें। कैनोपी के पेड के दर्शन दुर्लभ हो गये, उसको रोकें। मेरा निवेदन है कि साहसपूर्ण कदम उठाकर यह व्यवस्था करें तो अति उत्तम होगा बस, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के वनों का संरक्षण उनकी देखभाल राज्य सरकार बिलकुल नहीं कर रही है। सरकार इस तरफ जागरूक नहीं है। मैं केवल यह कहना पर्याप्त नहीं समझती हूं बल्कि यह कहना चाहूंगी कि वनों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार को खर्च भी करना पडे तो खर्च करना चाहिये। इस सम्बन्ध में इसी सदन में कई माननीय सदस्यों ने बार बार अपनी चितायुक्त भावनायें व्यक्त की हैं। वनों को नाजायज तरीके से कटवाये जाने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, राज्य सरकार इसके लिये कोई कदम नहीं उठा रही है। उपाध्यक्षजी आदिवासी क्षेत्रों में, जहां आदिवासियों को वनों से प्राप्त होने वाली कई चीज, जिसमें खासतौर से लकडी है, रियायती दर पर मिलती है लेकिन उपाध्यक्षजी मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगी कि जो रियायतें राज्य सरकार आदिवासियों को देना चाहती है, क्या उसका पूरा फायदा वास्तविक रूप से उनको मिलता है, वह कत्तई नहीं मिलता। वह फायदा उस वर्ग को मिलता है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाडा में गत 20 वर्षों में 100 लकडी चीरने की मशीन लगाई है। क्या उन 100 मशीनों में एक भी किसी आदिवासी ने लगाई है, क्या एक भी मिल मालिक आदिवासियों में से है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि जो रियायतें दी जाती है वे कम की जानी चाहिये और जो देनी है वह रेशनल तरीके से दें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। मैं समझती हूं ये आदिवासी जो भोले भाले और अजान हैं उनमें ये मिल मालिक 50 की चीज 5) में खरीदते हैं और उससे सालाना लाखों रुपयों का निजी फायदा उठाते हैं उपाध्यक्षजी यदि यह क्रम चलता रहा तो आदिवासी क्षेत्रों में

(श्रीमती मदन कौर)

जंगलों का रहना असम्भव हो जायेगा। वनों के ऊपर यह कुठाराघात ठेकेदारी प्रथा ने किया है। ठेकेदारी प्रथा से राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी होती है लेकिन उपाध्यक्ष जी आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि 100 एकड का ठेका होता है हजार एकड जंगल कटते हैं। वह अधिक आमदनी ठेकेदारी प्रथा से जंगलों के नाजायज कटवाने से होती हैं। यह वनों का कटान वन विभाग को स्वयं कराना चाहिये। इससे आमदनी की कमी वास्तव में कमी नहीं है इससे पूंजी बनी रहेगी। एक कहावत चरितार्थ होती है इस संबंध में कि एक मुर्गी सोने का अण्डा देने वाली है किन्तु यह सरकार तो ऐसी है कि उसका पेट चीर कर सारे अन्डे एक साथ निकालना चाहती है। मेरा तो यह निवेदन है कि वन विभाग जंगलों की कटाई स्वयं करे ताकि सोने की मुर्गी भी बनी रहे और वर्ष भर आमदनी भी होती रहे। ठेकेदारों से जंगल न कटवाने से एक समस्या और हल हो जायगी। बेरोजगारी दूर हो जायगी। हम बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकेंगे। कुल मिलाकर लांग टर्म में राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी भी होगी। ये ठेकेदार लोग जंगल की लकडियों को राज्य से बाहर बेचते हैं। पंजाब, हरियाना में अच्छे भावों पर ये लकडी को बेच देते हैं। राज्य सरकार को इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिये। लेकिन राज्य सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगी कि जहां जंगलों की कमी है कम से कम लकडी को बाहर न ले जाने दिया जाय। हमारे यहां पहले ही लकडी और कोयले की कमी है। इनके भाव बराबर बढते जा रहे हैं और इसका यह परिणाम है कि हमारे गरीब नागरिक इनको खरीदने में असमर्थ हैं और इसके अभाव में गरीब नागरिक गोबर के कंडे जलाते हैं। यह गोबर एक बहुत ही बढ़िया प्रकार की खाद होता है और जो खेतों में जाना चाहिये वह आज गरीबी के कारण और लकडी के निर्यात के कारण, भाव बढने के कारण बरबादी से वह जलाने के काम में ले सकता है। और दूसरी ओर खाद की कमी के कारण रासायनिक खाद खरीदी नहीं जाती है, काफी पैसा इसमें खर्च होता है। एक गलती को छिपाने के लिये दस गलतियां करते हैं। यह कहां तक चलेगी। आखिर इसका अन्त होना ही चाहिये। उपाध्यक्षजी मैं वन मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इस वर्ष विजिलेन्स स्क्वैड की स्थापना की है। यह स्क्वैड बिना किसी सूचना के राजस्थान के जंगलों में सरप्राइज चैकिंग करता है। लेकिन विजिलेन्स स्क्वैड के पास कई और अतिरिक्त काम भी हैं, अतः अब तक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सका है। ऐसे विजिलेन्स स्क्वैड मैसूर, महाराष्ट्र और मद्रास में भी हैं, वहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे विजिलेन्स स्क्वैड एक नहीं 3-4 विजिलेन्स स्क्वैड हमारे राजस्थान में बनाये जायें ताकि वे प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें। मैंने यह इसलिये नहीं कहा है कि राजस्थान में जंगलों की बहुतायत है बल्कि हमारे यहां क्षेत्र विस्तृत है। एक विजिलेन्स स्क्वैड के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह सब जगह जाकर सरप्राइज चैकिंग कर सके। दूसरा इस विजिलेन्स स्क्वैड, सतर्कता आयोग के प्रति उत्तरदायी किया जाय तो मैं समझती हूं कि लाभप्रद और प्रभावपूर्ण ढंग से काम हो

(श्रीमती मदनकौर)

सकेगा। उपाध्यक्ष जी, जंगलों को काटने और उनकी व्यवस्था के लिये वर्किंग प्लान बने हुए हैं और बनाे जा रहे हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या आपके जंगलों की कटाई वर्किंग प्लान के अनुसार होती है। अगर नहीं होती है तो यह आपके वर्किंग प्लान निरर्थक हैं और व्यवहारिक नहीं हैं। मौजूदा परिस्थितियों में यह हमारा वर्किंग प्लान वैज्ञानिक है और रियेलिस्टिक नहीं है। हमारे जंगलों की कटाई और उनकी व्यवस्था का वैज्ञानिक तरीका ही नहीं है। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि वर्किंग प्लान के संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे जिसमें बाहर का एक टैक्निकल अधिकारी भी सदस्य हो और वह समिति इस बात की जांच करे कि यदि मौजूदा वर्किंग प्लान के अनुसार वन काटे जायं तो उनकी जो व्यवस्था की जाय तो 40 वर्ष के बाद रोटेशन में वह जंगल वापिस पनप सकेंगे। राज्य सरकार का यह दावा है कि वर्किंग प्लान के अनुसार जो जंगल कटते हैं, प्रति वर्ष उतने पनपते भी हैं और इस प्रकार साल दर साल उतने वन हमें कटाने के लिये मिलते रहेंगे।

उपाध्यक्षजी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि एक भी जंगल इन वर्किंग प्लान के अनुसार नहीं पनप रहा है जैसा कि राज्य सरकार का दावा है। क्या हुआ जहां हजारों पेड थे वहां कटाने के बाद 50–60 पेड 20-25 वर्षों में पनप पाए हैं। जांच समिति इस बात की सिफारिश करे यदि हमारे वर्किंग प्लान्स मौजूदा परिस्थितियों के लिये रीएलिस्टिक नहीं हैं तो कैसे होने चाहिए, उन वर्किंग प्लान्स के अनुसार अगर हमारे जंगलों की कटान हो, पूरी व्यवस्था भी हो तो क्या हमारे जंगल पनप सकेंगे? अगर वह समिति समझेगी कि नहीं पनप सकते तो उसको सुझाव देने चाहिए कि क्या तबदीली वर्किंग प्लान्स में की जाय? कैसे वर्किंग प्लान बनाये जायं? मैं समझती हूं कि राज्य सरकार मेरे सुझाव की ओर ध्यान देगी।

गत कुछ वर्षों से हमारे देश के और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों का मत है कि राजस्थान का रेगिस्तान दिनों दिन बढता जा रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1952 में जोधपुर में एक शुष्क प्रदेश अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी, यह केन्द्र गत 16 वर्षों से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष एक डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना भी हुई है। केन्द्र तो हमारे बढते हुए रेगिस्तान की समस्या की ओर इतना जागरूक है लेकिन मुझे दुख है कि राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, कोई कार्य नहीं करना चाहती जब कि केन्द्र सरकार इस काम के लिये, रेगिस्तान का नक्शा पलटने के लिये बहुत सा अनुदान देती है, ऋण देती है और मदद देती है। तो हमें भी इस ऋण का फायदा उठाना चाहिये। उपाध्यक्षजी, इसी तरह चम्बल क्षेत्र में, पहाडी क्षेत्र में और दूसरे मल्टी-परपज प्रोजेक्ट्स में वृक्षारोपण का काम होना चाहिये। चंबल क्षेत्र में मुझे मालूम है कि कुछ नियमित चरागाह बनाने का काम किया गया है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से धनराशि मिलती है लेकिन मुझे मालूम है कि इस काम में कमी करने के संकेत हैं। मुझे दुख इस बात का है कि पहले तो जितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार हमें देना चाहती है, दे सकती है, उसका हम

(श्रीमती मनदकौर)

पूरा फायदा उठाते नहीं और जो कुछ फायदा हम उठा रहे हैं, उसमें भी आज कमी की बातें हमारे सामने हैं।

राज्यपाल महोदय के भाषण के समय मैंने राज्य सरकार की घोषणा सुनी थी जिसमें यह कहा गया था कि चंबल क्षेत्र की जो कंदराएं हैं, उनमें खेती की जायगी। इस क्षेत्र में खेती के लिए जमीन किसानों को आवंटन की जायगी। मैं मानती हूं कि ये कंदराओं की जमीन आज की तारीख में बिल्कुल बेकार पड़ी हैं लेकिन मुझे शक है कि यह जमीन खेती के योग्य भी है? अतः मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगी कि इन कंदराओं की जमीन को खेती के लिए आवंटन करने से पहले राज्य सरकार वैज्ञानिकों की राय ले, कि क्या जमीन पर खेती करने से क्या कंदराओं पर खेती करने से और अधिक जमीन की क्षति तो नहीं होगी? और अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से इस जमीन की क्षति बचाई जा सकती है तो राज्य सरकार की उन वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने की तैयारी है? मेरी धारणा है कि इन कंदराओं की जमीन खेती के लिए उपयोगी नहीं है। इस जमीन पर केवल वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं। इससे यह जमीन क्षति से भी बचेगी। और यहां बांस, सैंमल और सालर के अच्छे वन तैयार किये जा सकते हैं, जंगलों से अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा। निकट भविष्य में तो नहीं पर कुछ ही वर्षों में उससे दियासलाई और अखबारी कागज के कारखाने लगाए जा सकते हैं। इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत अनुदान देती है। मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा मिलने वाली इस सहायता का पूरा फायदा उठाए।

उपाध्यक्षजी, इसी प्रकार वन की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान और ऋण देती है। उदाहरण के लिए जल्दी पनपने वाले पेड़ पौधों के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है, जो जंगल हमारे खराब हो चुके हैं उनमें अगर सुधार किया जाय तो उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार मदद देती है। नियंत्रित चरागाहों को बनाने के लिए, कंदराओं में वृक्षारोपण के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, सारे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार मदद देती है। इसी योजना के अन्तर्गत मैसूर जैसे छोटे से राज्य में भी 50 हजार एकड़ जमीन पर प्रति वर्ष वृक्षारोपण का काम अपने हाथ में ले लिया है। हमारी राज्य सरकार ने गत 15 वर्षों में 15 हजार एकड़ भूमि पर भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया आज भी इस योजना के अन्तर्गत फायदा उठाने का कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश को देखें, वहां लाखों एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य अपने हाथ में लिया है उसी के साथ साथ नहरों पर और सड़कों पर भी वृक्षारोपण का महत्व कम।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं है। इस वर्ष जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो वहां मैंने देखा पंजाब और हरियाणा की कोई ऐसी सड़क और नहर नहीं है जिसके आसपास वृक्षारोपण नहीं किया गया हो और हमारे राजस्थान में कोई सड़क और नहर ऐसी नहीं है जहां पर वृक्षारोपण किया गया हो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। ज्यों ही हम हरियाणा से राजस्थान में घुसते हैं तो पेड़ों का अनुभव बहुतायत के कारण नहीं होता बल्कि उनके अभाव के कारण अनुभव होता है। यही हाल नहरों का है। चंबल नहर के

(श्रीमती मदनकौर)

सिंचित क्षेत्र में वाटर-लौगिंग की समस्या का सामना करना पडता रहा है। अगर इसी क्षेत्र में जब नहरें लाई गईं, जब सिचाई शुरू हुई उसी समय वृक्षारोपण किया होता तो वाटर लोगिंग की समस्या हमारे सामने नहीं रहती। लेकिन आज इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं लेकिन समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं।

राजस्थान नहर एक नेशनल प्रोजेक्ट है। अगर इस पर वृक्षारोपण का काम राज्य सरकार तत्परता और कुशलता के साथ अपने हाथ में ले तो मैं समझती हूं कि केन्द्रीय सरकार बहुत सा धन देने पर राजी हो जायगी। राजस्थान नहर की कुछ लंबाई पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन भाखरा की किसी नहर पर नहीं। आपको मालूम होगा कि गंग नहर जिस समय बनी थी बीकानेर स्टेट में उस समय वृक्षारोपण किया गया था शीशम के पेड लगाए गए। आज उनकी कटाई और बेचान किया गया। उपाध्यक्षजी आपको और सदन को जानकर प्रसन्नता होगी इन शीशम के पेडों के बेचान से राज्य सरकार को जो धनराशि प्राप्त हुई है, वह धनराशि गंग नहर के निर्माण पर भी खर्च नहीं हुई थी, उससे कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रत्यक्ष लाभ देखते हुए भी, इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने हमारे वन विभाग को आमदनी का सोर्स बना रखा है। आज के वन किसी प्रॉडक्टिव लैंड पर नहीं हैं, उनको किसी इन्सान ने नहीं बनाया है, वह कुदरत की देन हैं, उनसे आमदनी की इच्छा करना गलत है। हमें सिर्फ उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस वन विभाग को राजस्व मंत्रालय से नहीं जोडा जाय। जैसा कि केन्द्र में है वहां पर इसको खाद्य और कृषि मंत्रालय के साथ जोडा गया है। इसी प्रकार हमारी राज्य सरकार भी इस बात पर विचार करे। इसको राजस्व मंत्रालय के साथ न रखकर कृषि मंत्रालय के साथ इसे जोडा जाय ताकि राज्य सरकार की यह धारणा ही बदले कि वन भी कोई आमदनी का सीगा है।

अन्त में एक बार फिर राज्य सरकार को कहना चाहूंगी कि वन की जो हमारे राज्य की मूल सम्पदा है वह हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिली है जिसको हम अगर बढा नहीं सकते तो ऐसा तो न हो आने वाली पीढियां हमें इस बात के लिये कोसे कि जो वन हमें धरोहर के रूप में पीढियों से मिले हैं उनको नष्ट करके यह पीढी जा रही है। मैं चाहूंगी कि इस सम्पत्ति को बचाया जाय और राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह।

आपके दल के तीस मिनिट ही बाकी हैं जिसमें तीन सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में उदयपुर डिविजन के अन्दर जो ठेके दिये जाते हैं चाहे तेन्दु के हों, चाहे गोन्द के हों उन ठेकों के विषय में मुझे कुछ निवेदन करना है। वहां पर जो फोरेस्ट प्रोड्यूस है वहां की ग्राम पंचायतें, वहां की

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
तहसील के विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा इन चीजों को नीलाम करवाया जाता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लार्ड क्लाइव के समय दोहरे शासन की नीति थी उसी तरह से हमारी राजस्थान की सरकार भी दोहरी नीति अपना रही है। जंगलों में और अन्य क्षेत्रों में जो उपज होती है उससे आपस में लडाई-झगड़े उत्पन्न होते हैं और इससे राज्य सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान भी होता है। सरकार ऐसा प्रावधान बना दे वन उपज की बिक्री अलग अलग माध्यम से नहीं कराई जाय तो जो इन्कम फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इस क्षेत्र में आजकल जितनी आमदनी हो रही है वह बढ़कर दुगुनी हो जायगी।

दूसरा मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा जो झाड और लकडियों के लिये फ्री पास दिये जाते हैं उनसे राज्य सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार को पनपाने की नीयत से काश्तकारों को पैसा लेकर देते हैं जो कि उनको फ्री मिलनी चाहिये। इस बारे में मैंने कई बार माननीय मंत्री महोदय को जानकारी भी दी है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

इसके अलावा कोटा क्षेत्र में छीपा बडौद, और छबडा तहसील के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर जो जंगल हैं उसमें बगैर इजाजत के काश्त लोगों ने की है मानों वहां कोई जंगल विभाग है ही नहीं। जंगल का सफाया हो गया है। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की इस प्रकार से लापरवाही नहीं होनी चाहिये जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान हो। बीड की जो घास नीलाम की जाती है उसी बीड पर खेती करते हैं, घास के नाम से खेती करते हैं इससे राज्य सरकार को बडा भारी नुकसान होता है और न घास ही पैदा होता है।

इसके अतिरिक्त जंगल के अन्दर दस पन्द्रह साल से लोग काश्त कर रहे हैं। वन मंत्री को मैं सबूत भी पेश कर सकता हूं जो बीसियों साल से काश्त करते चले आ रहे हैं न उनको निकाला जाता है और न उनको जमीन ही दी जाती है। अगर वह काबिल काश्त हो गई हो तो उनको छूट दे दी जाय।

दूसरा हमारे राजस्थान में वनों को काट कर खेती के लिये जमीन निकाली जाती है उसके लिये कोई नियम नहीं है कि वह जमीन किस को दी जायगी। जिस किसी को ओबलाइज करने का हुआ जंगल से जमीन निकाल लेते हैं और उसको काबिले काश्त कर लेते हैं। एक तरफ तो लोग जमीन से महरूम हैं दूसरी तरफ लोगों में इससे बडा असन्तोष, और भय सा बैठ रहा है कि हमें जमीन नहीं मिलेगी। सरकार तो उन लोगों को जमीन देगी जो चाटुकार हैं। मैं निवेदन करूंगा वन मंत्री महोदय से कि वे इसके बारे में एक नीति निर्धारित कर दें ताकि लोगों को विश्वास हो जाय कि जंगल की जमीन रिलीज नहीं होगी और अगर होगी तो भूमिहीन काश्तकारों को और आदिवासियों को दी जायगी।

दूसरी तरफ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि वर्किंग प्लान लागू हुआ है उसकी सिफारिश राज्य सरकार माने। इसके बारे में निवेदन करूं वर्किंग प्लान के अनुसार जमीन निकाली जाती है उससे काश्तकारों को फ्री लकडी दी जाती है तो वहां पर जंगल भी नहीं होगा

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

और लोग परेशान हो जायेंगे इसका नतीजा यह होगा कि मजबूरन दूसरे जंगल में जाकर चोरी करनी पड़ेगी। कम से कम ऐसे जंगलों के वर्किंग प्लान के बारे में जो सुझाव हम दें विभाग कम से कम उस ओर तो ध्यान दे।

मैं निवेदन करूं कि जिन जंगलों में इमारती लकड़ी है, काफी हैसियत की है, वहां पर विभाग के लोग किसी एक ही आदमी को ठेकेदार के रूप में रख देते हैं और कमीशन बान्ध लेते हैं। इस तरह से एक ही आदमी वहां का जागीरदार बन जाता है और इसके फलस्वरूप चीटिंग होती है। इसे रोका जावे। वहां पर स्थानान्तरण में नियमित रूप से कदम उठाया जावे। एक ही आदमी को ठेकेदार नहीं बनाया जाय।

दूसरा निवेदन करूं रोड टैक्स के बारे में अधिकांश गाडियों की हालत ऐसी है कि जिनको फिटनेस सर्टीफिकेट नहीं दिया जा सकता, पर पैसे और रिश्वत के जोर पर उनको भी फिटनेस सर्टीफिकेट दे दिया जाता है। नई गाडी का सौ रुपया और पुरानी गाडी का दो सौ रुपया दे दो और फिटनेस मिल जावेगा, गाडी को वहां ले जाने की भी जरूरत नहीं है। इससे रातदिन एक्सीडेन्ट होते हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों के हाथ भी चीटिंग होती है।

इसी तरह ऐसी गाडियों से जहां जन जीवन को खतरा हो, भ्रष्टाचार बढ़ता हो वहां इनका फिटनेस सर्टीफिकेट देने वाले अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

जब टोकन लेते हैं तो सेल्स टैक्स विभाग में जाकर क्लीयरेन्स लेना पडता है। गुड्स टैक्स अलग से देना पडता है। इस गुड्स टैक्स और रोड टैक्स को एक ही जगह लिये जाने का प्रबन्ध करना चाहिये, नहीं तो एक ही काम के लिये आदमी को कई कई अलग अलग जगहों पर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है।

बस। इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द। 15 मिनिट का समय है आपके लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन इसीलिये मैंने इस में भाग नहीं लिया कि अधिक समय आज लूं।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी) : अलग अलग पार्टियों में से कौन कौन कितना कितना बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये समय निर्धारित किया हुआ है और व्यवस्था दे दी गई थी। शायद माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री जुझारसिंह : कट मोशन पर तो बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब दलों के सचेतकों ने अपनी अपनी सूची दे दी है उसी के अनुसार नाम पुकारे जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पूंजी की लागत के विषय में जो रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है वह इस सदन में समय समय पर उठाया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैंने भी एक कट मोशन सरकार की वर्तमान नीति, इस रोडवेज के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जिस प्रकार उसके प्रति दुर्लक्ष्य अपनाया जा रहा है, की आलोचना करते हुए दिया है।

उपाध्यक्षजी, मेरी यह मान्यता है कि जिस रूप से इस रोडवेज कारपोरेशन को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से रोड ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन का प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे मेरी यह धारणा बन गई है कि यह सरकार के अमली दृष्टिकोण में और स्वतन्त्र पार्टी के थियोरेटिकल दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं है।

स्वतन्त्र पार्टी के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी ने अपनी पार्टी की नीति के अनुसार अब रोड ट्रान्सपोर्ट के नेशनेलाइजेशन प्रोग्राम और उसकी नीति का कठोरता से विरोध किया है और मैं समझता हूं कि यह सरकार भी जिस तरह से इसको क्रियान्वित कर रही है, उस नीति का कठोरता से विरोध कर रही है और इसलिये मैं उनके दल के सदस्यों को आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि वे सन्तोष रक्खें इस बात में कि राज्य सरकार जिस तरीके से इसे क्रियान्वित कर रही है वह लोगों को इस नतीजे पर पहुंचा देना चाहती है अपने कार्य काल में, जितना अवसर मिले राज्य करने का उसमें कि आइन्दा आने वाली पीढियों में राष्ट्रीयकरण का नारा बदनाम हो जावे। राष्ट्रीयकरण के बारे में लोग कहने लगें कि यह अपनाया जा चुका है, अनुभव किया जा चुका है। व्यावहारिक नहीं है। इस को छोड देना चाहिये।

मैं समझता हूं कि अगर वास्तविकता को देखा जावे, तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया जावे तो वास्तविकता क्या है यह सामने आ जावेगी। क्यों रोडवेज कारपोरेशन को घाटा हो रहा है, यह भी समझ में आ जावेगा।

यह बात सही है कि राष्ट्रीयकरण का नारा इस तरह से कोई वेद वाक्य के रूप में हम नहीं लेते कि इसमें चाहे घाटा हो, चाहे कुछ भी हो हमें तो इस रास्ते पर चलना ही है। हमारी यह मान्यता है कि नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने के लिये आज एक ही रास्ता है, एक तरीका है जिससे कि हम शोषण को समाप्त कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं। राज्य की आमदनी को बढाया जा सकता है श्रमिक वर्ग को ज्यादा सान्त्वना और सन्तोष दिया जा सकता है।

मुझे पता है कि आज जिस प्रकार से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है इसमें तीनों ही उद्देश्यों के अपोजिट काम किया जा रहा है। न यह राज्य के टैक्स-रेवेन्यू में बढोतरी कर रहा है, न यह सुविधाएं प्रदान कर सका है, न श्रमिक को सन्तोष दिला सका है। जो भी हमारे पिछले आंकडे हैं इसके पहले के उनसे पता लगता है एक दो वर्षों को छोडकर अब लगातार हम को घाटा यह रोडवेज कारपोरेशन दे रहा है।

न मुसाफिरों को सुविधाएं हैं। आज सुविधाओं के बजाय उन पर किराये की बढोतरी है, सुविधाओं की कटौती है, और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस प्रकार का दृष्टिकोण है कि कोई कम्पीटीशन तो है नहीं इसलिये चाहे जैसे चलावें हमें कोई क्या कह सकता है।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है उनकी तो हालत उनसे भी बदतर है और इन तीनों दृष्टिकोणों से मैं यह समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीयकरण बसों का उन रूट्स का जिस रूप से किया जा रहा है, जो नीति इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही है वह गैर नेशनेलाइजेशन की नीति है और गैर समाज वाद की नीति है। समाजवाद की विरोधी नीति है। केवल स्टेट कैपिटेलिज्म की नीति है। वह एक ऐसी नीति है जो एक राज्य पूंजीपति का दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका दृष्टिकोण समाज को ज्यादा सुविधाएं देने का नहीं है, मजदूरों को ज्यादा श्रम वेतन-देना नहीं, जिसका दृष्टिकोण केवल इस बात का है कि किसी तरह से मेरा मुनाफा बड़े और, उपाध्यक्षजी, इस प्रोसेस के पीरियड में वह इस बात में भी कामयाब नहीं हो सकते और निरन्तर घाटा हो रहा है। उपाध्यक्षजी, मैं इस बात को नहीं मानता जैसा कि हमारे स्वतन्त्र पार्टी के लीडर महारावल साहब ने ने कहा कि थियोरेटिकल नेशनेलाइजेशन गलत है। यह रास्ता वह है ही नहीं जिसमें मुनाफा हो, इसमें मुनाफा हो ही नहीं सकता। जनता को सुविधाएं मिल ही नहीं सकतीं। श्रमिक वर्ग को ज्यादा सुविधाएं मिल ही नहीं सकतीं। मेरी मान्यता ऐसी नहीं है। और हमारे देश में जैसा अनुभव है दूसरे देशों में जिस प्रकार का अनुभव है वे इन तथ्यों को भी साबित नहीं कर रहे हैं।

घाटे का कारण दूसरा है। हमारे राष्ट्रीयकरण की स्थिति को देखें तो यह समझ में आ जावेगा। जो रूट्स नेशनेलाइजेशन के काबिल हैं, खुद सरकार की मान्यताओं के अनुसार करीब 10 हजार मील लम्बे रूट्स हमारे नेशनेलाइजेशन हो सकते हैं। इसमें से अभी तक जो नेशनेलाइज्ड रूट्स हैं वे केवल 2260 मील हैं। केवल 22 पर्सेंट रूट्स पर हैं जो नेशनेलाइजेशन के योग्य हैं। कच्चे और ऐसे रूट्स जहां हैवी ट्रेफिक नहीं चल सकता उनको इसमें शामिल नहीं किया है।

उपाध्यक्षजी, तो इस प्रकार इस राज्य में जहां इतने लम्बे रूट नेशनेलाइज होने चाहिये वहां इतने से हुए हैं। आपने एस्टेब्लिशमेन्ट तो इतना इकट्ठा कर लिया कि जिसके लिये सारे ही रूट्स नेशनेलाइज होने चाहिये तब जाकर यह खर्चा दबता। तो फिर तो लाजिमी प्रशासनिक खर्चा ज्यादा होगा।

और, उपाध्यक्षजी, आज जो प्रशासनिक खर्चा राज्य के अन्दर इन रूट्स पर आ रहा है वह जहां पर उत्तर प्रदेश में 2.80 पैसा प्रति किलो मीटर है, आन्ध्र प्रदेश में 4.12 पैसा प्रति किलोमीटर है, मध्यप्रदेश में 4.32 पैसा प्रति किलोमीटर है, पंजाब में 4.16 पैसा प्रति किलोमीटर है, वहां राजस्थान में 7.79 पैसा प्रति किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से यह तीन गुने से भी अधिक है। और दूसरे प्रान्तों से लगभग दुगुना है।

इसमें रोडवेज कारपोरेशन को भी दोष देना नहीं चाहता। यदि हमारी सरकार रोड्स को नेशनेलाइज नहीं करे, भले ही सरकार ने औपचारिक ढंग से नेशनेलाइजेशन की नीति मान ली हो पर जब रूट्स को नेशनेलाइज करने का प्रश्न पैदा हो तो पक्षपात पूर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण से अपने चहेतों

Page No. 96

(श्री रमानन्द अग्रवाल)

को नाजायज लाभ उठाते रहने का दृष्टिकोण राजस्थान सरकार के सामने आ जावे, तो फिर बडा प्रशासनिक खर्च हो और रूट्स थोडे हों तो लाजिमी तौर से नुकसान होगा। खर्चा बढेगा।

मैं पूछना चाहूंगा आपकी मार्फत आखिर 67 से यह राष्ट्रीयकरण हुआ फिर क्या वजह है कि आज तक गंगानगर जिले में, उदयपुर जिले में, उदयपुर डिविजन में राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं वहां के रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कहा जाता है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स रिट कर देते हैं। यह भी एक्सीडेन्टल बात है, उपाध्यक्षजी बहुत से आपरेटर्स हाई कोर्ट में रिटों के लिये गये।

(2 म. प.)

और सब रूट्स में वह नाकामयाब हुए चाहे आप जयपुर-अलवर रूट ले लें, चाहे जयपुर-दिल्ली रूट ले लें, चाहे जयपुर-कोटा रूट ले लें, सब रूटों के लिए हाई कोर्ट में वह लोग गये और सब में नाकामयाब हुए लेकिन उदयपुर के जो रूट्स नेशनेलाइज किये गये उनमें हाई कोर्ट में वे कामयाब हो गए। उपाध्यक्षजी, मेरा चार्ज है कि जानबूझकर डिपार्टमेन्ट के जरिये इस प्रकार का नेशनेलाइजेशन तथा प्रोग्राम बनवाया गया जिसमें डिफेक्ट्स छोडे गए ताकि वह हाई कोर्ट में नाकामयाब हो और वह हुआ। इस सदन में पूछा गया कि वहकारण बताये जावें कि हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट क्यों नाकामयाब हुई। गवर्नमेन्ट उनको छुपाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि हम जांच कर रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर हम रेस्पान्सिबिलिटी डालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में भन जो रूट्स नेशनेलाइजेशन के लिए नोटीफाई किये गये उसमें इन दोनों डिवीजन्स एक बीकानेर डिवीजन और दूसरा उदयपुर डिवीजन के नाम कहीं नहीं हैं। चूंकि मुख्य मंत्री जी वहां से आते हैं, मुख्य मंत्री जी चाहेतों को प्राईवेट प्राफिट्स कमवाना चाहते हैं और इलेक्शनों में चन्दा लेना चाहते हैं और, उपाध्यक्ष जी, यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि बडे बडे वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का दबाव करने के कारण स्कीम्स बनी और ड्राप कर दी गयी और यही कारण हैं कि इलेक्शन के बाद भी अब 12 रूट्स का नोटीफिकेशन हुआ है उसमें इन दोनों डिवीजन्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। जयपुर डिवीजन है, कोटा डिवीजन है और जोधपुर डिवीजन भी है लेकिन बीकानेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन का इसमें नाम नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने इतना बडा ढांचा खडा किया है, इतना बडा प्रशासनिक खर्चा किया है तो उसको काम चाहिए और सारे काम पर खर्चा बंट सकता है। अगर हमारे इतने ही रूट्स रहे और दूसरे रूट्स नेशनेलाइज नहीं हुए तो हमारा प्रशासनिक खर्चा ज्यादा आयेगा और उसके अन्दर घाटा रहने का मुख्य कारण यही है। लोग इल्जाम लगाते हैं कन्डक्टर्स पैसा खा जाते हैं और ड्राईवर्स शराब पीकर गाडी चलाते हैं, कुछ अंशों में यह ठीक होगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण आप करते हैं या कन्डक्टर्स करते हैं और फिर दोष भी डालना चाहते हैं तो कन्डक्टर्स पर और ड्राईवर्स पर अपनी फेल्योर का और

Page No. 97

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने राजस्थान के फण्ड्स के नुकसान होने के उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन रूट्स को खाली छोडा गया है। इन रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से हमने गाडियां खरीद डालीं। आप आश्चर्य करेंगे इस समय रोडवेज कार्पोरेशन के पास 534 गाडियां हैं जिनमें से केवल 233 गाडियां काम में आ रही हैं और बाकी गाडियां खडी हैं। 58 गाडियां तो टिपटाप फर्स्ट क्लास पोजीशन में यहां पर खडी हुई हैं। इन 233 गाडियों में जो रूट्स पर चलने वाली हैं उनमें 20 प्रतिशत सरप्लस भी शामिल हैं और इस तरह से यह 233 और 38 कुल मिलाकर 271 गाडियां इसके अलावा 243 गाडियां हमारी सन् 60 से लेकर आज तक उनमें से बहुत बडी तादाद क्योंकि खरीदी गयी वह बेकार खडी हुई हैं। वह गाडियां नीलाम नहीं की गयीं। और वह गाडियां चल नहीं सकतीं तो उनको नीलाम किया जाना चाहिए था। आज तक भी चाहे रोडवेज कारपोरेशन आ गया या आप पहले इसको डिपार्टमेन्टली चलाते थे एक भी गाडी का नीलाम नहीं किया गया और बहुत सी गाडियां ऐसी हैं कि जो थोडी थोडी मरम्मत चाहती हैं और वह ठीक हो सकती हैं। तो आपके पास गाडियां मौजूद हैं, आपके पास रूट्स मौजूद हैं और इन गाडियों को आप चलाते हैं तो आपको स्टाफ भी ज्यादा नहीं रखना पडेगा। आपको मैनेजर दूसरा नहीं रखना पडेगा, आपको दूसरा असिस्टेंट मैनेजर नहीं रखना पडेगा, आपको दूसरा वर्कशाप नहीं रखना पडेगा। यह गाडियां और आप चला तो ओवरहैड एक्सपेन्सेज थोडे बढ़ सकते हैं लेकिन आप चला नहीं सकते इसलिए नहीं चला सकते कि आपके पास नेशनेलाइज्ड रूट्स नहीं हैं और इसलिए नहीं हैं कि आप सियासी तौर से, राजनैतिक तौर से आप उन रूट्स का नेशनेलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं और इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि महारावल साहब ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वह खुले रूप से कह रहे हैं कि वे राष्ट्रीयकरण की नीति के खिलाफ हैं और हमारे सुखाडिया जी ऊपर से ढोंग करते हैं कि वह समाजवाद की बात करते हैं, वह राष्ट्रीयकरण करने का ढोंग रखते हैं और वह सेबोटेज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई समाजवादी देश होता तो ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाता या तो उनको फांसी दी जाती या उनको सख्त कैद की सजा मिलती। लेकिन हमारे यहां तो प्रमोशन्स मिलते हैं। जो नाकामयाब हो गए उनको ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बना दिया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप, दुर्व्यवहार के आरोप और उसकी क्वालीफिकेशन है कि उनको ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बना दिया गया तो यह तो हमारे यहां सरकार चलाने का एक तरीका है।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ड्राईवर्स और कन्डक्टर्स और जो लेबर हैं आज जो तरीका इस कारपोरेशन ने चलाया हुआ है जो नेशनेलाइजेशन के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है मेजारिटी वर्कर्स टेम्प्रेरी तौर पर रखे हुए हैं और परमानेन्ट लोग बिल्कुल अल्पमत में हैं। लोगों को डेली वेजेज पर रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जयपुर में 138 कन्डक्टर्स की जगह है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इनमें से 13 कन्डक्टर्स परमानेन्ट हैं और 125 डेली वेजेज के ऊपर हैं। ड्राईवर्स की 149 जगह हैं इसमें 71 परमानेन्ट हैं और 78 टेम्प्रेरी हैं। जोधपुर रीजन में भी यही स्थिति है। कन्डक्टर्स 129 में से 61 परमानेन्ट हैं और 68 टेम्प्रेरी हैं। ड्राईवर्स में 80 तो परमानेन्ट हैं और 60 टेम्प्रेरी हैं। इस तरीके से डेली रेटेड लोगों को भरती किया जाता है। क्या मजदूरों की यह कल्पना है? क्या समाजवाद का नारा देते हैं ? उनसे यह व्यवहार करके आप उस संघर्ष में जो समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के लिए मजदूरों से चाहते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं? क्या हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, 200 रुपये कन्डक्टर्स के दिये जाते हैं टेम्प्रेरी रखने के अन्दर। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं जो भर्ती करते हैं। 3 महीने के अपाइन्टमेन्ट के लिए 200 रुपये लेते हैं। अब 200 रुपये के लिए, उससे कैश सिक्योरिटी ली जाती है और मिलता क्या है उसको 2 रुपये या 3 रुपये रोज। मिनिमम वेज भी नहीं मिलती। वह काम पर जायेंगे तो 3 रुपये और ड्यूटी पर नहीं भेज सकें तो 2 रुपया रोज। जब कि मिनिमम वेज के भी यह बात खिलाफ है। अब जिसने 200 रुपये रिश्वत दिये और 200 रुपये सिक्योरिटी के दिये तो वह अपना रुपया भी निकालना चाहेगा और आप 2 रुपया रोज दें तो मैं समझता हूं कि जो भी बडे बडे आदमी महाराजा युधिष्ठर बन जायें वह भी रिश्वत लेने लग जायेंगे। सुखाडियाजी की 2 रुपया रोज की तनख्वाह कर दो और अगले महीने पूछना कि कहां से पैसा आया। इस तरीके से जो लेबर के साथ व्यवहार हो रहा है वह बिल्कुल एन्टी-नेशनेलाइजेशन का हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन बुनियादों पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल यह कहना सही नहीं है कि नेशनेलाइजेशन का प्रोग्राम अपनाना गलत है, नेशनेलाइजेशन से स्टेट का रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता। वास्तविकता यह है कि नेशनेलाइजेशन का प्रोग्राम सही प्रोग्राम है स्टेट की नान–टैक्स रेवेन्यू बढाने का। यह बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के हाथों में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो दिखावे के लिए ढोल पीटते हैं नेशनेलाइजेशन के लेकिन अमली तौर पर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए सही राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के लिए मैं यह निवेदन करूंगा इस सदन से और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से, जो कि राष्ट्रीयकरण की प्रगति में विश्वास करना चाहते हैं, कि वे इसको दुरुस्त करने का प्रयत्न करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं एक–दो बातों के बारे में एक–दो मिनट में कहकर खत्म करना चाहूंगा। इसी प्रकार से ट्रान्सपोर्ट में स्कूटर्स का एलाटमेंट जो एम.एल.एज. को किया जाता है उसके बारे में कटमोशन दिया था, पिछले सत्र में उठाया था तब तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य के पास यह डिपार्टमेंट था तो उन्होंने कहा था कि एम.एल.एज. के एलाटमेंट के नियम बना दिये गये हैं। दूसरे मिनिस्टर साहब आये तो उन्होंने नियमों को कैन्सिल कर दिया और फिर मनमाने ढंग से करना शुरू कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर नियमों को भंग क्यों किया गया? क्या गवर्नमेंट यह चाहती है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि एक छोटी सी बात के लिए मिनिस्टर के पास आकर एम.एल.ए. खुशामद करें, क्या यह चाहती हैं कि मिनिस्टर स्कूटर के लिए उनकी सिफारिश करे और एक एम.एल. ए. उनकी महरबानी और ऑब्लीगेशन ले कि हम को एलाटमेंट करो।

(समय–समाप्ति –सूचक घंटी)

मैं यह समझता हूँ कि यह एक भ्रष्टाचार का तरीका है। लोगों को करप्ट करने के लिए जो लोग करप्ट हैं उनके हाथों में यह डिपार्टमेंट देकर करप्शन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो वे इस बात को बता दें कि केबिनेट ने इस बात को मन्जूर किया था राष्ट्रपति शासन के दौरान जिन लोगों ने ये नियम निकाले थे कि मनमाने तरीके से स्कूटर्स का एलाटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन नये मिनिस्टर आये और जो पहले गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि अब मनमाने तरीके से स्कूटर्स का एलाटमेंट एम.एल.एज. को नहीं होगा लेकिन इन्होंने आते ही मनमाने तरीके से एलाटमेंट करना शुरू कर दिया, और ऐसे एम.एल.एज. को भी जिन्होंने 250) रु. जमा नहीं करा रखे थे उन लोगों को एलाटमेंट कर दिया और जिन्होंने दो-दो साल से रुपये जमा करा रखे थे उनको एलाटमेंट नहीं हुआ। ये समझते हैं कि एक साल के बच्चा सक्का की हुकूमत आई है चाहे जो कर लो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन को इस तरह की कार्यवाही को रोकना चाहिए। इस सदन के माननीय सदस्य इस तरह के हिकारती तरीकों को पसन्द नहीं करेंगे कि एक मामूली सी बाइसिकल, स्कूटर के लिए मंत्री चाहे कि उनकी खुशामद करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वन के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत थोड़े में कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बहुत थोड़े में नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, ये एक पार्टी के अकेले ही सदस्य हैं इनको इतना समय दे देंगे तो हमको समय नहीं मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहें तो मैं कल नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दो-तीन दिन से वाद विवाद में हिस्सा नहीं ले रहे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कल भी माननीय सदस्यों के सन्तोष के लिए कह दूं कि मैं समय अपना दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन मंत्रीजी को आप उपदेश दे रहे हैं उन मंत्रीजी ने नियमों की अवहेलना करके अपनी स्वयं की गाडी को ब्लेक में बेची है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपाहिजों को, अपंगों लूलों और लंगडे··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अमृतलालजी यादव हां भर रहे हैं कि उन्होंने ब्लेक में बेची है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो इन्वेलिड्स के लिए पेन्शन के नियम हैं उन नियमों के अन्दर कुछ गलती है, जो अपंग और अपाहिजों के नियम हैं उनमें भाई के होते हुए वह पेन्शन का हकदार नहीं होता है। मैंने कुछ ऐसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

केसेज पाये हैं कि जिनमें कि लोग अपंग हो गये हैं लेकिन बिल्कुल अलग रहते हैं इसलिए वे बेचारे बिल्कुल अपाहिज हैं और कोई उनको देने वाला नहीं है, और वे लोग पेन्शन नहीं पा सकते हैं। इसलिए इन नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। जैसे बूढों के बारे में नियमों में भाई वाली शर्त नहीं है उसी तरह से इसमें हो जाना चाहिए।

इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि जो पेन्शन 20 रुपये की शुरू शुरू में हुई थी और आज महंगाई बढ गई है तो इसको बढाकर 30 रुपये कर देना चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को राहत मिले।

कई माननी । सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष · ·

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह चाहता था कि जो कस्बे और शहर आगे बढ रहे हैं उनमें टाउन प्लानिंग लागू किया जाय, और मास्टर प्लान · ·

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आप उसके बारे में बोलें। आप, डागाजी, बडे बोलने के लिए खडे होते हैं तो आप बताइये कि कार कन्ट्रोल आर्डर के तहत दो साल से पहले कोई अपनी गाडी बेच नहीं सकता। मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने बेची हैं उनके खिलाफ ब्लेक मार्केट के केसेज रजिस्टर किये गये हैं। अमृतलालजी यादव ने 65 में गाडी ली और जनवरी, 68 से पहले ही गाडी ब्लेक मार्केट में बेच दी तो उनके खिलाफ ब्लेक मार्केट का केस रजिस्टर करने की बात करें।

श्री अमृतलाल यादव: गलत बात है। मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बिल्कुल सही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: ये कम गुनहगार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर मास्टर प्लान लागू किया जाय। हमारा टाउन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी बहुत सी धनराशि उसका बडा हिस्सा कोटा या उदयपुर में खर्च न होकर छोटे छोटे कस्बे जो हैं उनके अन्दर भी खर्च हो। और उनके अन्दर भी मास्टर प्लान लागू किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य: गाडियां बेचने का मास्टर प्लान भी लागू हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास: बोलने का भी मास्टर प्लान होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर जन संख्या बढ रही है तो एक प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार यहां जयपुर में तिलक नगर, गांधीनगर और बापूनगर बने हैं और जहां 80–80 फीट चौडी रोड्स हैं उसी प्रकार से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है तो छोटे छोटे कस्बों में भी इसी प्रकार की योजनाएं बना सकेगा, मैं समझता हूं कि यह सन्देहपूर्ण है। इसलिए पहला कर्त्तव्य यह हो जाता है कि छोटे कस्बे विकसित हो रहे हैं वहां पर मास्टर प्लान बनाये जायें। मास्टर प्लान बनाने के

(श्री मूलचन्द डागा)

अलावा जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें भी वे सारी योजनाएं लागू की जायं।

आज इस प्रकार के कस्बों का विकास हो रहा है और गांवों का भी विकास हो रहा है और वे टाउन्स के रूप में आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ यह बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है जो भयंकर समस्या आने वाली है वह यह है कि जिस प्रकार से कस्बे से बढ रहे हैं और जहां योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं तो योजनाएं लागू नहीं होने से जो कस्बे, जो टाउन्स अविकसित रूप में रहेंगे उससे बडा भारी नुकसान होगा।

इसीलिए कई बार मैंने कहा था कि पाली शहर बढ़ रहा है और इसकी आबादी 50 हजार के करीब है तो वहां पर मास्टर प्लान लागू किया जाय। मास्टर प्लान लागू नहीं होने की वजह से खेलने के मैदान, गार्डन्स और दूसरे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में मास्टर प्लानों के बारे में बड़ी श्रद्धा है और सारे बड़े बड़े कस्बों के मास्टर प्लान बनाये जाते हैं। मास्टर प्लान का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार को ज्यादा धनराशि मास्टर प्लान के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। वह बहुत जरूरी है।

मास्टर प्लान में एक झगड़ा यह होता है कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होता है वह टाउन प्लानर से टकराता है। वह आई. ए.एस. होता है और इस मामले में एक्सपर्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी टाउन प्लानर की बात नहीं मानता है और अपना एक तरह से अलग रवैया अख्तियार करता है। टाउन प्लानर्स और इन्जीनियर्स में झगड़ा होता है। टाउन प्लानर्स का जो काम है उस काम को दूसरे लोग अधिकृत कर लेते हैं। इन्जीनियर्स अपनी राय कायम रखता है, कलेक्टर अपनी राय अलग ले लेता है और कहीं पर म्युनिसिपैलिटीज के अध्यक्ष हैं वे अपनी राय चलाते हैं। मैं समझता हूं कि जिन कस्बों में म्युनिसिपैलिटी हैं वहां पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के मार्फत काम होना चाहिए। और इसीलिए मैंने यह निवेदन किया था कि पाली के लिए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। इस प्लान के कारण हम लोगों को राहत दे सकें। कई गांवों में आज भी गंदी बस्तियां हैं उनको वहां से हटा कर वहां पर बसने वालों को नई जगह बसाने का काम जरूरी है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी।

दूसरा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं पर्यटन केन्द्रों के बारे में। राजस्थान में कई जगह पर्यटक केन्द्र खोले गये हैं। पाली एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ पानी है, पहाड़ियां हैं, यहां पर व्यापार और उद्योग का साधन है, वहां पर हस्तकला का सामान भी अच्छा मिलता है इसलिये पाली में भी पर्यटक केन्द्र खुलना चाहिये। मैंने कई बार कहा है कि पाली के आस पास रणकपुर का मंदिर है जो उच्च कोटि की कलाकृति है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली शहर की पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषणा होनी चाहिये।

समाज कल्याण विभाग के मामले में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों का विकास हो। अब तक जितनी ताकत उनको सरकार देना चाहती है उतनी

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं दे पाई है। मैंने कई बार कहा है कि जो समितियां उनके सुधार के लिये बनती हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। भूमि आवंटन के लिये जो एलॉटमेन्ट कमेटी है उसमें भी उनका प्रतिनिधि होना चाहिये। जो भूमि अच्छी उपजाऊ और नहरी होती है वह इनको एलॉट नहीं की जाती है। राजस्थान सरकार ने अब यह कदम उठाया है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में 1 लाख एकड़ भूमि इनको दी जायगी लेकिन इसके लिये जो भूमि आवंटन कमेटी है उसमें इनका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है इस केमेटी को बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई जाय। समाज कल्याण विभाग ने जो योजनाएं बनाई हैं उनको देखने से पता चलता है कि उनमें कमी है। जिस रूप में हम उनको मदद देना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। थोड़ी थोड़ी धन-राशि देकर और बेकार भूमि देकर जिसमें उत्पादन नहीं होता ऐसी भूमि देकर उनका उत्थान करना चाहते हैं तो इससे उत्थान नहीं होगा। इसके बजाय उनको अच्छी भूमि और काफी धनराशि देनी चाहिये और लंबे समय के लिये धनराशि दी जानी चाहिये ताकि वे अपना कर्जा आसानी से चुका सकें। मैं इस बारे में विशेष नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह नाकाफी है, जो धनराशि उपलब्ध की जा रही है वह बहुत कम है। इसमें जन जाति है, विमुक्त जाति है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इतने बड़े तबके के लिये जो धनराशि दी है वह नाम मात्र की है। कई कई जगह तो कुआ खोदने की स्कीम और इर्रिगेशन की फेसिलिटी भी इसके साथ जोड़ दी गई है। ये सारी योजनाएं इनके उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाली हैं। पिछड़ी जातियों को यदि आगे बढ़ाना है तो उनको अधिक धनराशि देकर ठोस कदम उठाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार कहा था कि जो गोचर भूमि है, सैटलमेंट ने जो गोचर भूमि एलोट की है वह ऐसी बेकार जमीन है कि उस पर पूरा घास भी नहीं उगता। कहीं कहीं पर तो पथरीली जमीन छोड दी है, वहां चारा नहीं पैदा होता। घास पैदा करने के लिये विकास कार्य करना होगा। यदि पशु धन को जीवित रखना है तो गोचर भूमि के लिये सरकार की योजना होनी चाहिये जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी तादाद में घास उत्पन्न की जा सके और पशु धन की रक्षा हो सके।

जन लेखा समिति की रिपोर्ट यदि आप पढ़े तो पता चलेगा कि हमारे यहां पर वन संपदा का ह्रास हो रहा है। कहते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ी वन संपदा है उसके आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारा वन विभाग किस प्रकार काम कर रहा है। उसके लिये यह रिपोर्ट स्पष्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। आबू पहाड़ इतना हराभरा और सुन्दर था लेकिन अब आबू पहाड पर प्लॉट काट दिये हैं और लोग बस गये हैं। अब आबू पहाड हरा भरा नहीं मालूम होता। राजस्थान में यह एक ही हिल स्टेशन है उस पर भी प्लॉट काट दिये और कई लोगों ने यहां पर अपने मकान बना लिये। गर्मी में जो पर्यटक आते हैं उनको घूमने के लिये जगह नहीं मिलती है, घूमने की जगह पर मकान और बंगले बने हुए दिखाई देते हैं। प्लाट काट कर एक प्रकार का गलत कदम उ[illegible]

(श्री मूलचन्द डागा)
गया है। चाहे कोई भी विभाग हो उसने गलत काम किया है। आबू में जगह जगह देखिये वहां पर मकान खड़े कर दिये हैं इसके कारण पहाड का सौन्दर्य नष्ट हो गया है। प्लॉट काटने के बजाय पौध लगा कर रक्षा करनी चाहिये थी। जन लेखा समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश किया है उसके पेज 30 पर उन्होंने बताया है कि जोधपुर में वन अधिकारियों ने सन् 58 में 4600 एकड भूमि में 6 लाख की लागत से पौधे लगाये थे उनका हुआ क्या? उनका हुआ यह कि 4171 एकड़ भूमि में लगे हुए पौधे नष्ट हो गये। 4600 एकड में लगाये गये और 4171 एकड भूमि में नष्ट हो गये। इसमें 6 लाख 99 हजार रुपयों का घाटा हुआ···

श्री **रामकिशन** (वैर): अजी मूलचंदजी यह रिपोर्ट तो बंट गई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री **मूलचन्द डागा**: एक दूसरे स्थान पर 550 एकड़ भूमि में आने पौधे लगाये थे उनमें से 434 एकड़ भूमि के पौधे नष्ट हो गये। फिर इसमें बताया है कि एक अन्य स्थान पर 2496 एकड़ भूमि में पौधे लगाये थे और उनमें से 1905 एकड भूमि में पौधे नष्ट हो गये। ऐसा मालूम होता है कि जहां जहां पर भी वन विभाग ने काम किया है उसमें वह असफल हुआ है। जन लेखा समिति ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि सूझ बूझ के बिना, गहरे चिन्तन के बिना सोचे समझे वन विभाग ने कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया है यह इससे मालूम होता है। घास के बारे में कहा गया है कि इसमें 13,70,000 रु. का घाटा हुआ है। वन विभाग के घास में कमी होने के कारण उसकी दूषित नीति बताया गया है। वन विभाग ने जो भी कार्य किया है उसकी जानकारी जन लेखा समिति की 67–68 की रिपोर्ट से मिलती है। वन विभाग अपने कर्तव्य पालन में कितना जागरूक है उसका पता इससे चलता है।

श्री **उपाध्यक्ष**: समय समाप्त हो गया।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: घाटा तो सब में ही है नफा किसमें हुआ है?

श्री **उपाध्यक्ष**: आपका बोलने का समय कट जायगा। श्री विट्ठल भाई।

श्री **विट्ठल भाई** (पीपलखूंट-सु.): उपाध्यक्ष महोदय, जो वन हमारा राष्ट्रीय धन है उसका संरक्षण करना हमारे लिये जरूरी है लेकिन हमारे यहां की सरकार ने हमारे इस राष्ट्रीय धन को नाश में मिला दिया है। जहां पर घना जंगल था, लकड़ी थी वह स्थान आज बिल्कुल उजाड़ पड़ा है। यह किसका कसूर है? यह सरकार का कसूर है न कि किसी और का। यदि सरकार सही इन्तजाम करती, सही व्यवस्था रखती, नौकरों को हिदायत करती तो आज ये जंगल बरबाद नहीं होते। सरकार ने जंगलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठेकेदारों को जंगल दिये और ठेकेदारों को जंगल देने पर उन ठेकेदारों ने मनमाने ढंग से लकड़ी काटी। जिन जंगलों का ठेका दिया उनकी लकड़ी काटी तो काटी लेकिन उसके पास के दूसरे जंगल थे उनकी लकड़ी भी वन विभाग के आफिसरों के साथ मिल कर काटी और बेच खाई। लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं

(श्री विट्ठल भाई)

दिया । जो जंगल काटे गये उनकी हमने सरकार को रिपोर्ट की है । लेकिन जब जब हमारी रिपोर्ट गई है तो उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और सारी लकड़ी वन विभाग के आफिसरों के साथ मिल कर काट कर ठेकेदारों ने जंगलों को बरबाद कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जितनी लकड़ी की जरूरत होती है काश्तकारों को उनको लकड़ी आज तक समय पर नहीं मिलती है । बांसवाड़ा के अन्दर एक चिप बोर्ड फैक्ट्री का ठेका दिया हुआ है, सारिया कम्पनी को तीस साल का ....

श्री रामकिशन : तीस साल का !

श्री विट्ठल भाई : तीस साल का ठेका दिया हुआ ह । वहां के जो लोग हैं, उस जिले के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के पास में जो जंगल हैं वह सारे के सारे जंगल सारिया कम्पनी के लिये छोड़ कर रखे हैं । यदि किसानों को लकड़ी की जरूरत होती है, और वह वन विभाग से पूछते हैं कि कहां से लकड़ी लें तो वह कहते हैं कि पास के जंगल के लिये पास नहीं मिल सकता है, दूर के जंगल के लिये पास देंगे, वहां से लकडी काट कर लाओ । मैं निवेदन करूंगा कि वर्षों से, हजारों वर्षों से आदिवासी उन जंगलों में बसे हैं और उन्होंने उन जंगलों की रक्षा की है । उन जंगलों में ही उनके बाल बच्चे बढ़ते रहे हैं वह भूखे रह कर, तरसते रह कर उन जंगलों में बसे हैं । लेकिन आज की सरकार ने अपने लोभ लालच के लिये, अपने स्वार्थ के लिए , अपने चुनाव के लिये उन जंगलों का सारिया कम्पनी को ठेका दिया है और उन जंगलों के ठेकेदारों के पैसे से ही कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनाव लड़े, हरिदेव जोशी ने उन ठेकेदारों के पैसे से ही घाटोल से चुनाव लडा । मैं यह आज कह सकता हूं कि आपने हमारे आदिवासियों को मोहताज किया है, और वह मोहताज होकर लकड़ियों के लिये भटकते फिर रहे हैं । लकड़ी के अभाव में उनकी झोपड़ियां गिरती जा रही हैं । उनको लकड़ियां नहीं मिलती हैं । लकड़ी के लिये वह हवलदार के पास जाते हैं रेंजर के पास जाते हैं तो वह कहता हैं कि डी. एफ. ओ. के पास जाओ, बांसवाड़ा जाओ, जो कि पीपलखूंट से पच्चीस मील दूर पड़ता है । तो पच्चीस मील दूर उनको डी. ए फ. ओ. के पास भेजते हैं । वह हुक्म देगा तब उनको लकड़ी काटने का पास मिलेगा । इस तरह का आपने बतीरा बना रखा है । अगर कभी आदिवासियों को पास नहीं मिला, उनको समय पर पास नहीं मिला और उन्होंने किसी पास के जंगल से लकड़ी काट ली तो उन पर जुर्माना किया जाता है । गये साल हजारों लोगों पर जुर्माना किया, वन विभाग ने किसी से दो सौ, किसी से तीन सौ जुर्माना कया । मैं वन मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले साल कितने लोगों पर जुर्माना किया गया । अगर इसके बारे में आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो इस साल भी इसी तरह से होगा । अगर आप उनके लिये पास की व्यवस्था नहीं करें, अगर आप पास के जंगल से उनको लकड़ी नहीं दें , अगर आप इस साल के लिये उनके लिए व्यवस्था नहीं करें तो पन्द्रह बीस दिनों में तो लोगों की जरूरत होगी और वह पास के जंगलों से लकड़ी काटेंगे और फिर वन विभाग के आफिसर उन पर जुर्माना करेंगे । अगर उनको लकड़ी नहीं मिलेगी, तो वह अपने मवेशियों और बाल बच्चों के लिये मकान नहीं बना सकेंगे, और जो उनके

(श्री विट्ठल भाई)
घर गिर जायेंगे उनको ठीक नहीं कर सकेंगे तो उनके बाल बच्चे ठंड में मरेंगे क्योंकि उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसलिये आपको इसके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। कल भी मेरा जो कटौती प्रस्ताव था, उसके ऊपर मैंने कहा था और आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो वन मंत्री हैं वह समझदार हैं, उनमें ऐसी बात नहीं है, जैसे पहले भीखाभाई टाल देते थे, लेकिन आप भी सुखाड़ियाजी के कहने से इस तरह का हुक्म नहीं दें क्योंकि वह समाजवादी इलाका है इसलिये आप यह समझें कि हम कांग्रेसी इलाके में मदद देंगे और समाजवादी इलाके में मदद नहीं देंगे, अगर ऐसी नीति रखेंगे तो मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा। मैं इसलिये आपकी तारीफ करता हूं कि आप हमारी बात सुनेंगे जरूर। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है और यदि आप सुखाडियाजी के कहने पर, जोशीजी के कहने पर, जो नीति अभी बांसवाडा में चल रही है, उसी नीति को चलाते हैं तो ठीक है आप चला लीजिये, कोई बात नहीं है, चार साल आप चला लीजिये, पांचवें साल हम आपको बता देंगे क्योंकि जो कुछ चीज आज है वह हमेशा नहीं चल सकती है, समय बदलता रहता है····

एक माननीय सदस्य: फिर सुखाडियाजी और हरिदेव जोशी गायब हो जायेंगे।

श्री विट्ठल भाई: लेकिन यह बात रह जायगी कि कांग्रेस के पास में जब हुकूमत थी तो उसने समाजवादियों को इस तरह से सताया, इस तरह से परेशान किया। मैं चाहता हूं कि लकडी के नाम से, जो लोग उस इलाके में रहते हैं, उस जिले में रहते हैं और जो आदिवासी हैं, उनको आप परेशान न करें और समय पर लकडी दें।

दूसरी बात यह है कि वहां गरीब लोगों के चूने के भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे हैं, उन लोगों को लकड़ी के लिए पास नहीं दिया जाता है। उन लोगों को सूखी लकड़ी का पास दिया जाना चाहिए वह गरीब लोग हैं और छोटे छोटे उद्योग धन्धे करते हैं। उन लोगों को अपना धन्धा करने के लिए आप पास नहीं दें और विदाउट पास वह लकड़ी ले आयें तो उनके ऊपर दो सौ, तीन सौ, पांच सौ रुपया जुर्माना किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो चूने के भट्टे हैं या ईंटों के भट्टे हैं उनको जल्दी से जल्दी सूखी लकडी का पास मिलना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि यह पीपलखूंट क्षेत्र ऐसा है जो कि बिल्कुल जंगल एरिया है, और वहां पर रेवेन्यू की जमीन नहीं है। पहले तो वहां पर आबादी कम थी, लेकिन अब बाल बच्चे बढ़ने से आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने से क्या हुआ कि वहां जमीन घट गई गांवों में। वन विभाग ने जो डिमार्केशन कर रखा है उसको बनाने में वन विभाग इस बात का ध्यान नहीं रखता है और जमीन पर काश्त नहीं करने देता है। मेरा निवेदन है कि अगर आपके यहां अगर कोई ऐसा जमीन का टुकडा है जो काबिल काश्त जमीन है, तो मैं कहूंगा कि वन से उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा टुकडा नहीं है तो जहां घने जंगल हैं वहां आबादी में कन्वर्ट करके गांव वालों को जमीन दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में काफी दरख्वास्त उन लोगों ने दी हैं, और इसके लिए वन विभाग को

(श्री विट्ठल भाई)
तरफ से कोई कमेटी भी बना रखी है लेकिन उस कमेटी के द्वारा भी आज तक उन लोगों को जमीन नहीं मिली है ।

दूसरी बात......

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत हो गया !

श्री विट्ठल भाई : मैं विविध मांग के बारे में भी थोडा बोलूंगा । सरकार हमेशा यह कहती आई है कि हम आदिवासियों की भलाई कर रहे हैं । खैर, आदिवासियों के लिए हजारों, लाखों रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है लेकिन वह कैसे खर्च किया जाता है, उसके लिये तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बांसवाडा जिले के लिए कहूंगा कि बांसवाडा जिले में खर्च किया जाता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र हैं वह पीपलखूंट क्षेत्र है, वहां पर एक छात्रावास, आदिवासियों के लिये नहीं खोला है । आज वहां 99 पर्सेन्ट आदिवासी रहते हैं, पीपलखूंट मात्र में 99 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं लेकिन वहां एक भी छात्रावास नहीं खोला है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह पैसा कहां खर्च कर रहे हैं ....

श्री रामकिशन : ब्राह्मण आदिवासी हो गये ह । उनका पेट भरते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह पंडितजी हो गये हैं ।

श्री **विट्ठल भाई** : हरिदेवजी जोशी उस क्षेत्र में आते हैं, जब चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव या जनरल चुनाव और उस समय उस क्षेत्र में आकर कहते हैं कि हम आपके लिए छात्रावास खोल देंगे, आदिवासियों के लिए होस्टल खोल देंगे, आप हमें वोट दें । यह जरूर कहा जायगा लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है जो हरिदेव जोशी के कहने पर नहीं चलता है । वहां के ईमानदार लोग हैं, वह वोट कांग्रेस को नहीं देंगे । कांग्रेस को वोट नहीं देने पर जब जोशी जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं खोला . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विट्ठल भाई, यह कहते हैं कि यह सोशलिस्ट पढेंगे तो काबू के बाहर हो जायेंगे, इसलिए इनको तो मूर्ख बनाये हुए रखो ।

श्री मूलचन्द डागा : इसीलिए आपने कई वर्षों तक रखा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने सुना है कहते हुए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सुनी हुई बात सही नहीं हुआ करती है ।

श्री विट्ठल भाई : उनको आश्वासन देते हैं हरिदेव जोशी कि तुम्हारे लिए छात्रावास खोल देंगे, हायर सैकेन्डरी खोल देंगे । कभी सुखाडिया साहब को ले जाते हैं, कभी दिल्ली से एक आध मिनिस्टर को लेकर आते हैं और हायर सैकेन्डरी खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वह नहीं खोला । क्यों नहीं खोला, क्योंकि वहां की सीट कभी कांग्रेस ने नहीं जीती । इस कारण से वहां नहीं खोला जाता है । इस तरह की दलगत भावना आप लोगों में नहीं होनी चाहिए । ठीक है, यह लोगों की अपनी अपनी इच्छा है कि वह आपको अपना मत दें या हमको दें । यह उनकी मर्जी का सवाल है । यह सवाल नहीं है कि आज कांग्रेस का शासन है । आज कांग्रेस का शासन है तो कल

(श्री विट्ठल भाई)

समाजवादी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से और सही नीति से आप शासन चलाना चाहते हैं तो कम से कम सभी को बराबर रखना चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि हमको वोट देंगे तो हायर सैकेन्डरी स्कूल खुल जायेगा, या हमको वोट देंगे तो छात्रावास खोलेंगे, नहीं तो कांग्रेसी क्षेत्र में खोलेंगे। यह गलत नीति है, यह आपको शोभा नहीं देती और यह आपके लिये ठीक नहीं, क्योंकि आज तो आप हो, लेकिन कल आपके लिये कलंक होगा और यह इतिहास बनेगा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की दुहाई दी थी कि हम हरिजनों और आदिवासियों का भला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पक्षपात किया और उन्होंने आदिवासियों को दबा रखा और आगे नहीं आने दिया। इसलिये अभी भी आपको अपनी नीति में सुधार लाना चाहिये। आपने काफी साल राज्य कर लिया और इस नीति में परिवर्तन लाना चाहिये। तो मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि कम से कम यह बात आप जरूर करें कि हायर सैकेन्डरी स्कूल और छात्रावास तो आप इस साल जरूर खोलें, यह मैं मांग करता हूं। अगर नहीं खोलेंगे तो वहां के विद्यार्थी पढने से मोहताज रह जायेंगे। वहां के लडके अब मिडिल स्कूल पास करके आगे पढने के लिये बांसवाडा जाते हैं। वहां पर हॉस्टल है लेकिन उसमें 60 से अधिक लडके नहीं लेते। जब 99 प्रतिशत आदिवासी वहां रहते हैं तो केवल 60 लडकों के लिये हॉस्टल से कुछ नहीं बनता। बाकी लडके रह जाते हैं, वे मध्य प्रदेश भटकते हैं, और जगह 2 जाते हैं, और जब कहीं भी एडमिशन नहीं मिलती तो वापिस अपने गांव आ जाते ह और हताश होकर घर बैठ जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ट्रान्सपोर्ट में लाइन पर चलने के लिये गाडियों का परमिट देते हैं। ये सारी की सारी गाडियां लाइन पर उन लोगों की हैं जो कांग्रेस को वोट देने वाले हों। किसी गरीब आदिवासी या पिछडी जाति के आदमी को कोई लाइन नहीं दी गई। पिछडी जाति वालों को लाइन आज भी नहीं दी गई और देने की नीति भी नहीं है।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : (कांग्रेस के एक माननीय सदस्य के खडे होने पर) बैठो, बैठो।

श्री विट्ठल भाई : आप उनका शोषण करते हैं। बडे बडे ठेकेदारों को लाइन देते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसको दी ?

श्री विट्ठल भाई : आदिवासियों का केवल नाम बताते हैं।

श्री रामकिशन : विश्नोई जी, आप भी तो पिछडी जाति के ही हैं, विश्नोई पिछडी जाति के ही होते हैं, उनको भी क्यों नहीं परमिट दी जाती ?

श्री विट्ठल भाई : चुनाव के वक्त में जिन लोगों से पैसे की मदद लेंगे, उनको ही गाडियां देते हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिये।

एक गाडी जयपुर से देहली जाती है वह एयर कन्डीशन्ड गाडी है, उसमें घाटा बताया जा रहा है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े

(श्री विट्ठल भाई)

आदमी बैठते हैं, इसलिये उसका किराया कम रखा गया है और इसलिये घाटे में चल रही है। जब यह गाडी घाटा दिखाती है तो उसको बन्द क्यों नहीं कर देते ? ऐसी गाडियों को लाइन पर नहीं चलाना चाहिये, सरकार को ऐसा घाटे का काम नहीं करना चाहिये और जिस काम से जनता को फायदा मिले वह काम करना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, वनों के बारे में मेरे दो कटौती प्रस्ताव ह। वनों की रक्षा न होने के कारण वनों से आमदनी कम हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: समय सात मिनट ही है।

श्री रामप्रसाद बोहरा: इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फॉरेस्ट अधिकारी, झालावाड ने किस प्रकार वनों का सर्वनाश किया है और किस प्रकार राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1966-67 में जंगलों की बीडों का घास कटवाया गया था अकाल क्षेत्र के लिये। उस घास में से पांच रुपये का घास भी नहीं बिका और घास को कटवाने में 39 हजार रुपये सरकार के खर्च हो गये थे। उसकी क्या पोजीशन है ? मैं आपके माध्यम के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बडा घोटाला है, या तो फॉरेस्ट अधिकारी ने बिल्कुल घास कटवाई ही नहीं और यों ही फर्जी फिगर्स पेश कर दीं। क्यों कि उस वक्त अकाल था और अकाल के वक्त घास मुहैया नहीं हो सका तो इससे अधिक गैर जिम्मेदारी की बात क्या हो सकती है ? हजारों की तादाद में मवेशी मर गये बिना घास के जब कि आपने 39 हजार रुपये कटाई पर ही खर्च किये। इस प्रकार के घोटाले हुए हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाइये।

दूसरा मुझे यह निवेदन करना है कि वनों की बाउण्डरीज पर जो मोनोलिथ मीनारें लगाई जाती हैं, वे बारां, कोटा, बूंदी के फॉरेस्ट डिवीजन्स के लिये झालावाड डिवीजन से सप्लाई किये जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी झालावाड पर है। 1965-66 और 1966-67 में जितनी मीनारें उस डिवीजन से गई हैं उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया। एक ही ठेकेदार मीनार देता है और उसको पेमेण्ट दिया जाता है। एग्रीमेन्ट जो है वह झालावाड रेंज पर देने का है लेकिन सप्लाई वहां से न होकर, टोंक, बूंदी, कोटा और बारां से ट्रक जाते हैं और ये मीनार खानों से ले जाते हैं। एग्रीमेन्ट झालावाड डिलीवरी का है, पेमेन्ट झालावाड डिलीवरी के नाम से दिया जाता है। इसका कोई हिसाब नहीं कि कितनी मीनारें जाती हैं, झालावाड में कितने काम आये और बाहर कितने गये, इसका कोई हिसाब नहीं। इस तरह के गैर-जिम्मेदार तरीके से डिवीजनल अधिकारी ने यह काम कर रखा है और एक ही ठेकेदार द्वारा यह सप्लाई की जा रही है।

इसके अलावा तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि झालावाड डिवीजन में लगभग दो साल से फॉरेस्ट की बहुत सी ऐसी जमीनें है और उस पर जो पेड आदि वन सम्पत्ति थी उसको लोग काट काट

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

कर ले गये। इसके बारे में मैंने समय समय पर वहां के अधिकारी महोदय को भी बताया लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने इतने अच्छे अच्छे जंगलों को जहां से कत्थे के ठेके की आमदनी हो सकती है, तेंदू के पत्ते से आमदनी हो सकती है, ऐसे जंगलों को खत्म कर दिया है। मैंने तो लोगों को यह भी कहते सुना है कि वहां के अधिकारी की इच्छा से ऐसा किया गया है। कुछ लोगों ने रेंज बकानी फॉरेस्ट की जमीन पर पेडों को काट कर कब्जा किया है। मैंने इसकी सूचना दी लेकिन अधिकारी महोदय ने समय पर कुछ भी नहीं किया और नतीजा यह है कि आज भी वे लोग उस जमीन पर काबिज हैं और वहां उन्होंने फसल बोदी है। फूट तालाब, रेंज झालावाड, और रेंज बकानी में फारेस्ट की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और वहां पर जो पेड थे वे काट लिये हैं। इसी प्रकार खेमल खडा और रूपापुरा के जंगलों को काटा गया है और वहां या तो फसलें बो दी गई हैं या वैसे कब्जा किया गया है। इस प्रकार मैंने समय समय पर वहां के अधिकारी महोदय को निवेदन किया था कि ये जंगल जो के राज्य लिये आय के साधन हैं, उद्योगके भी साधन हैं, बीडी के लिए पत्तों का ठेका देते हैं, कत्था मिलता ह, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया और सारे जंगल इस प्रकार कटवा दिये। इस के बारे में पूरी जांच होने पर पता चल सकता है कि ये जंगल क्यों काटे गये, कैसे काटे गये, इसमें किस व्यक्ति का अपराध था। तो मैं इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये तो पता लग सकता है कि इतनी बडी सम्पत्ति का जो विनाश हुआ है उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ह और इसके लिये डिवीजन फॉरेस्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज है, यहां भी फॉरेस्ट की जिला व तहसील स्तर की कमेटी ह। वहां के अधिकारी लगभग 12 महीने से कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं। इसलिए इस तरह से प्रशासन की उपेक्षा करके लोग जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। जो जमीन काबिल काश्त है, न वह जमीन रेवेन्यू में आती है, और न भूमिहीनों को ही मिल पाती है। इसलिए मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये। वन सम्पत्ति का विनाश होने का कारण जनता के लिए कहा जाता है कि यह जनता के कारण है। लेकिन राज्य के अधिकारी किस तरीके से गडबड कर रहे हैं। अपने तौर तरीकों से कितना भ्रष्टाचार करते हैं। कितना भ्रष्टाचार है, वह जांच से पता चलेगा। दूसरी चीज है, वनों में कितनी औषधियां हैं, कई जडी बूटियां हैं अगर आयुर्वेद विभाग की ओर से भी एकत्रित करवा ली जायें तो लाखों रुपयों का लाभ हो सकता है और कितनी चीजें है, इसके अन्दर अगर वन विभाग द्वारा ध्यान दिया जाय तो लाभ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्याणमल।

श्री **कल्याणमल** (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव वन विभाग के सम्बन्ध में रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। लोगों को जिनको गरीब कहते हैं, आदिवासी हैं, उनको जंगलात के जरिये से मदद मिलती थी। आज जंगलात दिनों दिन उजडते जा रहे हैं और जंगलात के अधिकारी क्या हैं ? वह उजाडने

(श्री कल्याण मल)

में लगे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जहाजपुर में 50 प्र. श. से अधिक जंगल हैं। उन जंगलों के जरिये काफी रोजगार चलता था। आज वहां जंगल 25 प्र. श. नहीं रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जंगल दिनों दिन कटते जायेंगे तो वहां पैदावार पर काफी बुरा असर पडेगा। वर्षा भी कम होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि जंगलों की हालत अगर इस तरह से गिरती जायेगी और वहां के अधिकारी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर तहसील में, जमीन जो आज जंगलात में है, उसमें कई किसान वर्षों से काश्त करते आये हैं। वह जमीन न तो जंगलात की है और न काश्तकारों की है। वह बीच में लटकी हुई है। उस जमीन को जंगलात विभाग अपने चंगुल से नहीं छोडना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन अगर किसानों की हो जाती है, तो आज जो जंगलात वालों को नाजायज फायदा उठाने का मौका मिलता है' यदि वह जमीन उनके चंगुल से निकल जाय तो उनका जो जरिया बना हुआ है वह खत्म हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर उनका वर्षों से कब्जा है। वह जमीन काबिल काश्त है और कोई किसी तरह का पेड़ नहीं होते हुए भी इस जमीन को निकालने के लिए कई बार मीटिंग बुलाई गई। लेकिन अधिकारियों को तो टाइम ही नहीं मिलता ह। दो साल से तहसील स्तर पर मीटिंग बुलाई जाती है लेकिन एक भी मीटिंग में नहीं आये। टाइम नहीं है और आयन्दा मीटिंग में आयेंगे, यह कह देते हैं। इस तरह दो साल से टालमटोल किये जा रहे ह। अगर इस तरह से कर्मचारियों को यह मौका दिया जाये, इस तरह से वह नाजायज फायदा उठाते रहें और जमीन के लिए भूमिहीन काश्तकार भटकते रहें तो ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस सम्बन्ध में नियम बनाना चाहिए जो काबिल काश्त भूमि है वह भूमि उन काश्तकारों को दे दी जाये, ताकि काश्तकार अपना निर्वाह कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात जो दिनों दिन उजडता जा रहा है, उनके अन्दर पेडोंक बनाये जायें जिससे मौजूदा पेडों की रक्षा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष पेडोक बनाये गये थे अकाल के समय के कारण जो पिछले वर्ष पेडोक बनाये गये, उनमें काफी घोटाले हुए हैं। आज भी लोग पैसे के इन्तजार में हैं कि किस तरह हमारी मजदूरी मिले।

इस तरह से वन विभाग में घोटाले होते जा रहे हैं, उसकी कोई देख रेख नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन वह चीज हैं जिसमें से जो किसान, गरीब किसान ह जिनके पास कोई साधन नहीं है तो वहां की सूखी लकडियां ले जाकर अपना रोजगार चला सकते हैं। परन्तु आज जो जंगल की हालत बिगडती जा रही है वह देखी नहीं जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हुआ यह कहूंगा कि जहाजपुर तहसील में एक हजार बीघा से अधिक तादाद में जो जमीन है, उसको जंगलात से छुडाया जाये और वहां जो भूमिहीन काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को वह दिलानी चाहिए। वह जमीन वहां के भूमिहीनों को मिल जाएगी तो वह अन्न पदा करेंगे। उससे देश का अन्न उत्पादन

(श्री कल्याणमल)

बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो किसान जो कमाते हैं वह जंगलात वालों को हर वर्ष देते रहेंगे और उसके बाल बच्चे भूखे मरते रहेंगे। इससे वह न तो काश्तकारों की जमीन होगी और न जंगलात की होगी। इसी तरह से बीच में झूलता रहेगा। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उस जमीन की तरफ और काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया जाये और जमीन को जंगलात से निकालने की कोशिश करें।

बाकी मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में भी निवेदन करूं कि जहाजपुर तहसील ऐसा क्षेत्र रहा है जहां कि 40 हजार आदिवासी रहते हैं। वहां जो छात्रावास है केवल 35 छात्रों का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है, वहां दूसरा छात्रावास ग्राम शंकरगढ में खोला जाये ताकि गरीब आदिवासियों को शिक्षा मिल सके। मगर अब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि वे खास तौर से इस ओर ध्यान दें और पिछडे हुए आदिवासियों को आगे बढाने में मदद करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज वहां की हालत है, पहाडी इलाका होने से वहां का किसान बहुत पिछडा हुआ है। और पिछडा हुआ होने के नाते सरकार को उनकी तरक्की करने के लिए काफी मदद देनी चाहिए। मैं यही निवेदन करके अपनी बात यहां ही बन्द करता हूं।

(3 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की वन संपदा के बारे में वन विभाग केवल उदासीन ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि वन विभाग योजनाबद्ध रूप से उसके विकास की ओर नहीं बल्कि उसके विनाश की ओर वन सम्पदा को ले जा रहा है। उपाध्यक्षजी, वन सम्पदा यह सारी प्रकृति की देन है। आज आवश्यकता इस बात की थी कि यह विभाग, प्रकृति ने जिस सम्पदा को हमें दिया है, उसका विकास करता और वह विकास जहां राजकीय आय बढाने में साधन होता वहां राजस्थान, जो कि अरावली की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, उन स्थानों को आज सुन्दर बना कर आकर्षण का बिन्दु बनाता पर इन सब से दूर हट कर आज वन विभाग एक परिपाटी के रूप में क्योंकि एक विभाग है इस दृष्टि से काम करता है, आज अपने काम को जिस प्रकार से सम्भाल कर चलना चाहिये, उस तरह न चल कर ढिलाई से चल रहा है।

वन विभाग में आज 125 लाख की आमदनी है और खर्चा भी लगभग उतना ही आ जाता है और इस वन विभाग से हमारी स्टेट इन्कम है, उस पर वन विभाग का जो पर्सेंटेज है वह .07 पर्सेंट है। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है और इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि वन विभाग आज राजस्थान को हरा भरा और सम्पन्न बनाने में कितना कुशल है, कितनी जागरुकता के साथ कार्य कर रहा है।

(3.2 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

श्री नारायणसिंह : कितना पर्सेंट बताया आपने ?

एक माननीय सदस्य: वही बताया है जो आपने आंकडे दिये हैं। आपके आंकडों से ही बता रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कुल स्टेट इन्कम का .07 पर्सेंट है। तो आज इस वन विभाग से समाज के दो वर्गो का सम्बन्ध है। एक तो वह वर्ग हे जो किसान है, मजदूर है, आदिवासी हैं, यह वह वर्ग है जो अनपढ है, जो पिछडा हुआ वर्ग है और इसका सम्बन्ध वन विभाग से केवल इतना ही है कि वह वनों से अपनी आजीविका कमा कर जिन्दा रहना चाहता है, वनों की उपज को बाजार में ला कर, उसे बेच कर अपनी आजीविका मात्र चाहता है।

दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो वन विभाग से लाखों करोडों रुपया कमा कर पूंजीवादी वर्ग में दिये जा रहा है।

जो पिछडा वर्ग है, चाहे किसान हों, चाहे आदिवासी हों, आज उनको जो वनों के सम्बन्ध में राइट्स हैं जिनको स्वयं सरकार ने अपने नोटिफिकेशन से 1959 में स्वीकार किया है। उन कन्सेशनल राइट्स की यह विभाग धीरे धीरे उपेक्षा करता जा रहा है। आज आदिवासी अपनी जरूरत की लकडी के लिये वन विभाग के मोहताज रहते हैं, उन्हें वन विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का शिकार होना पडता है, जब तक वे वन विभाग के अधिकारियों के सामने गिड्–गिडाये नहीं, रिश्वत नहीं दें, तब तक लकडी नहीं ला सकते। उन्हें अपने मवेशियों को चराने के लिये घास चाहिये, वह समय पर नहीं मिलता। यहां तक कि जो फारेस्ट प्रोड्यूस उन लोगों को कन्सेशनल रेट्स पर मिलनी चाहिये वह उन्हें कन्सेशनल रेट्स पर न दी जाकर बढी चढी रेट्स पर दी जाती है। जिस वर्ग को पीढियों से जंगल की प्रोड्यूस पर जिंदा रहने का अधिकार है, उस वर्ग की यह विभाग और यह सरकार उपेक्षा कर के दूसरे सरमायेदारों को, ठेकेदारों को पूंजी-पतियों को संरक्षण देकर और गैर-कानूनी ढंग से नाजायज लाभ दे कर पनपा रही है। इसका कोई एक उदाहरण नहीं सैंकडों उदाहरण हैं। इन ठेकेदारों को जितने कूप दिये गये उसकी सीमा से बढ कर उन वनों को बरबाद कर दिया है और सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। कत्थे के ठेके दिये हैं, जितनी कत्थे की हंडियों के ठेके दिये गये। उनसे कई गुनी कत्थे की हंडियां तैयार कर के उन ठेकेदारों ने, उन सरमायेदारों ने जंगलों को बरबाद कर दिया और लाखों रुपयों की आमदनी की, पर सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उधर सारे वन बरबाद होते रहे और यह सरकार, यह विभाग देखता रहा। दूसरी ओर यह सरकार उन तबकों की जो वनों पर पीढ़ियों से जिंदा रहते आये हैं, उनकी उपेक्षा करती रही, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने स्वयं 1959 में नोटिफिकेशन निकाला, उनकी उपेक्षा करती रही।

मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में ऐसे कितने लोग हैं जो पशुपालन कर के अपनी आजीविका कमाते हैं और राज्य सरकार को भी आय देते हैं, उन पशु पालकों के प्रति सरकार की

Page No. 113

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उपेक्षा नीति रही है। पशुपालन का जो धंधा करते हैं वे हमारी राजस्थान की कुल आमदनी का 16.93 पर्सेन्ट भाग आमदनी के रूप में देते हैं, आज यह सरकार उस तबके की उपेक्षा करती रहे, इससे अधिक लज्जा की कोई और बात नहीं हो सकती। उन इलाकों में जहां अकाल पडते रहते हैं, जहां पानी की कमी है, वहां मवेशी बरबाद होते हैं तो पशुपालक अपने उन पशुओं को ले कर दूसरे इलाकों में जाते हैं, पर उनको चराई के लिये कोई जगह नहीं दी जाती, उनको चराने के लिये कोई जंगलात नहीं दिये जाते। आज स्थिति यह है कि राज्य की कुल आमदनी का 17 पर्सेंट भाग जो पशुपालक देते हैं उनको किसी प्रकार की, सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जाती है, जहां तक चराई का सवाल है, आज 17 साल बाद भी सारे राजस्थान में चराई की रेट्स समान नहीं हैं। भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न चराई का शुल्क लिया जाता है, एक क्षेत्र में ही भिन्न भिन्न रेट्स हैं। देखने को यह मिलता है कि एक ही क्षेत्र में, एक ही स्थान पर मवेशी चरायें दो व्यक्ति तो उनसे दो तरह की चराई की रेट्स ली जाती हैं। मन्त्री महोदय, मैं आपको आपके क्षेत्र की याद दिलाना चाहता हूं। आपके इलाके से कितने ही मारवाडी पशुपालक उजड कर कोटा में आये हुए हैं, उनसे जो चराई की रेट ली जाती है वह वहां के वाशिन्दों से ली जाने वाली रेट से दुगुनी तिगुनी रेट ली जाती है। आज सुव्यवस्थित रूप से इस विभाग को चला सके इस प्रकार की कोई व्यवस्था इस विभाग में नहीं है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सभी माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये जो जंगल खत्म हो रहे हैं इसका कारण यह नहीं है कि किसानों को, मजदूरों को और आदिवासियों को, जिनको अपना पेट भरने के लिये सूखी लकडी चाहिये, उनको आपने लकडी दी हो। बल्कि इसका कारण यह है कि बडे बडे शरमायेदारों, बडे बडे ठेकेदारों को जंगलों के ठेके दे कर सरकार ने जंगलों को बरबाद कर दिया है, निर्दयता से नष्ट कर दिया है और राजनैतिक कारणों से, राजनैतिक हथकंडे अपना कर राजस्व विभाग में जंगलों को ट्रान्सफर किया है, शनैः शनैः किया जा रहा है। इसका कोई मापदण्ड नहीं कि कौन से जंगल हैं, जहां खेती की जा सकती है। ऐसा कोई माप दण्ड सरकार ने नहीं बनाया है। जहां कहीं राजनैतिक कारणों से मांग हुई कि हमारे क्षेत्र में 500 आदमियों को बसाना है, वहां राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिये जंगलों को राजस्व विभाग में ट्रान्सफर कर दिया गया है और इस प्रकार आपने राजनैतिक ढंग से लोगों को पाला है। इस तरह राजनैतिक कारणों से लोगों को पाला जा रहा है और धीरे धीरे वन विभाग राजस्व विभाग की वनों की जमीनों का हस्तान्तरण करता जा रहा है।

मैं आपको याद दिलाऊं, एक फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और सिफारिश की और सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार किया। फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई थी कि एक लैंड केपेबिलिटी सर्वे समिति बनाई जायगी और वह समिति 5 साल के लिये सर्वे करेगी। राजस्व विभाग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
के अधिकारियों के साथ बैठकर वन का सर्वे करेगी और इस नतीजे पर पहुंचेगी कि राजस्थान में ऐसी कौन सी भूमि है जो जंगलात से निकाल कर राजस्व विभाग को दी जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी कमेटी ने सिफारिशें कीं उनके आधार पर कभी लैंड कैपेबिलिटी सर्वे कमेटी बनाई गई ? क्या इस सर्वे कमेटी ने सर्वे करके सरकार को दिया और उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान के अन्दर इस जंगलात की भूमि को राजस्व की भूमि में ट्रान्सफर किया ? कमेटी पर जो खर्चा किया है वह बेकार गया, सिफारिशें ऐसे ही पडी हुई हैं, सरकार मनमाने ढंग से, राजनैतिक दबाव के आधार पर भूमि का हस्तान्तरण करती चली जा रही है। स्वयं बूंदी जिले के अन्दर डेढ हजार बीघा जमीन जिस पर जंगल खडा था, हरा भरा जंगल खडा था, जिस पर कीमती लकडी थी, आपके विभाग ने राजस्व विभाग को ट्रान्सफर करने की कोशिश की है। इसके पीछे क्या मन्शा है ? किन को यह भूमि ट्रान्सफर होगी ? वह मैं समय आने पर आपको बताऊंगा। जब सरकार वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए कोई कमेटी बनाती है, और वह कमेटी सिफारिश करती है, उसके अनुसार कोई योजना सरकार को बताती है, तो सरकार उसका पालन क्यों नहीं करती है? क्यों मनमाने ढंग से राजनैतिक दबाव के आधार पर जंगलों को खत्म करके भूमि का दुरुपयोग किया जाता है ?

आपके विभाग में एक दूसरा विभाग है सर्वे विभाग–रेविन्स सर्वे विभाग, वहां आपने एक बडा अधिकारी और दूसरा स्टाफ बिठा रखा है जिस पर काफी सालाना खर्चा होता है। आज तक 7-8 वर्षों से यह विभाग जो काम कर रहा है उन्होंने कितनी जमीन की सर्वे की ? वे जमीनें जो नदी और कैनाल के पास होने के कारण जिनका कटाव हो रहा है और जिस कारण जमीनें बेकार होती चली जा रही हैं, उन्होंने सर्वे करके कितने एकड भूमि के बारे में सरकार को सिफारिश दी और उन सिफारिशों के आधार पर कितने एकड भूमि आपके विभाग ने रिक्लेम की ? आज इस सर्वे विभाग की सिफारिश पर एक एकड भूमि भी रिक्लेम नहीं की गई, सारा पैसा इस विभाग पर बेकार चला जा रहा है। रेविन्स सर्वे विभाग को और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए दूसरा विभाग और खोला रैविन्स रिक्लेमेशन विभाग। जो पहले से ही रैविन्स सर्वे विभाग था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जमीनें रिक्लेम होनी चाहिए थीं, उसको सहयोग देने के लिए दूसरा रेविन्स रिक्लेमेशन विभाग खुला और इस विभाग ने भी कन्जरवेटर फॉरेस्ट्स बिठा रखा है, आपने डी. एम. और ए. सी. एम. बिठा रखे हैं। यह जो दूसरा विभाग आपने बनाया है उसने राजस्थान की कितनी जमीनें जो बरबाद हो रही हैं कटाव के कारण, उनको डेवलप किया ? इस विभाग पर हजारों रुपए स्टाफ पर खर्च हो रहे हैं, सारे बरबाद हो रहे हैं, किसी प्रकार का इम्पलीमैंटेशन नहीं। रिपोर्ट्स 5-5, 6-6 साल से पडी हुई हैं, आज स्थिति बदल चुकी है। जो भूमि के कटाव के कारण जंगलात बरबाद हुए उसको विकसित करने की योजना बनाई तो जो दो अनुभाग वन विभाग ने बनाए, उन्होंने क्या काम किया? कितनी जमीनों को कटाव से बचाया ? आज एक एकड जमीन भी विभाग की सिफारिश

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
के आधार पर न तो रिक्लेम की गई है न रिक्लेम करने के लिए डेवलपमेन्ट किया गया है।

इसी प्रकार वन विभाग में प्लान्टेशन विभाग है वृक्षारोपण के लिए। सरकार की हर साल नीति घोषित होती है कि हम वृक्षारोपण कर रहे है, पेडों को लगा रहे हैं, जमीनों को आबाद कर रहे है, कटाव से बचायेंगे। इस विभाग के माध्यम से आज आपने राजस्थान के कितने हिस्से को हरा भरा किया ? स्वयं सरकार ने इसकी असफलता को देखकर एक समिति बनाई थी यह मालूम करने के लिए कि जितने प्लान्टेशन्स किए गए वन में, उनके द्वारा कितना अचीवमेन्ट रहा। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि रिपोर्ट के अनुसार केवल 5 प्रतिशत सफलता आपको मिली है, 95 प्रतिशत असफलता आपके हाथ आई है। जितना पैसा प्लान्टेशन के नाम पर विभाग ने खर्चा किया उसका क्या उपयोग रहा ? आप विभागों पर खर्च करते जा रहे हैं, विभागों पर काम सौंपते जा रहे हैं। जितने विभाग वन विभाग ने इस दृष्टि से खोले उनकी सफलताओं को देखा जाय तो लगभग शून्य के बराबर हैं। इसलिए धीरे धीरे जंगल बरबाद होते जा रहे हैं। नदी नालों और पहाडी इलाकों के कारण जमीन कटती जा रही है।

चौथा विभाग है आपका सेटिलमेन्ट का। इस सेटिलमेन्ट विभाग ने क्या आज तक सीमांकन कर दिया है ? वन विभाग से सेटिलमेन्ट विभाग जो आपने निकाला उसके द्वारा म्यूटेशन हो चुका है ? जो फारेस्ट विभाग है उसमें जो पहले सेटिलमेन्ट किया वह सादा कागज पर। सादा कागज होने के कारण उसको कोई नहीं मानता था। सरकार को बाद में मजबूर होकर जो पटवारी लोग कागजात रखते हैं उन कागजात पर दुबारा सब करना पडा और आज स्थिति यह है कि राजस्थान के वन का सीमांकन हो गया, म्यूटेशन नहीं है, सारे कागजात पडे हुए हैं। ऐसी हालत में कैसे आशा की जा सकती है कि राजस्थान के जंगल हरे भरे होंगे ? आज स्थिति यह है कि सारे का सारा विभाग आज राजस्थान के खजाने पर भार बनकर बना हुआ है। इस विभाग द्वारा राजस्थान में कोई उद्योग नहीं पनप पाया है, आदिवासियों को किसी प्रकार से फायदा नहीं। ठेकेदार ही पनपे हैं जिन्होंने सरकार से ठेके लेकर नाजायज फायदा कमाया और जंगलों को बरबाद किया।

अंत में एक और विभाग का जिक्र करना चाहता हूँ—भू-संरक्षण विभाग।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त करता हूँ।

तो इस प्रकार यह विभाग वन विभाग में काम कर रहा है। इसका काम यह है कि जो चंबल परियोजना बनी है, इस पर जो हमारा कैचमेंट एरिया है, चाहे कोटा डैम हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे आपका कोटा बांध, तीनों पर जो कैचमेंट एरिया है उसकी मिट्टी को काट काट करके नदी में डाला जाय, वहां कटाव नहीं बढ़े, इस कारण इस योजना को वन विभाग के सुपुर्द किया और सारी योजना पर केन्द्रीय सरकार की ओर से खर्चा किया जा रहा है। आश्चर्य है कि 1964 में यह योजना आरंभ हुई। 1964 से लेकर 1967 तक इस योजना पर लगभग 80 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन इस 80

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लाख रुपए का क्या हुआ ? क्या इस योजना के द्वारा वहां के क्षेत्र में रहने वालों को कोई लाभ मिला, उस क्षेत्र के अन्दर कोई विकास हो पाया है ? थोडा सा नक्शा मैं वन मंत्री के सामने खींचना चाहता हूं । आप आश्चर्य करेंगे कि इस योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस प्रोजेक्ट पर· ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : समय बाकी नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भूमि का कटाव बचे, इसके लिए सरकार ने 80 लाख रुपए खर्च किए । योजना में जो टार्गेट्स थे उनको बदल कर किस प्रकार खजाने के साथ खिलवाड किया है । कोटा बैराज योजना जो स्वीकृत की गई है, उसमें चार हजार एकड भूमि के अन्दर पैंडाक्स लगाने थे लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उस चार हजार एकड भूमि के बजाय आज 15 हजार एकड भूमि पर पैंडाक्स लगाये हैं जिसका एरिया 25 हजार स्क्वायर मील है कैचमेन्ट एरिया । उसमें केवल चार हजार पैंडाक्स लगाने थे, आज उस एरिया में चार हजार पैंडाक्स के बजाय 15 हजार पैंडाक्स उस पर लगाये गये हैं । इसी प्रकार कोटा डेम पर 6 हजार पैंडाक्स लगाने थे लेकिन साढ़े बारह हजार पैंडाक्स लगाये गये हैं । सारा पैसा खर्च कर दिया इसमें । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वे मंत्रियों को खूब घुमाते हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कहां तो चार हजार पैंडाक्स और कहां 15 हजार पैंडाक्स और इसी तरह से कहां 6 हजार पैंडाक्स और कहां साढ़े बारह हजार पैंडाक्स । घेर लिया है सब जगह को । सभापति महोदया, कोटा शहर जिसकी आबादी ढाई लाख है वहां रहना मुश्किल हो रहा है, वहां चराई के लिये कोई स्थान नहीं है । जानवर भटकते फिरते हैं । मैं पूछना चाहता हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार जितना क्षेत्र निर्धारित है उससे बढ़ा कर चार गुना पांच गुना क्यों घेर लिया ? मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति किस अधिकारी से ली गई ? मनमाने ढंग से क्षेत्र में पैंडाक्स बना दिये गये हैं । मवेशियों के परिवारों को बे-घरबार कर दिया गया है । आज उनके मवेशियों को चरने के लिये एक दाना भी वहां नहीं रहा है । 80 लाख रुपये खर्च किये गये हैं । वन मंत्रीजी आज स्थिति यह है जो विभाग का घेरा है, वह गैर कानूनी है । यह जो विभाग ने बनाये हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विभाग ने हजारों एकड भूमि पर पैंडाक्स बना दिये हैं, तार बन्दी की है, पत्थर लगाकर घेर लिया है, क्या इस जमीन को घेरने से पहले कानून के अनुसार जो कार्यवाही करनी थी, उसके अनुसार नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन निकलाने के बाद आब्जेक्शन इन्वाइट किये ? कोई लोगों को मुआवजा दिया गया ? सभापतिजी, इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । बिना लोगों के आब्जेक्शन इन्वाइट किये सारी जमीन को घेर लिया । जहां पर 80 लाख रुपया खर्च हुआ है यह सारा का सारा काम नल एंड वाइड है । ये अधिकारीजी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बडे अच्छे काम करने वाले हैं । मुख्य मंत्रीजी को इस व्यक्ति की सारी कहानी याद है, सारी बातें आपको याद हैं । यह व्यक्ति वह है जो स्टेट के टाइम पर सस्पेन्ड हुआ था । सन् 1949-50 के अन्दर । छत्रपुरा फारेस्ट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
स्कूल था, उस फारेस्ट स्कूल के अन्दर 15 हजार का फर्जी चक किया गया था। उसमें एक ये स्वयं थे और दूसरे इनके एकाउन्टेन्ट थे। दोनों ही सस्पेन्ड हुये थे, चालान पेश हुआ, चालान पेश होने के बाद वह बचारा गरीब अकाउन्टेन्ट तो मारा गया। सारा दोष उस पर डाल दिया गया। उसको सजा हुई लेकिन हाई कोर्ट ने फसला दिया है कि ऐसे वन अधिकारी को, जिसके कारण 15 हजार का गबन हुआ, इतना जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाना चाहिये। दूसरा केस इन अधिकारी महोदय का कोटा में हुआ। एक पम्प लगाया पानी का, उस पम्प के लिये इन अधिकारी जी का एक भाई था श्री रामचन्द्र आय। वे वहां पर स्टोर के इन्चार्ज थे। इन्होंने कोटा के हीज हाइनेस से कोई पुराना पाईप खरीदा। वह पुराना पाईप चला गया बीकानेर स्टोर में और बीकानेर स्टोर से नया पाईप आ गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नतीजा यह हुआ कि···

श्रीमती सभानेत्री : समाप्त करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बस समाप्त कर रहा हूं। नतीजा यह हुआ कि उनका चालान हुआ और वह पम्प जो कि सरकारी था, इनके खाते से जब्त किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को ऐसी जगह लगाते हैं जिसके खिलाफ इस प्रकार के चार्जेज हों, जिसका इस प्रकार का रवैया हो। आज केन्द्रीय सरकार के 80 लाख रुपये से परियोजना के नाम पर चम्बल क्षेत्र में रैडाक्स लगाये। इसमें जितना पैसा खर्च किया गया है वह सब इल्लीगल है। वे फॉरेस्ट अधिकारी नहीं हैं, उनको फॉरेस्ट अधिकारी का नाम नहीं लिया जा सकता है। साइल कन्जर्वेशन एक्ट के तहत बिना परवाह किये यह सारा पैसा खर्च किया गया है। अभी अभी इन्हीं अधिकारी जी ने, जब ये दिल्ली में गये थे तो वहां पर अपने एक चपरासी को जिसका नाम सीताराम था, दिल्ली में जब आप कामन वैल्थ कान्फ्रेन्स में वहां थे तो इस चपरासी को घूसों से लातों से मारा। इसकी शहादत मेरे पास मौजूद है। जिस अधिकारी का रवैया अपने स्टाफ के साथ इतना खराब हो और जिस अधिकारी के खिलाफ भयंकर आरोप हों, आज उसको इतनी बडी योजना के ऊपर बैठा दिया है जिसका सारा पैसा बट्टा खाते गया है। यह सारा विभाग आंख मीच कर चल रहा है। आज वन मंत्रीजी चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर वनों का विकास हो, वनों की सम्पदा बढे जिससे राजस्थान को आमदनी बढ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन आज यह बिल्कुल···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : सभानेत्री जी, राज्य में आज समाज कल्याण की प्रवृत्तियों का संचालन करने के लिये राज्य स्तर पर दो संगठन है—समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण बोर्ड। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा है, जो अवैतनिक महिला है। अभी विभाग के अधीन महिला सदन और महिला छात्रावास हैं, जिन्हें बोर्ड के अन्तर्गत देना चाहिए क्योंकि इन आश्रय

(श्रीमती गौरी पूनिया)

गृहों में ऐसी बहिनें आती हैं जो समाज की सताई होती हैं, जिनके दिल और दिमाग का सन्तुलन खोया हुआ होता है। ऐसी बहिनों को अच्छे वातावरण की जरूरत होती है इनको समझा बुझा कर वापस समाज में प्रतिष्ठा दिलाना या उनके योग्य कोई काम काज सिखा उनको काम पर लगाना आदि ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें पुरुषों की अपेक्षा महिलायें ज्यादा समझ सकती हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि ऐसी प्रवृत्तियों से बोर्ड ज्यादा अच्छी तरह से सम्पादन कर सकता है। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि कन्या छात्रावासों को भी बोर्ड के अन्तर्गत लेना चाहिये क्योंकि बच्चियों की भी ऐसी समस्या होती है जैसे गृह विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान आदि एसी कई बातें हैं जिन पर महिलाएं उचित रूप से विचार कर सकती हैं और उनके लिये ऐसी योजनाऐं बना सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि महिला-सदन व पिछडे वर्ग के कन्या छात्रावासों को विभाग से लेकर बोर्ड के अन्तर्गत दे देना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक सफलता पा सकें।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि पिछड़े वर्ग के लिये जो छात्रावास खोले जाते हैं उसमें राज्य सरकार ने जो नीति अपना रखी है उसे मैं पक्षपातपूर्ण रवैया कहूं तो कोई अनुचित नहीं होगा। मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने भी इस बात की शिकायत की थी और मुझे भी इस बात की शिकायत है क्योंकि मैं पिछले आठ साल से डेगाना में छात्रावास खुलवाने का प्रयत्न कर रही हूं लेकिन राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, परन्तु नागौर जिले में लाडनूं डीडवाना और खास नागौर में दो दो तीन तीन छात्रावास है जहां इतनी आवश्यकता नहीं परन्तु वहां से आने वाले स्वयं सरकार के अंग रहे हैं वे अपना दबाव डालकर खुलवा लेते हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करती हूं कि जो आजतक नीति बरती जा रही, छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में वे इसमें परिवर्तन करें और जहां आवश्यक हो वहां छात्रावास खोले। मैंने जब इस बारे में बातचीत की तो मुझ से कहा गया कि माननीय मंत्री महोदयों की सिफारिश आजाती है उप मंत्रियों की आजाती है तो उस आधार पर छात्रावास खोले जाते हैं। यदि अब भी यही क्रम जारी रहा तो मैं समझती हूं पैंतीस साल में भी डेगाना का नम्बर आने वाला नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वर्तमान में जो सम्बन्धित मंत्री है उनसे मैं यह अपेक्षा रखती हूं कि वे पुरानी परम्पराओं के आधार को छोडकर जहां आवश्यक हो वहीं पर छात्रावास खोलेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलानिया।

(अनुपस्थित)

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : सभापति महोदया, मैं बार बार खडा हो रहा हूं आप मुझे समय नहीं दे रही हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी दिया जायगा।

श्री नाथूराम : गवर्नमेन्ट को सही बात नहीं कहलवाना चाहते हो तो बात दूसरी है नहीं तो मुझे समय मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सभापति महोदया, मैंने समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछडी जाति के लोगों पर खर्च की जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग पिछडी हुई जातियों को ऊंचा उठाने के लिये खोला गया है। इस विभाग द्वारा पिछडी जातियों के लोगों को उठाने के लिये काम भी किये हैं लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा पिछडी जातियों के सुधारने का काम सब से पहले काश्त के लिये जमीन देने से हो सकता है, दूसरा काम छात्रों को छात्रवृत्ति देने का है, तीसरा उनके लिये छात्रावास की व्यवस्था करने का है। इसके अलावा छात्रावास के लिये इन लोगों को जमीन मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकारी सेवाओं में जो 12॥ प्रतिशत इन लोगों के लिये रिजर्वेशन रखा गया है वह यदि पूरा हो जाता है तो इन जातियों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा विदेशों में जो छात्र जायं उनमें भी इनका नम्बर आना चाहिये। ये काम नहीं होकर के सरकार ने एक दो तीन कामों पर ही ज्यादा ध्यान दिया है, एक तो गांवों में कुओं के लिये अनुदान देना। पिछडी बस्तियों में बिजली लगाने के लिये अनुदान देना। शहरों में जहां पिछडी जाति के लोग बसते हैं उनके लिए नल लगवाना। ये तीन मुख्य काम किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हर व्यक्ति के लिये चाहे शहर या बाहर रहने वाले हों ये सब चीजें हर व्यक्ति के उपयोग में आने वाली हैं। इसमें कोई पिछडी जाति को सुधारने की बात नहीं।

जहां समाज कल्याण विभाग पानी के कुए खुदवाने के लिये पैसा देता है वहां उनको पैसा नहीं देना चाहिये क्योंकि उनके लिये अलग कुए खुदवाने से उनमें अलगाव और छुआछूत की प्रवृत्ति और बढती है इसलिये गांवों में कुए खुदवाने के लिये पैसा देना ही नहीं चाहिये। इसके अलावा यह पैसा जिन लोगों के हाथ में जाता है उसके बारे में कई बार प्रश्न उठे हैं जो पैसा पंचायत समितियों को कुआ खुदवाने के लिये दिया जाता है वह पैसा सरपंच और कांग्रेसी नेताओं की जेबों में चला जाता है जिसका पता ही नहीं चलता।

इसके अलावा बिजली, समाज कल्याण विभाग द्वारा लगायी जाती है, लगाने का कौन सा तरीका है। पहले भी यह प्रश्न उठ चुका है। सब बस्तियों में जब बिजली लगायी जाती है तो फिर पिछडी बस्तियों को ही बगैर बिजली के क्यों रखा जाता है? फिर उसको समाज कल्याण विभाग पैसा देकर लगाता है यह ठीक पद्धति नहीं है।

जो पीने के पानी की व्यवस्था करता है उसके लिये जो नल पाइप लगाते हैं व इन पिछडी बस्तियों को छोड देते हैं, बाकी की सब बस्तियों में पानी की व्यवस्था कर देते हैं उसके बाद समाज कल्याण विभाग के शुरू करवाते हैं यह ठीक नहीं है। यदि यह पैसा इसमें खर्च न हो तो उसको दूसरे काम में लिया जा सकता है।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

काश्त की जमीन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं कि पिछडी जाति का काश्तकार कितना ही सिर फोड़े उसको जमीन मिलने वाली नहीं। उसको पांच प्रतिशत भी जमीन नहीं मिली है। इस बारे में सरकार की नीति गलत रही है। इसलिये इस नीति के बारे में सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके अलावा जो छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा है वह मिडिल तक या इससे नीचे पढने वालों को देनी चाहिये और ऊपर की छात्र-वृत्ति उनको देनी चाहिये जिनको खास जरूरत हो ताकि उनका उद्धार हो।

इनके लिये जो छात्रावास अलग बनाने की व्यवस्था है उससे क्या होता है कि छात्रावासों में उनको जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता है। इसलिये इनके लिये अलग छात्रावास होने ही नहीं चाहिये। स्कूल में मिले जुले छात्रावासों में इनकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो भेदभाव की प्रवृत्ति चल रही है वह भेदभाव खत्म हो। इसलिये इनके छात्रावास शामिल ही रखने चाहिये।

इसके अलावा सरकारी नौकरियों में जो इनके लिये स्थान सुरक्षित हैं उनको केवल फोर्थ क्लास सर्वेन्ट के स्थान पर ही नियुक्त किया जाता है। दूसरी श्रेणी में भी कुछ स्थान मिले हैं लेकिन आई.ए.एस. और आर.जे.एम. में इनकी संख्या बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब का छात्र यहां तक पहुँचा नहीं। बीस साल में जिस दिन से इनको सुविधा दी है उस दिन से भी यदि किन्हीं छात्रों को इसके लिये तैयार करते और पढाते तो आज दिन तक कोई न कोई बच्चा आर. ए.एस. और आई.ए.एस. में आ जाता लेकिन राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि 20 साल आपने यूं ही गवां दिये पर 12½ पर्सेन्ट को ये ऊंची नौकरियां नहीं दे पाये। अब आप कितने सालों में उनको इन ऊंची नोकरियों में आर.ए.एस., आई ए.एस., आई. पी. एस., आर.पी.एस. आदि में ले सकेंगे, मन्त्री महोदय इस बारे में भी जवाब दें।

आवास के लिये भी आप अलग से प्रबन्ध क्यों करते हैं, जो जमीनें शहरों में सब लोगों को नीलाम करते हैं उनमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के लिये भी दें। आज तक तो आपने ऐसा कहीं किसी शहर में किया नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि खराब जगह समझ कर वहां उन लोगों को बसाने की जो आप व्यवस्था करते हैं क्या यह ठीक है। जब तक आप अपने पास इनको बसा कर अपने संस्कारों में नहीं मिलावेंगे तब तक उनका विकास और उन्नति नहीं हो सकेगी, तब तक बुरी प्रथाएं उनमें से नहीं निकलेंगी।

इसलिए आगे से शहरों में ऐसे 25 पर्सेन्ट प्लाट उनके लिए सुरक्षित रख कर उनको दिलावें।

इसके अलावा विदेशी छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करूंगा। ऐसी बात नहीं कि विदेशों में जाने योग्य शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब के लोग नहीं मिलते। भारत सरकार हर साल कम से कम बारह तेरह छात्र भेजती है इनमें दो तीन का नम्बर रा स्थान से आता है। इसलिये कहना है कि यहां से भी हर साल एक या दो छात्र शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जाने चाहियें ताकि वे भी वहां से अच्छे संस्कार लेकर, अच्छी पढ़ाई लेकर यहां आवें।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जमुवा रामगढ़ तहसील में शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की एक सोसायटी है पर ठेके उसको नहीं देकर दूसरों को दिये जाते हैं। लोगों को ही ठेके मिलने चाहिये। दूसरों को नहीं मिलने चाहिये।

ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी दिक्कतें हैं। मेरे यहां तहसील दौसा में सैंथल गांव है। वहां के लिये दो मोटरें अलवर से दौसा और दो ही दौसा से अलवर के लिये चलती हैं। पहले यह बस सैंथल गांव में होकर जाती थीं अब नहीं जातीं, इससे पैसेन्जरों को रात को और वैसे भी काफी कठिनाई होती है। बस वाले मनमानी करते हैं। उनको गांव में होकर जाने के लिये कहना चाहिये।

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : सभापति महोदया, वन सुरक्षा के बारे में मेरा प्रस्ताव है। वनों की सम्पदा राष्ट्र की सम्पत्ति है। हमारे प्रदेश में और खास कर हमारे डूंगरपुर बांसवाडा और उदयपुर के इलाके में पहले इतने घने जंगल थे कि जिसके कारण वहां कभी दुष्काल नहीं होता था। पचास साठ इन्च औसतन बरसात होती थी, बांसवाडा में जाल इतने घने थे कि सूर्य की रोशनी दिन को भी उनमें से छनकर नीचे नहीं जा सकती थी, बरसात में उन जंगलों के फूल पत्ते बहकर खेतों में आते थे, अच्छी खेती होती थी, काफी प्राकृतिक खाद मिल जाती थी सो अधिक अन्न पैदा होता था। लोग सुखी थे। आदिवासी उन जंगलों में रहते थे, उनकी रक्षा करते थे। पर जब से आजादी आई वह जंगल कटाई के ठेके ठेकेदारों को दिये जाने लगे और वे जंगल चौपट हो गये, बरसात का औसत घट गया। खेती सूख गई, जहां कभी अकाल की परछाई नहीं पडती थी, वहां अकाल छा गया। लोग भूखों मरने लगे। सन 57 से जब से मैं यहां आया हूं वनों की रक्षा के बारे में सुझाव देता रहा हूँ। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

ठेकेदारी प्रथा से जंगल आज खतम हो गये। पहाडियां नंगी हो गई। बरसात कम होने लग गई। दुष्काल होने लग गये। जो वर्षों से आदिवासी लोग उन जंगलों में रहते आये और वनों की सुरक्षा भी करते आये आज वन विभाग की ओर से हर साल उनको तंग किया जा रहा है और वे जहां खेती करते थे जंगल की रक्षा करते थे उनके खिलाफ कार्यवाही करके जुर्माने भी वसूल किये गये।

माननीय सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने बांसवाडा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले के जंगल नहीं देखे हैं। जहां बड़े घने जंगल थे आज नंगी पहाडियां नजर आ रही हैं। सागवान और बांस के बड़े बड़े जंगल थे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती थी वहां आज उन कीमती जंगलों के ठेकेदारों द्वारा काट दिये जाने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई। बांसवाडा में कभी दुष्काल का नाम नहीं जानते थे लोग। वहां आज वनों के कट जाने से उत्पादन पर विपरीत असर पडा, दुष्काल रहने लग गया। विदेशों से अनाज मंगाकर देने की नौबत आगई। इसमें मैं तो वन विभाग के लोगों का ही दोष मानता हूँ।

(श्री नाथूराम)
(3. 48 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वन विभाग ने जहां डिमार्केशन लाइन डाल रखी है। वहां पर जिन आदिवासियों की झोंपडियां वर्षों से बनी हुई थीं और जिनमें आदिवासी सैकडों सालों से रहते आये हैं ये वन विभाग वाले उनको तंग करते हैं आज। डिमार्केशन लाइन डालते समय रेवेन्यू और पंचायतों की राय भी नहीं ली जाती। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हम जो सदन में सुझाव देते हैं उन पर बरावर विचार कर व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि यहां नोट कर लिया और जवाब दे दिया और बजट पास होने के बाद उनको भूल-भाल गये। इस सब दुष्काल की स्थिति के लिये उस इलाके में वन विभाग के उच्चाधिकारी ही ज्यादा से ज्यादा दोषी हैं। नीचे वाले गलती करते हैं तो उनको भी बचाने की कोशिश की जाती है।

मेरे क्षेत्र में चुनाव के दिनों में भी दो तीन जंगलों का मैंने कलचरल आपरेशन कराया। उनको आबाद कराया था पर जंगलों के जो रेन्जर हैं, हवलदार हैं, उन्होंने उन जंगलों को भी खतम करा दिया। आज वहां ठूंठ खड़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करता हूं कि बजट के अन्दर मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा कल्चर का पैसा रखा जायगा और डूंगरपुर बांसवाडा और उदयपुर डिवीजन में जहां सागवान और बांस के अधिक जंगल हैं उनका कल्चर कराकर जंगलों की रक्षा की जायगी लेकिन इसमें भी नहीं रखा है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में जहां घने जंगल के ठूंठ हैं वहां पर कल्चर आपरेशन्स कराकर जंगलों की रक्षा करानी चाहिए।

प्लान्टेशन के लिये जो खर्चा किया मैं मानता हूं कि ये रेगिस्तानी एरिया है वहां प्लान्टेशन होना चाहिए और नहरी इलाका है वहां भी प्लान्टेशन होना चाहिए जहां भी नंगी पहाडियां हैं आज सागवान और बांस की जडें हर साल काटी जा रही हैं। आज यह हालत है कि आदिवासी लोगों को जो आजादी के पहले सुविधायें थीं वह आज नहीं हैं? कारण यह है कि जंगल खतम हो गए और आज आदिवासियों को जलाने को भी लकडी नहीं मिलती है। जो रिजर्व जंगल थे वह भी खत्म कर दिये और गवाई जंगल थे वह भी खतम कर दिये। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि रिजर्व जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। छोटे छोटे गंवाई जंगल की रक्षा के लिये उन्हें पंचायतों को दे देना चाहिए। जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके जिम्मे यदि यह कर दिया जाता है तो वह जंगलों की अच्छी तरह से रक्षा कर सकेंगे और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी निवेदन करता चाहता हूं कि वन विभाग में जो कर्मचारी हैं वह आदिवासी नहीं हैं। मैंने इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की और माननीय मन्त्री महोदय से भी बातचीत की। आज आदिवासी लोगों में मैट्रिक, बी.ए.और एम.ए.तक पढ़े लिखे हैं

(श्री नाथूराम)

लेकिन आज एक भी उच्च पद पर नहीं है। उसका कारण यह है कि जो भाई-भतीजावाद चल रहा है उसके कारण आदिवासियों को नहीं लिया जा रहा है। हमारे माननीय मन्त्री महोदय बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं लेकिन जो नीचे के आदमी गलती करते हैं उनको वह बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि समाज कल्याण विभाग और वन विभाग आपके पास हैं इसलिए अच्छी व्यवस्था की मैं उम्मीद करता हूं लेकिन जो आदमी गलती करते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए और वन विभाग में ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को गार्ड्स की जगह फारेस्टर रेन्जर की जगह और डी.एफ.ओ. के स्थान पर रखने चाहिये ताकि जंगलों की रक्षा हो सके। आदिवासियों के लिये यह होता है कि वन विभाग में यदि कोई मट्रिक पास जाता है तो उसको गार्ड की जगह पर भी नहीं रखा जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम आदिवासियों को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ उनको मौका नहीं दिया जाता है। आज जो वनों में रहने वाले नहीं हैं वह इस विभाग में रहेंगे और यदि उनको इस विभाग में रखा है तो वनों की सुरक्षा नहीं होगी और वन दिन ब दिन खत्म हो जायेंगे। अगर वन खतम हो जायंगे तो हमारा राष्ट्र की सम्पदा खतम हो जायेगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और जो पढ़े लिखे हैं उनको समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्तियां दिलाकर रेन्जर और डी. एफ. ओ. की पोस्ट की ट्रेनिंग पर उनको भेजना चाहिये और उनको वहां रखना चाहिये। मैं आप के द्वारा यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया था कि चिपबोर्ड फैक्ट्री वालों से पैसा चुनावों में खा जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो एक सहरिया कम्पनी है वह बहुत पूंजीपति है। उन्होंने बांसवाडा में जंगल का ठेका राज्य सरकार से 30 साल का ले लिया और सरकार की तरफ से उनको ठेका 30 साल का दे दिया गया। मैंने इसका विरोध भी किया और उसको ठेका 30 साल का देने से उसमें शर्तनामे में थी कि विदेश से प्लान्ट मंगाकर वह बांसवाडा में लगायेगा और चिप्स तैयार करेगा, उसमें हजारों मजदूर काम करेंगे। लेकिन शर्त के अनुसार सहरिया जी ने प्लान्ट नहीं लगाया। लाखों रुपयों के वनों का दुरुपयोग किया। लाखों रुपयों का दुरुपयोग इस तरह से किया कि वन विभाग में बांसवाडा में एक आरा मशीन रखी है। उसमें हजारों रुपयों की इमारती लकडी की चिराई करते हैं और बांसवाडा डूंगरपुर के लोगों को कीमत पर मिलती हैं और सहरिया कम्पनी ने आरा मशीनें लगाई थीं, जिनके द्वारा बांसवाडा के जो घने जंगल थे उनकी इमारती लकडी को चीरकर आउट आँफ राजस्थान ले गए

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : चोरी हुई नहीं बल्कि बिना चोरी हुई बाहर भेज दी।

श्री **नाथूराम बागीडोरा** : मैंने हाउस में भी विरोध किया। मैंने श्रीमान् सुखाडिया जी को भी लिखकर दिया और आखिर में उसको बन्द तो कर दिया है लेकिन जो 18 मशीनें

(श्री नाथूराम)

लगाई थीं उनको जंग खा रही है, लेकिन उसका ठेका केन्सिल नहीं किया है। इसलिये आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सहरिया कम्पनी को जो ठेका दिया गया उसको कैंसिल किया जाना चाहिए और कोई भी बांसवाडा में ठेका नहीं देना चाहिए। अगर चिपबोर्ड फैक्ट्री खोलते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से खोली जानी चाहिये ताकि लोगों को काम मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस वाले इसमें रिश्वत खाते हैं चिपबोर्ड फैक्ट्री वालों से। मैं कहना चाहता हूं कि किस पार्टी ने सहरिया जी से फायदा नहीं उठाया ? सभी पार्टीज ने फायदा उठाया है। मैं आदिवासी हूं और मैं हमेशा जंगलों की मांग करता रहा हूं लेकिन विभाग की तरफ से बहुत ढिलाई हो रही है। मैं तो यह चाहता हूं और मंत्री महोदय से भी आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आदिवासी लोगों को भी वन विभाग में रखना चाहिये और आदिवासियों के लिये विशेष सुविधायें देने के लिये नियम ऐसे बनाने चाहिये कि कोई भी व्यक्ति जंगल की रक्षा करे तो उसको अमुक एकड जमीन दी जायगी। ताकि जंगलों की रक्षा ठीक तरह से हो सके और गंवई जंगल अलग करके रिजर्व जंगल जो बडे हैं उनकी रक्षा सरकार द्वारा होना चाहिए।

दूसरा समाज कल्याण विभाग के बारे में मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में निवेदन है कि पिछले समय में हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और मैंने भी 19 जुलाई को कमीशन की रिपोर्ट पर 62 से 63 तक पढ़े लिखे आदिवासियों के बारे में आंकडे दिये थे लेकिन विभाग ने उन पर बिल्कुल पालन नहीं किया। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी बी. ए., एम. ए. सैकडों लडके मारे मारे फिरते हैं और उनको सर्विसेस में नहीं लिया जाता है। केवल रूपसिंह जी भील एक को ही इसमें रखा है और उनका भी प्रमोशन रोक रखा है। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं उदाहरणार्थ बताना चाहता हूं कि आदिवासी भी पढे लिखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि समाज कल्याण विभाग में अनुदान का जो पैसा रखा जाता है आज वह अनुदान पंचायत समितियों में दिया जाता है। कुओं के लिये जो रकम है। बांसवाडा यानी उदयपुर डिवीजन में गवर्नमेन्ट द्वारा जांच कराई जाय तो हजारों की तादाद में कुए बेकार पड़े हैं। उसका कारण यह है कि तमाम पैसा खा गये और आदिवासियों को पैसा नहीं मिला। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लाखों रुपये मिल रहे हैं, और राजस्थान सरकार से भी लाखों रुपये मिल रहे हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऐसी अव्यवस्था है कि कर्मचारियों के लिये नाममात्र का यह विभाग है। आदिवासियों को सर्विस में नहीं लिया जा रहा है। मैं 57 से मांग कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र गढी में एक सैकेण्डरी स्कूल है उसमें आसपास के लडके पढ़ने आते हैं। वहां एक छात्रावास भी है। उसमें 30 लडकों से बढ़ा कर 20 और लडकों की छात्रावास में संख्या बढ़ाने के लिए कहा। और मंत्री महोदय ने कल जो जवाब दिया है बिल्कुल××जवाब दिया

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री नाथूराम)
है। वहां के हास्टल के सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने जवाब दिया है कि प्रतिवर्ष 200 लड़के वापिस लौट जाते हैं और मंत्री महोदय बोलते हैं·····

(4 म. प.)

इसलिए आपके द्वारा मेरा यह निवेदन है कि+++

श्री **उपाध्यक्ष** : एक्सपन्ज।

श्री **नाथूराम बागोरा** : समाज कल्याण के उच्च अधिकारी बैठे हैं जो माननीय मंत्री महोदय को सही विषय नहीं बताते हैं, और आदिवासियों का शोषण करके गरीब बच्चों का पेट काटकर उनकी संस्था को नहीं बढ़ा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष** : समय समाप्त हुआ।

श्री **नाथूराम** : मैं थोडा सा और बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष। मैं जनरल डिबेट पर भी नहीं बोला हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपके दल का समय समाप्त हो गया।

श्री **नाथूराम** : दूसरों को कम टाइम दे दें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जो बात कहते हैं उनको कहने दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **नाथूराम** : दो मिनिट और बोलूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : बस दो मिनिट।

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री **नाथूराम बागडोरा** : माननीय उपाध्यक्ष, मने यह भी मांग की थी कि जहां पर कालेज के छात्रावास में 100 लडकों की संख्या होनी चाहिये लेकिन आज तक 20 साल हो गये हैं नहीं किया है। सैकन्डरी स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल हों वहां पर 50 लडकों का छात्रावास खोलना चाहिए। मिडिल स्कूल के लिए 25 लडकों के छात्रावास का सुझाव दिया है। जो शिड्यूल्ड एरिया ह और जिसको राष्ट्रपतिजी ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है डूंगरपुर-बांसवाडा का वहां तो कम से कम इस तरह से छात्रावास खोलें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को और दूसरी सुविधाएँ न दें तो कम से कम पढ़ने के लिए छात्रावास तो खोलने चाहिए। यह आपके द्वारा मेरी राजस्थान सरकार से मांग है।

इसके अलावा मेरी मांग है महिला-शिक्षा के बारे में। महिला शिक्षा तो शून्य है, लेकिन फिर भी जो लडकियां मैट्रिक में पढ़ रही हैं उनके लिए भी समाज-कल्याण विभाग द्वारा कन्या छात्रावास नहीं खोला जाता है। उनसे कहते हैं तो यह कहा जाता है कि बजट में पैसा नहीं है। आप दूसरी प्रवृत्तियों को कम कर दें, दूसरी मदों में खर्चा कम कर दें, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए ताकि आदिवासी महिलायें शिक्षित हो सकें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट संस्थाओं के मठ बने हुए हैं वे गरीब बच्चों का पेट काट कर और झूठे झूठे बिल बनाकर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कई बार इन संस्थाओं की शिकायतें की गई हैं,

(श्री नाथूराम)

लेकिन विभाग इनकी जांच नहीं कराता है। मैंने प्रश्न पूछा था तो कहा गया कि एस. डब्ल्यू. ओ. द्वारा जांच हुई है, यह बिल्कुल गलत है। गरीब बच्चों का पेट काटकर जो कार्यकर्त्ता लोग फायदा उठा रहे हैं उनकी विभाग के द्वारा जांच होनी चाहिए

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : यातायात के बारे में एक दो मिनिट और बोलने दें। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को लिखने की फुर्सत नहीं है और लिखते हैं तो उसकी पालना नहीं होती है। समाज-कल्याण विभाग में थे तब भी बात यही होती थी। माननीय सदस्यों ने जो जो सुझाव दिये हैं उनकी पालना नहीं हो रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो प्राइवेट बस मालिक हैं वे पहले 2-3 मील तक जो यात्री जाता था तो उससे उस हिसाब से भाडा लिया जाता था, लेकिन आज ऐसे नियम बना दिये गये हैं कि प्राइवेट बसों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए कि जो बसों के परमिट दिये जाते हैं वे या तो मिलने वालों को दिये जाते हैं या पैसे वालों को दिये जाते हैं। बेवसीलेदार गरीब आदमी यदि परमिट मांगता है बस का तो उसको नहीं दिया जाता है। एक मील जाने वाले से भी 10 किलोमीटर का किराया वसूल किया जाता है। दो-तीन मील जाने वाला है उससे भी 10 किलोमीटर का किराया एवं टैक्स लेते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जहां बांसवाडा से गढी होकर जो गलियाकोट बस चलती है तो एक-एक, दो-दो मील पर बस स्टेण्ड बने हुए हैं। वहां पर यात्री और विद्यार्थी जाते हैं तो उनसे 10 किलोमीटर का पैसा वसूल किया जाता है। यह सरासर अन्याय है। इसके बारे में कई बार मैंने कहा लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए आपके द्वारा मेरा निवेदन है कि यात्रियों पर इस तरह का किराया एवं कर नहीं होना चाहिए।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे दल वालों ने मुश्किल से 15 मिनिट लिये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्षजी, मेरे कटौती प्रस्ताव ज्यादातर वन विभाग से सबंधित है, और जितना सा टाइम मेरे दल के लिए बचा है उसमें मेरे द्वारा सारे कटौती-प्रस्तावों को प्रस्तुत करना तो सम्भव नहीं होगा, लेकिन जो खास खास मुद्दे हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जो सबसे बडी इन 20 वर्षों में कमी रही है उनमें एक तो यह है कि इनके हैड-आफ दी डिपार्टमेन्ट के बारे में हमेशा एक अस्थिर सी नीति रही है। जब से राजस्थान कायम हुआ है ईअर टू ईअर बैसिस पर इनके यहां पर चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट का एपाइंटमेंट होता रहा और आज के दिन भी चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट की पोस्ट पर जो कन्जरवेटर आफ फारेस्ट का कर रहे हैं वे भी अभी प्रोबेशन पर ही चल रहे हैं। जिस राज्य में 20 वर्षों से

(श्री जुझारसिंह)

यह व्यवस्था हो कि चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट को यह पता न हो कि अगले साल वह चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट रहने वाला है या नहीं, इस तरह की जहां इन्स्टेबिलिटी हो उस विभाग में किस तरह से अच्छा इन्तजाम हो सकता है, यह अपने आप में सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनको भी मैं दिन भर से देखता आ रहा हूं कि सदन के माननीय सदस्य एक के बाद दूसरा प्रस्ताव रखते जा रहे हैं उनको न तो वे नोट कर रहे हैं और न सुन रहे हैं। डिप्टी मिनिस्टर का जहां तक सवाल है वे सुबह क्वेश्चन आॅवर में तो तशरीफ लाये थे उसके बाद दिन भर से गायब हैं। इससे पता चलता है कि इसके बारे में मंत्री महोदय कितनी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन हमें तो कुछ न कुछ कहना है इसलिए कह जाते हैं, परन्तु हमारी बातों को सीरियसली कौन सुनता है और कितने नोट उसके बारे में लिये गये हैं इसकी मुझे शंका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। जितना प्रोपोर्शन राजस्थान में वन के एरिया का होना चाहिए उसके मुकाबले में यहां पर बहुत कम है। राजस्थान में करीब 16,281 स्क्वायर माइल्स का एरिया फॉरेस्ट में है, जिसकी कि एन्ट्रीज हैं, और इसमें से जो वास्तव में जंगल के रूप में जंगल खडा है वह 5500 स्क्वायर माइल्स ही है। यह जो पर्सेन्टेज है तो राजस्थान में फारेस्ट 4-2 पर्सेन्ट के अनुपात से आता है, जो अपने आप में बहुत कम है। आल इंडिया का एवरेज 17-5 का है। वह एवरेज भी जिस अनुपात में फारेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की जो लैण्ड है वह फारेस्ट में कम से कम 25 पसन्ट का रकबा चाहिए। उसके मुकाबले में राजस्थान में सिर्फ 4-2 पर्सेन्ट फारेस्ट के अन्दर रकबा आता है। इसलिए जो सबसे बडी अहम बात इस विभाग के बारे में है वह यह है कि इसका जंगल का जो रकबा है उसको किसी तरह से भी कोशिश करके बढाना चाहिए। आज परिस्थिति यह है कि दिनोंदिन और साल दर साल जंगल का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है, और जंगल की जमीन पर आबादी के लिए और काश्त के लिए हर साल मांग होती जा रही है, और साल दर साल जंगल का कुछ न कुछ हिस्सा रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को काश्त के लिए ट्रान्सफर करना पडता है। जो 4-2 पर्सेन्ट का एवरेज है वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि वह अपने रकबे को बढाने के लिए कोशिश करे।

इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि हमारे क्षेत्र में, कोटा एरिया में रेविन्स की लैण्ड बहुत ज्यादा तादाद में है, और जैसा कि अभी एक सदस्य महोदय ने सदन के सामने पेश किया था कि यहां पर रेविन्स सर्वे डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के तहत कोटा में काम कर रहा है उसने रेविन्स का सर्वे भी किया है, और उसके मुताबिक मैं सदन को आपकी मार्फत जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के चम्बल कमान्डेड एरिया में करीब आठ लाख एकड रेवीन्स एरिया है, उसमें से 2,47,105 एकड केवल चम्बल नदी के खादरों में है, कालीसिन्ध में 86,487 एकड का है रकबा जोकि इन

(श्री जुझारसिंह)

खादरों में है, पार्वती में 28,000 एकड और परवन में 1,33,550 एकड का रकबा है, जो कि खाल और रेवीन्स एरिया हैं। इसी तरह से आलनिया में तुलना नदी पर और घोडा पछाड में बांगनी नदी और बहुत सी चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब में मिलाकर करीब 8 लाख एकड का रकबा ऐसा है जिसमें रेविन्स है। इन रेविन्स के बारे में राज्य सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। इसमें यदि अफोरेस्टेशन का प्रोग्राम चलाया जाय तो वहां पर अच्छी क्वालिटी की लकडी पैदा की जा सकती है। अभी 550 मील का जंगल है उसके 12 पर्सेन्ट में टीक वुड है और 60 परसेंन्ट में धोकडा और स्क्रेप वुड है। 88 पर्सेन्ट रकबे में फायर वुड है और केवल 12 पर्सेन्ट टीक फारेस्ट है जो बांसवाडा, बारां और चंबल के कुछ इलाके में मिलता है और उसकी भी साल दर साल बुरी तरह से कटाई हो रही है। टीक और दूसरा जंगल बरबाद हो रहा है उसको बढाने की कोशिश नहीं की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन रेविन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो रेविन्स का एरिया है उसको तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं जी. 1, जी. 2 और जी. 3 ये तीन टाइप हैं। इनमें से जी. 1 और जी. 2 में सिवाय अफोरेस्टेशन के कुछ नहीं किया जा सकता। जो जी. 1 के रेविन्स हैं उनकी डेप्थ 3 फुट से नीचे है। 3 फीट के नीचे की डेप्थ वाले रेविन्स को कोशिश करके खेती के काबिल बनाया जा सकता है। टोटल 8 लाख एकड एरिया का 26 पर्सेन्ट जिन 1 टाइप का है और जी. .2 टाइप का 35 पर्सेन्ट है। और जी. 3 टाइप के रेविन्स की डेप्थ 15 फीट से ज्यादा है जिसको खेती के लिये रिक्लेम करना असंभव है क्योंकि 15 फीट से नीचे की डेप्थ वाले रेविन्स में कल्टीवेशन किसी तरह से नहीं कर सकते। आपने सरदारीलालजी कक्कड की अध्यक्षता में एक कमेटी सन् 1960 में बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा था कि हमारे पास ऐसी हेवी मशीनरी नहीं है और उसके चार्जेज बहुत ज्यादा हैं इसलिये हम इसको रिक्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने सिफारिश की थी कि जितना रेविन्स एरिया है चंबल एरिया में उसको अफोरेस्टेशन के काम में लिया जा सकता है लेकिन इसका रिक्लेमेशन मुश्किल है क्योंकि इसके लिये जिस मशीनरी की जरूरत है वह हिन्दुस्तान में नहीं मिलती और बाहर से खरीदने के लिये फॉरिन एक्सचेन्ज नहीं मिलता इसलिये उन्होंने रिक्लेमेशन को असंभव बताया, अफोरेस्टेशन हो सकता है। 39 पर्सेन्ट एरिया की डेप्थ 15 फीट से ज्यादा है। 35 परसेंन्ट रेविन्स ऐसे हैं कि जिनकी डेप्थ 5 फीट से 15 फीट तक है उनको भी रिक्लेम करने में डिफिकल्टी है इसलिये उनके लिये जो कुछ कर सकते हैं तो एक ही चारा है कि आप उसको अफोरेस्टेशन की तहत लें और किसी न किसी तरह से इसकी अफोरेस्ट करिये। जो अभी आपका फोरेस्ट का कम रकबा है केवल 4 पर्सेन्ट उसको बढाते जायेंगे तो धीरे धीरे आपका फोरेस्ट बढेगा और आपके पास अच्छा फोरेस्ट हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिये थोडे में निवेदन करना चाहूंगा। सांगोद तहसील जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है उसके सम्बन्ध में कोटा

(श्री जुझारसिंह)

कलेक्टर को बरसों तक रिक्वेस्ट करने के बाद राजी किया है कि जितने रेविन्स हैं वे बहुत ज्यादा हैं। अकेली परबन नदी पर 1 लाख 23 हजार एकड़ से ज्यादा है, उसके अलावा भी चार पांच नदियां और हैं उनके लिये कोशिश करने के बाद कलेक्टर ने कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट से मिल कर तय किया कि जितना रेविन्स का एरिया है उसको फॉरेस्ट विभाग में ट्रान्सफर कर दिया जाय और उस पर अफोरेस्टेशन का प्रोग्राम चलाया जाय। सांगोद तहसील के 49 गांवों के रेविन्स को फोरेस्ट में तबदील किया गया उसके बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसकी कोपी मेरे पास है। यह रेवेन्यू विभाग का एरिया है इसको फोरेस्ट विभाग में ट्रान्सफर करने का पेपर पर ओर्डर है कि फोरेस्ट विभाग को ट्रान्सफर कर दिया लेकिन एक्चुअल पोजीशन कुछ और ही है । मिस्टर घुलन ने प्लॉट, प्लॉट पर जाकर सर्वे की है उसकी पोजीशन यह है कि गवर्नमेन्ट लैंड पर जगह जगह ट्रेस पासर्स हैं । फॉरेस्ट वालों ने कहा कि क्योंकि लोगों का इस पर नाजायज कब्जा है और स्टेट की पोलिसी की तहत सन् 1918 और 20 में जिनका सूची में नाम दर्ज है और जिनके पास लैंड है उनकी ओर बिना ध्यान दिये उन ट्रेसपासर्स को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने रेविन्स एरिया में उन इल्लीगल ट्रेसपासर्स को रेगुलेराइज कर दिया है इस वजह से इरोजन बढ़ रहा है। वह जमीन आपके डिपार्टमेन्ट से ट्रान्सफर होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कोई चिन्ता नहीं की कि उन लोगों को बेदखल करे और अफोरेस्टेशन करने की कोशिश करे।

मैं मन्त्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले साल सांगोद तहसील में अफोरेस्टेशन के लिये 20 हजार रुपये मंजूर हुए थे वे भी आपकी नेग्लिजेन्स के कारण लेप्स हो गया। क्योंकि इस महकमे का सीरियसली इस ओर ध्यान नहीं है, एरिया बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं है, इरोजन को रोकने की ओर ध्यान नहीं है, ट्रेसपासर्स नहीं होने दें इस ओर ध्यान नहीं है इसलिये यह सब नुकसान हो रहा है। इसके लिये फारेस्ट डिपार्टमेन्ट रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट तीनों को मिलकर सम्मिलित योजना बनानी चाहिये जिसके बारे में हम बार बार कहते आ रहे हैं लेकिन इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता। जो जमीन ट्रेसपास हो गई है उस पर भी वापिस कब्जा करने की कोशिश नहीं की जाती। पिछले साल 20,000) रुपये अफोरेस्टेशन पर लगाने चाहिये थे उसको यह कह कर लेप्स करा दिये कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं है और कोई रकबा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपके पास लोग बाग कोशिश करने पर तैयार हो गये, आज आपको जमीन देने वाले कोई नहीं हैं, लेने वाले तो बहुत हैं हमने कोशिश करके 49 गांवों में आपको जमीन दिलाई लेकिन आपने वहां पर अफोरेस्टेशन नहीं करके पैसा लेप्स करा दिया। आगे आपकी क्या योजना होगी, आप इसको सीरियसली लेंगे या नहीं यह आप ही ज्यादा जान सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि अफोरेस्टेशन का प्रोग्राम लागू करने के लिये आपने नियम बनाये हैं कि जब तक 100 एकड का रकबा नहीं हो तब तक अफोरेस्टेशन नहीं करेंगे।

(श्री जुझारसिंह)

आपके गलत निर्णय के कारण और आपके विभागों में कोर्डिनेशन नहीं होने के कारण, रेवेन्यू विभाग और फोरेस्ट विभाग में कोर्डिनेशन नहीं होने के कारण आपका प्रोग्राम कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। आप यदि ढूंढने जायेंगे तो भी 8 लाख एकड में से 100 एकड का पेच नहीं मिलेगा। इसलिये आपको इस पॉलिसी को तब्दील करना पडेगा। यदि कहीं पर 150-200 एकड का पेच मिलता है और उस पर ज्यादा खर्चा करना पडता है तो भी रकबा घटाकर, व्यवहारिक बनाकर अफोरेस्टेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट का एरिया बढा सकते हैं और फॉरेस्ट की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं और राजस्थान का कुछ भला कर सकते हैं मुझे और भी बहुत कुछ कहना था फॉरेस्ट के बारे में लेकिन क्योंकि मेरी पार्टी का टाइम कम है इसलिये खास करके कहूंगा कि रेविन्स एरिया है उसके बारे में सीरियसली सोचें और अफोरेस्टेशन करने का सोचें। यह ऐसा ऐरिया है जिसमें अफोरेस्टेशन के लिये जमीन मिल सकती है। इसकी डेप्थ काफी होने के कारण खेती के काबिल नहीं है। सीरियसली अगर इसको कंसीडर करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का टिम्बर वुड का एरिया बढ सकता है।

श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने समाजवादी अर्थ व्यवस्था की नीति के आधार पर राजस्थान में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया। सरकार ने सन् 1959-60 में यह नीति अपनाई कि बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और उसके आधार पर राज्य कुछ डिवीजनों में, राज्य के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीयकरण किया। 1964-65 में जाकर सरकार ने राष्ट्रीयकरण के लिए पहले तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट बनाया, बाद में सरकार ने निगम बनाया। सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिये सरकार ने एल. आई. सी. से लोन लिया और जो प्राइवेट बस आपरेटर्स मोटर रूट्स पर चलाते थे उनको बेरोजगार किया और बेरोजगार करके सरकार ने उन रास्तों का, उन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपनी बस चलाई लेकिन पिछली साल सरकार को ट्रान्सपोर्ट बिजनेस में 35 लाख का घाटा रहा और गये साल सरकार को उसी बिजनेस में 40 लाख का घाटा रहा। जिस राज्य सरकार की योजना लाभदायक साबित नहीं हो सकती, जो सरकार हजारों सैकडों परिवारों को बेरोजगार बनाती है और सरकार अपनी बसेज घाटे में चलाती है, उस सरकार की क्या अर्थ व्यवस्था है? यह सरकार का क्या समझदारी का धन्धा है ? इसलिए मैं इस राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध करता हूं। यह बात नहीं है कि बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण राजस्थान में ही फेल हुआ है, लेकिन जहां भी सरकार ने बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है, केरल में किया है, मद्रास में किया है, वहां पर ट्रान्सपोर्ट बसेज, वहां पर ट्रान्सपोर्ट सर्विस, स्टेट की सर्विस नुकसान में रन कर रही है।

दूसरे राजस्थान सरकार के ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने अभी एक निर्णय लिया है कि पहले बस वालों से तीन महीने में, दो महीने में यात्री कर का पैसा लिया जाता था, उसका असेसमेंट हर महीने करने के बाद लोग ट्रेजरी में पैसा जमा करा दिया करते थे-लेकिन अब

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उस पैसे के उनको पहिले टिकट खरीदने पड़ेंगे और वह टिकट मोटर टिकट पर चस्पा करने पड़ेंगे आप ख्याल फर्माइये, यह कैसे सम्भव होगा मोटर चलती जायगी और कन्डक्टर टिकट देते वक्त में उसके ऊपर टिकट लगाता जायगा। जो राजस्थान स्टेट की जहां बसेज चलती हैं वहां तो यह व्यवस्था हो सकती है पर जो प्राइवेट बस आपरेटर्स जिन रूट्स पर बस चलाते हैं, उनके सामने इस व्यवस्था के कारण किल्लत आयेगी। इसके अन्दर भी सरकार ने यह गलत नियम बनाया है कि जिन बसेज के मालिक की चार पांच बसें होंगी, वह पांच बसेज वाला व्यक्ति तो इस बात से मुक्त रहेगा, वह अपनी बस के टिकट पर टिकट नहीं लगाये, लेकिन जो एक बस वाला है, दो बस वाला है उसको टिकट लगाना जरूरी रहेगा। इससे प्राइवेट बस आपरेटर्स को अव्यवस्था उत्पन्न होती है, प्राइवेट बस आपरेटर्स को इससे परेशानी होती है इसलिए इसके ऊपर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात मैं और इस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, कोटा से जयपुर आने और जयपुर से कोटा जाने, जयपुर से अजमेर जाने और अजमेर से जयपुर आने के लिए बस के अन्दर चार आने टिकट रिजर्वेशन के लिए जाते हैं। जब कोटा से एक यात्री जयपुर के लिए टिकट लेता है तो 10.85 तो टिकट के लगते हैं और पच्चीस नये पैसे रिजर्वेशन के उसी वक्त चार्ज करते हैं, तब जाकर डीलक्स के अन्दर रिजर्वेशन किया जाता है। यदि चार, छः, आठ घंटे पहले पच्चीस नये पैसे लेकर टिकट दे तो दूसरी बात है लेकिन उसी वक्त क्यू में खड़े होकर टिकट लेते हैं और उस रिजर्वेशन के लिए पच्चीस नये पैसे चार्ज करते हैं, यह उचित नहीं है इसलिए पच्चीस नये पैसे रिजर्वेशन के लेने की बात को खत्म करना चाहिए।

दूसरे मैं वन विभाग के बारे में कुछ जरूरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज वनों को संरक्षण देने के बजाय, वनों का विकास करने के बजाय दिनों दिन वनों का ह्रास होता जा रहा है। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, मनोहर थाने में एक खाखर ग्राम है। उस गांव में फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के डी. एफ. ओ. ने, रेंजर ने 180 बीघा जंगल खाखरा नाम का जंगल कटवाया और वह कटवा कर एक प्रकाश चन्द्र जैन, मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष को पचास रुपये में उसका ठेका दे दिया, उसने पचास रुपये में ठेका लेकर 500 रुपये में काश्तकारों को जमीन दे दी और कह दिया कि इस पर खेती कर लो। उन काश्तकारों ने, जिनको 180 बीघा के हकूक दिये 180 बीघा जमीन पर तिल्ली बोई और उसमें आठ सौ नौ सौ मन तिल्ली पैदा हुई। मैंने इसके बारे में डी. एफ. ओ. झालावाड़ को एक चिट्ठी लिखी, मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और उसके बाद में कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा, परन्तु पता नहीं कि उन आदमियों का आज तक चालान हुआ या नहीं, कल राजस्व मंत्री जी बता रहे थे कि उन आदमियों का चालान कर दिया है और तहसीलदार को फसल जब्त करने के आदेश दे दिये हैं। लेकिन स्थिति यह है कि उन काश्तकारों से पैसा ले लिया गया है और उनकी फसल जब्त नहीं की गई है। उस 180 बीघा जमीन पर जो जंगल था, हरा भरा जंगल था उसको काट दिया गया है लेकिन फिर भी उनकी तिल्ली को जब्त नहीं किया गया है। इस प्रकार

(श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा)

का यह एक राष्ट्रीय क्राइम इन सरकारी अधिकारियों ने मिलजुल कर किया है ।

एक बात की ओर मैं इस फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ढोकडा के पत्ते का पाला होता है, वह राजस्थान से बाहर निकाला जा रहा है। वह चमडे को पकाने के काम में आता है। लेकिन डी. एफ. ओ. झालावाड सौलह रुपये ट्रक के हिसाब से उसको मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं । राजस्थान के जो चर्मकार हैं और चर्म उद्योग में लगे हुए हैं उनको चमड़े को पकाने के लिए इसकी जरूरत है इसलिए मैं इस ओर तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो ढोकडा के पत्ते को निकाला जा रहा है । उसको रोका जाना चाहिए ।

मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलम अली खा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरी पार्टी में यहां मैं अकेला ही रह गया हूं, मुझे समय मिलना चाहिए ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, समय और बढ़ा दीजिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : समय बढा दीजिये, सबको बोलने का मौका मिल जायगा तो अच्छा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : समय बढा दें, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है, इस पर बोलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादातर माननीय सदस्यों के अलग अलग दलों का अलग अलग समय समाप्त हो गया है । फिर भी माननीय सदस्यों की इच्छा है तो सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

कई माननीय सदस्य : इच्छा है, इच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : कितने समय के लिए ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : छः, साढ़े छः ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : साढ़े छः तक ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साढे छः तक ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाता है ।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज सेवा के सागे आपणा एक कटौती प्रस्ताव दीओ, मोटर गाडियां के सागे भी एक कटौती प्रस्ताव दीओ । बार बार, उपाध्यक्ष महोदय, समाज सेवा की बात सुन कर मने तो रंज होवे, पण वी के कारनामा देखण सूं हर आदमी, जिको समाज सेवा में विश्वास राखे है, को मण बले है। इधर बैठण वाला हो या उधर बैठण वाला हो वी के कारनामा देखण सूं माननीय सदस्यों रो मन बले है और ई पर बोलनों जरूर चावे है । जिका माननीय सदस्य मजबूर है, जीणे बोलण कोनी दे, तो वां के सामने तो मजबूरी है । उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग की कोई बात आप ले लो, वह विभाग की बात में समाज सेवा रो नाम लम्बो चौडो आवे है और पैसो भी मोखलो दियो जावे ।

(श्री आलम अली)

पण वा रुपया जी बरतण में डाले हैं, वी बरतन की पेंदी फूट गी हैं, वी में कितनों ही रुपया गिरा दो, क्योंकि बरतन फूट्योडो है, वी में रुपया टिके नहीं है, वह रुपया गरीब की सेवा में नहीं जावे, मंत्री महोदय की अडंगावाजी में जावे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाज सेवा की बात, ई न मूं खाली कागद में माणू हूं। यह समाज सेवा की बात नी है, यह थोडा चुनोड्या आदमी हैं जीका कोई हथकंडा है, वे हथकंडा कर रह्या है और जिको रिश्तेदार के वास्ते यह समाज सेवा बोर्ड बना रख्यो है और रिश्तेदारों की सेवा कर रह्यो हैं। समाज की सेवा करता तो समाज को जन बच्चो या की तरफ आवता पण एवज में जन बच्चा डरे हैं और या के कने आवे तो हाथ जोडे हैं। सामने तो हाथ जोडे हैं पर दिल में नफरत बहुत ज्यादा है, मानो आप जूआ और नशा में चूर हो रह्या हो। वी का नशा में चूर होकर सामने नजर आ रहा है······

श्री मदनसिंह: इधर देख लें, मंत्री महोदय—!

श्री आलम अली : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही बात बताऊं, म्हारा 47 के पहले दिनों में भाषण दियो रा मंत्री अठे हैं कौनी ई वक्त में वी में सूं कोई है कौनी मैं आपणे बता दूं वे भाषण दिया करता, लोग ने गलत गलत मुगालता दिया करता 47 में, कि जनता ने पालना में रखा लां, और वे कहा करता कि म्हे समाज सेवा करांगा, समाज राज्य करेगा, म्हे झोंपडी मां रहांगा — उपाध्यक्ष महोदय, आज यां को ठिकाणों नहीं है। जठे भी कोई चोखी चीज खावण की दिख गई वठे ही टूट पड्या उपाध्यक्ष महोदय, मैं ई वक्त सही बात कहूं मने कोई गलत साबित नहीं कर सके हैं। गरीब को साथी वो है जो गरीब को मान करे है, गरीब को राम है। गरीब ने तो हमेशा धोखो दियो है चाहे कोई ने भी राज्य कर्यो हो। उपाध्यक्ष महोदय, मने इस मौका पर एक छोटी सी मारवाडी कहावत याद आगी। म्हारो जिसो आदमी साधू सेवा करतो, सुन्दर भावना सूं ऊकी सेवा करतो। सेवा करता करता वो साधू वी ने एक शंख दे दियो। शंख दिया तो वह बोल्यो, तू मांग जो चीज तने चाहिये, शंख दे देगो वी शंख की वह सेवा पूजा करतो तो वह धन देतो, भोजन की थाली देतो और और चीज दे देतो। एक दिन वो एक बनिया के घर ठहर गयो। बनियो कह्यो, पंडतजी भोजन कर लो। तो वह बोल्यो, भोजन म्हारे कने है। बनिया पूछ्यो-थारे कने कठू सूं आ गयो। वह कह्यो, अभी देख लो। तो उपाध्यक्ष महोदय, वी शंख की पूजा करी और कह्यो, मने खानो दे। झट सूं भोजन की थाली आगी, योग्य रसोइयो की बणी हुई बनियो देख्यो, या थाली कठे सूं आ गी रात ने जब वह सो गयो, तो बनिये ने वी शंख ने निकाल दूसरो नकली शंख वी की जगह मेल दियो। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरो नकली शंख मेल्यो तो वह आदमी वठे सूं गयो दूसरी जगह, तो शंख से मांगे कांई, खाक मांगे, वह शंख तो सेठ जी ले भाग्या उपाध्यक्ष महोदय, गरीब जिको समाज को आदमी है, गरीब को जो शंख है, वी ने लुटेरा लेर भाग गया है। यह समाज में नहीं है अब बात। आप चाहे नाराज होवो, मैं सही बात कहूं। म्हारे ऊपर

(श्री आलम अली)

ही पुलिस वालां ने किसी की, कि म्हारे ऊपर पाकिस्तानी होण रो आरोप लगाओ। म्हारे पर लगायो है। अब थाने देखनो चाहिये म्हारे रिकार्ड मां, आप देखो तो यह नहीं कह सको हो कि यह सच है। मैं नहीं कह सकूं कि मूं सच्चो हूं झूठो हूं, कांई हूं, वह म्हारी आत्मा कह सके है। कोई आदमी के मूंडा पर नहीं लिखो मिले। उपाध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण की बात है। समाज कल्याण बापू करता था वह दोनों के बीच में हाजिर होता और वाके मन का अध्ययन रखता। आपणे अध्यन नहीं है कि मन कांई है। आप मन ने निकाल कर देखा कि समाज को कितनो सुधार कियो है। उपाध्यक्ष महोदय समाज में राज्य करने वाला बोहरा है, मुसलमानां में बोहरा है, यह छोटी छोटी गुफा में पड्या है, कोई गांव में देखो, मणिहार, छीपा और दूसरा और वी को तो कोई नाम निशान नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह**: जब तक नकाब रहेंगे तब तक रहेंगे।

श्री **आलम अली**: उपाध्यक्ष महोदय, टाइम थोडो और दो, मैं राजस्थानी में बोलने वालो एक ही हूं। थोडा समय में दो बात और कह दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपने मोटर गाडियां की बात बताऊं, मोटर गाडियां के मिनिस्टर ने मैं चैलेंज करूं हूं, यह काम आपके बस को नहीं है, आप मने सम्भला दो, मैं अनपढ आदमी हूं, मने सम्भला दो, तो एक करोड को मुनाफो करर देऊं, एक पाई तनख्वाह नहीं लूं और वी में कोई गडबडी निकले, तो मने सूट कर दियो जाय। मैं सूट होने के वास्ते तैयार हूं। एक म्हारे भैरूं जी ने बतायो, जो व्यापारी गाडियां रो व्यापार करें, वह साथ में घूमे नहीं है फेर भी फायदो होवे। यह व्यापार आपको कोनी, आपको व्यापार दूसरो है, आपने तो गरीब को खरीद फरोख्त को व्यापार कियो है, असली व्यापार थाने नहीं कियो। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट गाडियां जिसके टिकट पर टिकट लगायो है, वी को मैं विरोध करूं, एक तो राज ने जितना डिपार्टमेंट खोलना पड़े है, वी डिपार्टमेंट का आंकडा लगाया जाय, तो जठें आंगली लगावो बठे ही डिपार्टमेंट की बदबू आवे है। डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। मैं सुझाव देऊं हूं, टिकट वी में लगाया हुओ है, वी में ही यात्री कर जोड दियो जाय और एक साथ वसूल कर लियो जाय। जगह जगह टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। यह महकमा की जरूरत कोनी, यह क्यों खोलो जावे। म्हारी समझ में तो यह आवे है कि कोई मंत्री का रिस्तेदार होवे ला तो फालतू फिरतो होंगो या कोई रिस्तेदार ई वास्ते ढूंढ कर लायो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगल के बारे में एक बात और बताऊं हूं, मंत्री जी ई ने ध्यान से देखेगा तो उत्पादन सबसे ज्यादा देन वाली भेड है, वी ने जानवर नहीं मान्यो है। यह डिपार्टमेंट वी ने जानवर नहीं माने है। ऊंट होवे दो हजार को, वी ने जानवर नहीं मानो गयो है। भैंस गाय जीने जानवर मान्यों है। भेड बकरी असेम्बली में आर बैठी है। वी के वास्ते कितनी जमीन कठे है, जिको पशु पालन इलाको है, पशु एरिया है, वी का पशु कठे जावे। **(समय-समाप्ति सूचक घंटी)** मैं मंत्री

(श्री आलम अली)
महोदय ने निवेदन करनो चाहूं कि वह भी पशु मान्या जाय और भेड और ऊंट की चराई कराई जाय । मैं कहूं कि काश्तकार ने सारी चीजां फ्री दी जाय लेकिन आप अठे बैठ कर वी के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने जा रह्या हो ।

ई शब्दां के साथ एक बात और कहनी है.

श्री **उपाध्यक्ष** : और बात किसी और अवसर पर कह देना ।

श्री **आलमअली** : दूसरे अवसर पर कहूंगा, पर उपाध्यक्ष महोदय...

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय नाथूलाल ।

श्री **आलमअली** : सिर्फ एक बात कहनी है ।

मैं मंत्री जी ने एक बात निवेदन करनो चाहूं कि जिको महकमो खोलो जाय वी में आंगली लगाई जाय तो आंगली में बदबू होवे तो ई डिपार्टमेन्ट से कितना जानवरां ने और काश्तकारां ने रोज नुकसान होवे हैं और घर में जार आंगली छू जाय तो घर का आदमी के बीमारी होवे है । ई ने बठे जार गेरो जठे कोई नहीं बसतां हो, बठे गेरो तो देश को भलो होगा नहीं तो राज में बुरो होगो और सब जगह सडांद होवेगी ।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री रतन लाल!

श्री **रतनलाल रोत** (चौरासी सु.) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे पूर्व वक्ता माननीय नाथूरामजी ने डूंगरपुर और बांसवाडा में जंगल जिस तरह से नष्ट हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहा है। यह बात निश्चित है कि पुराने समय में जिस प्रकार जंगल थे, वे जंगल अब नहीं हैं। वहां आदिवासियों की 70 प्रतिशत आबादी है। शुरू से आज तक हमारी सरकार बहुत कुछ जंगलों की रक्षा के लिये व्यवस्था कर रही है। पिछले अकाल के वक्त भी जंगलों की रक्षा के लिये पत्थर गड्डी का काम किया है, इस पत्थर गड्डी के करने से भविष्य में जंगलों की रक्षा होगी इसमें दो राय नहीं हैं। जो पत्थर गड्डी की गई उसमें कुछ स्थान बाकी रह गये हैं, उस काम को भी पूरा किया जाना चाहिये जिससे कि जंगलों की रक्षा हो। हमारे यहां के जंगलों में बांसों के पेड थे वे तो नष्ट हो गये हैं, पर वहां अब सागवान के वृक्ष हैं, पुराने वृक्ष थे वे तो चले गये पर नये नये वृक्ष अब पनप रहे हैं, उन वृक्षों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि जो पत्थर गड्डी की गई है और कई जगह अधूरी रह गई है उसको पूरा करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि जंगलात विभाग की तरफ से जिस प्रकार जंगलों की रक्षा की जा रही है उसी प्रकार आगे की जानी चाहिये।

हमारे डूंगरपुर में जो पहले जंगलों के ठेके दिये गये थे। उन ठेकों के द्वारा उन जंगलों को तो बरबाद किया गया है पर जो जंगल बचे हुए थे, जिन जंगलों के ठेके नहीं दिये गये थे, उनको भी बरबाद कर दिया गया है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जंगलों की रक्षा के लिये आगे के लिये व्यवस्था करें। वहां सागवान बचे हुए हैं, वहां अच्छे अच्छे सागवान के वृक्ष बचे हुए हैं, पत्थर गड्डी से उनको आगे के लिये जिन्दा रखा जाना चाहिये ।

मैं वन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को हमारे वहां

Page No. 136

(श्री रतनलाल रोत)
इन जंगलों से लकडी इमारतों के लिये नहीं मिल रही है। हमेशा आदिवासी मकान बनाते हैं और जंगलात विभाग की ओर से उनको महसूली पास दिये जाते हैं। पर इस वर्ष नई बात हुई है। हमारे उस इलाके में इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, इसलिये आदिवासी नये नये मकान बनाते हैं पर आदिवासी लोगों के लिये महसूली पास देने पर भी वहां सागवान का देना बन्द कर दिया है और इस वर्ष अभी तो नये मकान लोगों ने बनाये हैं उनके लिए उन्हें लकडी नहीं मिल रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि जहां आदिवासी सागवान की लकडी मांगते हैं, उनके लिये महसूली पास दिये जाने चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जलाऊ लकडी के लिये एक गाडी, दो बैलों से खींची जाने वाली एक गाडी पर 2।) रु. महसूल लिया जाता था पर अब वहां उस एक गाडी जलाऊ सूखी लकडी का 11।) रु. महसूल बढा दिया है। आदिवासी हमेशा से 2।) रुपया गाडी के दे कर जलाऊ लकडी लेते रहे हैं पर अब 11।) एक गाडी पर कर दिया है। हमारे आदिवासी वहां जंगलों के बीच में रहते हैं। जब भी जंगलों में आग पैदा हो जाती है या महामारी फैल जाती है तो आदिवासी ढोल बजा कर दौडते हैं और जंगलों की आग से रक्षा करते हैं। वहां आदिवासियों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं उन जमीनों से उनका पोषण नहीं होता है इसलिये शुरू से आज तक जब जब भी अकाल पडते हैं तो जंगलों से वे अपना पोषण करते हैं वे उन जंगलों से लकडी, घास टेंगर, तेंदू के पत्ते, महुए के फल ले जा कर बेचते हैं और अपना भरण पोषण करते आये हैं। इस तरह से जंगलों से आदिवासियों का अटूट सम्बन्ध रहा है, वही अधिकार उनका रहना चाहिये और जो उनका पुराना हक है कि 2।) रु. प्रति गाडी के हिसाब से उनको जलाऊ लकडी मिलती आई है, वह सुविधा उनके लिये जारी रहनी चाहिये।

डूंगरपुर में रक्षत जंगलों के बीच में आदिवासी बसे हुए हैं, वहा फॉरेस्ट लाइन जंगलात विभाग ने डाली है, वह डिमार्केशन लाइन आदिवासियों के मकान हैं, उनकी काश्त की जमीन है, उसके बीच में डाल दी है और मैं पिछले 10 वर्षों से वहां से डिमाकशन लाइन हटाने के बारे में कहता आया हूं पर यह विभाग इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता है। हमारे डूंगरपुर के गांव रेटा, हुसेला, बन्र्मपुरी हैं, उन गांवों के आठ आठ दस दस मकान डिमोर्केशन लाइन के बीच में आये हुए हैं, जंगलात विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जा कर देखा है पर अभी तक डिमार्केशन लाइन वहां से हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह आदिवासियों के लिये बडी कठिनाई है, इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिये।

मैं भी यह चाहता हूं कि जंगलों में काश्त काबिल जमीन है वह रहे और जंगल भी आबाद रहें, वहा जंगलात विभाग नये नये वृक्ष लगाये और वे वृक्ष पनपें पर जंगलात विभाग इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करता है। काश्त काबिल जमीन कई जगह पडी हुई है। एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासियों को जमीन दी जाय और दूसरी तरफ कहते हैं कि जंगलों में काश्त-काबिल जमीनें नहीं दे सकते तो यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। जहां बंजड पडी हुई है जो आबादी के आस पास है जमीनें

(श्री रतन लाल रोत)

गांवाई जंगल हैं, जहां वृक्ष नहीं हैं, वह जमीन जंगलात विभाग में देना चाहते हैं, रेवेन्यू भूमि जंगलात में देना चाहते हैं, वह कार्यवाही पूरी नहीं हुई हैं। इस तरह से आदिवासी लोगों की जमीनें, आदिवासी लोगों के मकान डिमार्केशन लाइन में आ गये हैं, उनकी खेती की जमीन डिमार्केशन लाइन में आ गई है, जहां आदिवासी दस दस वर्षों से खेती करते आये हैं और जंगलात विभाग प्राये वर्ष उन आदिवासियों पर जुर्माने करता रहता है, एक वर्ष में 10 और दूसरे वर्ष में 15 रुपया जुर्माना करता हैं और न वह रुपया जंगलात विभाग में जाता है और न रेवेन्यू विभाग में जाता है। मेरे वहां से तीन मील की दूरी पर ही हुसेला गांव हैं वहां कुछ आदिवासी किसान हैं, उनसे जंगलात वाले सौ सौ रुपया दस वर्षो से कमाते आ रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही विशेषतः डूंगरपुर की मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है चौरासी वहां होती हैं, वहां जंगल हैं और अधिकांश आदिवासी जंगलों में आबाद हैं।

मैं वन मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस कठिनाई को दूर करें।

यहां यह कहा जाता था कि आदिवासी जंगलों में आबाद हैं वहां ठेका नहीं दिया जायगा लेकिन मैं अभी देखकर आया हूं कि सागवान के जंगल हैं, वहां एक तरफ तो उनकी रक्षा के लिये पत्थर गड्डी करते हैं और दूसरी तरफ नये नये ठेकेदारों को वहां लाकर उन जंगलों का ठेकेदारों को ठेका देते हैं, ठेकेदार अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिये उन जंगलों को नष्ट करते हैं। मेरा यह निवेदन हैं कि वहां पर ठेकेदारी को खत्म करना चाहिये और वन सोसाइटियों को पनपाने के लिये, आदिवासियों की सहकारी समितियों को ठेके दिये जाने चाहियें। तेंदु के पत्तों के लिये हम हमेशा से सुझाव देते आये हैं कि तेंदू के पत्तों का ठेका आदिवासियों की सहकारी समितियों को देना चाहिये, पर वन विभाग की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिये उनकी हालत को सुधारने के लिये यह जल्दी से जल्दी करना चाहिये था पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं।

आदिवासियों की इस प्रकार की मैन्टेलिटी है कि हमारे गांव हैं वहां अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लडके, मैट्रिक और बी. एड. पास हैं। वहां जंगल इसलिये बरबाद होते हैं कि जंगलात विभाग का रवैया वहां के आदिवासियों के प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिये वैसा नहीं हैं। उनको विश्वास में लेना चाहिये तभी जंगलों की रक्षा हो सकती हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां जितने पढे लिखे आदिवासी हैं, उनको इस विभाग में प्रवेश देना चाहिये। इसके अलावा वहां समाज कल्याण विभाग के मार्फत छात्रावास चलते हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। नाथूरामजी ने बहुत कुछ कह दिया है, उसका समर्थन तो मैं करता ही हूं लेकिन आपको मालूम होगा कि हम सब लोग जो एम. एल. ए. हैं, वे वहां डूंगरपुर बांसवाडा और उदयपुर में जितने छात्रावास चलते हैं वहां से निकले हुए हैं, वे संस्थायें सुन्दर ढंग से काम करती हैं। खामियां तो हैं, मैं मानता हूं लेकिन डूगरपुर जिला आदिवासी बस्ती में हैं वहां

(श्री रतन लाल रोत)
70 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। वहां एक कालेज है लेकिन लडकों के रहने के लिये कोई छात्रावास का भवन नहीं है। कबूतरखाने की तरह लडके पडे हुए हैं। सिमलवाडा में भी कोई भवन नहीं है, कई जगह छात्रावास के लिये भवन नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि शिक्षा को महत्व देने के लिए आदिवासी लडकों को अच्छी तरह से रहने के लिये सुविधा देने के लिये व्यवस्था करें। यही हालत बांसवाडा और उदयपुर की है। लेकिन इतने वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सब लडके भर्ती नहीं हो पाते हैं छात्रावासों में और जो भवनों को ठेका दिया जाता है वह भी आदिवासियों को नहीं दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अ ावाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री उपाध्य ा : समय 10 से 15 मिनट।

श्री सती ाचन्द्र अग्रवाल : कोशिश तो यही करूंगा। आज सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत हुई हैं। समाज कल्याण विभाग, जिससे राजस्थान के लगभग 45 लाख आदिवासी अनुसूचित जाति और जन जातियों का भाग्य जुडा हुआ है, के संबंध में इस सदन में चर्चा हो रही है। मैंने सदन के अनेक माननीय सदस्यों के भाषण को ध्यान से सुना और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस विभाग की कार्यवाहियों से किसी को भी संतोष नहीं है और बडे दुख: का विषय है। इस संबंध में विस्तार से तो उस समय कहा जायगा जब शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की पिछली तीन योजनाओं में अगर सबसे अधिक धनराशि कहीं पर लैप्स हुई है तो वह इस मद के अंतर्गत हुई है। सबसे अधिक धन का दुरुपयोग हुआ है तो इस मद के अन्दर हुआ है, पिछले 20 सालों के बाद आज चाहे पिछडी जाति वालों के लिए छात्रावास का सवाल हो, छात्रवृत्ति का सवाल हो, हरिजनों के मकानों के लिए अनुदान का सवाल हो, चाहे फॉरेस्ट में ठेके का सवाल हो, चाहे लकडी काटने के अधिकारों का सवाल हो, जितने भी सवालात हैं, दुख: की बात है कि राजस्थान में जितनी उन्नति और प्रगति इन जातियों की होनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं हो पाई और दुर्भाग्य से चाहे हम सरकारी सेवाओं पर दृष्टिपात करें, आपने देखा होगा कि किस की फैक्ट्रीज और मिल्स चालू हो गई, कौन व्यक्ति इन जातियों का ऊंचे पदों पर चला गया? सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने मन्त्री-मंडल में भीखाभाई और अमृतलाल यादव को रख छोड़ा है और वही 45 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे भीखाभाई रहें, चाहे यादवजी रहें, चाहे नाथूजी रहें, चाहे रतनलाल, चाहे देवेन्द्र कुमार रहें लेकिन अगर आने वाले सालों में ये मंत्रिमंडल में रहें तो जो 20 साल में इन जातियों की हालत रही है उससे ज्यादा अच्छी हालत इन जातियों की नहीं हो सकती। क्यों नहीं? उसका कारण बिल्कुल साफ है। अमृतलाल से कोई उम्मीद करें कि आपकी कोई तरक्की कर सकेंगे, सुखाडियाजी पर दबाव डालकर कि राजस्थान की योजनाओं में ज्यादा धनराशि इन मदों में रखी जाय, यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं हो सकता। जो यादवजी एम.एल.ए. क्वार्टर्स में दलित वर्ग संघ का कार्यालय स्थापित कराकर उनसे 5—5 रुपए बिजली और पानी के लें, सदन में जो कुछ कहा जाय सुखाडियाजी उसकी मिसल बनाकर रखें और उनसे कहें कि आपकी सदन में चर्चा हुई है, आपने 5 रुपये कैसे लिए? कोई भी आदमी सरकारी पानी—बिजली बेच नहीं सकता, तो आपने कैसे बेचा? अब यादवजी बोल नहीं सकते और सुखाडियाजी को मालूम पड गया। बिजली पानी ही नहीं यादवजी ने टेलीफोन के पैसे भी दलित वर्ग संघ से लिए। मैं यादवजी से पूछना चाहूंगा 1963—64 में आपके पास इतने नहीं थे जिनके आधार पर फोन के पैसों का चुकारा कर सकते। फोन के 10 रुपए महीने आपने संघ से लिए। आप बिजली पानी और टेलीफोन बेचते हैं, यह कानून के खिलाफ है। आप बताइए कि दलित वर्ग संघ से आपने 10 रुपया महीना फोन के चार्ज किए या नहीं? मंत्री बने 1964 के बाद, बंगले में चले गए, आपने संघ से प्रस्ताव पास करा दिया। यादवजी ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि टेलीफोन का खर्चा बरदाश्त कर सकूं इसलिए 10रु. महावार उनसे चार्ज किया। इस संघ से प्रस्ताव पास कराया जिसके अध्यक्ष आप रहे हैं 1961 से 1968 तक, आज तक अध्यक्ष रहे हैं। उससे प्रस्ताव पास कराया कि मंत्री यादवजी के टेलीफोन से लोकल काल्स और ट्रंक काल्स पर जितना खर्चा आए सारे का सारा दलित वर्ग संघ पे कर दे। अब आप बताएं 1964 के बाद मंत्री बन गए और उसके बाद सरकारी बंगले में चले गए, सरकारी फोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सारा खर्चा लोकल काल्स और ट्रंक काल्स का दलित वर्ग संघ के किताबों में कैसे दिखाया? यह आडिट अकाउंट्स की रिपोर्ट है, समय का अभाव है मैं प्रस्ताव को पढता हूं·····

श्री **अमृतलाल यादव** (यातायात मंत्री): इनकी आदत के अनुसार उन्होंने झूठे आरोप लगाये हैं। मुझे कहने दिया जाय। माननीय सदस्य जिस तरह से गलत बात को, डिस्टारेटेड फैक्ट्स को सदन में रखते हैं, यह बुरी बात है। मैं दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष था जब मंत्री नहीं था, एम. एल. ए. क्वार्टर्स में रहता था, मेरा फोन था अगर दलित वर्ग संघ ने अपने काम से फोन किया है और मैंने चार्ज किया है तो·········

श्री **उपाध्यक्ष** : आप अपने उत्तर में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : आपने 10 रु. महीना टेलीफोन के लिए या नहीं?

श्री **अमृतलाल यादव** : जरूर जवाब दूंगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इस सदन में आज इस बात का फैसला हो जाय कि जितने आरोप मैं श्री अमृतलाल यादव पर लगाता हूं वे विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दिए जायं और अगर वे झूठे साबित हो जायं तो विशेषाधिकार समिति मुझे दंड देगी वह स्वीकार करूंगा नहीं तो आप मेरी चुनौती को स्वीकार करें।

(5 म. प.)

अभी तो हुआ क्या है, मसला शुरू किया है। आप घबडा क्यों रहे हैं? अभी तो शुरूआत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1963-64 में ये मंत्री बने ।

एक माननीय सदस्य : इसके पहले भी रहे थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी सब बताऊंगा, अभी तो बहुत मामले हैं । उदयपुर में अधिवेशन हुआ, उसका हिसाब का भी मामला है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है, पृष्ठ 85 पर····

"श्री गोवर्धन सिंह केन भरतपुर ने बताया कि दलित वर्ग संघ के लिये टेलीफोन करने की बहुत आवश्यकता पडती है । अभी संघ के पास अलग से कोई टेलीफोन नहीं है । केवल श्री अमृतलाल जी के टेलीफोन को ही काम में लिया जाता है और उन्हें 10 रु. प्रतिमाह खर्चे के दिये जाते हैं ।"

ये दलित वर्ग संघ से 10 रु. प्रति माह चार्ज करते हैं, ऐसा प्रस्ताव है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कहां है उसमें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं पढ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पृष्ठ 85 पर है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह तो श्री अमृत लाल जी की दी हुई किताब आप पढ रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई लाल जी दें, मैं नाम थोडे ही बताऊंगा । आप भी दें तो मैं आपका नाम भी नहीं बताऊंगा । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री यादव जी ने 10 रु. टेलीफोन के चार्ज किये । आपने बिजली बेची, पानी बेचा और टेलीफोन बेचा और प्रस्ताव में बताया गया है कि श्री अमृतलाल जी टेलीफोन के खर्चे की रकम का बोझ सहन नहीं कर सकते हैं अतः संघ इस बोझ को वहन करे । यह काफी विचार के बाद प्रस्ताव लिया है कि जब तक राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का निजी टेलीफोन न हो और जब तक उसका कार्यालय अलग अन्य किसी स्थान पर परिवर्तित नहीं कर दिया जाय तब तक जो टेलीफोन लोकल काल या ट्रंक काल हो उन सबका भुगतान अर्थात् श्री अमृत लाल जी यादव के नाम से आये हुये टेलीफोन बिल का भुगतान संघ की ओर से कर दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ कि सन् 1963 में, सन् 1964 में, सन् 1965 में और सन् 1966 में····

(श्री अमृतलाल जी के खडे होने पर) :

आप मेरी सारी बात सुन लीजिये, मैंने चुनौती दी है ।

श्री अमृतलाल यादव : यह रिपोर्ट दलित वर्ग संघ की है यह हमने ही तो दी है, इसमें आप क्या बता रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 10) रु. टेलीफोन का खर्च आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । श्री अमृतलाल जी ! आप सन् 1964 में मंत्री बने–10 रु. का खर्च आप नहीं उठा सकते तो जब ऐसी खस्ता हालत थी तो 60, 61 और 62 में जो अकाऊन्ट पेश हुआ है । आपके नाम से 14 हजार रुपये हैं यह कहां से पेश हुआ और फिर 16 हजार कैसे हो गये । यह आप सदन को बता दें । 64 से पहले वाली

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बेलेन्स शीट में श्री अमृतलाल जी का नाम नहीं। मार्च 64 में 10 रु. का खर्चा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 31-3-64 को इस बेलेन्स सीट में श्री अमृतलाल जी यादव के नाम 14,420 रु. जमा हैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उसके बाद सन् 1965 में-31-3-65 में इनको मंत्री बने एक ही साल हुआ होगा उस समय यह रकम बढ़कर 16,800 हो गई और 66 में यह रकम 19,000 हजार हो गई

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी यह हालत है। बिजली खा गये, पानी खा गये और टेलीफोन के पैसे खा गये। सारा पैसा टेलीफोन का दलित वर्ग संघ से खा गये। 64 में नया बंगला बन जाने के बाद वह आपके नये मकान में चला गया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी टेलीफोन आपके लगा हुआ था 1964 में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सब उनके खर्चे में लिखा हुआ है। जब आप मंत्री बन जाते हैं तो लोकल काल और ट्रंक काल का खर्चा 3।। हजार का आया इसी प्रकार सब जगह पैसे खा गये। 66 में 200 रु. ज्यादा चार्ज किया है। 66 की बेलेन्स सीट में 19,000 रुपये आपके नाम में जमा हैं। अधिवेशन हुआ उदयपुर में, ये स्वागताध्यक्ष थे, 3,518 रु. इनके पास रह गये। शेष अध्यक्ष के पास रह गये वे तो मर गये और इस तरह वहां का भी सारा पैसा खा गये। उस समय वहां वर्किंग कमेटी की मिटिंग हुई थी पृष्ठ 55 पर देख लीजिये–उसमें यह लिखा है "उदयपुर स्वागत समिति के हिसाब के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि श्री अमृतलाल जी यादव को अन्तिम पत्र दिया जाय और यदि जवाब प्राप्त नहीं हो तो गत मीटिंग के प्रस्ताव के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाय–यह प्रस्ताव किया गया उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री अमृतलाल यादव : उसके आगे क्या लिखा हुआ है यह नहीं पढा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं बता दूंगा। इसके बाद श्री अमृतलाल जी ने कहा कि जो रुपया मुझे स्वागताध्यक्ष की हैसियत से अर्थात् 3,518 रुपया दिया गया था वह श्री नन्द लाल जोशी को दे दिया गया था। अन्त में यह हुआ कि वे तो मर गये और श्री अमृतलाल जी को दो महीने का नोटिस दिया गया कि इस सारे हिसाब का ब्यौरा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं क्या आपके ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे विभाग के भ्रष्टाचार की कटौतियों के प्रस्ताव हैं। यहां पर यह व्यवस्था तय हुई है कि विरोधी दल इस सम्बन्ध में बोल सकते हैं। मैं तो कुछ तथ्य इसलिये रख रहा हूं कि सार्वजनिक रूप से श्री अमृत लाल जी की स्थिति का पता लग जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बिना पूर्व सूचना के शायद माननीय मंत्री जी यह पुस्तक लेकर ही नहीं आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैं उनको दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करना चाहता हूं कि इन्होंने हिसाब बनाया, स्वागत समिति ने यह कहा कि हिसाब मय बिल वाऊचर्स व आडिटेड हिसाब श्री अमृत-लाल जी प्रस्तुत करेंगे। श्री जोशी तो मर गये अब सारा हिसाब इनको देना है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संकेत पर छोड देता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : समय समाप्त हो गया है अब आपका।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक निवेदन और करना चाहता हूं हमारे हिन्दुस्तान में एक कानून बना हुआ है–एक इन्डस्ट्रीज रेगूलेशन और डेवलपमेन्ट एक्ट है इसके तहत कार कन्ट्रोल निकला हुआ है और यह कार का कन्ट्रोल लागू है। श्री अमृत लाल जी की कार के सिलसिले में है। इसकी धारा 8 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दो साल से पहले अपनी गाडी को नहीं बेच सकता है और अगर उसको बेच दिया तो क्या होगा? धारा 24 यह कहती है कि जो इस धारा का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ····

'If any person contravenes or attempts to contravene any order under Section 18 G........

18 जी के तहत यह आर्डर निकला कि उसको 6 महीना की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना होगा। अब, उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमृत लाल जी को 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना होना चाहिये क्योंकि इन्होंने अपनी गाडी दो साल से पहले ही बेच दी और मुनाफे से बेची है। धारा 8 में लिखा हुआ है कि दो साल से पहले नहीं बेच सकते। 66 में इनको गाडी का अलाटमेन्ट हुआ दो साल कब होते हैं? 68 से पहले ही इन्होंने गाडी बेच दी। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, श्री यादव जी को सजा देनी है और उन पर कानूनी कार्यवाही करनी है तो 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपया वसूल करना चाहिये। ये तो बेशर्मी से बैठे हैं–इनको क्या? इनके डाईरेक्टोरेट ने एक नियम बनाया, माथुर साहब अभी सदन में नहीं हैं शायद बरकत साहब को मालूम होगा–राजस्थान गवर्नमेन्ट ने नियम बनाया, अगर कोई उसे पांच साल से पहले बेचेगा तो राज्य सरकार को बेचेगा और वह भी डेप्रीसियेट वैल्यू पर बेचेगा। राज्य सरकार को नहीं बेचे तो राज्य सरकार ने एक बोन्ड फार्म और लिखाया है ऐसा जुर्म अगर किसी व्यक्ति ने किया उससे पांच हजार रुपये कम्पाउन्डिंग फीस ली जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल एक्ट अलग है उसके रूल्स अलग आये हैं राजस्थान गवर्नमेन्ट की आज्ञायें हैं जिसमें यह साफ है कि पांच साल पहले नहीं बेचेगा। हमारे इन मंत्री महोदय ने डेढ साल में ही अपनी कार ब्लेक में बेच दी और जनवरी, 1968 में नई गाडी खरीद ली। माननीय मंत्री मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप सब कानूनों से वाकिफ हैं, क्या आप पर कोई कानून लागू नहीं है? आप खुद इस प्रकार का आचरण करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे स्टेन्डर्ड मेन्टेन करें, पहले आप अपना स्टेन्डर्ड बनाइये नहीं तो आप किस मुंह से पैसेन्जर टैक्स की चोरी मत करो यह कह सकते हैं। आप, मंत्री महोदय! चाहे कुछ करें, आपका कोई कुछ बिगाडने वाला नहीं। आपने सरकारी जमीन दबाली, यू. आई. टी. की जमीन दबाली

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

लेकिन आपके सामने जो हरिजन बन्धु कच्ची झोंपडियों में रहते हैं, जो आपके बंगले के पास में रहते हैं वे भी आपको फूटी आंखों नहीं सुहाते। आपने दो लाख का बंगला बना लिया लेकिन कभी आपने उन झोंपडी में रहने वालों के लिये कोई कोशिश की कि इनको भी प्लॉट दिलवाये जायं। आप तो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो यह किया आपके साहबजादे ने एक हरिजन बालिका की आंख में बन्दूक मार कर उसकी बेचारी की आंख फोड डाली, उसकी आंख से खून निकलने लगा''

श्री अमृतलाल यादव : आप झूंठ कह रहे हैं। मैं इस घटना का जवाब दे चुका हूं। आपने तो सच बोलने की कसम खा रखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लडके की बन्दूक बरामद हुई। हम गये हैं अस्पताल। आपने उस केस को दबवा दिया। आप वो नहीं जो गरीब के आंख से आंसू पोछते हों। आप तो गरीब की आंख से खून बहाते हो।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, 13 मार्च को यहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया उस समय का न किसी को भत्ता मिला। हमने लॉ डिपार्टमेन्ट को रिप्रेजेन्टेशन किया उस पर यह हुआ कि 13 मार्च से जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय का भत्ता और तनख्वाह नहीं मिल सकती। हमारे बिल रिजेक्ट हो गये। विधान सभा के 183 सदस्यों को किसी को उन दिनों की तनख्वाह नहीं मिली लेकिन अमृतलाल जी यादव ने तो उन दिनों की तनख्वाह उठाई है उसके लिये कोई कानून नहीं। आपने अपने बंगले की जमीन के पास जो सरकारी जमीन है यू. आई. टी. की जमीन है उसमें गाय बांध रखी है, भैंस बांधते हैं। गन्दे नाले पर सारे पर आपने एन्क्रोचमेन्ट किया है। आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, काउ शेड बना रखा है। आपके पास उस जमीन का अलाटमेन्ट लैटर नहीं। इसकी जांच सदन कर सकता है। जिस जमीन का पट्टा आपको मिला नहीं उस जमीन पर भी आपने कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती उस पर मकान बना लिया है। आज हम देखते हैं जयपुर शहर के आस पास जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनकी झोंपडियों को गिराया जाता है। जो बेचारे तीस तीस साल से रहते आ रहे हैं उनको वहां से उखाडा जा रहा है लेकिन यादव साहब आपने जो नाजायज कब्जा कर रखा है वहां से आपको कोई हटाने वाला नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब चूंकि समय कम है इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं उनसे आप यह उम्मीद करें कि वे अपने विभाग में सुधार कर सकते हैं। आप लोग इतने बैठे हैं आप आर. टी. ए. एस. टी. ए. के मेम्बर नहीं बन सकते, घासीराम जी यादव जो चुनाव में हार गये वे बन सकते हैं। आज सदन में 45 ऐसे सदस्य हैं जो पिछडी जाति के हैं उनमें से किसी को स्थान नहीं। ऐसी हालत में जिनके पास परिवहन का विभाग है जो इतने भ्रष्ट आदमी हैं उनसे क्या आशा कर सकते हैं वे अपने विभाग के भ्रष्टाचार को मिटायेंगे, ऐसे व्यक्ति को तो मंत्री–मंडल से बर्खास्त किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराणा): अमृतलाल जी को हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 24 पर तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पहले कटौती प्रस्ताव में मैंने समाज कल्याण विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची के बारे में रखा है। दूसरा रायपुर तहसील के पहाडी इलाके में दी जाने वाली सहायता के संबन्ध में है। तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है राज्य के निराश्रित वृद्ध भिक्षुक एवं अपंगों के लिये सुनियोजित कार्यक्रम न होने के संबंध में। इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज कल्याण विभाग द्वारा 68-69 का जो बजट रखा है उससे मैं कह सकता हूं इस समाज का कितना कल्याण हो सकेगा यह सन्देहास्पद है। हम इस को समाज कल्याण का बजट न कह कर सरकारी कर्मचारियों के कल्याण का बजट कह सकते हैं।

इस बजट से सरकारी कर्मचारियों का कल्याण किस प्रकार से होगा यह इन आंकडों से मालूम हो जायगा। वे आकड़े इस प्रकार हैं जहां समाज कल्याण विभाग को नॉन-प्लान के अन्दर 6,79,600 रुपये की आय है वहां केवल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन भत्ता आदि का खर्चा 5 लाख 82 हजार है। यह आश्चर्य का विषय है कि यह 6 लाख 79 हजार 600 रुपये में से 5.82 हजार रुपया केवल कर्मचारियों पर ही खर्च कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट मालम देता है कि समाज कल्याण इससे न होकर केवल सरकारी कर्मचारियों का कल्याण हो सकता है। इस रकम में सिर्फ 1 लाख 57 हजार 600 रुपया इनके विकास के लिये खर्च करने के लिये बचा है।

(5.17 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन)

दूसरा प्लान एक्सपेन्डीचर 4.18 लाख बताया गया है इसमें से कर्मचारियों पर 1.57 लाख 600 रुपया बताया गया है इस तरह से समाज कल्याण विभाग के एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा वास्तविक सहायता से बहुत ज्यादा है। इस प्रकार इस विभाग को समाज कल्याण का विभाग न कह कर सरकारी कर्मचारियों को प्रश्रय देने वाला विभाग कह सकते हैं।

पहले निर्बल अशक्त लोगों के लिये 24 हजार रुपया रखा था अब उसमें काट कर 22 हजार कर दिया है। इस तरह से जहां हम प्रशासन पर इतना व्यय करते हैं वहां समाज के कल्याण के लिये 1.93 लाख रुपया ही रहता है। और सहायता के लिये 25 हजार रुपया की रकम है। यह जो सहायता और मदद की रकम है वह बहुत कम है इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस बजट को यदि समाज कल्याण का बजट बनाना है तो वे इसका पुनरावलोकन करें जो एस्टेब्लिशमेन्ट में ज्यादा खर्चा किया है वह इतना न होकर वास्तविक योजनाओं में इसको व्यय किया जाय। और देखा जाय कि आय और व्यय में इतना अन्तर क्यों है ?

(श्री शंकरलाल)

अगर इस प्रकार का बजट है तो मैं समझता हूं कि इसे सदन किस प्रकार स्वीकार कर सकता है ।

सभापति महोदया, इसके अलावा समाज कल्याण के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो इसमें भी केवल भत्ते के लिये, वेतन के लिये, गाडियों पर जीपों के ऊपर और जीपों के सामान आदि पर 795 हजार. का खर्चा बताया गया है, और बताया गया है कि हम इससे समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे.

समाज-कल्याण विभाग द्वारा नशाबन्दी लागू कराना चाहते हैं उसमें कितना रुपया ? 500) केवल । नशाबन्दी के लिये 500) का अनुदान और प्रशासन के खर्चे पर 795 हजार । इस प्रकार हम सोच सकते हैं, हमारी नजर किधर जा रही हैं, हमारी नीति किधर जा रही हैं, मैं समाज-कल्याण मन्त्री को, और सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, उनको कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं । अगर आप समाज-कल्याण विभाग द्वारा वास्तविक रूप से समाज का कल्याण करना चाहते हैं और इसके नाम को सार्थक करना चाहते हैं तो आपको दो प्रकार की नीति अपनानी पडेगी । एक यह होनी चाहिये कि जो अनुसूचित जातियां, जन जातियां और नोटिफाइड जातियां हैं उनके भले के लिये जो वास्तविक खर्चा है उसको बढाया जाना चाहिये और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत कम करना चाहिये ।

आगे देखा मैंने तो प्रचार प्रकाशन के लिये पचास हजार का प्रावधान आपने रखा है । शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और नोटिफाइड ट्राइब्स के मद में पचास हजार रुपया प्रचार प्रकाशन में खर्च होगा और उनको भूमि पर बसाने के लिये केवल मात्र चालीस हजार रुपया । जहां पर राजस्थान के अन्दर सबसे बडी समस्या है इन शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, भूमिहीन किसानों को जमीन देने की और बसाने की उसके लिये तो आप केवल बजट में चालीस हजार रख रहे हैं और प्रचार के लिये पचास हजार रखते हैं । इससे आप उनको कैसे सन्तुष्ट कर सकते हैं ? इसी प्रकार भूमि पर बसाने हेतु आपने केवल दस हजार रखा है । बजट के पेज 427 पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बसाने के लिये मकान के लिये दस हजार रुपया और प्रचार के लिये पचास हजार । इनको प्रचार की आवश्यकता नहीं है । हमें पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है । यह रुपया वास्तविक कामों पर खर्च करिये । काम से प्रचार होगा, केवल कागजों से, चिकने पेपर पर किताब निकाल देने से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है । हां, इससे आपके कुछ चापलूसों का प्रेस और छापाखाना वालों का भला जरूर हो सकेगा ।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज में वास्तविक रूप से आप अगर कल्याण करना चाहते हैं तो दो बातें आपको ध्यान में लेनी पडेगी ।

इन शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स और नोटिफाइड ट्राइब्स के अलावा जो भिक्षुक हैं, बेगर्स हैं उनकी समस्या पर भी गम्भीरता से सोचना पडेगा। आजादी के बाद स्वतन्त्र नागरिक को अगर हाथ पसारते और भिक्षा मांगते देखते हैं तो क्या यह

(श्री शंकरलाल)

राज्य के लिये और हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं है ? हमारी स्वतन्त्रता तभी सार्थक होगी, समाज-कल्याण का अस्तित्व भी तभी सार्थक होगा जब हमारे राज्य में भिक्षुक नहीं रहेंगे। आपने इनके लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री दौलतराम सारण: यह तो इन सबकी बुनियाद ही भिक्षा पर है।

श्री शंकरलाल: सन् 57 से 62 के बीच में, वास्तविक वर्ष याद नहीं, इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया था भिक्षुकों की समस्या के हल के लिये। यह सही है कि बहुत से भिक्षुक झूठे भी होते हैं और कई भिक्षुकों के मरने के बाद हजारों की सम्पत्ति भी निकली है उनके पास से। पर फिर भी उनके प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। आज कई राज्यों ने डील किये है। हमारे राज्य में इस समस्या की तरफ गम्भीरता से नहीं सोचा गया है। समाज-कल्याण विभाग द्वारा इसको डील किया जाना चाहिये।

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस समाज-कल्याण विभाग के द्वारा समाज सुधार के कार्य भी किये जाने चाहिये। जैसे नशा बन्दी की बात है इसके लिये वातावरण तैयार करना चाहिये। पर आज इसके लिये 500 रुपये का प्रावधान किया गया है केवल इसके अलावा दूसरी समस्याएं हैं समाज की, सोसाइटी के दोष हैं, मौसर का कानून है, बाल—विवाह का कानून है उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिये समाज-कल्याण विभाग को वातावरण बनाना चाहिये।

(5.25 म प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसमें सहायता देने का काम हमारे समाज-कल्याण विभाग का भी है। इसलिये एक तरफ गिरे हुए लोगों को उठाने के लिये विभाग को काम करना चाहिये तो दूसरी तरफ सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिये वातावरण बनाने का काम भी उसको करना चाहिये। नशाबन्दी, बाल विवाह मौसर का कानून उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिये, जनता को जागरूक करने के लिये ऐसा वातावरण बनाने के लिये भी समाज-कल्याण विभाग को काम करना चाहिये, प्रचार करना चाहिये। हजारों रुपया चिकनी चुपड़ी किताबों पर खर्च करने की जरूरत नही।

एक बात और कहना चाहूंगा। छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों का काफी प्रावधान है। काफी बातें भी कही गई है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्येय क्या है। वे जो लडके पिछडी जातियों के पढ—लिखकर निकलें तो उनको योग्य नौकरियां और स्थान दिलाने के लिये भी समाज—कल्याण विभाग को कार्य करना चाहिये। अगर पढ—लिख जाने के बाद उनको आप नौकरियां नहीं दिला सको तो उनको पढाना सार्थक नहीं होगा। आज कोई भी आदमी जो बेरोजगार है उसको अगर मदद की जाती है तो वास्तव में समाज-कल्याण विभाग काम कर रहा है। पर बैठे हुए हजारों की तनख्वाह पाने वाले कमरे में पंखों के नीचे बैठे हैं और कोई अगर आकर कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आप प्रयत्न करिये तो जवाब मिलता है उसे कि यह नौकरी दिलाने का काम हमारा नहीं है।

(श्री शंकरलाल)

हमारा काम तो सिर्फ छात्रवृत्ति दे देना भर है। तो मैं समझता हूं कि समाज-कल्याण विभाग अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। इन पिछड़े वर्ग वालों के लिये रोजगार दिलाने का प्रयत्न भी इस विभाग को करना चाहिये

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके लिये समाज-कल्याण विभाग को कोई योजना बनानी चाहिये। इनकी बेरोजगारी की समस्या आज नहीं तो कल आपके सामने आने वाली है तो उनको रोजगार पर लगाने का काम भी समाज-कल्याण विभाग का होना चाहिये।

अन्त में संक्षेप में थोडा सा अपने क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगा। पाली-बाली में जैसे गिरासिया हैं उसी तरह रायपुर में रावत-मेरात भाई भी हैं। चाहे वे शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स में नहीं आते हों पर आप अगर उस क्षेत्र में जावें और वहां की हालत देखें तो आपको दुःख पैदा होगा कि उन पहाडी इलाकों में रहने वाले इन रावत-मेरात भाइयों का जिनके पास कि जमीन जोतने के लिये बराबर और पूरी नहीं, रोजगार नहीं, और कुरीतियों के वे पूरी तरह शिकार हैं उनको कुरीतियों से निकाल कर बेरोजगारी से निकाल कर नीचे से ऊंचे लाने का काम करना है तो उनके लिये हमें प्रावधान करना पडेगा समाज-कल्याण विभाग के बजट में। उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके के इन पिछडे लोगों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कितने ही सालों से उनके बारे में आवाज उठा रहे हैं रावत-मेरात भाई हैं, पिछडे वर्ग के हैं, पहाडी इलाके के हैं समाज-कल्याण विभाग के द्वारा अवश्य कोई योजना उनके लिये तैयार करानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो शब्द ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत संक्षेप में थोडा सा कहना चाहूंगा। पहले भी मैंने सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित इस ओर किया था कि यह जो रोडवेज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ढिलाई है। अभी अभी 13 तारीख को जयपुर-जोधपुर की बस से 2।।। बजे के करीब सात-आठ हम एम. एल ए. ट्रेवल कर रहे थे। बीच में कुछ सदस्य अजमेर में उतर गये। दो बैठे थे। जब जोधपुर जा रहे थे तो 20–25 मील की दूरी पर वह बस पेड से टकरा गई, और, उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या था? कापरडा गांव में ड्राइवर उतरा था और शराब पीकर गाडी में बैठ गया। यह तो अच्छा हुवा कि माननीय सदस्य बाल 2 बच गये। पर दूसरे कई यात्रियों को चोटें आईं पर अगर जरा सा जोर से यह एक्सीडेन्ट भी हो सकता था और हो जाता तो क्या होता? इससे पहले भी इस तरह के कई एक्सीडेन्ट शराब के नशे के कारण हुए हैं। दूदू का एक्सीडेन्ट हमारे सामने हुआ। ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था। आदमी मारे गये इसमें तो कई घायल हुए थे।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि रोडवेज में तो कम से कम कर दें कि कोई भी आदमी शराब पीकर बस नहीं चला सकता। वह कहेंगे कि इसके लिए तो पहले से ही कानून है, यह मैं मानता हूं लेकिन उसका कडाई से पालन नहीं होता है। इस विभाग में जिस प्रकार की ढिलाई है और

(श्री शंकरलाल)

जिस प्रकार की घटनायें होती हैं उससे लोग उसमें जाने से हिचकिचाते हैं और सोचते हैं कि यदि हम ट्रेवल करेंगे तो एक्सीडेन्ट हो जायेगा। मैंने तो दो चार व्यक्तियों से कहते सुना है कि रोडवेज में ट्रेवल करने से कहीं एक्सीडेन्ट न हो जाये और हमारी जान न चली जाय इसलिए उसमें अब ट्रेवल नहीं करेंगे। आज बहुत सी बसें फालतू चलाई जारही हैं। जयपुर से दिल्ली जो एयर कन्डीशन्ड बस चलाई जा रही है उसमें कितने आदमी सफर करते हैं? चार सालों से उसमें घाटा हुआ है। गयी साल भी घाटा था और इस साल भी 26 लाख का घाटा है। तो जब यात्री उसमें सफर नहीं करते हैं तो फिर क्यों चलाते हैं? राज्य की भलाई के लिए, राज्य में आमदनी आये इस प्रकार से बजट को देखें और वास्तव में इनका उपयोग हो इतना ही आप ध्यान दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय वन-मन्त्री जी!

श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट के लिए निवेदन करना है।

श्री **उपाध्यक्ष**: समय काफी हो गया है।

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: मुझे केवल एक मिनट का ही समय दें। मैं दो एक सुझाव रखना चाहता हूं केवल...

श्री **उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। समयाभाव में यह सम्भव नहीं होगा।

श्री **मनोहरसिंह मेहता**: मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि 25 तारीख तक मैं समय नहीं लूंगा। मैं आपको केवल सुझाव देना चाहता हूं। मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। छटी मिनट भी नहीं लूंगा। मुझे थोडा बोलने दिया जाये...

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तब ऐसा लगा कि करोडों की आमदनी होगी और हमारा राजस्थान बहुत ऊंचा उठेगा लेकिन जैसा जानते थे वैसा ही हुआ। 'बोये पेड बबूल का आम कहां से होये' पहले तो मोटर फिर शराब तो यह होने वाला नहीं था लेकिन अब तो न जाने किनके हृदय में मामा शकुनी बैठ गये हैं- जुआ भी शुरू हो गया है। अब राष्ट्रीयकरण तो असफल होने ही वाला है इसमें शक नहीं। मैं अब थोडा सा निवेदन करना चाहता हूं समाज कल्याण के बारे में। समाज कल्याण के द्वारा कितना हित हुआ आप चांवल टटोल कर देख लें। जो एम. एल. एज. आये हैं उनको देख लो। उनमें से एक दो को मैं जानता हूं वह हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते हैं फिर क्या समाज कल्याण हुआ? मेहतर आज भी मेहतर है और मेहता आज भी मेहता है। अलग अलग छात्रावास खुले हुए हैं जहां हमेशा के लिए आदिवासी रहते हैं। मुझे इस संबंध में एक सुझाव देना है कि जितने भी छात्रालय अलग चल रहे हैं उनको तोड दें और आने वाली जुलाई से जितने भी अन्य छात्रालय चल रहे हैं उनमें 25 प्रतिशत उन आदिवासी छात्रों को रख दें ताकि मेहतर और मेहता का भेद मिट सके।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनावों ने जंगलों को सबसे अधिक बरबाद किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने भी खुले जंगल हैं उनमें खास तौर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
से फेन्सिंग लगाई जाये ताकि पेड बढें और जंगलों का विकास हो। मैं देखता हूं कि बड और पीपल कट कट कर जब सा मशीन पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी आदमी को काटा गया हो या गौ माता को काटा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था भी आप करें कि बड और पीपल को कोई नहीं काट सके।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज भी कई जगह देवताओं के नाम पर गांवाई जंगल हैं और काफी पंचायतों को 15 बीघा जमीन जिस तरह से खेती के लिए देते हैं ठीक उसी तरह से जंगलों के लिए भी 15-15 बीघा जमीन निकालें और वहां पर पेड और पौधे लगाये जायें ताकि फिर से जंगल हरे भरे हो सकें। मैं मानता हूं कि आपने थोडी बहुत जगह पहाडियों के नीचे फेन्सिंग लगाई है लेकिन वह जमीन बहुत कम ली गई है। जंगलों से कोई डाइरेक्ट इनकम नहीं होती है, इनडाइरेक्ट इनकम होती है। इसलिए जितने भी जंगलों को आप डवलप कर सकें और करोडों रुपया भी आप खर्च कर सकें तो करें लेकिन फिर से जंगलों को हरा भरा करें। कृपा करके थोडी सी बात पर ध्यान दें एक तो समाज कल्याण बन्द करें, दूसरी खुले जंगलों के फेन्सिंग लगायें और तीसरी बात जो अर्ज की कि मामा शकुनी को जो निमंत्रण दे रहे हैं कृपा करके वह न दें। नहीं तो राष्ट्रीयकरण बन्द हो जायेगा और यह सच्चे माने में छुरा भोकना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशन : मेहता साहब मामा शकुनी के बारे में बता रहे हैं तो यह किस को बता रहे हैं ? यह मामा शकुनी की तो बहुत पुरानी कथा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उनकी जान पहचान वाले हैं हमें पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्री जी।

श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वन के संबंध में काफी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं। विभिन्न सदस्यों ने कई सुझाव दिये और इन सब सुझावों को देखते हुए मैं यह समझने लगा हूं कि राजस्थान में जहां यह शिकायत है कि 11 पर्सेन्ट वन हैं और 33 पर्सेन्ट होने चाहिए तो मुझे विश्वास होता चला जाता है कि माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उनके अनुसार शायद 11 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 33 पर्सेन्ट तक भी वन बढ सकेंगे। यद्यपि यहां की आबादी भी बढ रही है और कृषि हेतु जमीन की भी आवश्यकता है और उसके लिए भी जमीन होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन के संबंध में आमदनी का जब सवाल आता है तो 114.21 लाख की आमदनी 1967-68 के अन्दर थी उसके बाद में आमदनी बढ़ी और 116.58 लाख हुई और इस समय 132.25 लाख है। इस आमदनी की तरफ दृष्टिपात करने की हमारी आदत है और इस आमदनी के अन्दर यदि कमी आती है तो स्वाभाविक है कि हमारी भृकुटि उठती है और हम सोचने लगते हैं कि आमदनी क्यों गिरी ? वन विभाग में आमदनी ठेकों से और दूसरे तरीकों से होती है और यही परम्परागत शैली आमदनी पैदा करने की रही है। इसी शैली से हम वनों की सुरक्षा और इसी शैली से हम पेडों का विकास देखने के आदी हुए हैं।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

अब वास्तविक तौर से हमें देखना चाहिए कि वनों की क्षमता और पोटेन्शियलिटी कितनी है और कितनी रहे तो इस आमदनी से वन का विकास देखने की आदत को कम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कई माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत की कि ठेका प्रथा बहुत खराब है, उससे बहुत सी चोरियां होती हैं और दूसरी सब बातें होती हैं। लेकिन उस प्रथा के साथ ही साथ आमदनी भी जुडी हुई है। यह भी प्रस्ताव है कुछ मेम्बर्स का कि ठेके आदि सब बिल्कुल ही बन्द कर दिये जायं और इससे मुक्ति पाई जाय ताकि वन बहुत सक्षम हो सकें। पहली बात तो यह है कि वैज्ञानिक ढंग से यदि वनों की कटाई न हों वर्किंग प्लान के अनुसार और यों ही छोड दिये जायं तो वनों की वृद्धि के अन्दर भी असर पड सकता है। और दूसरी चीज जो हमारे सामने आ सकती है ऐसी दशा में वह खास तौर से आमदनी के आंकडों की तरफ देखने की हमारी आदत है उसी संदर्भ में आ सकती है कि गवर्नमेन्ट और वन मंत्री ने इस तरह के कदम उठाये हैं और सब ठेकों को बन्द कर दिया और सब बातों को बन्द कर दिया, और वनों की क्षमता को बढाने के लिए डिपार्टमेंटल वर्किंग अथवा दूसरी प्रकार की पालिसी अख्तियार कर हमारे वनों को इतने अर्से तक बन्द रखा इस कारण से आमदनी के आंकडे नीचे गिर गये। तो इस तरह की शिकायतें होंगी तो उनका जवाब देना मंत्री के लिए और राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो जायगा। इसलिए जहां हम इस शिकायत को लेते हैं, मैं मानता हूं कि दिली दर्द जरूर है, कि इन ठेकों से और इस प्रकार कि प्रथा से वनों के अन्दर बहुत भारी हानि होती है, परन्तु इसका सदा के लिए शार्ट कट मैथड इस प्रकार से अपनाने को नहीं कह सकते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ठेके की प्रथा का प्रश्न है मैं मानता हूं कि इस ठेके की प्रथा के कारण जो अर्से दराज से चली आ रही है, वनों के अन्दर काफी गडबड हो जाती है। ठेकेदार लोग दूसरे कूप्स के अन्दर से भी एक्स्टेन्शन प्राप्त करके चोरियां कर लेते हैं, और भी कई बातें हो जाती हैं, और इससे वनों को हानि होती है। इसी सब संदर्भ के अन्दर राज्य सरकार ने विचार किया भी है, और इस संदर्भ में विचार करके राज्य सरकार इस विषय पर भी विचारशील है कि इस ठेके की प्रथा को हटाकर कौनसी दूसरी प्रथा चलाई जाय कि जिससे वनों की आमदनी चालू रहे और वनों के अन्दर जो खराबियां हो रही हैं वे भी दूर हो सकें।

मैं थोडा सा इस विषय में निवेदन करूंगा कि जहां तक ठेके की प्रथा का प्रश्न है वह मैं अलग से अर्ज करते हुए यह कहूंगा कि किस प्रकार से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। जहां तक चोरियों का प्रश्न है जहां भी हो सकता उनको पकडने का प्रयत्न किया जाता है। इस वर्ष भी किये गये हैं। और जिस जगह इस प्रकार की चोरियां नजर आती हैं उनके ऊपर माकूल तौर से जुर्माना इत्यादि भी करने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ ही साथ एक विजिलेन्स स्क्वाड भी बनाया गया है जो इस कार्य को मुस्तैदी से करके और जहां जहां भी इस प्रकार शिकायतें आयें पहुंचे और उन शिकायतों को रोक सकें।

इसके साथ मैं यह चीज भी निवेदन करूंगा कि यह ठेकेदारी की जो प्रथा है इसके अन्दर

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
खास तौर से कत्थे के बारे में जो ठेके दिये जाते हैं वह हाण्डी सिस्टम के साथ में बन्धा है, और हाण्डी सिस्टम के साथ में जुड़े हुए होने के कारण प्रति हाण्डी के हिसाब से यह ठेका दिया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, गाय लाकर खड़ी कर दी । सारा गुस्सा ही ठंडा कर दिया ।

श्री नारायणसिंह मसूदा: उदयपुर डिवीजन के अन्दर एक किस्सा आया जिसमें कत्थे की चालीस हाण्डी का एक ठेका हुआ 85,000 रुपयों के अन्दर उसको फिर वापस किया गया तो 1,65,000 रु. में ठेका हुआ । तो इस प्रकार से निवेदन करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं कि वन विभाग बिल्कुल इस बात से आंखे मूंद कर नहीं रहता है कि जहां जिस प्रकार से ठेके हो जाते हैं वही कर दें, बल्कि इस प्रकार से भी प्रयत्न करता है कि आमदनी जहां ज्यादा हो सकती है और ठेके की ज्यादा रकम आ सके तो उसको चान्स दिया जाय ।

मैं तेंदू के पत्तों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष 18 लाख की तेंदू की बिक्री से आमदनी हुई है जहां कि चार लाख गत वर्ष में हुई थी । और इसी प्रकार से जो दूसरे ठेकों के अन्दर काम किया जाता है ।

तो विजिलेंस स्क्वाड को इस प्रकार से नियुक्त किया गया है कि इस प्रकार की खराबियों को जहां तक हो सके रोके । परन्तु मैं इस बात को मान्य नहीं कर सकता कि इसके बावजूद भी आज जितनी जटिलताएं, इसके अन्दर गड़बड़ियों को रोकने के अन्दर हैं, उनको हल करने में बहुत काफी मुश्किलात हैं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि ठेकेदारी प्रथा एक बहुत ही पुरानी परम्परागत शैली की एक प्रथा है, और उसकी जगह पर दूसरी प्रथा को आरोपित करने के लिए पूरी तरह से विचार करे बिना उसको आरोपित नहीं किया जा सकता है । लेकिन इस विषय में कार्पोरेशन सिस्टम की तरफ ध्यान गया हुआ है, और उस कार्पोरेशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए उडीसा का कार्पोरेशन सिस्टम हमारे सामने आता है । उडीसा के कार्पोरेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत स्टडी किया तो उससे यह पता लगता है कि उससे काफी आमदनी राज्य सरकार को हुई और नेट प्राफिट भी रहा । मैं उन आंकड़ों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु उसी सिस्टम को स्टडी करके प्रयत्न यह किया जा रहा है कि राज्य सरकार उसको नमूने के तौर पर यहां राजस्थान के अन्दर भी कोई एक विशेष डिस्ट्रिक्ट में अथवा किसी जगह पर ट्राई करें ।

अब जहां कार्पोरेशन का प्रश्न आता है मैं निवेदन करूंगा कि प्रथम तो इसको देखना है कि यह किस प्रकार से दूसरे राज्यों में वर्क कर रहा है, और इसके लिए ऑफिसर को नियुक्त भी किया गया है कि वह इसको पूरी तरह से स्टडी करे । दूसरी चीज यह भी आती है कि जहां हम कार्पोरेशन बनाने के लिए जाते हैं वहां इस बात को ध्यान में रखने का है कि उस कार्पोरेशन को खाली राज्य सरकार का ही बनाया जाय अथवा उसके अन्दर जो ठेकेदार हैं और जो कोआपरेटिव्ज हैं उनको भी रखा जाय । सबसे पहले एक तरफ हमारा विचार कोआपरेटिव्ज का है । आज कोआपरेटिव सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम है कि जो एक तरह से समाजवादी समाज की शपथ नहीं ले सके तो कम से कम

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

समाजवादी समाज की तरफ गतिशील करने के लिए एक माकूल कदम जरूर कहा जा सकता है। और इसी दृष्टि से कोआपरेटिव सिस्टम को हम हर स्तर पर एन्करेज करने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। इस वन विभाग में भी वन श्रमिकों की सहकारी समितियां काफी हैं, और उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और उनको काम करने के लिए काफी मौके दिये गये हैं। अब जिस समय कार्पोरेशन सिस्टम पर विचार करते हैं उस समय इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि उस कार्पोरेशन में राज्य का कितना शेयर हो, कोआपरेटिव्ज का कितना शेयर हो और कोआपरेटिव्ज के साथ साथ ठेकेदारों को भी लिया जाय या न लिया जाय, अथवा उनका कितना शेयर हो? कार्पोरेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं और नेशनेलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की बातों...

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: सारे कटौती-प्रस्ताव वापिस ले लिये।

श्री **रतनसिंह** (उप मन्त्री, गृह): अभी तो भूमिका ही बनी है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: जो उत्तर दिया है वह बड़ा कन्विन्सिंग है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये।

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: कार्पोरेशन के लिए किन किन को भागीदार बनाया जाय और उसकी यूनिट वैल्यूज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाय, उसमें ठेकेदारों को भी रखा जाय अथवा नहीं। जहां तक नेशनेलाईजेशन का प्रश्न है अगर तुरन्त नेशनेलाइजेशन का कदम उठा देते हैं और केवल सरकारी कार्पोरेशन बना दी जाय तो यह खतरा है कि है कि पर्सनल इनिशियेटिव और पर्सनल इन्सेन्टिव की कमी रह जाती है। इस दृष्टि से यह भी विचार में कुछ आता है कि जो परम्परागत तौर से इसी पेशे के अन्दर लगे हुए हैं उनको भी इसके अन्दर जोड़ा जाय तो पर्सनल इनिशियेटिव और इन्सेन्टिव के द्वारा यह कार्पोरेशन कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है, और फिर इस सिस्टम में उनके शेयर्स को क्लीयर करने में और दूसरे प्रावधान किये जा सकते हैं। तो यह कार्पोरेशन सिस्टम एक है जो कि ठेकेदारी प्रथा की जगह पर आरोपित किया जाता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: अभी तो पहला पन्ना ही उलटा है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री): अभी तो 40 पेज और हैं।

श्री **देवदत्त गाड़िया**: लिखित में दे दें तो छप जायगा।

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेंदू के पत्तों के बारे में और दूसरी फॉरेस्ट प्रोडक्टस के बारे में भी इसी प्रकार से कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किस प्रकार कामर्शियल लाइन्स पर लाया जाय इसके लिए भी प्रयत्न किया जाय। इस तरफ भी राज्य सरकार काफी विचार कर रही है और इस संदर्भ में तेंदू के पत्तों को नेशनेलाइज करके इस पर जो वहां पर काम कर रहे हैं उसके बारे में इस समय तक थोड़े आंकड़े मालूम हुए हैं इससे मालूम होता है कि मध्य प्रदेश की रेवेन्यू तेंदू के पत्तों से 65-66

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

में 22 लाख रु. थी वह 66-67 में 310 लाख रु. हो गई और अब 67-68 में 410 लाख रु. तक होने की आशा है। इस प्रकार वे लोग तेंदू पत्तों के लिए काफी काम कर रहे हैं। हमारे यहां के दो आफिसर मुकर्रर किये जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जाकर वहां के सिस्टम को स्टडी करेंगे .....

श्री मलचन्द डागा : आपको सिद्धान्तों से सभी सहमत हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : हमारे यहां भी जो तेंदू के पत्तों की फोरेस्ट इन्डस्ट्री है उसको नेशनेलाइज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं।

इसके अलावा दूसरे प्रश्न आते हैं, ठेकों के अन्दर जो कठिनाई हैं, कभी डाक देर से मिलने के कारण टाइम एक्सटेन्ड करने का प्रश्न आता है। जब टाइम एक्स्टेन्ड करने का प्रश्न आता है तो आगे जाकर गड़बड़ी का अंदेशा रहता है। इस सिलसिले में यह प्रयत्न किया गया है कि ठेके समय पर दिये जायें। फिर भी कभी कभी विलंब से मिलने के कारण टाइम एक्सटेन्ड करना पड़ा है। मैं इस तरह का विचार कर रहा हूं कि सारी विधियों को कोडिफाई कर दिया जाय, एक्सटेन्शन के बारे में भी रूल्स निर्धारित कर दिये जायं। इसी प्रकार कई दूसरे रूल्स की भी आवश्यकता समझते हैं...

श्री भैरोंसिंह : जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक तो आप एक्सटेन्शन करने वाले नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक्सटेन्शन जहां तक हो सकेगा नहीं देने की कोशिश की जायगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके अलावा कुछ फाइन्स होते हैं उन फाइन्स के विषय में भी रूल्स बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है।

इसके अलावा अभी यह भी प्रश्न उठा कि राजस्व में बहुत सी भूमि का हस्तान्तरण अनर्गल रूप से हो गया, कुछ ने कहा कि जितना हस्तान्तरण भूमि का होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और भूमि जो कृषि योग्य है उसको भी देने में आनाकानी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट करता है, एक तरफ तो यह तकाजा है और दूसरी तरफ यह तकाजा है कि फोरेस्ट का एरिया और इसकी पोटेन्शियलिटी बढाई जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने भाषण दिये कि वन का विकास हो, अधिक एरिया बढ़ाया जाय, क्षमता बढ़ाई जाय और दूसरी तरफ आबादी बढ़ने के कारण वन को रिलीज कर के देने का प्रश्न उठता है। कुछ वन रिलीज होकर दिये भी गये हैं। मैं अनुभव करता हूं कि जो भी वन रिलीज किये जायं उनके लिये यह जरूर एश्योरेन्स कर लिया जाय कि जो वन रिलीज किये जायं, रेवेन्यू विभाग को हस्तान्तरित किये जायं वे केवल भूमिहीनों को ही दिये जायं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग जो भूमिहीन हैं उनके लिये किया जाय। इस विषय में भी ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सरकार की नीति है या आपकी भावना है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सरकार की ही भावना है। सरकार की भावना सुनिश्चित रूप से व्यक्त है कि भूमिहीनों और जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को मिले और जगह तो इनको प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इसके अलावा जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिये आज जो भूमि वनों से रिलीज होती है उसको कम से कम उनके लिये सुरक्षित कर दिया जाय कि वह भूमिहीन जन-जाति या अनुसूचित जाति के लोगों को ही दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। बीच में नहीं पूछें बाद में पूछें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा इस पर कटौती प्रस्ताव है। हनुमानगढ में इतनी उपजाऊ भूमि है उसको लेकर वन लगाया जा रहा है। वहां पर 50 हजार भूमिहीन काश्तकार मारे मारे फिरते हैं, उनकी खतेदारी की जमीन छीन कर उस पर जंगल लगाया जा रहा है। जहां पर एक एकड में 40 मण अनाज पैदा हो सकता है वहां पर जंगल लगाये जा रहे हैं और गोगामेडी में 400 एकड भूमि में जंगल लगा था उसको बरबाद किया गया। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : हनुमानगढ में जंगल लगाने की बात कई सदस्यों ने कही थी। सैण्ड ड्यून्स पर कनाल एरिया में जो एप्रोप्रियेट प्रयत्न हो रहे हैं उसमें हनुमानगढ भी शामिल है। जहां जहां पर वाकई दिक्कत आती है वहां पर एडजस्टमेन्ट करने के लिये सरकार हमेशा तैयार है।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने जो बात कही उसको तो आप समझे ही नहीं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन एरियाज में बिल्कुल वन नहीं लगाया जाय तो यह चीज दूसरी बन जाती है। मैं निवेदन कर रहा था इसके अलावा हमारे वनों की घटती हुई स्थिति और बढ़ती हुई आबादी

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय मांगें पास होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह भी अनुभव किया जाता है

श्री दौलतराम सारण : सब संतुष्ट हो गये आप बैठ जावें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि मैं इस तरह की हिमाकत करूं, आप लोगों ने इतना कष्ट किया और मैं कुछ नहीं कहूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में आये साल अकाल पडता है और इस कारण कई दफा हमको फॉडर बाहर से मंगाना पडता है, घास बाहर से मंगाना पडता है और लाखों रुपये खर्च करने पडते हैं। यह भी देखा जाता है कि बीड, जोड और दूसरे गांवाई स्थान इस प्रकार के हैं जहां पर घास उपलब्ध हो सकती है फिर भी ये स्थान काश्त के अन्तर्गत एक न एक दिन आने वाले हैं। तब या तो स्टाक फीडिंग करना पड़ेगा या ऐसी किल्लत भुगतनी पड़ेगी।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

जो वनों में चोरी की बात आती है उसका एक कारण यह है कि बाहर जितना फोरेस्ट रिजर्व है, वनस्थली थी या वेजिटेशन था वहां आज कमी हो रही है और इस कारण लोगों को जोडों में जहां घास उगती है उस तरफ जाने की इच्छा होती है । जब उस तरफ जाने का प्रश्न होता है तो छोटे अधिकारी फोरेस्ट गार्ड की ईमानदारी कितने धक्के खाकर रह सकती है ! यह भी हम सोचें कि जन मानस कितना निखरा है और कितना ठीक है । आज वन में चोरी लकडी और घास और दूसरी चीजों की होती है उसका कारण यह है कि जितनी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये उतनी उपलब्ध नहीं होती······

(6 म. प.)

इसकेलिए एक राज्य सरकार इस प्रकार का विचार भी रखती है कि प्राइवेट जंगलों की रुचि वढ़ाई जाय, प्राइवेट जंगलों के लिए भी नियम बनाये जा रहे हैं, प्राइवेट जंगल जहां जहां इस तरीके की फालतू जमीन पडी है, पिहाडियां हैं···

श्री दौलतराम सारण : वह जमीन किसकी होगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उस जमीन का ठीक तरह से उपयोग हो ।

श्री दौलतराम सारण : उस जमीन पर सीलिंग लागू होगा कि नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सीलिंग की बात मैं बाद में बताऊंगा ।

जो अनक्लासीफाइड फोरेस्ट हैं या इयन्स फोरेस्ट हैं उनको प्राइवेट जंगलों की तरह से आर्गेनाइज किया जाय, उनको कम्युनिटी फोरेस्ट की तरह आर्गेनाइज किया जाय, निजी जंगलों की तरह से आर्गेनाइज किया जाय और उनके लिए उसी दृष्टि से रूल्स बनाने चाहिये कि किन किन साधनों की आवश्यकता होगी और उसमें जमीन का सीलिंग और दूसरे विषय भी देखने पडेंगे । इन प्राइवेट जंगलों के लिये और कम्युनिटी फोरेस्ट के लिए···

श्री वृद्धिचन्द : प्राइवेट जंगल से आपका मतलब समझा नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं अर्ज कर रहा हूं, प्राइवेट जंगलों में दो तरह के जंगल ले सकते हैं एक तो कम्युनिटी फोरेस्ट, जो सेफ गार्ड्न्स के रूप में होते हैं···

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब्जा किस का होगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक निजी प्रकार से व्यक्ति विशेष जंगल लगा कर, सर्टेन क्षेत्र के अन्दर जंगल लगा कर तैयार करना चाहे ।

श्री दौलतराम सारण : प्राइवेट फोरेस्ट कितने हैं राजस्थान में ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय प्राइवेट फोरेस्ट खास गणमान्य नहीं हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक भी नहीं है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय कोई कहीं नहीं है ।

जब प्राइवेट फोरेस्ट लगने की बात रहेगी तो प्राइवेट फोरेस्ट को उगाने के लिए बीस तीस साल का समय चाहिये, उसके लिए

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

उतनी जमीन चाहिए और कुछ दूसरी बातें भी चाहिये। आज जो कटाव होती हुई पहाड़ियां हैं, जो फिजूल पड़ी हुई हैं उस जगह प्रयत्नशील लोग बैठें और वहां जंगल लगा सकें, रेवीन्स एरियाज़ हैं, उन एरिया के अन्दर वृक्ष इत्यादि लगा कर ठीक कर सकें तो जितने खर्चे का सारा भार राज्य सरकार पर पड सकता है वह एक प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स में बंट जायगा। इस दृष्टि से प्राईवेट फोरेस्ट, कम्युनिटी फोरेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, कोई बीड हो, जो आज भी राजस्व के हाथ में है, या अनक्लासीफाइड फोरेस्ट हो और उसके अन्दर भूमि एलाट करने का प्रश्न आता है, और गांव वाले चाहेंगे कि यह भूमि एलाट कर दी जाय तो वह की जा सकती है परन्तु गांव को परश्यू करके उस बीड को कम्युनिटी फोरेस्ट को फाडर फ्यूअल रिजर्व के लिये कम्युनिटी फोरेस्ट के रूप में रखा जाय····

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: अब समाज कल्याण के अन्तर्गत कितना प्रावधान है?

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : यह वन की बात है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : समाज कल्याण की बात शुरू कर दी।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : समाज कल्याण बाद में आयेगा।

श्री **रघुनाथ विश्नोई**: अभी सब बाकी है।

श्री **भैरोंसिंह**: प्राइवेट फारेस्ट के लिए गवर्नमेंट जमीन एलाट करेगी?

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: प्राइवेट फारेस्ट के लिए नियम बनाये जा रहे हैं उन नियमों के अनुसार जो रेवीन्स का एरिया है, जो कृषि के काम में नहीं आ सकता, तो फोरेस्ट के काम में आ सकता है, तो उसको प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के द्वारा बना लिया जा सकता है, या जहां पहाड़ियां वगैरह हैं, उनके ऊपर कोई निजी प्रयास वाला वहां पर थोडी रुचि कर उसको ठीक कर सके तो उसके लिए इस प्रकार के नियम लगा दिये जायेंगे कि इसको इतने वर्षों में डवलप कर ले, तो उसको डवलप करने के अर्से तक सीलिंग या दूसरी चीजें लागू नहीं होंगी और उसके बाद फोरेस्ट उससे ले लिया जायगा।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (सिंचाई मंत्री): अभी तो नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : अभी वह नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह** माननीय मंत्री बतायेंगे कि फोरेस्ट बनने के बाद फोरेस्ट ले लिया जायगा यह सरकार कि नीति है?

श्री **रामप्रसाद** लड्ढा: नहीं नहीं।

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: मैं निवेदन कर दूं कि प्राइवेट········

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल:** इस सबका नियमों में समावेश हो जायगा।

श्री **मदनसिंह** : गेम्स सेंक्चुरी बनायेंगे, यह मन्शा है?

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: प्राइवेट फारेस्ट को डवलप करेंगे, उसके बाद वह जो रियायत होगी

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : वापिस ले लेंगे।

श्री **नारायण सिंह मसूदा**: उसके अन्तर्गत विचार करेंगे, उसके बाद जो असैसमेंट करना

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
होगा, जो दूसरी चीजें होंगी, वह बाद में नियमों के बनाने में विचार की जायेंगी ··

श्री भैरोंसिंह: प्राइवेट फोरेस्ट डवलप होने के बाद गवर्नमेंट का तो नहीं होगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गवर्नमेंट क्या लेगी, गवर्नमेंट क्या नहीं लेगी यह तो जिस जिस प्रकार से समाजवाद की धारा बढती जा रही हैं उसी प्रकार से यह सब होता चला जायगा।

श्री मदनसिंह : फारेस्ट से शुरू करेंगे समाजवाद ?.समाजवाद को गवर्नमेंट फोरेस्ट से शुरू करेगी, जैसे जागीरदारी ली गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसका नियमों में समावेश हो जायगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ प्लान्टेशन के बारे में। प्लान्टेशन का भी अभी प्रश्न आया। जो प्लान्टेशन लगाये गये उनके अन्दर काफी खराबियां हुई, काफी नुकसान हुआ, जितने प्लान्टेशन लगे उतने रहे या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्लान्टेशन कुछ जगह हुआ। मैं कुछ जगह गया था प्लान्टेशन देखने के लिए और मैंने वन विभाग से भी पूछा, कहां कहां प्लान्टेशन हस्तान्तरित कर दी गई पंचायत समिति को। प्लान्टेशन लगाया गया, वन विभाग अब क्योंकि मेन्टेनेन्स का खर्चा इतना सारा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और समितियों को देने की मांग भी थी तो उनको देने की कार्यवाही की गई और समितियों को दिया गया। उन्होंने अपने फंड्स के हिसाब से किस प्रकार से किया, मैं क्षमायाचना पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्लानन्टेशन के अन्दर अवैज्ञानिक रूप से वर्क किया और उससे उन प्लान्टेशन के अन्दर काफी असरात पड गये। दूसरे··

एक माननीय सदस्य : वापिस ले लें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैं मानता हूं कि प्लान्टेशन जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं हुआ है। इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। वह समिति इस विषय में दौरा करके इन सारी प्लान्टेशन का रिव्यू करेगी और प्लान्टेशन का रिव्यू करके अपनी राय देगी कि प्लान्टेशन में कितनी खराबी है, प्लान्टेशन की व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित की जाय और किस प्रकार से रखा जाय जिससे प्लान्टेशन पर जो कैपीटल लगी है उसका इस्तेमाल हो सके। यह मैंने प्लान्टेशन के बारे में निवेदन किया।

मैं सोसाइटीज के बारे में निवेदन कर चुका हूं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने रिलीज आफ लैंड के बारे में कहा। मैं उसके बारे में निवेदन कर चुका हूं कि काफी लैंड रिलीज हुई, अनगल रूप से रिलीज हुई है और रिलीज होने के फलस्वरूप जो फोरेस्ट लैंड 37,28,000 हेक्टर 31–3–66 तक थी, वह 31–3–67 को 37,47,890 हेक्टर रहती है उसमें से 15,885 हेक्टर जमीन निकली। अब इस जमीन के लिए मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से यह जो जमीन निकल रही है उसके लिए वन विभाग इस बात की पाबन्दी करना चाहता है कि जो कुछ भी फोरेस्ट रिलीज हो, मैं संक्षेप में निवेदन कर दूं कि ब्रॉड लैंड सर्वे की पालिसी के अन्तर्गत हर समिति लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

लेवल पर समितियां बनाई गई हैं, उसकी सिफारिश के अनुसार फारेस्ट की लैंड रिलीज की जा सकती है और जिला लेवल तक की समिति उसको कर लेती है तो फिर ठेठ राज्य तक आने की आवश्यकता नहीं है। वह रिलीज हो जाती है, इस प्रकार की शिकायत आई थी, इस प्रकार रिलीज क्यों हो गई, इसका कारण यह है कि वह स्थानीय नीड के अनुसार रिलीज हुई और स्थानीय नीड के अनुसार रिलीजहोर वह एलाट किसको हुई यह वन विभाग का कार्य नहीं रहता है, परन्तु इस विषय में इस प्रकार के रूल्स बनाना चाहते हैं कि जो भी लैंड रिलीज हो यह लैंड कल्टीवेटर्स को अथवा लैंड लैस अथवा शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडूल्ड ट्राइब्स को ही मिले। इस बात के अन्दर मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं।

अब रिलीज आफ लैंड के अलावा एक प्रश्न आया था······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सब जवाब आ गया, साहब!

श्री नारायणसिंह मसूदा: एक प्रश्न आया था चम्बल परियोजना का और उसके बारे में अभी माननीय सदस्य श्री गोयलजी ने बताया कि 80 लाख खर्च हुए और टार्गेट से ज्यादा पेडोक्स लगे, 4 हजार की बजाय 15 हजार पेडोक्स लगे, कौटा डेम में भी 6 हजार की बजाय 12 हजार पेडोक्स हो गये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन मंत्री की हैसियत से मुझे खुशी हुई कि पेडोक्स बढे, मेरा मन बढा। पर इस खुशी को व्यक्त करता हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोकल एरियाज हैं वहां इससे किसी प्रकार की दिक्कत हुई, उससे मुझे चिन्ता भी हुई

श्री भैरोंसिंह: एक तरफ वन बढ रहे हैं और दूसरी तरफ मन बढ रहा हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा: पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थानीय दिक्कतें बढाने के लिये नहीं हैं। रेविन्स का कटाव रोका जाय, रेविन्स का रिक्लेमेशन किया जाय, यह इसी के अन्तर्गत होता है। जहां 80 लाख के खर्चे का प्रश्न आता है, पेडोक्स बढे तो लक्ष्य के अतिक्रमण के साथ मुझे यह सुनने को मिलता हैं कि वहां के लोगों को चराई की दिक्कत बढी, तो उसके लिये चिन्ता होती है, उसके लिये मैं निवेदन कर सकता हूं कि कि जो पैडोक्स बने हैं वे कहां तक चराई के लिये बाधक होते हैं इसकी मै जांच करवाऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल: पैडोक्स जो ये किये हैं, किस हैसियत से किये हैं एज ए फोरेस्ट आफिसर किये हैं या किस हैसियत से किये हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा: सोइल कन्जर्वेशन एक्ट के मातहत जो कार्यवाही होनी चाहिये थी, जो नोटिसेज दिये जाने चाहिये थे, उनमें शायद भूल रही हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल: भूल रहने का मतलब यह है कि जो नोटिस निकालने थे वे नोटिस नहीं निकाले, तो जितने पैडोक्स बनाये गये वे नल एण्ड वोइड हैं और लोग अतिक्रमण करके उनको नष्ट कर दें तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती?

श्री नारायणसिंह मसूदा. मैंने अर्ज किया कि इस बात की जांच की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सुखाडियाजी तलवार लटकाना चाहते हैं, वह लटक रही है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे एरिया के और मारवाड के मवेशियों को तकलीफ है। इस बात से मैं तड़प उठता हूं कि कोटा के लोग बाहर के लोगों को जज्ब करने में क्यों देरी करते हैं? मैंने राणा प्रतापसागर डेम वालों से बात की। इस प्रकार की भी भावनाएं मैंने वहां देखीं कि वहां के मवेशियों को तो चरने से महरूम कर दिया जाय और दूसरों के मवेशी चरने के लिये छोड दिये जायं। तो तथाकथित मेरे क्षेत्र के और मारवाड के जो लोग वहां जम गये हैं उनको और वहां के लोगों को सहूलियत दी जायं, इस पर जांच कर के कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा।

रेविन रिक्लेमेशन और दूसरे रिक्लेमेशन के बारे में ज्यादा समय न लेकर, यदि आपका सहयोग रहा और ज्यादा प्रश्न नहीं किये तो मैं शीघ्र ही समाप्त करूंगा।

रेविन रिक्लेमेंशन के अन्दर 6071 हैक्टर में काम हो चुका है और 1000 हैक्टर में आगे की साल में काम किया जायगा। सेंड ड्यून्स फिक्सेशन में 576 हैक्टर में काम हुआ है और अगले साल में उन्हीं ओल्ड वर्क्स को मैन्टेन करने का रखा है। अफोरेस्टेशन और पाश्चर मनुवैलेशन में 8967 हैक्टर में कार्य हुआ है और साल में उस ही को मैन्टन करने का प्रोग्राम रखा है। शैल्टर बैल्ट्स अलॉग रोड्स के कार्यक्रम में 215 मीटर कार्य हुआ है और अगले साल में उसी को मेन्टेन किया जायगा। डिमार्केशन और सेटलमेंट के अन्दर 25144 स्क्वायर किलोमीटर कार्य हुआ है और 500 किलोमीटर आगे करने का विचार है। अब बजट की तंगाइयां और आर्थिक साधनों की कमी यहां आती है इसलिये जितना सैटलमेंट इस वर्ष करना अत्यन्त आवश्यक है, उसे करने का फैसला किया है।

सोइल कन्जर्वेशन आदि में 5734 हैक्टर काम हुआ है और अगले साल उसी को मेन्टेन करने का विचार है। राजस्थान कैनाल में शैल्टर के प्रोग्राम में 469 किलोमीटर इस वर्ष में करना है शैल्टर बेल्ट अलग रोड्स इसमें 30 किलोमीटर किया है और 40 करना है। डेजर्ट कन्ट्रोल में 100 हैक्टर में काम किया है और आगे भी 100 हैक्टर का काम करना है।

तो इस तरह से सोइल कन्जर्वेशन, रेविन रिक्लेमेशन, सैंड ड्यून्स फिक्सेशन डेजर्ट कन्ट्रोल आदि के बारे में उचित प्रयत्न किय जाते हैं। उस प्रयत्न में स्थानीय विरोध स्थानीय वातावरण और बजट का संकोच इन बातों का ध्यान रखना पडता है।

जो मैं वनों के बारे में निवेदन कर सका वह निवेदन कर के यह निवेदन करना चाहूंगा कि और भी कई कट मोशन्स हैं, जिन में अच्छे सुझाव दिये गये हैं, उनके लिखित जवाब सम्बन्धित माननीय सदस्यों को पहुंच जायं, ऐसा प्रयत्न करूंगा।

दूसरी जो मेरी डिमाण्ड है, जिसके विषय में कट मोशन्स आये हैं, मुझे खुशी के साथ निवेदन करना है कि वन विभाग की डिमाण्ड पर जितने कट मोशन्स आये थे उनसे बहुत कम कट मोशन्स समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड पर आये हैं और माननीय सदस्यों के बडे सहानुभूतिपूर्ण कटौती प्रस्ताव इस डिमाण्ड पर हैं, जिनमें मार्ग प्रदर्शन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिये संक्षेप में कहेंगे तो अच्छा होगा।

श्री नारायण सिंह मसूदा: संक्षेप में ही कहूंगा। जहां एक एक घंटा ले लिया जाता है, वहां अगर घडी की सूई को देखा जायगा तो 20 मिनिट में सारा काम समाप्त हुआ है।

अब मैं समाज कल्याण की बात कह रहा हूं इसलिये पहले तो यह निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग के विषय में एक बात तो यह कही गई कि समाज कल्याण के प्रावधानों में बहुत कमी की जा रही है। मैं इस गलतफहमी को हटा देना चाहता हूं। समाज कल्याण में 66–67 में हमारी स्कीम्स बनाई गई थी उनके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये और दूसरे वर्गों के लिये जो प्रावधान रखे गये उनसे बढ कर 67–68 में रखे और 68–69 में उससे भी अधिक प्रावधान रखे गये हैं। अगर सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स में कटौतियाँ नहीं हों तो काफी प्रावधान इसमें रखे गये हैं। वे कटौतियां किसी कारण हुई हों हमारे यहां ट्राइबल ब्लाक्स 18 हमारे यहां हैं, 4 और होने थे। केन्द्रीय बजट की किफायत में विचार किया गया कि ट्राइबल ब्लाक्स स्थगित रखे जायं तो हमारे भी 4 ब्लाक्स को काट दिया गया। इसलिये जो कुछ उसके अन्दर पहले प्रावधान थे, उसमें 67 लाख केन्द्रीय योजनाओं के अन्दर थे, उसको 32 लाख तक कर दिया गया, उसका कारण यह है कि 50 पर्सेंट की कटौतियां हुई हैं, वे न केवल इस राज्य के लिये हुई हैं बल्कि सभी राज्यों के लिये हुई हैं और केन्द्रीय सरकार में भी इस प्रकार की कटौतियां हुई हैं। आज हम जब समाज कल्याण कार्यों की बात करते हैं, तो समाज कल्याण कार्य इतना पेचीदा और बारीक है कि वह इस प्रकार पिछडी जातियों को ऊपर लाने के लिए और बराबर स्तर पर लाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जन मानस को इस प्रकार से तैयार करने के लिए है कि उसके अन्दर इस प्रकार की उदार भावना पैदा हो जैसे अपाहिज लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है। इस दृष्टि से जब आर्थिक संकोच आते हैं तो पहला आर्थिक सिद्धांत है कि Necessity first, comfort next and Luxuries afterwards. डवलपमेंट भी लक्जरीज के बाद में रखना पडता है। समाज के कई पहलू हैं जिनमें तरक्की करने की आवश्यकता है, परंतु उनके अन्दर प्राथमिकता कौनसे पहलू को दी जाय? उनको प्राथमिकता देकर दूसरों से अलग किया जाता है इसलिए केन्द्रीय नीतियों में कुछ कटौती नजर आती है। परंतु समाज कल्याण मंत्री जब यहां आए, तो मैंनें इस विषय में उनसे निवेदन किया और जो अनुसूचित जाति व जन जाति की भावनाएं थी, वह उनके सामने रखीं और उन्होंने इसी वर्ष के अन्दर साढे चार लाख की धनराशि केन्द्रीय योजनाओं के अन्दर दी और उस धनराशि का उपयोग इस प्रकार से किया गया।

1,50,000) रु. जो एपेक्स सहकारी बैंक्स हैं, उनका जो श्रमिक सहकारी मंडल हैं उसको दिया गया ताकि इससे रिप्लेनिश होकर उनके पास इतनी कैपीटल हो सके और जो लडखडाती समितियां हैं, उनकी गारंटी के रूप में काम कर सके।

2 लाख की एक स्कीम है एरिया एप्रोच, जिसको हम पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं, डूंगरपुर में रखना चाहते हैं।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

अक्सर शिकायत यह होती है कि समाज कल्याण के कई प्रावधान पूरी तरह से जहां उपयोग में आने चाहिए वे नहीं होते हैं, उसके कारण समाज कल्याण के पास कई ट्रांसफर्ड आइटम्स हैं। कई कार्यो के लिए हमारे फंड्स को दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर देते हैं। खास तौर से जहां विकास का कार्य आता है वहां जो पंचायत समिति है और दूसरे हैं उनको सारे के सारे फंड्स ट्रांस्फर कर दिए जाते हैं और इस कारण से पंचायत समिति का जो आर्गेनाइजेशन है, उनके अन्दर जहां अनुसूचित जाति के लोग कम हैं और दूसरी जाति के लोग अधिक हैं, वहां क्योंकि ईअर मार्किंग नहीं होता है इसलिए कभी कभी वे फंड्स जनरलाइज हो जाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कुए से पानी पीने के लिए अथवा हाउसिंग के दूसरे जो अनुदान होते हैं, इस प्रकार से वितरित हो जाते हैं कि दूसरी जातियों के लोग · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास जन संख्या नहीं रहती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: अलग नहीं रहती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार भी विचार कर रही है और राज्य सरकार भी विचार कर रही है कि इस प्रकार की जो इन्डाइरेक्ट रिलेशनशिप हमारी है, उसको डाइरेक्ट किस प्रकार से बनायें? पहले तो ट्राइबल ब्लाक्स जहां हैं, वहां दिक्कत नहीं है, अधिकांश ट्राइब्स के लोग होते हैं। फिर भी जो उनके प्रावधान हैं अपने कामों में लगवा सकते हैं, परंतु वहां पर भी जैसे डूंगरपुर, बांसवाडा हैं वहां ट्राइबल ब्लाक्स हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जहां ट्राइबल ब्लाक्स न हों और पाकेट्स होते हैं। इसी प्रकार दूसरी जगह भी जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का ब्लाक होता नहीं लेकिन पाकेट्स होते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के · · · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य: खाली होइ होइ हो रही है, फिजूल टाइम खर्च करना है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस चीज को सेफगार्ड करने के लिए जो अनुदान और राशि परिगणित जाति व जन जाति के लिए मिले, वह उन्हीं को पहुंचे उसके लिए इस प्रकार का एरिया एप्रोच. . . . . .

श्री दौलतराम सारण: आप तो किताब लिख लो हम पढ लेंगे।

श्री नारायणसिह मसूदा: आपने भी कटौती प्रस्ताव भेजा है, उस पर आपका भाषण हुआ, इतना कष्ट आपने किया, तो मुझे भी इतना कष्ट तो करना ही पडा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, सदन सर्वसम्मति से आपकी मांगों को पारित करने को तैयार है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपकी अगले साल की भी मांगें सदन सर्वसम्मति से पारित करने को तैयार है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मैं एरिया एप्रोच का सिस्टम बता रहा हूं । एरिया एप्रोच के विषय में जो पाइलट प्रोजेक्ट हों · · ·

श्री विट्ठल भाई : इससे क्या फायदा?

(श्री विट्ठल भाई)

हमने पूछा कि आदिवासियों के लिए क्या शिक्षा के लिए बढावा दे रहे हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आप कृपया सुनें। मैं निवेदन कर रहा हूं...

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिए एरिया एप्रोच का सिस्टम रखा गया जिसमें जिला लेविल पर एक पर्सेन्टेज रकम इस प्रकार कलेक्टर के नीचे..

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह मसूदा: कलेक्टर के नीचे एक कमेटी बनाई जाय जो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की लेविल पर व्यक्तिगत...

श्री रामकिशन : (मुख्य मंत्री के बाहर जाने पर) मुख्य मंत्री नहीं जा सकते। इसका मतलब सदन सुनेगा तो मुख्य मंत्री को भी सुनना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मैं तो जानता हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिस विषय में माननीय सदस्य कह रहे हैं, छात्रवृत्तियों के बारे में, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1967-68 में पूर्व मैट्रिक छात्र वृत्तियां 14,500)..

श्री भैरोंसिंह: आपने काफी उपदेश दे दिया है। लेकिन जो सदन में मुख्य मुद्दा उठाया गया था पिछले वर्ष जो रकम आपने रखी, वह क्यों नहीं खर्च हुई, सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स बता दें, राजस्थान की स्कीम्स के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में जानकारी मैंने की है। एक प्रतिशत रकम लेप्स हुई है।

श्री भैरोंसिंह: क्यों हुई?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हुई है। छात्रावृत्ति अनुसूचित जाति 1967-68 में 14,500), प्री मैट्रिक, 1590) मैट्रिक उत्तर अनुसूचित जन जाति 19,500, पूर्व मैट्रिक 2670) उत्तर मैट्रिक। छात्रवृत्ति 9 से 11 कक्षा तक 10 से 20) रु. उसके ऊपर (मैट्रिक के ऊपर) 40 रु., मैडिकल और इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए 50 रु. अलावा सैंट्रल एड के जो 75) सेंटर से मिलती हैं। उसके अलावा मेरिट-कम-नीड के रूप में 50)रु. याने कुल 125) रु.।

श्री दौलतराम सारण: हम तो एक ही बात चाहते हैं। समाज कल्याण विभाग के सब अधिकारियों का उपयोग दूसरी जगह कर लो, उनका पैसा छात्रवृत्ति और विकास के कामों में दे दो। इस विभाग के अधिकारियों का और कहीं प्रयोग करो। इनसे तो बहुत कल्याण हो गया, सारा समाज ऊब गया।

श्री नारायणसिंह मसूदा: जब तक संविधान के अन्दर प्रावधान रहेगा, तब तक समाज कल्याण बराबर प्रयत्न करता रहेगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

(श्री उपाध्यक्ष)

मंत्री महोदय काफी समय से तैयारी कर रहे थे, उनको बोलने दें।

श्री विजयसिंह रावत: यहां पहले तो भूमिका बनती है, उसके बाद उपदेश होताहै, उसके बाद

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं केवल आवश्यक चीजों का ही जवाब दे रहा हूं।

श्री विजयसिंह रा त : आप संक्षेप में कह दीजिये। बहुत लम्बा चौडा भाषण हो गया आपका

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनके अधिकारियों ने जो लिख कर दिया है, वह रामायण पढ रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो माननीय सदस्य ने कहा उसका जवाब नहीं दे सकता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री भैरोंसिह : हमें कोई आपत्ति नहीं है समय की लेकिन सदन में चाय-पानी पीने की इजाजत दे दी जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : आप तो चाय पानी ही नहीं, मिठाई भी खा रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन छात्रावासों के अन्दर 1725 व्यक्ति हैं अनुसूचित जाति व जन जाति के है और 40 छात्रावास है।

श्री विजयसिंह रावत : आप तो केवल यह बता दीजिये कि इनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है–छात्रावासों के अन्दर ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं अब इन छात्रावासों के लिये विशेष निवेदन यह कर रहा हूं कि इनछा त्रावासों के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं। इसके लिये एक तो मूल्यांकन समिति मुकर्रर की है जो इस प्रकार के मसलों की स्टडी, करे दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन छात्रावासों के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज हैं और उनके अन्दर सब-कमेटीज भी हैं जो उनके प्रवेश को, उचित व्यवस्था को, स्कालरशिप आदि बातों को देख सकें। इसके अलावा स्कालरशिप समय पर मिल सके इसके लिये हरएक डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण राशि दी गई है और छात्रावासों में यह व्यवस्था की जा रही है कि ओरियन्टल छात्रावासों की भांति न केवल वे नोकरी की तलाश में ही इधर उधर फिरे बल्कि इसके अलावा जो मैट्रिक या ग्यारवीं कक्षा के साथ टाईपिंग, सिलाई आदि द्वारा अपने आप में वे माकूल हो सकें। इस प्रकार इनका सही उपयोग तभी हो सकेगा जब उन छात्रावासों के अन्दर से निकले हुये व्यक्ति पूरी तरह सांगोपांग हो सकेंगे। बारम्बार यह बात आती है कि नौकरी में कितने लोग गये। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें यह दुर्भाग्य की बात है, शिक्षा मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि शिक्षा पद्धति के कारण केवल क्लर्क बनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शिक्षा को बीच में उनके माता–पिता छुडा देते हैं और कहते हैं कि म्हारो तो लडको पढग्यों, मैं आगे, कांही करस्यू जैसे वे पढाई से मायूस हो गये हों। सारी एज्यूकेशन को और छात्रावासों की व्यवस्था

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
को वोकेशनल बुनियाद पर किया जाय। उनको डाईवर्ट किया जाय। इस प्रकार का प्रावधान रखकर ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाय। आई. टी. आई. की व्यवस्था उदयपुर में, ये सब बातें हैं। इसकी ओर प्रयत्न किया जा रहा है। मैं निवेदन करूं कि हमारा ध्यान वोकेशनल पद्धति के अलावा भी है। इस विषय में।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)।

श्री नारायणसिंह मसूदा: एपेक्स बैंक के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं। ट्राइबल ऐरिया में एस्टेब्लिस हो सके और उन्हीं को प्रमाणित करने के लिये यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी दूसरी सेवाओं का जहां प्रश्न आता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं यहां यह मानूंगा कि 6 पर्सेन्ट से साढे बारह पर्सेन्ट की है छोटी सेवाओं के लिये। और 31 पर्सेन्ट श्रेणीबद्ध है उच्च सेवाओं के लिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री सुवालाल : आप तो ऐसा करें . .

श्री नारायणसिंह मसूदा : अब अन्त में मैं यह निवेदन कर दूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : अन्त में कह दिया है माननीय मंत्री जी ने। अब आगे नहीं कहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनुसूचित जाति और जन जति के लिये 200 सीटें हैं राजस्थान में। अनुसूचित जाति और जन जाति के लडकों और लडकियों को उसमें से मिली है क्या आज तक, यह बता दीजिये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: बी. एस. सी. के लडकों को राजस्थान कैनाल के अन्दर भूमि देने का प्रावधान किया गया है। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये 5 प्रतिशत का प्रावधान है। दूसरी सब बातों के लिये कम्यूनिटी शेड्स बनाये जायं। 15 बीघा के अन्दर पहली किश्त किस प्रकार दी जायगी इसको भी सोचा जा रहा है कि उनको रिहेबलिटेट करने के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जी मुद्दे की बात हो वह कह दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा।

छात्रावासों के विषय में यह प्रश्न आया था कि जो होस्टल में प्रवेश नहीं कर पाये उनके लिये क्या व्यवस्था की जाय। जो होस्टल में प्रवेश नहीं करें, प्राईवेट करें उनके लिये भी यह प्रावधान रखा गया है।

दूसरे जो फर्स्ट डिविजनर्स और सेकिन्ड डिविजनर्स हैं, उनको देने की योजना है। अनुसूचित जाति और जन जति वालों ने शिकायत की है दान पुण्य की तरह बिना किसी क्राईटेरिया के छात्रावासों में भर्ती होने वाले को दे देते हैं और फर्स्ट डिविजनर्स व सेकिन्ड डिविजनर्स हैं और जो योग्य हैं, वे रह जाते हैं। अब वे चाहे छात्रावासों में हों या प्राईवेट हों उनको भी स्कालरशिप दी जायगी। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कुटीर उद्योगों के अन्दर और दूसरी चीजों के अन्दर 7 हजार परिवार वालों को सहायता दी गई है। कुटीर उद्योगों के अन्दर 35 हजार का

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

प्रावधान रखा है । 1 लाख 70 हजार नगरपालिकाओं को सहायता के लिये दिया है। 50 हजार कनेक्शन योजना के अन्दर है और इस वर्ष भी उसी प्रकार से प्रावधान रखा गया है। नल योजना के लिये एक लाख का प्रावधान अगले वर्ष में था, बिजली के लिये 10 लाख का प्रोवीजन है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षा-वृत्ति करने वालों के लिये इस राज्य में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह आदत पड गई है, कानून बनाकर उसकी तुष्टि मान लेते हैं और उससे हम यह समझ लेते हैं कि हमने कोई काम कर लिया । मैं समझता हूं उससे कोई काम नहीं होता है । मान लीजिये केवल मैं कानून बनवा लेता हूं और अनर्गल रूप से पुलिस के हाथ में ताकत दे दूं तो मालूम है आपको पुलिस क्या करेगी ? वह चाहे जिस व्यक्ति को पकड लेगी। वास्तविक अपराधी हाथ में नहीं आयेगा और कई बेचारे गरीब मारे जायेंगे । भिक्षुक भिक्षा वृत्ति कर रहा है, वह किन कारणों से कर रहा है यह देखना भी बडा मुश्किल हो जायगा । अगर हम उन कारणों का सही पता लगायें तो हो सकता है वह भिक्षुक भिक्षा गृह में इस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकता है जिससे उसका उपयोग भी ठीक हो और समाज भी सुधर सकता है । इस प्रकार मैं समझता हूं योग्य समाज की स्थापना हो सकती है ।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : आप कैसी बात करते हैं पुलिस दफा 110 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लेती है ।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : अभी माननीय रामानन्दजी ने कहा है वृद्धों की पेन्शन में और अपाहिजों की पेन्शन में बडी समस्या है और इसमें बहुत अन्तर है । मैंने रूल्स देखे हैं वाकई विडम्बना है । वृद्ध का जहां भाई हो वहां पेन्शन मिल जाय और जहां अपाहिज का भाई हो वहां पेन्शन नहीं मिलती । बुनियादी तौर से यह शायद ठीक है, क्यों अपाहिज का भाई जवान हो सकता है और उसको मदद दे सकता है । मेरे भी सामने एक केस है और माननीय सदस्य रामानन्दजी के सामने भी एक केस है । हम दोनों पीडित हैं । अपाहिज के भाई होने से एक किल्लत हुई है । इसमें उचित प्रावधान किया जायगा और वह होगा । इसके अलावा भी · ·

श्री **देवीदत्त गाडिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे · ·

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : पेन्शन में बढोतरी के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मैं इस विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 25 रु. दिये जाते हैं · ·

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 20 रु. दिये जाते हैं ।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : उसमें मैं आपको यह निवेदन कर दूं · · ·

श्री **देवीदत्त गाडिया** : जो मंत्री हार गये उनको आप कितनी पेन्शन देंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : उन पर यह नियम लागू नहीं होता है।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मैं तो यह चाहता हूं कि उनको 30 रु. मिल जाय लेकिन अर्थ की उपलब्धि भी तो होनी चाहिये। 67-68 में 8 लाख रुपया पेन्शनरों को दिया गया। अजमेर में आज भिक्षुक गृह मौजूद हैं, कोटा में अनाथालय मौजूद है। लूले-लंगडे अपाहिजों की राज्य सरकार व्यवस्था करती है और उसके ऊपर केन्द्रीय सरकार भी उनको कुछ राहत देती है--पांच हजार का प्रावधान है। हमारे 26 जिलों में प्रोबेशन ऑफिसर हैं जो प्रोबेशन का काम करते हैं। समयाभाव के कारण मैं विषद् रूप से नहीं कह पा रहा हूं।

श्री **भैरोंसिंह** : अपाहिज और लूले-लंगडों के लिये मंत्रिमण्डल में कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

श्री **खेतसिंह** : वे सब सीटें अपोजीशन को दे दी हैं।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मेरे खयाल से··

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपको मालूम नहीं है ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : महिला सदन और वेश्यालयों का जहां तक सम्बन्ध··

श्री **मदनसिंह** : आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मंत्री हैं ही नहीं··

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : यह सब होते हुये भी मैं यह स्वीकार करूंगा कि सोशियल सिक्योरिटी के अन्दर यह हमारा नगण्यवत् प्रयास है। आज दूसरे राज्यों के मुकाबले में हम काफी आगे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नगण्यवत् प्रयास के बावजूद हमारी यह बराबर इच्छा है कि इस क्षेत्र को जितना बढाया जाय उतना ही अच्छा है। हमें अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए समाज-कल्याण की प्रवृत्तियों को आगे बढाना होगा। एक विरोधी दल के प्रतिष्ठित सदस्य फर्मा रहे थे कि ये जो रियायतें इनको दी जा रही हैं वे समाप्त होनी चाहिये।

कई माननीय सदस्य : यह किसी ने नहीं कहा। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है वह कम होना चाहिये।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : आज प्रयत्न इस बात के हो रहे हैं कि संविधान के अन्दर जो रियायतें दे रहे हैं जो अब खत्म होने वाली हैं उनको आगे बढाया जाय इस बारे में विचार हो रहा है आप कहते हैं समाज-कल्याण विभाग ही खत्म कर दें, यह मैं समझता हूं उचित्त तर्क नहीं है। अगर कोई त्रुटि आप देखते हैं उसको इंगित आपको करना चाहिये उसको सुधारने में हम तत्पर रहेंगे। आज हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म में भी त्रुटि हो सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मन्दिर का पुजारी यदि खराब है तो उस सारे मन्दिर को ही ढहा दिया जाय, ठाकुरजी को ही उडा दिया जाय। अगर त्रुटि है तो विधान सभा हमारे कान उमेठ सकती है। पिछडी जातियों के लिये जो आश्रयवत् यह विभाग बना हुआ है उसको तोडने की बात कह कर आप उनके प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
आदेशानुसार ज्यादा समय न लेता हुआ हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ कहना था उनको अलग रखता हूं। मैं समझता हूं अब जिनकी दूसरी मांग हैं वे अपना स्पष्टीकरण रखेंगे ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में तीन मुद्दे उठाये थे उसका मंत्री महोदय की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक तो लकडी का निर्यात रोकने के बारे में, दूसरा वन विभाग में राजस्व विभाग के अन्तर्गत न रखकर कृषि विभाग के अन्तर्गत रखा जाय, और तीसरा वर्किंग प्लान को रियलिस्टिक बनाने के बारे में। मंत्री महोदय इन पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो सदन को जानकारी मिलेगी।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : जो मेरे से सम्बन्धित प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं दे सकता हूं। वन विभाग को राजस्व से हटाकर कृषि के साथ जोडने का यह तो केबिनेट स्तर पर विचार करने का है ।

दूसरा लकडी को बाहर जाने से रोकना अभी तो चने की छूट दी है ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : चीप बोर्ड फेक्टरी का बांसवाडे में जो ठेका केन्सिल हुआ है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: चीप बोर्ड फैक्टरी के साथ हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार वह अब तक लग जानी चाहिये थी लेकिन नहीं लगी यह विचाराधीन है। जहां तक जंगल का सवाल है जो जंगल इस फैक्टरी ने घेर रखा है उस जंगल से लकडी काटने की इस वर्ष इजाजत दी जायगी ।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खडे हुये)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से सब कह दिया है और भी कोई शंका रह गई हो तो इनके साथ बैठकर आप उनका निवारण कर लें।

श्री जगन्नाथ(टोडारायसिंह): एक मंत्रीजी से मुझे भी पूछना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट की भूमि पर जो खुद काश्त में है उस पर जमींदार लोग काश्त कर रहे हैं अब उन जमीदारों को बन्द कर रहे हैं उसके लिये आपने कुछ नहीं बताया ।

कई माननीय सदस्य : जगन्नाथजी की जय हो ।

श्री **नारायणसिंह मसूदा**: इस प्रकार की बातें और ध्यान में लायी जायेंगी तो उन पर विचार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री महोदय !

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो इतने भ्रष्ट हैं उनसे उत्तर न दिलवाया जाकर उप मंत्री से दिलवाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । श्री अमृतलाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यातायात विभाग की मांग के सम्बन्ध में बोलते हुए विरोधी पक्ष के माननीय नेताजी ने यह सवाल उठाया कि

(श्री अमृतलाल यादव)

राज्य सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वे उसके विरुद्ध हैं। उनकी यह दलील थी कि प्राइवेट बस ऑनर्स जिनकी बसें ज्यादा अच्छी हैं, जो जनता को ज्यादा सुविधा देते हैं और वे लाभ में भी चलती हैं और राष्ट्रीयकृत रोडवेज की बसें घाटे में चलती हैं, उनमें अव्यवस्था है इस प्रकार से उन ने विरोध किया और कहा कि इस राष्ट्रीयकरण को समाप्त किया जाय। इसी तरह से एक माननीय सदस्य ने उनकी इस बात का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की यह घोषित नीति है कि वे परिवहन का राष्ट्रीयकरण करे। इसके लिये राज्य सरकार ने एक निगम कायम किया। इस उद्योग को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाये। निगम के चेयरमेन के पद पर एक गैर सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की। निगम घाटे से बदल कर मुनाफे में चलने लगे, इस बात की कोशिश की है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जिस निगम में घाटा है, उस निगम को खत्म किया जाय। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा यह तो हमारी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हू राजस्थान सरकार की यह घोषित नीति है। उसके माफिक निगम की स्थापना की और मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया। लगभग दो हजार मील के मार्ग राष्ट्रीयकरण में लिये गये हैं। और लगभग 500 के करीब बसें निगम के पास हैं जिनमें से आधी से अधिक बसें रोड पर चलती हैं। कुछ इनमें से आफ दी रोड बसें हैं। इतने बडे संस्थान में बसें खराब भी होती हैं। सब रूट्स भी एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ दिक्कतें भी होती हैं। उनको जल्दी से जल्दी हम कइयों को ऑन दी रोड भी लाना चाहते हैं, पर अर्थाभाव से अभी देर हो रही है। काफी नुकसान भी हमें हुआ है। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निगम की स्थापना के बाद से निरन्तर इस घाटे में कमी होती जा रही है और पूरा प्रयत्न करते हुए इस स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे उनको घाटा न होकर मुनाफा होने लगे।

प्राइवेट बस ऑनर्स को मुनाफा होता है। पर उस पर उस तरह की पाबन्दियां नहीं हैं जैसी निगम पर हैं। निगम एक व्यवस्था के अनुसार चलता है निगम के कर्मचारी व्यवस्था के नियमों के अनुसार चलते हैं। उसी के अनुसार तनख्वाहें देनी पडती हैं। अन्य सुविधाएं देनी पडती हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार राष्ट्रीयकरण की उपेक्षा करना चाहती है केवल नाम लेती है। मैं निवेदन कर दूं कि एक कांग्रेस पार्टी है जिसका निश्चित उद्देश्य है राष्ट्रीकरण करने का। पर कुछ पार्टियों का, लोगों का रवैया है कि इसकी सराहना नहीं करके अमुक प्रकार का एक वातावरण अपने हित में बनानें की कोशिश करते हैं। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि निगम स्थापित करके सरकार एक नाम करना चाहती है, उसे सफल बनाने और राष्ट्रीयकरण करने की मंशा नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार सख्ती के साथ निगम को कामयाव बनाना चाहती है और राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र को बढाना चाहती है। इसी सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि उदयपुर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीकरण नहीं करना चाहती

(श्री अमृतलाल यादव)
क्योंकि मुख्य मंत्री जी उदयपुर जिले से आते हैं इसलिये उदयपुर में राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। ऐसा आक्षेप भी लगाया। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका कहना सही नहीं है। निगम की योजनाओं में यहां के रूट भी हैं उदयपुर-डूंगरपुर, उदयपुर-रतनपुर, उदयपुर-भीलवाडा, भीलवाडा-अजमेर ये रूट नेशनेलाइज करने की सरकार कार्यवाही कर रही है। इसी तरह बीकानेर में रावतसर–गंगानगर और रायसिंहनगर इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

श्री रामानन्द : अग्रवाल नहीं किया गया। यह गलत हैं। इन में एक मील भी राष्ट्रीयकृत रूट नहीं हैं। आपकी जानकारी गलत है।

श्री अमृतलाल यादव : कृपया सुनिये, मैंने कहा गजट किया गया है। नोटिफाइड किया गया है। आप कहते हैं करना नहीं चाहते इसके लिये निवेदन किया इसके लिये प्राइवेट बस ओपरेटर्स को कान्स्टीट्यूशनल अधिकार है कि कोई कोर्ट में जाता है वहां से स्टे आर्डर ले आता है तो राज्य सरकार कोर्ट को डिफाई करे यह तो नहीं हो सकता। इसलिये जिन मार्गों पर गजट करने के बाद भी कहीं हाई कोर्ट से स्टे आती है तो उसको मानना सरकार के लिये लाजिमी हो जाता है।

इसके बाद यह कहा गया कि निगम के अन्दर बहुतों को प्राइवेट एडहॉक बेसिस पर रखा गया है। उनको स्थायी नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निगम वनने के पहले यह ट्रान्सपोर्ट विभाग के पास था और इसके बाद जब निगम बना तो ट्रान्सपोर्ट विभाग के एम्पलॉयीज को आप्शन दिया गया कि वे चाहें तो निगम में जा सकते हैं या चाहें तो ट्रान्सपोर्ट विभाग में रह सकते हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट में रहना चाहते थे उनको वह आप्शन दिया गया। और इस वजह से निगम के पास जगह खाली हुई। आखिर निगम को चूंकि काम चलाना था इसलिये यह मजबूरन करना पडा कि एडहॉक बेसिस पर स्टाफ को रखा जाय अब निगम ने एक कमेटी मुकर्रर की है जो इन कर्मचारियों को स्थायी करने की तरफ ध्यान देगी।

श्री विजयसिंह : एक जानकारी चाहिये उपाध्यक्ष महोदय·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री समाप्त कर दें इसके बाद में।

श्री अमृतलाल यादव : इसके बाद उन्होंने एक यह मुद्दा उठाया कि जो फिएट कार इत्यादि देने के बारे में वर्तमान मन्त्री जो हैं उनकी इच्छा पर निर्भर है। माननीय सदस्य का यह आक्षेप बिलकुल निराधार है। वास्तविकता तो यह है कि इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की हुई है यद्यपि इसके अध्यक्ष ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इसके उप-मंत्री, सचिव, उप सचिव, निदेशक यातायात विभाग सदस्य होते हैं। इस कमेटी ने नियम बना रखा है कि जिसकी 250 रुपया तक की इन्कम है उनको स्कूटर न दिया जाये। इसके ऊपर 900 रुपये तक की इन्कम वालों को स्कूटर न दिया जाकर कार दी जावे। इसके अलावा यह आवश्यक है कि जरूरतों को देखते हुए अलग 2 कैटेगरीज हैं। इन्जीनियर और डाक्टरों के लिये अलग कैटेगरीज हैं।

(श्री अमृतलाल यादव)

(7 म. प.)

· · ·और इसके अतिरिक्त एम. एल. ए., मिनिस्टर्स और दूसरे लोगों को भी इसी बेसिस पर जितना कोटा आता है उसमें से कुछ अलॉटमेन्ट का आधार बनाया और उस आधार पर उनका अलॉटमेन्ट किया जाता है। तो यह कहना है कि केवल एक व्यक्ति या मंत्री ही उस को अलॉट करता है यह सत्य नहीं है· · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या मंत्री जी· ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! बाद में प्रश्न पूछ लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि पिछली बार जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि पहले नियम नहीं थे और अब नियम बना दिये गये हैं और उनके अनुसार ही अलॉटमेन्ट होगा। एम. एल. ए. के बारे में फिर आपने पोर्टफोलियो संभाला तो वह नियम जो बने थे उनको कैंसिल कर दिया और आपने अलॉटमेन्ट किया वह उन नियमों के अनुसार नहीं किया और ऐसे एम. एल. ए. जिनका नाम भी प्रायोरिटी रजिस्टर में दर्ज नही था उनको अपने मनमाने ढंग से अलॉटमेन्ट किया और जिन लोगों के नाम दर्ज थे उन लोगों को नहीं दिया। नहीं तो आप फाइल मंगालें इस बात की जानकारी हो जायें या तो मैं गलत साबित हो जाउंगा तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा सदन के सामने वर्ना आप करना।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया कि कोई स्टेचुटरी रूल्स नहीं हैं। एक आधार बनाया हुआ है और यह गवर्नमेन्ट के डिस्क्रीशन में है कि वह उस आधार को देखे और उसमें रिलेक्सेशन भी हो सकता है।· अब किसी एम. एल. ए. को कमेटी ने यह मुनासिब समझा कि उनको स्कूटर दिया जाय तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई उनको स्कूटर दिया गया और दिया जा सकता है। किसी आधार के विपरीत यह बात नहीं है।· ·

श्री विजयसिंह (मकराना) : जैसे कपड़े वैसी ही सफेद झूठ

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपकी स्वीटविल पर नहीं होना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई बीमार हो तो उसको क्यों नहीं स्कूटर दिया जायेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप रूल्स में प्रोवाइड कर दीजिए कि बीमार को आप दे सकते हैं लेकिन यह भ्रष्टाचार क्यों फैलाते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा मैंने आपको निवेदन किया था कि एक पार्टी का उद्देश्य है कि अमुक प्रकार का वातावरण बनाकर हल्ला करे मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरीके का आपका आचार है और आपका चरित्र है आपको हक नहीं है किसी पार्टी के लिए इस प्रकार की बातें करने का। तुम जैसे भ्रष्ट आदमी पार्टी की बातें करते हो· ·

श्री अमृतलाल यादव: मेरा चरित्र आपसे अच्छा है। कम से कम मैं देशद्रोही तो नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। तुमने अपनी इज्जत बेच दी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आपको देशभक्त कहते हुए ..

श्री अमृतलाल यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुना जाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको क्या अधिकार है कि किसी को देशद्रोही कहें ?

श्री अमृतलाल यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा आपने सुना अभी माननीय सदस्य ने यह एलीगेशन लगाया था कि एक व्यक्ति की स्वीट विल के ऊपर नहीं रहना चाहिए । माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने नम्रतापूर्वक इसका जवाब दिया कि एक व्यक्ति की स्वीट विल पर नहीं है बल्कि एक कमेटी है जिसके दूसरे भी सदस्य हैं और उस कमेटी का एक आधार है और उस आधार के अनुसार ही वह अलॉटमेंट करती है। ....

श्री शेरसिंह: मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताऊं कि यह जो कमेटी बनी हुई है यह कमेटी गवर्नमेन्ट कोटा को डिस्पोज आफ करने के लिए नहीं बनाई हुई है बल्कि डीलर्स जो प्राईवेट पर्सन्स को डिस्पोज आफ करते हैं उसके लिए कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेन्ट कोटा के लिए नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमेन्ट कोटा के लिए भी है। इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैं 30 साल से सार्वजनिक सेवा में हूं। अब देश की आजादी के पहले अगर किन्हीं सज्जनों को इस बात का एतराज होता कि अमुक प्रकार के लोग अमुक प्रकार का मकान न बनायें अमुक प्रकार का कपडा न पहनें ...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय पहले आप अपने विभाग से सम्बन्धित जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके बारे में कह दें। उसके बाद में स्पष्टीकरण देना चाहें व्यक्तिगत तो बाद में दे दें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, फिर क्या हुआ 30 साल से सेवा कर रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इस सम्बन्ध में मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करूं कि एक माननीय सदस्य की मुझ पर विशेष कृपा है और उन्होंने हर अवसर पर कुछ न कुछ आरोप लगाने के लिए जैसे कसम खा रखी हो। मैं इस सदन में नहीं था और मुझ पर आक्षेप लगाया कि मैंने एक संस्था के अध्यक्ष के नाते सरकार से किराया वसूल किया। जब मैं आया और मैंने यह सुना तो मैंने अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन में यह कहा कि यह बिलकुल झूट है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा उठा दिया। उसके बाद में तीसरा सवाल उठा दिया। अब माननीय उपाध्यक्षजी, हम लोग पक्के मकान बनायें, अच्छे कपड़े पहनें, मौटरों में चलें अब इससे किन्हीं माननीय सदस्यों को अगर कुछ एतराज हो सकता है तो हमारे पास तो कोई इलाज हो नहीं सकता है क्योंकि हमें तो उनकी ज्यादतियों को

(श्री अमृतलाल यादव)

बरदाश्त करना ही है और हम आशा करके चलते हैं कि एक दिन वह आयेगा इस देश में कि सभी माननीय सदस्यों को समान दृष्टि से देखा जायेगा। मैं बहुत दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने मुझे यहां तक कह दिया कि जरा हाउस के बाहर निकल कर देखो वहां बताता हूं ...

श्री **विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : आपने पब्लिक के वार्डिक्ट को चेलेन्ज किया था इसलिए कहा था।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं पब्लिक का नुमाइन्दा हूं और आपने कहा 'टपक पड़े' इसलिए कहा था। जब उधर की तरफ से पैदा होते हैं तो 9 महीने तक जनम लेते हैं और टपक नहीं पड़ते हैं।

श्री **खेतसिंह**: आप गरम न हों।

श्री **अमृतलाल यादव** : माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने एक गाडी ले ली। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2 साल जो सरकार का नियम है हो सकता है उसमें महीने दो महीने की कमी रही हो मेरी गाडी का बुरी तरह से एक्सीडेन्ट हो गया था और उसका बीमा कराया हुआ था और उसमें जो नुकसान हुआ वह बीमे वाले कागजात से देखा जा सकता है। उसके बाद में मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया कि क्योंकि मेरी गाडी का एक्सीडेन्ट हो चुका है और यह गाडी काम की नहीं रही है इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूं और राज्य सरकार के नियम हैं कि जो कोई भी आवेदन करे उसे नहीं माना जाये बल्कि उसके लिए एक टेक्नीकली एग्जामिन करके देखते ह और वह सर्विसेबल नहीं है, टेक्नीकल डिफेक्ट हो तो उसके लिए वह पहले आदेश देते हैं कि उसको राज्य सरकार खरीदे। अगर राज्य सरकार उसको नहीं खरीदे तो वह यह आदेश देते हैं कि वह व्यक्ति उसको कहीं भी बेच सकता है। तो हो सकता है और भी ऐसे उदाहरण हों। उसके अनुसार मेरी गाडी को भी उस तरह देखा गया और मैंने राज्य सरकार को कहा और मुझे लिख कर दिया गया कि राज्य सरकार इसको खरीदने लायक नहीं समझती है और आप कहीं भी सेल सकते हो। तो उस गाडी को मैंने इस तरह से सेल किया। उसमें कोई मोटिव मुनाफे का नहीं था। इस प्रकार की गाडी की न तो कोई ज्यादा कीमत ही आ सकती थी।

इसके अलावा हमने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट के बारे में मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक संस्था की जो सेवायें होती हैं, जो उनके हिसाब-किताब होते हैं वह जनता की सेवा में रिपोर्ट के जरिये पेश किये जाते हैं। और मैंने अध्यक्ष के नाते सभी सदन के माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपि दी थी लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी मेरे साथ कितना अन्याय है कि मेरी दी हुई और हमारी प्रकाशित की हुई रिपोर्ट के अन्दर से एक पोर्शन उन्होंने पढकर सुनाया जो कि उनके हक में है और अर्थात् करके उसको अपने हक में बोले। मैं इसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं ...

(श्री अमृतलाल यादव)
इसके अन्दर यह लिखा हुआ है जो कि उन्होंने पढा है :—

"द्वितीय सम्मेलन के हिसाब को प्रस्तुत किया। श्री अमृतलाल यादव ने कहा कि जो रुपया मुझे स्वागताध्यक्ष की हैसियत से अर्थात् 3518 रुपया दिया गया था वह श्री नन्दलाल जोशी को दे दिया गया था। जो स्वागत समिति ने हिसाब आपको भेजा है वह मेरा हस्ताक्षरशुदा नहीं है। श्री यादव ने कहा कि स्वागत समिति की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें शीघ्र ही कार्यवाही कर हिसाब भिजवा दिया जावेगा। श्री यादव ने कहा कि यह रुपया मैंने श्री नन्दलालजी जोशी को जरिये बैंक व नकद दे दिया था। श्री यादव ने कहा कि उदयपुर में सम्मेलन के लिए" यह दूसरा है। मैंने इसमें कहा था कि जरिये चैक के दिया गया था। श्री नन्दलालजी जोशी थे उनको मैंने यह रुपया केवल नकदी में ही नहीं बल्कि बैंक की कापी के जरिये से दिया है जो कि मेरे पास मौजूद है। वह रुपया बैंक से चैक द्वारा दिया गया था। उस चैक की प्रति और आडिटेड एकाउन्ट विभाग में सब ने देखा है। श्री नन्दलालजी जोशी का दुर्भाग्यवश स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के कारण वे हिसाब नहीं दे सके तो मैंने वकिंग कमेटी से निवेदन किया था कि स्वागत समिति की मीटिंग बुलाई जाय और उस मीटिंग में जो हिसाब है उसको वह पास करेगी। तो उसके बाद स्वागत समिति की वकिंग कमेटी ने यह निर्णय किया कि "क्योंकि स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष श्री नन्दलालजी जोशी का स्वर्गवास हो गया है अतः श्री अमृतलाल जी यादव दो महीने में स्वागत समिति से व अन्य हिसाब से सम्बन्धित व्यक्तियों से हिसाब प्राप्त कर बिल वाउचर्स व आडिटेड हिसाब सहित प्रस्तुत करेंगे एवं समाज कल्याण विभाग को लिख दिया जाय कि उक्त अवधि तक रुपये की वसूली आदि की कार्यवाही स्थगित कर दें।"

मैं निवेदन करूंगा कि मैं कोषाध्यक्ष नहीं था और न यह कोई नोटिस मेरे नाम था। बात यह थी कि चूंकि मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और वहां पर सम्मेलन हुआ था तो कार्यकारिणी ने मुझे यह आथोराइज किया था हिसाब के मामले में कि स्वागत समिति से बातचीत करके वहां का हिसाब-किताब लें। इसके बाद कार्य समिति की मीटिंग हुई, और इसी किताब में लिखा हुआ है पेज 61 पर—

"राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ की कार्यकारिणी समिति ने पिछले हिसाब के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए यह निर्णय किया कि राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के द्वितीय अधिवेशन उदयपुर का जो आडिटेड हिसाब 3518 रुपये का श्री अमृतलाल यादव ने राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग को दिया है उसे कार्यकारिणी स्वीकार (एप्रूव्ड) करती है और राज्य सरकार से निवेदन करती है कि वह उसे स्वीकार करे।',

श्री विजयसिंह रावत : और आगे पढ़िये कि बिल वाउचर्स नहीं हैं।

श्री अमृतलाल यादव : "भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पन्नालाल बारूपाल के पिछले हिसाब के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो एतराज उठा है उसके बारे में कार्यकारिणी वर्तमान अध्यक्ष को यह आदेश देती है कि वे श्री बारूपाल से स्पष्टीकरण मांगें और सन्तोषजनक उत्तर

(श्री अमृतलाल यादव)
न आने पर इस प्रश्न को पुनः कार्यकारिणी के समक्ष रखें।"

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। यह बारूपाजी से सम्बन्धित है। मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार से झूठे आक्षेप लगाकर बदनाम करने की . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वाउचर पेश नहीं किये गये ?

श्री अमृतलाल यादव: माननीय उपाध्यक्ष मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने का सवाल नहीं है। मिसएप्रोप्रियेशन किया गया है गलत एकाउन्ट्स दिये हैं, वाउचर्स नहीं दिये गये हैं . . .

श्री अमृतलाल यादव: मेरा निवेदन करना यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह सवाल कोई किसी नल, बिजली या गाडी का नहीं है। असल बात तो यह है कि दलित वर्ग संघ के प्रभाव से हरिजन समाज जनसंघ को छोड छोड़ कर कांग्रेस में आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र व अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आरोपों का जवाब यह नहीं हो सकता है।

श्री अमृतलाल यादव : एक दिन वह आवेगा कि जनसंघ के अन्दर एक भी हरिजन नजर नहीं आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक दिन वह आयेगा कि तुम्हारी कब्र खोदकर रख देंगे ये नौजवान लोग।

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह आपका कोरा खयाल है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने यह लिखकर दिया है कि अमृतलाल यादव बहुत ज्यादा करप्ट है इसको मंत्री-मंडल से हटाया जाय, उस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने थे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह (मकराना): दो दो सौ रुपये लेकर स्कूटर देते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना सा स्पष्टीकरण और कर दें कि 3518 रुपये का हिसाब . . . .

श्री उपाध्यक्ष: आसन की मार्फत प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसी किताब में लिखा है कि नन्दलाल जोशी मर गये इसलिए बिल्स व वाउचर्स नहीं आ सके इसलिए इस खर्चे को मान लिया जाय और समाज कल्याण विभाग को निवेदन कर दिया जाय कि इसको पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री अमृतलाल यादव : इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इस राजस्थान में भी राज्य सरकार

(श्री ग्रमृतलाल यादव)
के प्रयत्नों से कृषि में उन्नति हुई है, और आज हमारे कृषक इस लायक हुए हैं कि वे ट्रैक्टर रखें, और ट्रैक्टर के जरिये वे अपनी खेती की उन्नति करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इसके बारे में यह निर्णय किया है कि जो ट्रैक्टर···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेलिफोन के बारे में क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और जो ठीक समझा वह दे दिया। अगर कोई बात नहीं कही हो तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने टेलिफोन की याद दिलाई। अगर उनकी ऐसी कृपा मेरे पर बनी रहे तो मेरा बहुत कुछ···

श्री विजयसिंह रावत: सुधार भी हो जायगा।

श्री **अमृतलाल यादव** : मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक खर्चा है उसको मैं बरदाश्त नहीं कर सकता हूं, तो कोई गुनाह मैंने नहीं किया है कि जो मेरे टेलिफोन से जो भी टेलिफोन या ट्रंक काल किये गये हैं उनका मैं पैसा न लूं। मैं टेलिफोन्स के अपने बिल्स माननीय सदस्य को बता दूंगा; आपको दिखा दूंगा। जो बिल पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट से मेरे पास आये हैं उन सारे बिलों का पेमेन्ट संस्था से नहीं लिया गया है, और जो भी मेरे काल्स हैं जो कि मेजर पार्ट हैं उनका उनसे नहीं लिया गया है। जो भी बिल्स हैं उनका हिसाब रखा गया है। जो भी संस्था के नाम से काल्स हुए हैं, संस्था वालों ने किये हैं उनका पेमेन्ट उन्होंने किया है, और जो मेरे काल हुए हैं उसका मैंने अपना पेमेन्ट किया है। मैं तो यह···

श्री विजयसिंह रावत : आपने किया है या राजस्थान गवर्नमेन्ट ने?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय विजयसिंह!

श्री मदनसिंह: कई मंत्री अरबों खाये हुए बैठे हैं। आप पर तो आटे में लूण के बराबर भी आरोप नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दलित वर्ग संघ ने टेलिफोन लिया है क्या 64 में?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बार बार हस्तक्षेप न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनसे आसन की मार्फत ही पूछ सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सवाल यह है कि 1–9–63 से 28–8–64 तक जो आपने नल, बिजली और टेलिफोन का पैसा दलित वर्ग संघ से वसूल किया है वह आप नहीं कर सकते थे। आप न तो बिजली दे सकते हैं, न पानी दे सकते हैं और न टेलिफोन का यूज ही बेच सकते हैं। 1-9-63 को जब आप नर्मदा भवन या यादव सदन में पहुंच गये उसके बाद आप मंत्री बने तो आपके पास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सरकारी टेलीफोन था और दूसरा टेलिफोन प्रदेश दलित वर्ग संघ का टेलिफोन नहीं है 64 में।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ।

कृपया आप स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था दी जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप स्थान ग्रहण करिये एक मिनिट के लिए। 64–65–66 में इस आडिटेड एकाउन्ट में लिखा है कि टेलिफोन का खर्चा राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ से इन्होंने चार्ज किया है। राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ ने उस टेलिफोन का यूज लिया है जो टेलिफोन गवर्नमेन्ट की तरफ से इनको मिला हुआ है। आप यह पैसा कैसे वसूल कर सकते हैं?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि मुझे ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। मैं इतना निवेदन कर दूं कि राज्य में जब जब मैं मंत्री रहा तब तब मंत्री की हैसियत से मेरे पास टेलिफोन रहा उसका किसी संस्था से मैंने कभी चार्ज नहीं किया ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् 64–65 और 66 का हिसाब है···

श्री अमृतलाल यादव : पिछले साल··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् 64,65 और 66 का है किताब देखकर बतादें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यू. आई.टी. की जमीन का और कह दें।

श्री अमृतलाल यादव: मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो किसान ट्रेक्टर खरीदते हैं···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यू.आई.टी. की जमीन का कह दें जहां पर शेड बनाया है एन्क्रोचमेन्ट हुआ है, यह भी कह दें कि पट्टा मौजूद है। एलाटमेंट हुआ है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग की मांग पर कट मोशन्स पर बहस हो चुकी है, मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं। आप एक हरिजन मंत्री से इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं जिससे आपकी नीति हरिजन विरोधी प्रतीत हो रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि हरिजनों को ऊपर नहीं उठाते और दूसरी तरफ यह कहते हैं। यह गलत परम्परा है। मैं यह निवेदन करूंगी कि इस मांग पर बहस यहीं पर समाप्त की जाय।

श्री विजयसिंह रावत : मैं इस पर एतराज प्रकट करता हूं, हम राजस्थान के हरिजनों को ऊपर लाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत: हरिजनों को आप ऊपर नहीं लाना चाहते, हरिजनों का खून चूसना चाहते हैं [× × × × × ×]

अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। एक्सपन्ज्ड।

श्री विजयसिंह रावत: पिछडे हुए लोगों का खून चूस रहे हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में डिबेट के पीछे मंशा यह होती है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह दें और प्रयास यह होना चाहिये कि वजनी तरीके से कहें. ताकि सदन चल सके। एक माननीय सदस्य को एक ही बार कहने का अधिकार है। किसी नियम में यह नहीं है कि बार बार उठ कर हस्तक्षेप किया जाय और जो सदस्य बोल रहे हैं उनको रोका जाय। जहां तक स्पष्टीकरण का प्रश्न है, स्पष्टीकरण के प्रश्न पर आप बाध्य नहीं कर सकते किसी माननीय सदस्य को कि वह यह बात कह दें। जनतंत्र इस बात पर आधारित है कि फैसला आपस में लड झगड कर नहीं होता है बल्कि सदन दोनों तरफ की बात सुन कर फैसला करता है। माननीय सदस्यों ने दिन भर बातें कहीं, सदन ने सुनीं, मंत्री महोदय का काफी लंबा जवाब हुआ। इसलिये मैं चाहता हूं कि झगडे को यहीं पर खत्म करके सदन की राय ले ली जाय। यदि विपक्ष के सदस्य समझते हैं कि उनकी वजनी बातें थीं तो सदन उनका साथ दे देगा। लेकिन आपस में वाद-विवाद करने से इसका हल या अंत नहीं है, यह जनतंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है अतः मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं।...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वे स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, आप सदन के वयोवृद्ध सदस्य हैं, आप ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दूसरे सदस्य आपसे क्या सीखेंगे...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों का उल्लंघन तो पंजाब के उपाध्यक्ष ने कर दिया जो वहां जाकर बैठ गये। आप स्पष्टीकरण करवा दीजिये यू.आई.टी. की जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट करके कंस्ट्रक्शन करा रखा है, उसका पट्टा हासिल हो चुका है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को बाध्य नहीं किया जा सकता स्पष्टीकरण के लिये। स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना नहीं दें तो सदन इस पर विचार करके मतदान कर देगा।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक ट्रेक्टरों का सवाल है ...

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी कि सब बातें आपने कह दीं । स्पष्टीकरण हेतु फर्माना चाहते हैं तो फर्मा दें। नहीं तो मतदान हो जायगा।

श्री अमृतलाल यादव : यह जो सवाल उठाया था यू.आई.टी. की जमीन का मैं इस बारे में निवेदन कर दूं कि मेरा कोर्नर प्लोट है, जिसका कोर्नर प्लोट होता है वह 10 पर्सेन्ट ज्यादा कीमत देता है। मैंने यू.आई.टी को दर्ख्वास्त दी कि जब बाढ आई थी, नले में पानी भरा था, मेरे मकान के अन्दर तक पानी आ गया और पीछे की दीवार में क्रेक आ गई। मैंने इंजीनियरों को दिखाया उन्होंने कहा कि आप सपोर्ट करोगे तो दीवार टिकेगी नहीं तो गिरने का अंदेशा है। मैंने यू.आई.टी. को दर्ख्वास्त दी कि मेरे मकान के गिरने का

(श्री अमृतलाल यादव)
अंदेशा है, टेक्निकल लोगों की राय है कि मैं दीवार के पास मिट्टी डाल दूं इसलिये कृपा करके इजाजत दी जाय। इस बारे में जो आप फैसला करेंगे वह मंजूर होगा। मेरे मकान की जमीन जिसके लिये एन्क्रोचमेन्ट की बात कहते हैं, मैंने एन्क्रोचमेन्ट नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा 4–5 फीट जमीन होगी जो नाले और मेरे मकान के बीच में है, उस पर दूसरी इमारत नहीं बन सकती, मैंने दरख्वास्त लिख कर दी है कि यह जमीन मुझे दे दी जाय। यह बात जरूर है कि उनके यहां से निर्णय अभी नहीं आया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर कैसे कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उस जमीन पर...

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या पूछना चाहते हैं ? आसन की मार्फत पूछिये, देखिये इधर।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक यू.आई.टी ने इजाजत नहीं दी तो उन्होंने जमीन पर किस प्रकार एन्क्रोचमेन्ट कर लिया...

श्री उपाध्यक्ष: लंबा भाषण नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : गांवों में कोई झोंपडी बना लेता है तो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। लंबा भाषण नहीं होगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मंत्री महोदय के मकान और नाले के बीच में यदि 4–5 फीट की जमीन है जिस पर दूसरा कोई मकान बन नहीं सकता उस पर यदि इन्होंने गैरेज बना लिया जैसा कि इन्होंने कहा, मकान गिरने का अंदेशा था आप एक हरिजन मंत्री के पीछे पड गये। बीच में गाय और खडी कर दी जाय (अश्रव्य) चार पांच फीट की जमीन से क्या होता है...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। आसन अपने पैरों पर है कृपया सुनें

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गोकुल प्रसादजी ने गाय के बारे में कहा...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : विरोधी पक्ष से इन्हें गाय समझ कर छोडने को कहा है तो छोड दें।

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: आप थोडे सदन के नियमों और परम्पराओं को ध्यान में रखिये मांगों पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाडियों पर कर, के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,75,000) रु. की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 114 सडक तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,32,24,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग स्वीकार की गई ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संघटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,95,03,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है (तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.32 पर बृहस्पतिवार दिनांक 21-3-68 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची)

निरीक्षणालय

1.	जोधपुर, बाडमेर, जोधपुर	27
2.	पाली	139
3.	नागौर	300
4.	बाडमेर	115
5.	सिरोही, जालौर, सिरोही	—
6.	बीकानेर	202
7.	चूरू	75
8.	गंगानगर	650
9.	उदयपुर	338
10.	भीलवाडा	108
11.	चित्तौडगढ	252
12.	बांसवाडा डूंगरपुर, बांसवाडा	80
13.	कोटा-बून्दी, कोटा	111
14.	झालावाड	77
15.	जयपुर	353
16.	सीकर	182
17.	झुंझुनूं	260
18.	अलवर	257
19.	भरतपुर	288
20.	अजमेर	615
21.	सवांईमाधोपुर टोंक, करौली	745

निरीक्षिका कन्या शिक्षणालय

1.	बीकानेर	129
2.	अजमेर	144
3.	कोटा	64

उपनिरीक्षिका कन्या शिक्षणालय

1.	जोधपुर	57
2.	जयपुर	61
3.	उदयपुर	321
4.	भरतपुर	95

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 702 की सूची)

Copy of letter No. /3608, dated 24-2-49 from Shiksha Mantri Govt. of Jodhpur, Jodhpur to K/S Taparia Brothers, Jaswantgarh.

OFFICE ORDER

Seth Laduramji Taparia on behalf of himself and his three brothers Shri Shiv chand Rai, Shri Suraj Mal, Shri Ganpat Rai has submitted to me a letter conveying that he is prepared to donate two suitable buildings for two schools at Jaswantgarh, Distt. Didwana one for boys and other for girls. Further, in his letter, he has mentioned that these two institutions be named as Jagannath Taparia Vidhyalaya and Jagannath Taparia Kanya Pathshala.

The boys school, to begin with, shall be up to the VIII standard and the girls school up to the V standard. The two buildings as soon as they are completed, shall be handed over to the Govt. of Jodhpur and after it they shall be the property of the Government. The boys school, when and if necessary, be raised to the High School. At present there is already a school at Jaswantgarh known as the Darbar Middle School where we have classes up toVII standard and the school is wholly run by the Government of Jodhpur. There is also an aided Girls School known as Jagannath Kanya Pathshala upto the IV standard. The Government grants an aid of Rs. 75/- P. M. The Girls School is to be taken over by the Government with immediate effect. The offer of the SETH SAHIB IS LAUDABLE and think the Government should accept it and put it into action immediately. I am further of the opinion that Government should congratulate Seth Sahib for this donation of two buildings one for the boys school and the other for the girls school, which may roughly cost to Seth Sahib a sum nearly about Rs. 70,000/-.

I therefore, hereby order that:—

1. The two schools shall be named "Jagannath Taparia Vidhyalaya" and "Jagannath Taparia Kanya Pathashala" as desired by the Seth Sahib from the date the School buildings are handed over to the Government.

2. The present girls school be taken over by Government from 15th March, 1949.

3. The Seth Sahib be given the following facilities for the construction of the two buildings

(i) Free site for the buildings and play-grounds for boys school on the west of the village and for the Girls School, the site formerly occupied by the Customs Thana. The Deputy Commissioner, Nagaur, will proceed to the spot immediately with the representatives of the Seth Sahib and mark and allot the land on the spot. Necessary acquisition proceedings be taken over

by him immediately on the spot and the work should be finished in a period of one week from the date the order is available to the Deputy Commissioner.

(ii) Necessary quota of petrol, steel girders and other iron necessaries and cement be allotted in the name of Seth Sahib for the construction of the school buildings. The Director of Civil Supplies and the Chief Engineer, P. W. D., may immediately be asked to do the needful in the matter.

(iii) Railway priority for taking patties and stones etc. from Fidusar quarries to Jaswantgarh be granted. The Railway Manager be asked to do the needful immediately.

(iv) Permission for burning lime at Jaswantgarh for the construction of the school buildings be granted. Seth Sahib will formally put an application to that effect.

(v) Two wagon-load of coal for burning lime be granted and the Director of Civil Supplies will take action in the matter:—

(vi) The Chief Engineer, P. W. D. and the Deputy Commissioner, Nagaur will see that the construction work goes on smoothly without any hinderance. The Chief Engineer, P. W. D. shall supply to Seth Sahib a plan of the building which the Government had constructed at Barmer for High School, and for the girls school a plan, in consultation with Seth Sahib the D. P. I. will be prepared and handed over to him free of cost by the Chief Engineer. The Seth Sahib shall only change the plan so supplied to him by the Government after due consultation with and sanction of the Chief Engineer, P. W. D., Jodhpur. The Chief Engineer shall also from time to time inspect the construction of the buildings as per rules and advise the Seth Sahib if and when necessary.

Sd/- Mathura Dass Mathur,
Shiksha Mantri,
Government of Jodhpur,
Jodhpur.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची)

सूची:––जिन इकाइयों को औद्योगिक ऋण स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	रजिस्टर्ड संख्या	प्रार्थी का नाम	उद्योग का प्रकार	स्वीकृत ऋण राशि
1	2	3	4	5
1	18.	गफारखां पुत्र गनी खां परबतसर	बढईगिरी	1,500/-
2	19.	मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण परबतसर	सिमेन्ट वर्कस	3,000/-
3	20.	चन्द्रदत पुरोहित परबतसर	प्रिंटिग प्रेस	7,000/-
4	22.	रामलाल पुत्र राजीवन परबतसर	ट्यूब टायर	1,000/-
5	80.	बधाराम पुत्र दूलाराम परबतसर	कुटीर उद्योग	0,500/-
6	195.	जीवला चर्म उ. स. स. परबतसर	चर्म	1,200/-
7	19.	सूरजाराम पुत्र मन्नीराम सूथली	बढई गिरी	1,000/-
8		मगलाना इण्डस्ट्रियल को. सोसायटी मगलाना		5,000/-
9		बस्ती ऊन उ. स. स. बस्सी	ऊन	3,000/-
10		अल्लादीन पुत्र हसनखां परबतसर		1,000/-
11		रामलाल पुत्र मांगीलाल परबतसर		1,000/-
12	10.	भंवरलाल परबतसर	बढईगिरी	3,000/-
13	42.	पीरबक्स हुसेनबक्स परबतसर	लोहारगिरी	1,000/-
14	43.	मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र परबतसर	जूते बनान	1,000/-
15	63.	काना पुत्र दल्लाराम परबतसर	जूते बनाना	1,500/-
16	64.	चांदमल पुत्र लादू रीड	जूते बनाना	1,000/-
17	65.	हनुमान पुत्र गिरधारी नरनिया	लोहारी	1,000/-
18	66.	गुलाबचन्द छोटूमल रीड	बर्तन बनाना	1,000/-
19	68.	जान मोहम्मद पुत्र अहमद बक्स परबतसर	प्रिंटिग वर्क्स	1,000/-
20	85.	हजारी पुत्र हरदीन विदियाद	जूते बनाना	1,000/-
21	86.	मुगलाराम पुत्र जगराम रोहिण्डी	जूते बनाना	1,000/-
22	107.	शेरू पुत्र मगलाराम विदियाद	जूते बनाना	0,700/-
23	108.	चांदखां पुत्र इल्लाहीबक्स बस्ती	रंगाई छपाई	1,000/-
				38,800/-

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 685 की सूची)

सूची "अ" तारांकित प्रश्न संख्या 151

सा. नि. म. दिनांक 25-1-68

नाम सडक	पेडों की संख्या
1. डीग अलवर रोड	37
2. कामा पहाडी	16
3. पहाडी नगर	17
4. कामाकोसी	10
5. कामा डीग	12
कामा जुरहडा	—
	92

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 698 की सूची)

श्री मेहरचन्द ठेकेदार द्वारा क्रय किये गये मूसेडों के पेटे जो राशि प्राप्त हुई उसकी तालिका

		रुपया
1.	रायी नकद रसीद नम्बर 78 दिनांक 3-9-56 को जमा कराई।	8302.00
2.	नाहरी के नाका पूर्व योजना में भूमि समतल करने के कार्य के द्वितीय बिल दिनांक 19-10-64 में से दिनांक 2-12-64 को कटौती कर जमा कराये ..	4871.00
3.	मेहरचन्द एन्ड सन्स के ट्रक स्टेण्ड योजना में भूमि समतल करने के प्रथम बिल से दिनांक 30-12-64 को जमा कराये।	4217.00
4.	मेहरचन्द एण्ड सन्स के ट्रक स्टेण्ड योजना में भूमि समतल करने के द्वितीय बिल से दिनांक 9-2-56 को जमा कराये	8929.79
5.	मेहरचन्द एण्ड सन्स के नाहरी का नाका पूर्व जोन बी. के चतुर्थ बिल से कटौती कर दिनांक 7-5-65 को जमा कराये	4000.00
	योग ..	30319.00

परिशिष्ट 6
(तारांकित प्रश्न संख्या 705 की सूची)

जिला पाली के निम्नलिखित ग्रामों को विद्युत् दी जा चुकी है।

गांव का नाम 1	विद्युत् प्रदान करने की तिथी 2	गांव का नाम 1	विद्युत् प्रदान करने की तिथी 2
1. पाली	फरवरी, 1960	28. पुराडा	29-3-1965
2. फालना	15-8-1961	29. कोटबालिया	25-2-1965
3. रानी	26-2-1962	30. शिपसर	29-3-1965
4. बाली	28-12-1961	31. लूनाव	29-3-1965
5. सोजत सिटी	अगस्त, 1962	32. मान्डला	18-10-1965
6. सोजत रोड	9-3-1962	33. बानेरी	18-10-1965
7. अटवारा	31-3-1962	34. सरदारपुरा	18-10-1965
8. वरवाना	1-3-1962	35. रामसिनीवाला	20-10-1965
9. त्रियावाडी	3-11-1962	36. बीलावास	1-12-1965
10. खिमेल	5-8-1963	37. धाकरी	1-12-1965
11. सादडी	15-12-1963	38. थीनावास	15-12-1965
12. जैतारन	19-1-1964	39. लून्डावास	15-12-1965
13. तख्तगढ	19-1-1964	40. अजीतपुरा	24-12-1965
14. सान्देराव	19-1-1964	41. सान्डिया	24-12-1965
15. बागरी	15-2-1962	42. बागावास	24-12-1965
16. श्रीसेला	3-3-1964	43. चमारिया	22-1-1966
17. नीमबाज	24-3-1964	44. बीसलपुर	19-1-1966
18. मुन्डारा	2-4-1964	45. सूरायता	21-1-1966
19. बिनडमेवा	18-4-1964	46. सीलपुरा	8-3-1966
20. वैयाल	23-3-1964	47. बोया	8-3-1966
21. बावस	26-3-1965	48. मदून्डा	1-3-1966
22. धुनारिया	23-3-1965	49. बीजापुर	1-3-1966
23. दोतारा	23-2-1965	50. माडलनाव	6-3-1966
24. गलतानी	22-3-1965	51. डूजाना	19-3-1966
25. सेवारी	31-3-1965	52. बालून्डा	31-3-1966
26. पोमावा	29-3-1965	53. बन्जाकुरी	31-3-1966
27. सियात	26-2-1965	54. कुशलपुरा	28-3-1966

1		2	1		2
55.	रायपुर	28-3-1966	69.	बीडकलाव	27-2-1967
56.	तालकिया	31-3-1966	70.	आनन्दपुर कालू	16-3-1967
57.	ढाकरवास	29-3-1966	71.	मोडिया	18-3-1967
58.	लिलाम्बा	28-3-1966	72.	शिवतलाव	18-3-1967
59.	जोजावर	28-6-1966	73.	लातरा	18-3-1967
60.	बीनावाडी	22-12-1966	74.	गुरकलापसिंह	18-3-1967
61.	पृथ्वीपुरा	25-12-1966	75.	किवडी	19-3-1967
62.	सिन्दूर	25-12-1966	76.	गोगरा	31-3-1967
63.	बारवा	20-5-1966	77.	खानपुरा	31-3-1967
64.	कोलीवाडा	29-1-1967	78.	भाडा	31-3-1967
65.	रामनगर	29-1-1967	79.	बाकली	31-3-1967
66.	चान्दवाल	15--2-1967	80.	सुमेरपुर	26-1-1967
67.	बालाना	6-2-1967	81.	आकलहेडा	8-4-1967
68.	थानला	11-2-1967			

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची)

राजस्थान में विभिन्न संस्थाओं में चल रहे काटेज वार्डों एवं प्राईवेट वार्डों की दरों की तालिका

क्र सं. 1	चिकित्सालय का नाम व स्थान 2	श्रेणी 3	मौजूदा दर 4	विशेष विवरण 5
1.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर ..	ए	15.00	(डीलक्स वार्ड केवल जयपुर में ही है)
		सी	7.50	
		ई	2.25	
2.	जनाना अस्पताल, जयपुर	सी	6.00	
		ई	3.00	
3.	के. जी. वी. टी. बी. सेनाटोरियम, जयपुर	एफ	1.50	
4.	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर ..	बी	10.50	
		सी	6.00	
		ई	3.00	
5.	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	सी	6.00	
		ई	3.00	
6.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	डी	4.50	
7.	टी. बी. सेनाटोरियम, बडी (उदयपुर)	ई	3.00	
8.	पी. बी. एम. मेन्स अस्पताल; बीकानेर ..	डी	3.75	
9.	पी. बी. एम. वूमेन्स अस्पताल, बीकानेर	बी	10.50	
		डी	3.75	
10.	जी. जी. जे. टी. बी. अस्पताल, बीकानेर	एफ	2.25	
11.	जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर ..	सी	7.50	
12.	एस. आर. जनरल अस्पताल, झालावाड	एफ	1.50	
13.	एस. एच. के. महिला अस्पताल, झालावाड	जी	1.00	
14.	सरदार अस्पताल, धौलपुर	एफ	1.50	
		जी	1.00	
15.	एस. के. एम. एम. अस्पताल, धौलपुर ..	एफ	1.50	
16.	मेल अस्पताल, सिरोही	जी	1.00	
17.	जनाना अस्पताल, सिरोही	जी	1.00	
18.	ए. एम. अस्पताल, माउन्ट आबू ..	सी	7.50	
19.	जनरल अस्पताल, श्री गंगानगर ..	ई	3.00	
20.	अजीत अस्पताल, खेतडी (सीकर) ..	एफ	1.50	
21.	एस. के. अस्पताल, सीकर	ई	3.00	
		एफ	1.50	

1	2	3	4
22.	जनरल अस्पताल, अलवर	डी	3.75
23.	जनाना अस्पताल, अलवर	ई	2.25
24.	जनाना अस्पताल, कोटा	डी	3.75
25.	जनरल अस्पताल, बून्दी	ई	2.25
26.	मेर्टनिटी अस्पताल, बून्दी	ई	2.25
27.	के. जी. एस. जे. जनरल अस्पताल, करौली	एफ	1.50
28.	एस. एम. जे. अस्पताल, रतनगढ ..	डी	3.75
29.	आर. बी. फीमेल अस्पताल, रतनगढ ..	डी	3.75
30.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	एफ	1.37
		जी	1.00
31.	फीमेल अस्पताल, भरतपुर	एफ	1.37
		जी	1.00

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 310 की सूची)

तालिका कत्ल के अपराध के बाबत वर्ष सन् 1965, 1966, 1967-68 जनवरी 68 तक।

नं. शु.	नाम थाना	वर्ष	रिपोर्ट	अदम वकू	अदम तफतीश	अदम पता	व अदम सबूत	जेरे-तफतीश	512 जा. फो.	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	जेरे तजवीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	कोतवाली टोंक	1965	2	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
2.	महन्दवास	"	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
3.	उनियारा	"	2	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1
4.	आबा	"	3	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	..
5.	बरोनी	"	5	1	..	..	..	..	..	4	1	2	..	1
6.	पीपलू	"	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..		14	2	..	..	2	..	..	10	2	5	..	3
1.	लाम्बाहरीसिंह	1966	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
2.	महन्दवास	"	2	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..
3.	बरोनी	"	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2
4.	देवली	"	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	टोडारायसिंह	"	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
6.	अलीगढ़	"	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
	योग ..		8	..	..	1	..	..	..	7	3	2	..	2

1. कोतवाली टोंक	1967	2	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1
2. अलीगढ़	,,	2	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2
3. टोडारायसिंह	,,	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
4. लाम्बाहरीसिंह	,,	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5. नगर	,,	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
6. देवली	,,	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
योग ..		8	1	..	..	..	..	..	7	1	..	..	6
जनवरी, 1968		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		30	3	..	1	2	..	..	24	6	7	..	11

Page No. 192

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची)

नगर पालिका, लाडनूं के क्षेत्र में बनी हुई सड़कों की सूची

क्र. सं.	नाम सड़क	सड़क का एरिया वर्ग	सड़क पर व्यय की गई राशि रु. पै.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	जोहरी मल्टी परपज हायर सेकन्डरी स्कूल से श्री सुपारसमल जोरडिया के मकान तक	68244	27485-00	नगर पालिका द्वारा बनवाई गई ।
2.	रामप्रताप जी के मकान से बजरंगलाल जी अग्रवाल की दुकान तक	4430	3191-90	,,
3.	पालिका कार्यालय से प्रेमराज जी कोठारी के मकान तक ..	3372	2337-41	,,
4.	हमीरमल जी कोठारी के मकान से होमियो हॉस्पिटल तक ..	5555	3560-41	,,
5.	होमियो हॉस्पिटल से सेवगों के चौक होते हुए हरीरा तक ..	7663	6025-13	,,
6.	श्री गफूर मोची की दुकान से रहमान जी नीलगर के मकान तक	2497	1675-91	,,
7.	गांधी चौक से झण्डा बाजार तक	7404	4504-54	,,
8.	तोताराम रोड (गांधी चौक से राहू गेट तक)	19324	6770-43	,,
9.	दरगाह रोड	13472	3426-42	,,

10.	चन्द सागर स्मारक रोड	7560	3115-48	इस व्यय में रु. 2,460 डोनेशन में आये व रु. 2,655 पालिका द्वारा व्यय किए गये ।
11.	पांड्या रोड	4560	3875-00	इस व्यय में रु. 3320 डोनेशन में आए व रु. 552 पालिका द्वारा व्यय किए गये ।
12.	दिगम्बर जैन रोड	3990	1710-00	इसमें से 1300 डोनेशन में आए व 415 रु. पालिका द्वारा व्यय किए गए ।
13.	बच्छराज रोड	1600	3347-00	श्री बच्छराज गंगवाल द्वारा बनवाई गई ।
14.	ओसवाल पंचायत के नोहरे से पुखराज की भूतोडिया के मकान तक	673	5964-40	इसमें से 4056) रु. डोनेशन में आए व बाकी व्यय पालिका द्वारा किया गया ।
15.	दूसरी पटी में हेमराज पटेल के मकान से शोभाचन्दजी बेखा के मकान तक	15972	2829-30	इसमें 60 प्रतिशत डोनेशन में आयी और बाकी व्यय पालिका द्वारा किया गया ।
16.	पाटनी रोड	4821	4787-90	इसमें 3100 रु. डोनेशन में आये व बाकी पालिका से व्यय की गई ।
17.	राड गेट से रेल्वे स्टेशन तक सड़कें बनी हुई हैं	यह दोनों सड़कें राज्य सरकार द्वारा बनाई हुई हैं ।		

लाडनूं में पानी की पाइप लाइन बिछाते समय निम्न सड़कें तोड़ी गई थीं

क्र. सं.	नाम सड़क जो तोड़ी गई	नाप तोड़ी गई सडकों का फिटों में
1.	वाटर वर्क्स के गेट के पास	15' × 3'
2.	गनपत रामरोड से सुखदेवाश्रम तक	14' × 3'
3.	जसवन्तगढ़ रोड	1850' × 5'
4.	राहूगेट से मुर्दागिली के कोने तक	675' × 3'
5.	राहूगेट से स्टेशन आने वाली सड़क	1125' × 3'
6.	प्रेम भवन के व फली सिलावट के मकान तक	1588' × 3'
7.	स्टेशन रोड	1568' × 3'
8.	जसवन्तगढ पर जसवन्त पाइप लाइन बिछाते समय तोड़ी गई	124' × 3'
9.	माधो वटी में	466' × 3,
10.	प्रथम वटी में	1188' × 3,
11.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सामने	713' × 3,
12.	राहूगेट से जैन मन्दिर होकर मुर्दागिली तक	1455,' × 3,
	योग..	11267' × 3' = 35601

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक 20 मार्च, 1968)

स्कम्म सं.	पंक्ति संख्या	शुद्धि	अशुद्धि
1	2	3	4
5	4	जलन	जलने
9	12	परिचर्चा	परिचर्या
11	2	एडीमेन्ट्री	एलीमेन्ट्री
18	1	श्री ममचन्द	श्री मूलचन्द
18	11	श्री भैरोंह ह	श्री भैरोंसिंह
20	7	श्र	श्री
22	12	श्री ँ रोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
22	13	विजीलस	विजीलेंस
22	18	श्री उपा यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
22	19	वा ।	वाया
26	शीर्षक	968	1968
30	9	स नियर	सीनियर
30	अन्तिम	याय	न्याय
31	8	श्री विजयसि	श्री विजयसिंह
32	10	मरम्मत के	मरम्मत
34	1	(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)	
34	अन्तिम से 4 व 5 के बीच में		(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)
41	अन्तिम से 7	श्री खे सिंह	श्री खेतसिंह
41	अन्तिम से 4	श्री फतेहहि	श्री फतेहसिंह
47	अन्तिम से 8	ी	श्री
49	अन्तिम से 12	श्री अ रसिंह	श्री अमरसिंह
52	अन्तिम से 6	प न्नति	पदोन्नति
53	अन्तिम	ग	गई
54	11	क	की
56	5	दया	दिया
56	अन्तिम से 6	व न	बन
59	19	मैं	में
61	6	श्री विज सिंह	श्री विजय सिंह
67	1	पंचा त	पंचायत
67	1	ें लघु	में लघु
71	20	बनते हैं	बनते नहीं हैं
72	अन्तिम से 4	अ माप	अभाव
74	अन्तिम से 5	जैसी	जैसा

1	2	3	4
75	7	गो	गये
75	11	विधि मंत्री	क्या विधि मन्त्री
76	10	श्री आई।नसिंह	श्री आईदानसिंह
77	7	थ	श्री
77	अन्तिम	चाल	चालू
79	15	वसूल	वसूली
80	अन्तिम से 8	विरष्ठ	वरिष्ठ
82	15	टन्डर	टेन्डर
82	अन्तिम से 5	अतारिकत	अतारांकित
82	अन्तिम से 3	श्री रा ुनाथ	श्री रघुनाथ
83	अन्तिम	प्राथमकि	प्राथमिक
84	अन्तिम से 4	वै धानिक	वैज्ञानिक
87	7	दूसर	दूसरी
87	अन्तिम से 2	आर्थो पेडिक्स	आर्थोपेडिक्स
90	14	गुमशुदजी	गुमशुदगी
91	अन्तिम से 11	सार्वजनकि	सार्वजनिक
92	4	क ा	कब
92	8	त ा	तथा
96	9	उत्तर	—
98	2, 5, 8	फ़ेस	फेस
98	3	की	कि
98	अन्तिम से 7	को ा	कोटा
99	अन्तिम से 8	क्ों	क्यों
104	8	स। गन-ा स्ता ा र ठ ा ा स्था	स्थगत प्रस्ताव पर व्यवस्था
104	20	वेचेनी	बेचैनी
104	अन्तिम से 5	दन	देने
104	अन्तिम से 4	श्री नूलचन्द डा ा	श्री मूलचन्द डागा
105	अन्तिम से 5	जिसमें	—
105	अन्तिम से 3	श्री उपाध्य ा	श्री उपाध्यक्ष
107	अन्तिम से 5	योगेश्वर	योगेशचन्द्र
110	अन्तिम से 8	लिस	पुलिस
111	3	थ	था
115	अन्तिम से 10	ह	है
119	14	नहीं है	है
122	अन्तिम	विद्यतिकरण	विद्युतिकरण
124	7	टेक्निकलिटि	टेक्नि कलिटी
125	अन्तिम से 10	प्रंख्या	संख्या
126	अन्तिम से 7	खर्चा	खर्चो
126	अन्तिम से 4	अन्र्तात	अन्तर्गत
126	अन्तिम से 2	अत्याधिक	अत्यधिक
127	अन्तिम से 6	श्री प्रेमसिह् सिंघवी	श्री प्रेमसिंह सिंघवी

1	2	3	4
130	7	शीषक	शीर्षक
130	8	में वे	में से
131	13	पाली	(पाली
131	20	अकर्मण्ता	अकर्मण्यता
132	अन्तिम से 12	वाला	वाली
134	9	मांग संख्य	मांग संख्या
136	16	मांग संग्य	मांग संख्या
137	13	फिजल	फिजूल
138	19	हरिजनां	हरिजनों
138	अन्तिम	अन्तगत	अन्तर्गत
142	अन्तिम से 7	मां ा	मांग
142	अन्तिम से 2	बर्ती	बरती
146	अन्तिम से 3	ा ी	श्री
147	16	सांख्या	संख्या
149	14	में	में से
150	13	खर्चे	खर्चो
158	6	श्री वृद्धिचन्द	श्री वृद्धिचन्द्र
158	अन्तिम से 9	इंदालिया	इंदलिया
161	4, 10, 16	अनुमोदन	अननुमोदन
165	1	करोल	करौल
,,	अन्तिम से 5	अन्तीत	अन्तर्गत
166	अन्तिम से 10	भा ों	भागों
167	3	ट्रान्स्पोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
168	11	फूंक	फुंक
169	शीर्षक	मार्चे	मार्च
171	शीर्षक	माच	मार्च
,,	6	जसे	जैसे
,,	अन्तिम से 6	थी	था
172	9	वरन	वरना
,,	20	सहलियत	सहूलियत
,,	अन्तिम से 8	वे आये हैं	आये हैं
173	अन्तिम से 3	श्री उपाध्य ा	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से 2	(पचपदरा	(पचपदरा)
174	21	जिसमें	जिसने
176	14	ा	होना
,,	17	सूवना	सूचना
199	14	माननी ।	माननीय
200	3	सतीशचद्र	सतीशचन्द्र
204	अन्तिम	उ ा	उठाया
218	अन्तिम से 9	श्री क याणमल	श्री कल्याणमल
225	16	सुविध	सुविधा
229	3, 5, 7, 8	ह	है

1	2	3	4
231	11	ी	श्री
232	20	ह	है
234	10	,,	,,
,,	अन्तिम से 9	ूनिया	पूनिया
235	4	ह	है
245	13	गाड्स	गार्ड्स
,,	17	मट्रिक	मैट्रिक
,,	23	म	में
246	6	ह	है
247	15	हा	रहा
248	20	पैस	पैसा
,,	23	समज	समाज
250	1	बाग डोरा	बागीडोरा
253	अन्तिम से 11	संक्षप	संक्षेप
279	अन्तिम से 8	श्री उपाध क्ष	श्री उपाध्यक्ष
287	1	(मकराणा)	(मकराना)
297	अन्तिम से 2	श्री रामि शन	श्री रामकिशन
298	5	श्री पा यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
301	6	श्री रामा न	श्री रामानन्द
312	19	कि	की
315	9	होर	होकर
317	अन्तिम से 10	मनुपैलेशन	मेनुपुलेशन
320	अन्तिम	डंगरपुर	डूंगरपुर
325	8	रा त	रावत
,,	अन्तिम से 9	श्र	श्री
328	1	म दा	मसूदा
332	15	श्री नार यणसिंह	श्री नारायणसिंह
337	15	श्री अमतलाल	श्री अमृतलाल
338	16	,,	,,
339	अन्तिम से 2	,,	,,
,,	अन्तिम से 1	स्टेचुटरी	स्टेचुअरी
342	13	अगवाल	अग्रवाल
,,	अन्तिम से 8	झूट	झूठ
,,	अन्तिम से 4	मौटरों	मोटरों
343	स्कम्भ	243)	343)
,,	शीर्षक	32	33
344	4	ह	है
347	4	बारूगाजी	बारूपालजी
348	अन्तिम से 11	श्री शतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
352	अन्तिम से 3	अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।	..
,,	अन्तिम	..	अध्यक्ष पीठ के आदेशा-

1	2	3	4
			नुसार निकाले गये ।
355	अन्तिम से 3	शर्म	शर्मा
,,	अन्तिम से 2	ा कान	मकान
362	अन्तिम से 11	जूते बनान	जूते बनाना
367	9	सेनाटोरियम	सेनोटोरियम